खण्ड-290, अंक-4
गुरूवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1893
(29 जुलाई, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३६१–३६५
प्रश्नोत्तर	३६५–४०१
प्रश्नों के सही उत्तर न मिलने के संबंध में शिकायत	४०२
समाचार पत्रों में गलत दल लिखने के सम्बन्ध में आपत्ति	४०२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	४०२–४०३
राज्य मंत्री श्री उमादत्त शर्मा द्वारा श्री वीरेन्द्र वर्मा के विरुद्ध कही गयी कुछ बातों को कार्यवाही से निकालने की मांग	४०३
अवध सहकारी फार्मों की भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वितरित करने के संबंध में याचिका	४०४
श्री मंजूर अहमद तथा श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा एक दूसरे के प्रति कही गयी बातों के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना ..	४०४–४१२
पायनियर तथा स्वतंत्र भारत समाचार पत्रों द्वारा, विरोधी दल द्वारा कही गयी बातों को न छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४१२–४१३
कस्बा पलावदा, जिला मेरठ में गो हत्या के बारे में वक्तव्य	४१३–४१४
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १०–सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११–आयुक्त और जिला प्रशासन तथा अनुदान संख्या १५–पुलिस (स्वीकृत) ..	४१४–४३७
अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३–राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत)	४३७–४५६
उत्तर काशी में भारी वर्षा के कारण मातली ग्राम धसने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४५७–४५९
नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना	४५९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	४५९–४६२
मेरठ शहर में गढ़ रोड के निकट रोडवेज स्टेशन हेतु ली गयी भूमि को राज्य मंत्री श्री उमादत्त शर्मा द्वारा कथित रिश्वत लेकर छुड़वाने तथा एक हजार रुपया भेंट लेने के प्रयास के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा ..	४६२–४९१
नस्थियां	४९२–५००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक २९ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८७

अजब सिंह श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री

ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री

प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
वंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन, खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री

रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामभूति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री

शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हर नरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा-फतेहाबाद)
हुक्म सिंह श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीला ल अग्रवाल, श्री

नोट :—श्री पी० डी० टन्डन राज्य सूचना मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २९ जुलाई, १९७१

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम बिजरी में बम विस्फोट

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के पास किसी गांव में कोई बम विस्फोट जून, ७१ के दूसरे पखवारे में हुआ है ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं ?

गृह उप-मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)---

जी हां। घटना का विवरण इस प्रकार बतायी गयी है कि २०-६-७१ को ग्राम बिजरी आउटपोस्ट चुर्क, पुलिस स्टेशन राबर्टसगंज के निवासी एक श्री गोपीनाथ सिंह जब अपने मकान की छत की मरम्मत करवा रहे थे तो बम विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप वहां कार्य कर रहे दो आदमी व एक औरत घायल हुये। घटना की सूचना गांव चौकीदार ने आउटपोस्ट चुर्क पर भी कर दी। जिस पर एक मुकदमा विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट, १६०८ के अन्तर्गत दर्ज किया गया। घटना की सूचना मिलते ही सर्किल आफिसर व एस० डी० एम० घटनास्थल पर गये। अब तक कुल ४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जांच के दौरान क्या उसको इस बात का पता चला कि यह बम कहां से आया था ? यह देशी था या विदेशी ?

नियोजन राज्य-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

श्रीमन्, इसकी जांच लोकल पुलिस ने की और सी० आई० डी० से भी जांच कराई गई तथा उसके टुकड़ों को हमने जांच के लिये इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव के यहां भेज दिया है। अब यह बातें सब जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन अब तक की जांच से पता चला है कि इनकी आपस में किसी से कोई रंजिश थी, जिसकी वजह से यह बम छिपाकर जमीन के अन्दर रखा गया था, जिससे यह दुर्घटना हो गई।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

जिन गोपीनाथ सिंह के यहां से बम विस्फोट हुआ वह तथा अन्य जो चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे वे क्या किसी राजनैतिक दल से संबंधित थे ? यदि हां, तो किस राजनैतिक दल से सम्बन्धित थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं है कि वे लोग किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या यह जो बम फटा इसके बारे में सूचना गोपीनाथ सिंह के अपोजिट पार्टी वालों ने पुलिस को दी थी कि ऐसे इनके पास बम, अवध हथियार हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

ऐसी कोई बात नहीं थी, सूचना तो वहां के चौकीदार ने थाने पर दी थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जहां बम विस्फोट हुआ वहां से चुर्क सीमेंट फैक्ट्री कितनी दूरी पर है ? जो बम के टुकड़े पाये गये थे, क्या उन पर कोई मार्क थे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

यह गांव चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री के करीब में है। इनका मकान फैक्ट्री के उस ओर है। कोई मार्क पाने की जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रमणी-

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पार्टी, वालों ने दो दिन पहले इसके बारे में सूचना दी थी और आप कहते हैं कि चौकीदार ने दी थी तो इसे स्पष्ट कीजिये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

दो दिन पहले कोई सूचना नहीं थी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जो चार आदमी गिरफ्तार किये गये और जिन गोपीनाथ सिंह के यहां बम विस्फोट हुआ, उनके बारे में क्या मंत्री जी इंटलीजेंस डिपार्टमेंट द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे कि वे किस राजनैतिक दल से संबंध में रखते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसकी तो जांच अभी हो रही है और जांच के बाद जो परिणाम जो निकलेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो चार आदमी पकड़े गये हैं वह क्या चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसकी कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि गोपीनाथ के घर में यह बम पहले से छिपा कर रखा गया था, जो बम विस्फोट हुआ, गोपीनाथ के ऊपर भी कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

जी हां, मान्यवर । उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया ।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर बम विस्फोट हुआ था वहां पर कोई क्षति भी हुई थी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

केवल तीन व्यक्ति घायल हुये, दो पुरुष और एक स्त्री । उनके सामान्य चोटें थीं । विशेष क्षति नहीं हुई ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो बम विस्फोट हुआ वह केवल एक बम था या कई थे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

एक बम था । टुकड़े विशेषज्ञ के पास आगरा भेजे गये हैं । उसके बारे में जांच की जा रही है । जांच की विस्तृत सूचना यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो देंगे ।

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् में मनोनीत सदस्य

*१—श्री यादवेंद्र दत्त (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् गठित हुई है उसमें मनोनीत सदस्य किस आधार पर रखे गये हैं। क्या यह सही है कि उसमें कोई सदस्य ऐसे भी हैं जो चार वर्ष पूर्व मर चुके हैं उन्हें भी मनोनीत किया गया है, उनका नाम क्या है?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् में परिषद् के उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्यों के अनुरूप समाज के हर वर्ग व विभिन्न धर्मावलम्बियों के विशिष्ट व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

सदस्यों की सूची में वास्तव में चौधरी अख्तर हुसैन एडवोकेट को मनोनीत किया गया था परन्तु सूची प्रकाशित करते समय अनजाने में गलती से चौधरी हैदर हुसैन, एडवोकेट, जिनकी कि मृत्यु हो चुकी है, का नाम छप गया। इस गल्ती को तुरन्त अभिलेखों में ठीक कर लिया गया था तथा नागरिक परिषद के महामन्त्री द्वारा स्पष्टीकरण हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति भी इस सम्बन्ध में जारी कर दी गई थी।

जौनपुर जिलान्तर्गत जुलाई, १९७० से मार्च, १९७१ तक अध्यापकों को नियुक्त किया जाना

*२—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिलान्तर्गत नाम के अनुरूप प्रबन्ध समितियों ने जुलाई, १९७० से मार्च १९७१ के अन्दर कितने और किन-किन अध्यापकों को नियुक्त किया, जो कार्य कर रहे हैं, किन्तु अनुमोदन न करने के फलस्वरूप वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं ऐसा क्यों है?

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामदेव—

माननीय शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि सूचना कब तक एकत्र कर ली जायगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, कई बार कोशिश की गई। सूचना एकत्र करने के लिए कोशिश की जा रही है। २० जुलाई, १९७१ को पुनः तार दिया गया था कि सूचना भेज दी जाय। ज्यों ही सूचना उपलब्ध हो जायगी उत्तर दिया जायगा।

श्री रामदेव—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताएंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर जिनके सम्बन्ध में विधान सभा के कई सदस्यों ने और कई विधान परिषद् के सदस्यों ने शिकायत की है, कि वह निरीक्षण के कार्यों में गोलमाल करते हैं? यदि शिकायत की गई है तो क्या शिकायत है और क्या कार्यवाही हुई?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, शिकायत की है। मुझ से मिले भी हैं। उनके हस्तान्तरण के बाबत कहा है। उसका मैं प्रबन्ध कर रहा हूं।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

इस बात को देखते हुए कि जौनपुर जिले के अनेक विधान सभा के सदस्यों ने जिनमें अनेक दल के लोग हैं, और विधान परिषद् के सम्मानित लोगों ने शिकायत की है तो जांच के पहले जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर का स्थानान्तरण करने की शिक्षा मन्त्री कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह प्रबन्ध हो रहा है स्थानान्तरण का, उसमें किया जायगा।

श्री इन्दरेश—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताएंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर का स्थानान्तरण हो गया था, अब रोक दिया क्या है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसकी सूचना मुझे नहीं है।

माध्यमिक शिक्षकों को वेतन का भुगतान न किया जाना

*३—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षकों के वेतन सम्बन्धी अध्यादेश के बावजूद कुछ विद्यालयों ने अध्यापकों के फरवरी-मार्च, १९७१ के वेतन का भुगतान नहीं किया है? यदि हां, तो देवरिया जनपद के किन-किन विद्यालयों ने ऐसा किया है और सरकार इसके निवारण के लिए कौन सा कदम उठा रही है?

*४—श्री रामधारी शास्त्री—

प्रदेश के कितने और कौन-कौन से विद्यालयों ने उक्त अध्यादेश की परिधि से मुक्त रहने का प्रार्थना-पत्र दिया है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है?

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि जिलों से किस तारीख को जवाब मांगे गये और किन-किन जिलों से जवाब आया, कहां से नहीं आया, जिससे सूचना नहीं दी जा सकी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, प्रश्न इतना विस्तृत है कि पूरे ही सूबे से सूचनाएं मंगानी पड़ रही हैं। यहां से २२ जून को भी भेजा गया है, ६ तारीख को तार दिया गया है, ९ जुलाई को यहां से लिखा पढ़ी की गई है। यह सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश जारी कर दिया है कि पहली अप्रैल से पहले जो अध्यापकों का वेतन जिन प्रबन्ध समितियों के ऊपर बकाया था उनको अविलम्ब भुगतान कर दिया जाय, सरकार ने अपनी ग्रांट भी उनको दे दी है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सरकार ने आदेश दिये या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

हो सकता है याद न हो। परिपत्र गया होगा। जानकारी के लिये आप पूछेंगे तो जवाब दिलवा दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

पूरे प्रदेश के अन्दर यह शिकायत है और आपके पास सूचनायें एकत्रित हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस तरह के आदेश दे कर अन्तिम तिथि निश्चित कर देगी जिस तिथि तक तमाम विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों का भुगतान हो जायगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

पुराने वेतनों के भुगतान की जिम्मेदारी विद्यालयों की है। हम अप्रैल से आगे के वेनदार हैं। उससे पहले के लिए विद्यालयों से कहा जा सकता है।

श्री रामगोपाल सण्ड---

शिक्षा मन्त्री ने उत्तर दिया कि केवल अप्रैल से सरकार भुगतान के लिये जिम्मेदार है। ३१ मार्च, १९७१ तक जो सरकार अनुदान देती थी तो क्या सरकार उस अनुदान के द्वारा प्रदेश के लगभग ८०० विद्यालयों के अध्यापकों के फरवरी और मार्च के वेतन का भुगतान करने के लिये विद्यालयों को आदेश देगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

अनुदान दिये जाने में जो विलम्ब हुआ है वह मैं समझता हूं बजट के पास न होने के कारण है। जहां तक आदेश देने का सवाल है कानूनन हम इसमें नहीं आते। अप्रैल से पहले के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी हम पर नहीं आती है लेकिन वैसे हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो वहां की प्रबन्धक समितियां हैं वे वेतन भुगतान की व्यवस्था करें।

प्रधान अध्यापक बेसिक पाठशाला तोलीथाती कुटुड़ू जिला टिहरी-गढ़वाल का बकाया वेतन [redacted]

*५---श्री इन्द्रमणी---

क्या शिक्षा मन्त्री को यह विदित है कि प्रधान अध्यापक बेसिक पाठशाला तोलीथाती कटूड़ू, जिला टिहरी-गढ़वाल का मार्च और अप्रैल, १९६० का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी नहीं।

उन दिनों उक्त विद्यालय में कोई प्रधानाध्यापक नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रमणी---

उस विद्यालय में प्रधान अध्यापक था या नहीं था लेकिन जिस अध्यापक के विषय में मैंने लिखा है उसका वेतन रोका गया है या नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

प्रधान अध्यापक नहीं थे। एक सहायक अध्यापक काम कर रहे थे श्री सुरेन्द्र दत्त उनको मार्च, अप्रैल में उनके वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहराइच में पांच वर्ष से अधिक अध्यापकों का कार्यकाल

*६---श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहराइच में कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनका कार्यकाल उक्त विद्यालय में ५ वर्ष से अधिक हो चुका है? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों का स्थानान्तरण करेगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

अध्यापक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। अतः इनके स्थानान्तरण के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

श्री वासुदेव सिंह---

क्या इन अध्यापकों का ५ वर्ष बाद स्थानान्तरण करने के लिये नियम है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

माननीय, मैंने निवेदन किया कि ये अल्पवेतन भोगी अध्यापक हैं और उनके स्थानान्तरण करने के लिये कोई नियम या आदेश नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ५ साल से अध्यापक वहां पर हैं और यह बात भी सही है कि अल्पवेतन भोगी का स्थानान्तरण न किया जाय लेकिन जिनके विरुद्ध शिकायतें हों उनका स्थानान्तरण आप कर देते हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

प्रशासकीय दृष्टि से तथा शिकायतों को दृष्टि में रखते हुए स्थानान्तरण कर देते हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहराइच के अध्यापकों का स्थानान्तरण अभी हाल में किया गया था लेकिन क्या यह सच है कि दिल्ली के दबाव पड़ने के कारण वे स्थानान्तरण कैंसिल कर दिये गये?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

माननीय, अध्यापकों के स्थानान्तरण तो हुए हैं किन्तु यह कहना कि किसी के दबाव में आकर स्थानान्तरण कैंसिल किये गये, गलत है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूंछना चाहता हूं कि इस विद्यालय में अधिक से अधिक अवधि वाले कितने अध्यापक हैं जिनकी अवधि ५ साल से अधिक हो गई हो?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। यह जरूर है कि यहां पर अध्यापकों, की अवधि ५ साल से अधिक हो गई है।

के० वी० डिग्री कालेज, माछरा, मेरठ में गबन की जांच

*७—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि के० वी० डिग्री कालेज, माछरा, मेरठ में लाखों रुपये के गबन की जांच सन् १९६८ से हो रही है? यदि हां, तो अब तक उसका क्या परिणाम निकला?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां।

अभी पुलिस द्वारा अनुसन्धान चल रहा है।

मान्टेसरी स्कूलों को अनुदान दिया जाना

*८—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में चल रहे किन-किन मान्टेसरी स्कूलों को सन् १९६७-६८ से १९७०-७१ तक किस-किस वर्ष कितना-कितना अनुदान दिया गया है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९२–४९३ पर।)

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में काष्ठकला अनुदेशकों की नियुक्ति

*९—श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग में जिन काष्ठकला अनुदेशकों की नियुक्ति ५ अगस्त, १९६३ को हुई थी उनमें से कितने अनुदेशक ५ मई, १९६८ को अलग किये गये तथा क्यों? क्या उसी तिथि को काष्ठकला अनुदेशकों की नई नियुक्ति भी हुई?

श्रम उप मन्त्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में दो काष्ठकला अनुदेशकों की नियुक्ति ५ अगस्त, १९६३ को हुई थी और वे दोनों अनुदेशक ५ मई, १९६८ को सेवा से अलग कर दिये गये क्योंकि काष्ठकला व्यवसाय में प्रशिक्षार्थियों की संख्या कम हो जाने के कारण उन अनुदेशकों की आवश्यकता नहीं रही। उस तिथि (५-५-६८) को काष्ठकला अनुदेशकों की कोई नई नियुक्ति नहीं की गई।

छंटनी में आये काष्ठकला अनुदेशकों की नियुक्ति

*१०—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या श्रम मन्त्री को यह भी जानकारी है कि छंटनी में आये अनुदेशकों में जिनकी ५ मई, १९६८ को ही नव-नियुक्ति हुई उसमें सीनियारटी का ध्यान नहीं रखा गया है और अनट्रेंड तथा जूनियर को रखा गया तथा सीनियर निकाल दिये गये? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री सोहनलाल धुसिया—

५ मई, १९६८ को काष्ठकला अनुदेशक की नई नियुक्ति नहीं की गई। अतः इसके उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरीसिंह विष्ट---

क्या माननीय श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को ५ मई, १९६८ को छंटनी की गई थी, उनकी पूर्व नियुक्ति कब हुई थी ?

श्री सोहनलाल धुसिया---

श्रीमन, पूरी लिस्ट तो मेरे पास इस समय नहीं है कि इनकी नियुक्ति कब हुई थी किन्तु जो दो व्यक्ति निकाले गये हैं उनकी नियुक्ति ५ अगस्त, १९६३ को हुई थी।

श्री इन्द्रमणी---

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि जो ये दो आदमी निकाले गये हैं तो क्या इनके बाद की नियुक्ति वाले कुछ लोग रख गये हैं ?

श्री सोहनलाल धुसिया---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है और इसमें नोटिस मिलनी चाहिए ।

टिहरी गढ़वाल के रियासत कालीन शिक्षकों का वेतन

*११---श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जिला टिहरी-गढ़वाल के रियासत-कालीन शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन मान देने का कब निश्चय किया था और यह वेतनमान कौन सी तारीख से दिया जाना था तथा ३१ मार्च, सन् १९७१ तक कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनको पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पिछले एरियर्स नहीं दिये गये हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जिला टेहरी-गढ़वाल के रियासत कालीन शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने का निश्चय २८ मई, १९६६ की राजाज्ञा द्वारा किया गया था।

पुनरीक्षित वेतनमान १ अप्रैल, १९६५ से दिए जाने थे। स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान अध्यापकों को १ अप्रैल, १९६५ से भुगतान किए गए हैं। पुनरीक्षित वेतन मान का अवशेष वेतन किसी भी अध्यापक को देना शेष नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६८ के बाद जिन रियासतकालीन अध्यापकों का जिला टेहरी-गढ़वाल के बाहर स्थानान्तरण किया गया है क्या उनको भी वही पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

इसकी जानकारी के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच में जो अध्यापक पेशन पर चले गये हैं और जो उनका बकाया वेतन रह गया था वह उनको दे दिया गया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २८ मई, १६६६ के बाद जिन रियासतकालीन अध्यापकों को पेंशनें वगैरह दी गई हैं और वे रिटायर हो चुके हैं उनको भी यही वेतनमान दिया गया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, जब तक वे अध्यापक थे, उनको वही वेतनमान दिया गया।

श्री इन्द्रमणी---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वेतन-क्रम इस समय वहां के अध्यापकों को मिल रहा है वही सरकारी स्कूल के अध्यापकों का वेतन-क्रम है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां, वही वेतन-क्रम है।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या मन्त्री जी को जिलाधिकारी संघ का कोई ऐसा आवेदन मिला है जिसमें कहा गया है कि बहुत से अध्यापकों को आज भी यह वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

इधर मुझको कोई मिला नहीं, लेकिन जानकारी जरूर है कि जो बकाया १६५० से १६६५ तक था उसके लिए पहली सरकार ने, यानी मेरे पिछले जमाने में हम लोगों ने ६ लाख रुपया दिया था कि उनको भुगतान कर दिया जाय। उसमें से ६६ अध्यापक बाकी बचे थे। अब उनकी फिर सूची बना रहे हैं। जो हमें मिलेंगे उनके लिए हम प्रबन्ध करेंगे।

श्री इन्द्रमणी---

आपके आदर्श विद्यालयों के जो अध्यापक हैं टेहरी-गढ़वाल में या कहीं भी उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, वेतनक्रम क्या है और आपने जो कहा कि वही वेतन मिलता है तो क्या उनमें अन्तर है या नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

प्रश्न राजकीय विद्यालयों से सम्बन्धित है, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने कहा कि सूचना की आवश्यकता है बडौनी जी के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि वेतनभान का अवशेष वेतन किसी भी अध्यापक को देना शेष नहीं है। मान्यवर, यह प्रश्न जो रियासतकालीन अध्यापक हैं उनसे सम्बन्ध रखता है और इन्हीं में से कुछ आदर्श विद्यालयों में भेजे गये हैं। तो जब आपको सूचना की आवश्यकता है तो जो आपने मूल प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसके लिए भी सूचना की आवश्यकता है अन्तर विरोध है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको लिखकर दें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

पौड़ी-गढ़वाल में अध्यापिकाओं के सरकारी आवास के किराये की वसूली उनके वेतन से करना

*१२--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतावेंगे कि राजकीय महिला विद्यालय (ट्रेनिंग) पौड़ी-गढ़वाल में ऐसी कितनी अध्यापिकायें हैं जिनसे सरकारी आवास के किराये की वसूली इनके वेतनों से कराये जाने के आदेश हुये हैं और यह आदेश किस आधार पर किस विभागीय अधिकारी द्वारा प्रसारित किये गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

दो अध्यापिकायें।

यह आदेश मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका बरेली ने दिया है।

श्री इन्द्रलाल--

इन अध्यापिकाओं का नाम क्या है और किस तारीख को यह आदेश मण्डलीय बालिका निरीक्षिका ने दिये हैं और कितने-कितने रुपये की मांग की गई है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

इसमें एक अध्यापिका हैं श्रीमती हबीबा फातिमा सिद्दीकी और दूसरी हैं कु० दया सामन्त। इनको सरकारी आवास में रखा गया था इसलिए जो नियम बने हुए हैं उसके लिये उसके अनुसार उनसे काटा गया है।

श्री इन्द्रलाल--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जब पर्वतीय क्षेत्र के मण्डलीय बालिका विद्यालय की निरीक्षिका बन गई हैं तो बरेली रीजन की बालिका निरीक्षिका को आदेश देने का क्या अधिकार है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

उस समय की क्या स्थिति थी, इसके लिए जानकारी करनी होगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो अध्यापिकाओं के वेतन से जो आवास के लिए रुपया काटा गया इसका क्या मुख्य कारण था, क्यों काटा गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

इनके रहने के लिए इनको आवास नहीं मिला। विशेष परिस्थिति में ये छात्रावास में रखी गई और शासकीय आदेश यह है कि जो हमारी सरकारी इमारतें होती हैं उसमें रहने पर वेतन का १० प्रतिशत देना पड़ता है।

श्री गोविन्द सिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन अध्यापिकाओं को कोई आवास के लिए भत्ता दिया जाता है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

पारसनाथ द्विवेदी सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय प्रतापगढ़ का बकाया वेतन

*१३—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पारसनाथ द्विवेदी, सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय, प्रतापगढ़ के वेतन वृद्धि सन् १९५१ से १९५८ तक की अभी (१९-४-७१) तक भुगतान नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां।

श्री पारसनाथ द्विवेदी का जिस अवधि की वेतन वृद्धि का भुगतान होना है उस अवधि में उन्होंने कई जनपदों में कार्य किया। उन जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों से उनकी सेवा पंजी की प्रविष्टियां आदि पूर्ण कराने की औपचारिक कार्यवाही करने में पर्याप्त समय लगा। अब यथा सम्भव शीघ्र भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वेतन वृद्धि के फलस्वरूप कुल कितना रुपया उसको दिया जायगा?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उक्त अध्यापक ने ३००.६५ रुपया की मांग की है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्योंकि यह अध्यापक छोटी तनख्वाह का है और मेरी जानकारी है कि इसका रिटायरमेंट भी होने वाला है, कितने दिनों में उसका रुपया प्रदान करने के आदेश दे दिये जायेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह अध्यापक कई स्थानों पर रहा है, इसकी सेवा पंजिका में प्रविष्टियां की जानी हैं, सूचना मांगी जा रही है, जल्दी ही उसको पेमेन्ट किये जाने की कार्यवाही हो रही है।

शिक्षा विभाग के विचाराधीन नैनीताल के अध्यापकों के मामले तथा उनका अस्थायी होना

*१४—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय मण्डल, नैनीताल के अधीन कितने अध्यापकों के ऐसे मामले अभी शिक्षा विभाग के विचाराधीन हैं जिन्होंने वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में अपनी वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टियों के निराकरण के लिये अपील की है, अभी तक विलम्ब का क्या कारण है और ये मामले कब तक निबटा दिये जायेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

१९ अध्यापक ।

प्रतिकूल प्रविष्टि देने वाले सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या आदि मांगी जाती रही हैं। अपेक्षित आख्यायें उपलब्ध होने पर प्रत्यावेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

*१५---श्री शेरसिंह दानू---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के पर्वतीय मंडल में विभिन्न वेतनमानों में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो आयोग द्वारा अथवा विभागीय आयोग द्वारा १९६२ के पश्चात् अनुमोदित होने पर भी अभी तक अस्थायी हैं? इसका क्या कारण है और ये अध्यापक कब तक स्थायी हो जायेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

स्थायी रिक्तियों का अभाव। स्थायी रिक्तियों के उपलब्ध होने पर विभिन्न वेतनमानों के इन अध्यापकों को ज्येष्ठतानुसार स्थायी करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

श्री शेरसिंह दानू---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कब तक यह सूचना एकत्रित हो जायगी और क्या माननीय मंत्री जी सूचना एकत्रित होने पर उत्तर देंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, प्रविष्टियों का निराकरण करने के लिये कई जगह लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है। कुछ प्रविष्टियां उप शिक्षा निदेशक के स्तर पर होती हैं और कुछ प्रविष्टियां शिक्षा निदेशक के स्तर पर होती हैं, इसलिये समय लग जाता है।

श्री गोविन्दसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पर्वतीय जिलों में कितने ऐसे अध्यापकों के पद हैं जो स्थायी हैं और उन पर अस्थायी नियुक्तियां की गयी हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश विभाग को देंगे कि ऐसी जो प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं, जिन पर अपील में विचार चल रहा है, उनको एक निश्चित समय में निबटा दें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, यह तो पहले से ही है कि प्रविष्टियों पर जल्दी ही कार्यवाही की जाय। कई स्तर पर उनको निबटाना होता है, इसलिये देर लगती है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह विपरीत प्रविष्टियां किस तारीख को दी गयीं और इनको दिये कितना समय बीत गया?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

सूचना की आवश्यकता है।

जिला शाहजहांपुर के खुददाग व देवकली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक तथा छात्र तथा उन विद्यालयों को सरकार द्वारा अनुदान

*१६---श्री शिवकुमार (जिला शाहजहांपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुददाग व देवकली में क्रमशः कितने-कितने अध्यापक हैं और क्या छात्रों की संख्या एवं विषयों को देखते हुये यह संख्या पर्याप्त है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुदागंज व देवकली में क्रमशः ११ एवं ९ अध्यापक हैं। अध्यापकों की आवश्यकता का निर्धारण छात्र संख्या एवं विषयों की संख्या के आधार पर नहीं प्रत्युत सेक्शनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुदागंज में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त नहीं है परन्तु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवकली में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है।

*१७—श्री शिवकुमार मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९–७० एवं वर्ष १९७०–७१ में उपरोक्त दोनों विद्यालयों को कितना-कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया गया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

खुदागंज विद्यालय को वर्ष १९६९–७० एवं वर्ष १९७०–७१ में क्रमशः ८,१६८.०० रुपये तथा ११,०३५.९७ रुपये अनुदान प्राप्त हुआ।

देवकली विद्यालय को वर्ष १९६९-७० में ५,००० रुपय तथा १९७०-७१ में १०,२०४.५६ रुपये अनुदान प्राप्त हुआ।

श्री शिवकुमार मिश्र—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि खुदागंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि पर्याप्त संख्या में वहां अध्यापक न पहुंचने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जो हमारा मापदंड है उसके मुताबिक इसमें तीन अध्यापकों की कमी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संस्था ने इस बात के लिये लिखा नहीं। अगर वह लिखेंगे तो फिर हम इसकी व्यवस्था करेंगे।

जिला परिषद् गोंडा के अधीन अध्यापकों का प्राविडेंट फंड का हिसाब

*१८—श्री संतराम (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में जिला परिषद् के अधीन अध्यापकों का प्राविडेंट फंड का हिसाब १९५४ से नहीं बताया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या सरकार जिला परिषद् के अध्यापकों को उनके प्राविडेंड फंड का हिसाब वर्ष वार हिसाब बनवा कर मुस्तिमारूप में बंटवाने का आदेश देगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सन् १९५४ से १९५७–५८ तक का हिसाब बनाकर सभी अध्यापकों को बताया भी गया है। सन् १९५८–५९ से १९७१ तक का हिसाब बनवाया जा रहा है। जैसे-जैसे यह पूरा होता जायगा अध्यापकों में नियमानुसार हिसाब बंटवा दिया जायेगा।

नान फैरेस मेटल स्कीम, मुरादाबाद को लाभ

*१९—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नान-फैरेस मेटल स्कीम, मुरादाबाद को गत चार वित्तीय वर्षों से कितना-कितना लाभ या हानि रही ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

कथित स्कीम में व्यवसायिक मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में ९२१ रुपये २७ पैसे का लाभ हुआ तथा वित्तीय वर्ष १९६८–६९ तथा १९६९–७० में क्रमशः ३,३८८.७९ पैसे तथा ४,११८ रुपये ८५ पैसे की हानि हुई। वर्ष १९७०–७१ में व्यवसायिक मद में कोई व्यय नहीं हुआ, अतः उस वर्ष लाभ या हानि का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नौनिहाल सिंह—

१९६८–६९ और १९६९–७०, यह दो साल जो घाटा रहा इसका क्या विशेष कारण रहा और दूसरे नान-फैरेस मेटल स्कीम में कितने लोग काम करते हैं?

श्री देवकीनन्दन विभव—

हानि होने का विशेष कारण यह था कि वहां १०० हार्स पावर का पावर कनेक्शन दिया गया था। ८० हार्स पावर तो एलक्ट्रोप्लेटिंग की मशीन के लिये और २० हार्स पावर दूसरी मशीनों के लिये। बाद में एलेक्ट्रोप्लेटिंग की मशीन वहां से चली गयी लेकिन पावर कनेक्शन रहा। इसलिये जो मिनिमम बिल आया वह भी देना पड़ा। अगर वह न देना पड़ता तो शायद हानि न होती।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुये कि नान-फैरेस मेटल स्कीम मुरादाबाद में अब से नहीं बल्कि लगातार १९६४–६५ से मैंने यह प्रश्न उठाया है कि यह सरासर फर्जी पैसा कमाने का अड्डा बना हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी स्वयं इस स्कीम का मुआयना करके कोई ऐसा निर्णय करेंगे कि इसको बन्द कर दिया जाय ताकि फर्जी कारखाने बन्द हो जायं?

श्री देवकीनन्दन विभव—

माननीय सदस्य की भावना से मैं बहुत सहमत हूं और मैंने आलरेडी उस सम्बन्ध में कार्यवाही करना शुरू कर दिया है।

श्री नौनिहाल सिंह—

इस नान-फैरेस मेटल स्कीम को जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से विभिन्न प्रकार के मेटल्स का कोटा दिया जाता है उससे कितना उत्पादन होता है और क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि उससे उत्पादन नहीं होता है बल्कि ब्लैक में बेच दिया जाता है?

श्री देवकीनन्दन विभव—

१९६७–६८ में १३,९३६ रुपये का, १९६८–६९ में ३५,००६ रुपये का, १९६९–७० में ३६,०६३ रुपये का और १९७०–७१ में ४२,५५३ रुपये का उत्पादन हुआ।

श्री नौनिहाल सिंह—

इन्हें गवर्नमेंट से कितना कोटा प्राप्त हुआ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

कोटा कितना मिला और उसका कितना दुरुपयोग हुआ इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इसकी जानकारी हासिल करूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक वर्ष ऐसा भी बीच में आया—जैसा कि आपने बताया—कि जिसमें लाभ हुआ बजाय इसके कि इस स्कीम को बन्द करें यह लाभ कैसे बढ़ाया जाय क्या माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जी हां, इन सब प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

जिला शाहजहांपुर में पाठशालायें तथा मासिक सहायता

*२०—श्री शिवकुमार मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में कितनी पाठशालायें हैं जिन्हें गत १० वर्षों से जिला परिषद् द्वारा मासिक सहायता मिल रही थी और अब बन्द कर दी गई है? किस कारण से और कब से यह सहायता बन्द कर दी गई है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

३५ पाठशालायें।

जिला परिषद् शिक्षा नियमावली के नियमांक ५६, ७० एवं १०६ में निर्धारित प्रतिबन्धों की पूर्ति न होने के कारण जिला परिषद् ने फरवरी, १९७० से सहायता देना बन्द कर दिया है।

श्री शिवकुमार मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने भी ये पाठशालायें और मकतब थे यह सबके सब बन्द कर दिये गये हैं या ३५ ही बन्द किये गये हैं?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मैंने निवेदन किया कि ३५ को ही बन्द किया गया है।

श्री शिवकुमार मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि रुद्रपुर पाठशाला जहां पर जनता ने अपना पैसा खर्च करके बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है और जिसका आयुक्त रुहेलखंड डिवीजन ने निरीक्षण भी किया और प्रशंसा की थी उसकी भी सहायता बन्द कर दी गई है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, २७ नम्बर पर यह रुद्रपुर भी है।

श्री कृष्णाकान्त अवस्थी—

इन ३५ पाठशालाओं की सहायता बन्द कर दी गई है तो इसका कारण क्या है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

नियमावली बनी हुई है जिसके आधार पर सहायता दी जाती है। उन नियमों को जिन संस्थाओं ने पूर्ति नहीं की उनकी बन्द कर दी गई।

श्री इन्द्रमणी—

जब जिला अध्यक्ष जिला परिषद् से हटाये गये और उनकी जगह जिलाधीश को रखा गया तो क्या यही काम जिलाधीश ने किया?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जनरल प्रश्न है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

क्या सहायता बन्द करने से पूर्व उनको सहायता नियमों के विपरीत दी जाती थी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, मैं अपने आप जानकारी कर लूं तो बतलाऊं।

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अध्यापकों को सरकार द्वारा महंगाई भत्ता न मिलना

*१---श्री रामगोपाल सन्ड---

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी के अध्यापकों को सरकार द्वारा स्वीकृत दर से महंगाई भत्ता नहीं मिलता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामगोपाल संड---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अध्यापकों की दयनीय दशा को देखते हुये ५०, ६० रुपया जो अध्यापकों को ये देते हैं यह सूचना कब तक एकत्रित कर लेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जब से यह प्रश्न मिला ५ बार लिखा जा चुका है। अब २९ जुलाई के लिये हम कोशिश कर रहे थें। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड---

मेरी इस जानकारी को सही मानते हुये मंत्री जी जांच करायेंगे कि इलाहाबाद के बड़े ख्यातनामा विद्यालय डी० ए० वी० कालेज, अग्रवाल कालेज, अग्रसेन, कालेज, एस० के० इन्टर कालेज, सय्यूपारीन इन्टर कालेज, एंग्लो बंगाली इन्टर कालेज के अध्यापकों को केवल ६० रुपया दिया जाता है और कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां, जांच करा ली जायगी।

राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा स्थायी करने के प्रश्न पर विचार

*२---श्री रामगोपाल संड---

क्या सरकार ने राजकीय विद्यालयों में दस वर्ष से अधिक काम करने वाले अध्यापक, अध्यापिकाओं की सेवा स्थायी करने के प्रश्न पर कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों को प्रादेशिक लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिये आयु सीमा से मुक्त किया जायगा अथवा नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामगोपाल संड—

मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की यह कौन-सी नीति है कि पिछले १० साल से लेकर १८ साल तक के राजकीय विद्यालयों में लड़के और लड़कियों को पढ़ाने वाले लगभग १८ हजार अध्यापक और अध्यापिकायें अभी तक अस्थायी हैं तो सरकार कब तक उनको स्थायी करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

स्थायी करने के लिये हमें पदों के सृजन की मंजूरी लोक सेवा आयोग से लेनी पड़ती है और इस काम में समय लगता है, यह सब कार्यवाही हो रही है । जैसे ही स्वीकृति आ जायगी और हमारी वित्तीय दशा इजाजत देगी यह किया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्राइमारी विद्यालयों का प्रश्न हर जगह है कि उनके वेतन मान दूसरे प्राइमरी विद्यालय जो नगरपालिका आदि के हैं उन के समान लाने की कोई योजना सरकार की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपना यह प्रस्ताव लिखकर भेज दें तो अवश्य उस पर कुछ कार्यवाही करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन राजकीय विद्यालयों के अस्थायी अध्यापकों के स्थायीकरण का उत्तर 'नहीं' में दिया गया है वे स्कूल प्राइमरी हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं या माध्यमिक विद्यालय हैं और किन के लिये आपने 'जी नहीं' कहा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जिला परिषदों के प्राइमरी स्कूल चलते हैं और बहुत से जिला परिषदों के जूनियर स्कूल भी चलते हैं, मैंने तो राजकीय विद्यालयों के विषय में उत्तर दिया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्राइमरी नहीं लिखा है इस में हाई स्कूल भी हैं, प्राइमरी और जूनियर स्कूल भी हैं और हायर सेकेण्डरी स्कूल भी हैं तो यह नहीं आप ने कहा वह किस से संबंधित है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह जो प्रश्न है राजकीय विद्यालयों में दस वर्ष से अधिक अध्यापकों का है और उन्हीं के बारे में 'जी नहीं' कहा गया है ।

श्री रामगोपाल संड—

यह जो १८ हजार अध्यापकों की संख्या है इन को स्थायी करने के लिये सरकार कब पदों का सृजन करेगी और क्या मंत्री जी लोक सेवा आयोग को उन की आयु की सीमा को बढ़ाने के लिये आज्ञा प्रसारित करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जब ऐसा प्रश्न सामने आयेगा तो उस को देखेंगे कि हमें क्या करना है ।

प्रदेश में बच्चा उठाने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

*३---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि एक बच्चा उठाने वाला गिरोह प्रदेश में सक्रिय है और १० अप्रैल, १९७१ से २० अप्रैल, १९७१ तक बिजनौर जिला और मुजफ्फरनगर जिलों में १० व्यक्ति मय बच्चों के पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो यह कौन हैं और किस प्रदेश के निवासी हैं ?

गृह उप मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

बच्चा उठाने वाले किसी गिरोह के प्रदेश में सक्रिय होने की पुलिस को कोई सूचना नहीं हैं।

मुजफ्फरनगर जिले में १० अप्रैल, १९७१ से २० अप्रैल, १९७१ तक बच्चे उठाये जाने की किसी घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई परन्तु इस अवधि में जिला बिजनौर से बच्चे उठाये जाने की चार रिपोर्टें पुलिस को प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में तीन व्यक्ति (१) छतरा व (२) कुन्दन निवासी उत्तर प्रदेश (३) सलीम निवासी बिहार पकड़े गये। जांच से छतरा द्वारा कोई अपराध किया जाना नहीं पाया गया। शेष दो का चालान किया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह जो बिजनौर से बच्चे उठाने वाले व्यक्ति पकड़े गये क्या उनका कोई अन्तर प्रदेशीय गिरोह है क्योंकि यू० पी० व बिहार के आदमी उस में पकड़े गये तो क्या वह इस की सी० आई० डी० की कोई जांच करायेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

अन्तरप्रदेशीय गिरोह की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस विषय में माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो विस्तृत जानकारी करा ली जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या सरकार बतायेगी कि जिन ३ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है वे इस बीच में कितने बालक उठा चुके थे जो बरामद हुये हैं और इन व्यक्तियों ने किसी अपने गिरोह का पता दिया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

किसी गिरोह का तो पता नहीं चला है और न ३ के अलावा किसी और बच्चे के उठाने की कोई सूचना है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन के पास से कोई बच्चा भी बरामद हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

उनको विभिन्न व्यक्तियों ने पकड़ा है और तीनों के पास से बच्चे पकड़े गये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

कितने बच्चे पकड़े गये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

एक-एक बच्चा तीनों के पास से पकड़ा गया है।

*४-५---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

(वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त)

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।)

बलिया जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों का बकाया वेतन

*७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में सहायता प्राप्त कौन-कौन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मार्च, सन् १९७१ तक अध्यापकों तथा कर्मचारियों का वेतन ३ मास या इससे अधिक समय का बकाया था ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९४ पर)

श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि खून निकालने के लिए इन बच्चों को पकड़ा जाता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है कि बलिया में इन अध्यापकों का वेतन तत्काल उन्हें दे दिया जाय ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

१८ विद्यालय केवल ऐसे सहायता प्राप्त हैं जिनमें ३ माह तक का वेतन बकाया है। सरकार ने इसके लिये कदम उठाये हैं। अप्रैल से आगे का सरकार की ओर से होगा। इसके पहले के लिये हम प्रशासन नियुक्त करते हैं, और उनके द्वारा तन्खवाहें दिलवाते हैं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यापकों का जो वेतन बकाया है, उसको दिलाने का आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

हम उनसे लिखा पढ़ी कर सकते हैं और यह कर सकते हैं कि जो हम अनुदान दे रहे हैं उससे उनका वेतन दिलवायें, यह व्यवस्था होती रही है।

बलिया जिले में जिला परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालायें

*८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिले में जिला परिषद् द्वारा संचालित कौन-कौन प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनमें मार्च, १९७१ तक बाल आहार योजना लागू की जा चुकी है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

बलिया जिले के जिन प्राइमरी स्कूलों में बालाहार योजना लागू है उनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९५–४९७ पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मन्त्री जी इसकी निष्पक्ष जांच करायेंगे कि बलिया जिले में जो बाल आहार योजना लागू है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और वह लड़कों को नहीं मिल रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और दुरुपयोग न हो इसकी भी व्यवस्था करा दूंगा।

*९--श्री दर्लासगार यादव--

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

जिला पौढ़ी गढ़वाल के हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण

*१०--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा वर्ष १९७१-७२ में जिला पौढ़ी गढ़वाल में किन-किन हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जा रहा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

विद्यालय विशेष के प्रान्तीयकरण के विषय में सम्प्रति कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक सवाल हो गया । आप अगर लिख कर दगे और अगर यह चर्चा का विषय होगा तो मैं चर्चा करा दूंगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस वर्ष पौढ़ी गढ़वाल के कितने हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेजेज के मैनेजरों से प्रान्तीयकरण के लिए आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त हुए और क्या करण है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, प्रश्न तो यही था तो क्या इसके लिये भी सूचना की आश्यकता पड़ी? यदि हां, तो कब तक इसकी सूचना देने का आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब अभी तक निर्णय नहीं लिया गया तो क्या सूचना देंगे ?

पौड़ी में डिग्री कालेज स्थापित किया जाना

*११--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पौड़ी (गढ़वाल) में शीघ्र राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध मे दिनांक २३ सितम्बर, १९७० को पौड़ी में जनता द्वारा

[श्री शिवानन्द नौटियाल---]

कोई हड़ताल की गई? यदि हां, तो शासन ने जनता की इस मांग के सम्बन्ध में, अब तक क्या निर्णय लिया है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जुलाई, १६७१ से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा-सत्र से पौड़ी में एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र और पौड़ी के महत्व को देखते हुए इस वर्ष से विज्ञान की कक्षाओं को भी चलाने की आज्ञा देंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, अभी जिस डिग्री कालेज के बारे में निवेदन किया वहां कई विषयों को मान्यता दी गई है वह हो ले तब हम विचार करें।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस डिग्री कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को भी खोलने की व्यवस्था की गई है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

फिलहाल तो हम स्नातक स्तर का चला रहे हैं। जब सफलता मिलेगी तब हम आगे सोचेंगे।

मार्च से मई, ७१ तक प्रतापगढ़ में डाके, कत्ल व बल्वे

*१२---श्री जयराम यादव---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ में मार्च से मई, सन् ७१ तक कितने डाके, कत्ल व बल्वे की वारदातें हुयीं तथा फलस्वरूप कितने जन-धन की क्षति हुई?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

१ मार्च, १६७१ से ३१ मई, १६७१ की अवधि में प्रतापगढ़ जिले में २८ डकैतियों, १० हत्याओं तथा ५२ बल्वों की घटनाओं की रिपोर्ट थानों में की गईं। इनमें १४ जन तथा ४३,१०३ रुपये की क्षति हुई।

श्री जयराम यादव---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाके की घटनायें जिले के किस थाने में सर्वाधिक हुई हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन्, सबसे ज्यादा डकतियां जो पड़ी हैं वे २८ हैं और वे पट्टी थाने में पड़ी हैं।

श्री जयराम यादव---

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि कुण्डा थाने के अन्तर्गत शाहाबाद मौजे में डाकुओं ने आठ जगह डाके डालकर लाइसेन्स की बन्दूकें जिनके पास थीं वे छीन लीं और पुलिस को जानकारी होते हुये भी कार्यवाही नहीं की गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन्, जिले की सूचना मंगाई गई थी। अलग-अलग थानों में कितनी डकैतियां पड़ी हैं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर दी जा सकती है।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने अभी माना है कि पट्टी थाने में सर्वाधिक डकैतियां पड़ी हैं तो उस थाने के दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन्, अब जैसी की जांच हो रही है इन डकैतियों में और अगर कोई विशेष बात पाई जायेगी तो दरोगा के खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

श्रीमन्, जो पट्टी थाने में सर्वाधिक डकैतियां पड़ी हैं वे कितनी पड़ीं और किस महीने में पड़ीं और वहां के थानेदार वहां कितने दिनों से हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इतनी विस्तृत सूचना नहीं है। अगर इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना अलग-अलग पूछनी है तो फिर कभी दे सकेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपने कहा कि दरोगा के ऊपर कार्यवाही तब होगी जब कोई विशेष बात होगी। इतनी डकैतियां पड़ना विशेष बात नहीं है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

एक बात है कि प्रशासन की ओर से यह आदेश दिये गये हैं कि अपराधों की संख्या में जो केवल वास्तविक अपराध हैं वे ही केवल दर्ज किये जायं अन्यथा माननीय सदस्य शिकायत किया करते थे कि जो अपराधों के लिये रिपोर्टें लिखाई जाती थीं वे थाने में लिखते नहीं थे। इसलिये हम तथ्यों को और अपराधों को प्रकाश में लाना चाहते हैं और यदि सही रिपोर्ट लिखी जाती हैं तो उनके दमन का प्रश्न है। प्रशासन उसके लिये पूरी तरह सजग और सचेष्ट है।

श्री जयराम यादव---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डकैतियां तीन महीने के अन्दर पड़ीं, उनके फलस्वरूप कितने मुकदमे कायम किये गये और कितने लोग गिरफ्तार किए गए ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो तफसीली सवाल है।

श्री जगवीर सिंह---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पट्टी थाने में सबसे अधिक डकैतियां पड़ीं, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि इसका आधार क्या है, कितनी पड़ीं, और क्या इसी थानेदार के कार्यकाल में पड़ीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

एक थाने के बारे में अगर आप चाहते हैं तो आप सूचना दें।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, जो आदेश इन्होंने कहा कि सारे थानों में भेज दिया गया कि अपराधों को दबाया न जाय और सारे दर्ज किये जायं, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मनीराम क्षेत्र के अन्तर्गत भी सब थानों को यह आदेश गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने तो कहा कि सभी जगह गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, मेरे पास तो यह शिकायत है कि यहां हजारों चोरी और डकैतियां होती हैं और दर्ज नहीं होतीं।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, वह भी प्रदेश का अंग है ।

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस थाना खोलने का निर्णय

*१३---श्री जयराम यादव---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ में मानधाता तथा मानिकपुर में पुलिस थाना खोलने के लिये राज्य सरकार ने वर्ष १६६६-७० में ही निर्णय किया था ? यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

पुलिस थानों के पुनस्संगठन के तृतीय चरण में सम्मिलित, प्रतापगढ़ जिले में मानिकपुर तथा मानधाता में वर्ष १६७०-७१ में थाना खोलने का प्रस्ताव था। तृतीय चरण के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक स्टाफ के सृजन पर विचार हो रहा है।

श्री जयराम यादव---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मानधाता और मानिकपुर में जो थाना खोलने का प्रस्ताव किया जा रहा है दो वर्ष से, वह कब तक निश्चित रूप से खोल दिया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

निश्चित तिथि तो नहीं बताई जा सकती लेकिन हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय लिया जायगा।

श्री जयराम यादव---

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टाफ सृजन करने म कितना समय लगेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

निश्चित तो नहीं बताया जा सकता लेकिन शीघ्रता से हम करना चाहते हैं।

उन्नाव जिले का पिछड़ापन दूर करने की योजनायें

*१४---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या नियोजन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला जो प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में गिना जाता है उसका पिछड़ापन दूर करने के लिये जिला स्तर पर कौन-कौन सी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं और उन योजनाओं पर अलग-अलग कितना-कितना धन व्यय किया जायगा?

नियोजन उपमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)--

उन्नाव जनपद प्रदेश के तीन पिछड़े क्षेत्रों, अर्थात् पूर्वी जिलों, बुन्दलखंड तथा पर्वतीय जिलों की सूची में नहीं आता है। परन्तु औद्योगिक दृष्टिकोण से यह जिला प्रदेश के ३६ पिछड़े जिलों की सूची में अवश्य आता है। जिले के उत्थान के लिये विभिन्न योजनाओं के संबंध में एक टिप्पणी संलग्न है।

श्री सजीवन लाल--

जो सूचना मुझे मिली है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करगे क्या इसमें स्कूटर फक्टरी के निर्माण की बात भी उन्नाव में है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

जी हां।

श्री सजीवन लाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कूटर फैक्टरी सरकार के द्वारा लगेगी या किसी उद्योगपति के सहयोग से ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

यह तो प्राइवेट सेक्टर में लगने की योजना है और इसके लिये लाइसेन्स भी लोगों ने मांगा है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में लगने की योजना है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे प्राइवेट सैक्टर में न देकर क्या सरकार अपने देख-रेख में चालू कर सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है।

श्री छांगुर राम--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचाराधीन यह बात है, कि सरकार अपने आप इसको चलाए, न कि प्राइवेट सेक्टर में दें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त।

तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जिला मुरादाबाद में अवैध हथियारों का कारखाना,पकड़ा जाना

*१५--श्री कल्याण सिंह(जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि ६ अप्रैल, १९७१ को जिला मुरादाबाद के नगलिया महमूदपुर गांव में पुलिस ने अवैध हथियारों का निर्माण करने वाला कोई कारखाना पकड़ा है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? हथियार बनाने वाली कितनी मशीनें पुलिस ने मौके पर बरामद कीं ? क्या यह सच है कि उपरोक्त कारखाना मशीन-गन बनाने में सक्षम था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला मुरादाबाद के नगलिया महमूदपुर ग्राम में पुलिस ने अवैध हथियारों का निर्माण करने वाला कारखाना ६ अप्रैल, १९७१ को नहीं बल्कि ४/५ अप्रैल, १९७१ की रात्रि में पकड़ा था। इस सिलसिले में हिदायतुल्ला खां गिरफ्तार हुआ। उस व्यक्ति का चालान आर्म्स ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत किया गया है। पुलिस ने मौके पर अवैध हथियार बनाने का जो सामान बरामद किया उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। यह कारखाना मशीनगन बनाने में सक्षम नहीं था।

*१६—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त कारखाना राज्य भर में हथियार सप्लाई करने का काम करता था? यदि हां तो दिनांक ६ अप्रैल, १९७१ तक उक्त कारखाने से कहां-कहां के किस-किस व्यक्ति को हथियार सप्लाई किये और सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह कारखाना केवल आस-पास के दुराचारी व्यक्तियों को ही शस्त्र प्रदान करता था। सूचना मिलने पर ४/५ अप्रैल, १९७१ को ही इस्माइल तथा अब्दुल्ला निवासी ग्राम नगलिया महमूदपुर जो हिदायतुल्ला के यहां से अवैध शस्त्र खरीदते थे, के यहां दबिश दी गयी और कुछ अवैध शस्त्र और कारतूस पकड़े गये। इन दोनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के मुकदमे कायम किये गये।

शाहजहांपुर में इंडस्ट्रियल कालोनी का निर्माण

*१७—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर में इंडस्ट्रियल कालोनी का निर्माण कब हुआ और उस पर कितना व्यय हुआ, अब तक वहां कितने उद्योग स्थापित हुए तथा उसमें बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शाहजहांपुर औद्योगिक आस्थान का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। यह आस्थान अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इस पर अब तक १,६५,६९१.२१ रुपये व्यय हुआ है। ८ प्लाटों का प्राविजनल एलाटमेन्ट हुआ है। एक कारखाना बन गया है। पानी की व्यवस्था के लिये टंकी का निर्माण हो रहा है। विद्युत् का प्रबन्ध अभी नहीं है।

शाहजहांपुर इंडस्ट्रीज आफिसर का स्थान रिक्त होना

*१८—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शाजहांपुर इन्डस्ट्रीज आफिसर का स्थान कई वर्षों से रिक्त है, जिसके कारण औद्योगिक विकास में कोई प्रगति नहीं हो रही है? क्या सरकार वहां इन्डस्ट्री-आफिसर की नियुक्ति शीघ्र करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां—

(क) जिला शाहजहांपुर में जिला उद्योग अधिकारी का पद दिनांक १५ अप्रैल, १९६८ से रिक्त है किन्तु इस कारण औद्योगिक विकास की प्रगति में कोई रुकावट नहीं है।

(ख) इस पर विचार किया जाएगा।

*१९--श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह तथा श्री राजित राम पांडेय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आजमगढ़ जिले में श्री धर्मदत्त गुप्त पर गुण्डों द्वारा आक्रमण

*२०--श्री दर्लासिगार यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के वयोवृद्ध पत्रकार श्री धर्मदत्त गुप्त पर २३ सितम्बर, १९६९ को रात्रि में गुण्डों द्वारा आक्रमण करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था जिसमें सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जा रही थी ? यदि हां, तो उस जांच की रिपोर्ट गृह मंत्री सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जैसा कि प्रश्नकर्त्ता को सत्र १९७० के ३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर में बताया गया था आजमगढ़ जिले के पत्रकार श्री धर्मदत्त गुप्त पर २३ / २४ सितम्बर, १९६९ की रात्रि में गुण्डों द्वारा आक्रमण की घटना की जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दी गई थी। जांच जारी है। इस जांच से श्री गुप्त को मारने वाले का पता अब तक नहीं लग सका है। सी० आई० डी० की रिपोर्ट को जनहित में सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है।

*२१--श्री महरम सिंह--

[४थे गुरुवार में प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय में टाइपिस्टों के सब्सटेंटिव पद तथा उनका स्थायी होना

*२२--श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय में टाइपिस्टों के कुल कितने सब्सटेन्टिव पद हैं और इन सब्सटेंटिव पदों के अगेन्स्ट कितने टंककों को स्थायी कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश सरकारी सचिवालय में टंककों के कुल १७९ सब्सटेंटिव पद हैं। इन सभी पदों पर टंककों को स्थायी किया जा चुका है।

*२३--श्री शेरसिंह दानू--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो टंककों के सब्सटेंटिव पद रिक्त पड़े हैं उनके अगेन्स्ट ४३ अस्थायी टंककों में से सीनियर टंककों को क्यों नहीं स्थायी किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद राजकीय इण्टर कालेज में जीव विज्ञान की कक्षा

*२४--श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद राजकीय इन्टर कालेज में गत वर्ष जीव-विज्ञान कक्षाओं में छात्रों को दाखिल किया गया था जब कि जीव विज्ञान की शिक्षा देने वाला कोई अध्यापक भी वहां पर नहीं था और न उसके लिए पर्याप्त भवन था तो क्या सरकार छात्रों

[श्री महरम सिंह]

को जीवविज्ञान की उक्त कालेज में सुविधा देने की दृष्टि से इस वर्ष शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले अध्यापकों की नियुक्ति करने तथा कुछ भवन को बढ़ाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, फतेहगढ़ में भवन का अभाव

*२५---श्री महरम सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में छात्राओं को कई वर्ष से भवन के अभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने में विशेष कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके लिए जो धनराशि स्वीकृत की है वह धनराशि व्यय करके कन्या इन्टर कालेज के भवन को कब तक पूरा करने की विभागीय योजना है और कितनी छात्राओं के बैठने के लिए उस भवन को बनाया जायेगा ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिला परिषद् पर अध्यापकों का बकाया वेतन

*२६---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) एवं श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला परिषद् में ३० अप्रैल, १६७१ तक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का किस-किस फण्ड का बकाया जिला परिषद् पर है ? क्या सभी प्रकार के बकाये को अध्यापकों और अध्यापिकाओं को सरकार दिलाने की सोच रही है? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जिला परिषद्, बस्ती के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के अप्रैल, १६७१ से निम्नलिखित भुगतान अवशेष हैं ---

(१) अवकाश प्राप्त अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के पोषण कोष का अंतिम भुगतान ।

(२) अनिर्णीत मामलों से संबंधित निलम्बन निर्वाह भत्ता,

(३) अवशेष भत्ता,

(४) ग्रामीण भत्ता ।

बस्ती जिले में अध्यापकों के अभाव में स्कूल बन्द होना

*२७---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने प्राइमरी स्कूल तथा कन्या पाठशाला शिक्षकों की कमी के कारण बन्द पड़े हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी हां । भुगतान हेतु जिला परिषद् द्वारा प्रयास जारी है । शीघ्र ही अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के बकाये का भुगतान कर दिया जायगा । ५५ विद्यालय ।

कानपुर जिले के रामरतन इन्टर कालेज में भ्रष्टाचार

*२८—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के रामरतन इन्टर कालेज, कंचौसी बाजार के भ्रष्टाचार-पक्षपात, मनमानी तथा नियम विरुद्ध कार्यों के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को १९७० में जांच तथा आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के संबंध में जांच रिपोर्ट क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां। निरीक्षक द्वारा जांच में अनेक प्रशासनिक एवं आर्थिक अनियमितताएं पाई गई हैं। विद्यालय के बिरुद्ध आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

*२९—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

गन्ने के काश्तकारों की अधिक कटौती करना तथा उसकी वापसी

*३०—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को पता है कि वर्ष १९६८–६९ में जनपद गोंडा के तुलसीपुर शकर मिल प्रबन्धकों द्वारा बाहरी क्रय केन्द्रों पर गन्ना के काश्तकारों से ५० पैसा क्विन्टल भाड़े की कटौती की गई थी जबकि सरकारी आदेश केवल ३२ पैसा भाड़ा काटने का है ? यदि हां, तो अतिरिक्त कटौती किस आधार पर की गई है तथा अतिरिक्त कटौती की गई कुल धनराशि कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सीजन १९६८–६९ में तुलसीपुर चीनी मिल ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रति क्विन्टल गन्ना मूल्य से अधिक गन्ने का दाम अदा किया। इस चीनी मिल के लिये न्यूनतम निर्धारित दर गेट पर रु० ७.६४ तथा वाह्य केन्द्रों पर रु० ७.३२ प्रति क्विन्टल था जबकि इस मिल ने गेट पर रु० १० तथा वाह्य केन्द्रों पर रु० ९.५० प्रति क्विन्टल की दर से गन्ने का मूल्य अदा किया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ने के मूल्य से अधिक भुगतान करने के कारण गेट व वाह्य केन्द्र की दरों में ५० पैसे प्रति क्विन्टल के अन्तर को भाड़े हेतु अतिरिक्त कटौती नहीं कहा जा सकता है।

*३१—श्री डी० पी० बोरा—

क्या सरकार अतिरिक्त अवधानिक कटौती करने के अभियोग में मिल प्रबन्धकों पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेगी तथा जो कटौती अधिक की गई वह काश्तकारों को वापस कराने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय एकीकरण सम्बन्धी राजाज्ञा का प्रदेश की समस्त जिला परिषदों पर लागू होना

*३२—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की राजाज्ञा संख्या ६५/९–७१ रा० एकी०, दिनांक १२ फरवरी, १९७० समस्त जिला परिषद्

[श्री रामलाल राही]

उत्तर प्रदेश पर भी लागू है अथवा नहीं ? यदि हां, तो उक्त राजाज्ञा जिला सीतापुर में कब प्राप्त की गई तथा राजाज्ञा प्राप्ति की तिथि से परिषद् कार्यालय में कोई भी तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी की अल्पकालिक या स्थायी रिक्ति हुई ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की कितनी नियुक्तियां की गईं और क्या बी० टी० सी० का गत हुआ चुनाव उक्त राजाज्ञा के अनुरूप किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजाज्ञा सं० ६५/९/६९-रा० एकी०, दिनांक १२ फरवरी, १९७० जिला परिषदों पर भी लागू है । इसकी प्रतिलिपि जिला परिषद्, सीतापुर में २ जून, १९७० को प्राप्त हुई । तब से परिषद् कार्यालय में तृतीय श्रेणी में एक अल्पकालिक तथा दो स्थायी रिक्तियां हुईं । इनमें से दोनों स्थायी रिक्तियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नियुक्त किये गये । बी० टी० सी० के चुनाव में उपरोक्त राजाज्ञा लागू नहीं होती । इस पर शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये आदेश लागू होते हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं की सीटों का १८ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किया गया ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों की मांगें

*३३—श्री रामलाल राही—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतलायेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र शासन को दिसम्बर सन् १९७० में दिया गया था? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में यूनियन के कर्मचारियों ने कौन-कौन सी मांगें रक्खी हैं तथा अब तक शासन ने कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने अपने प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित मांगें की थीं:—

(१) कर्मचारियों को प्राविडेंट फन्ड, ग्रेच्युटी तथा चिकित्सालय संबंधी सुविधायें दी जायं ।

(२) सेवा संबंधी शर्तें निश्चित की जायं ।

(३) यूनियन को मान्यता दी जाय ।

कर्मचारियों की इन मांगों पर उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ही निर्णय लेना है । उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० की धारा ३७ के अन्तर्गत सेवा संबंधी विनियमावली बोर्ड को ही बनानी है जिसको बोर्ड शासन का अनुमोदन लेकर विज्ञापित करेगा । बोर्ड को तदनुसार शीघ्र अग्रिम कार्यवाही करने के लिये कहा गया है । जब बोर्ड के निर्णय पर शासन के अनुमोदन की आवश्यकता होगी तब उस पर विचार किया जायगा ।

कर्मचारी यूनियन श्रम आयुक्त द्वार पहले ही पंजीकृत कर ली गई है । शासन को कोई मान्यता नहीं देना है । बोर्ड ही इस संबंध में सक्षम है ।

जिला उन्नाव में अध्यापकों का वेतन सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित किया जाना

*३४—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि राव रामबख्श सिंह नेशनल इन्टर कालेज, भगवन्तनगर, जिला उन्नाव में अध्यापकों का वेतन राजाज्ञा संख्या ६८०८-क/पन्द्रह—३०४९-१९६८, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६९ के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां, वेतन निर्धारण से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रबंधक द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

*३५—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त विद्यालय में किसी अध्यापक का वेतन जुलाई, १९६७ से अब तक का नहीं प्रदान किया गया है, जिसके सन्दर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने उक्त विद्यालय के प्रबन्धक को अवशेष वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धियों के जोड़े जाने के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या नि–२३३५/पांच—३१–७०–७१, दिनांक ७ जुलाई, १९७० द्वारा कोई निर्देश भेजा था?

डा० रामजी लाल सहायक—

जी हां।

अश्लील विज्ञापनों एवं चलचित्रों के प्रदर्शन पर रोक

*३६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार प्रदेश भर में अश्लील विज्ञापनों, अश्लील कलन्डरों एवं चलचित्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या प्रगति हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भारतीय दण्ड संहिता की धारा २९२ के अन्तर्गत अश्लील विज्ञापनों तथा कलेंडरों के प्रदर्शन का निषेध है। जहां तक चलचित्रों का सम्बन्ध है, उनका प्रमाणीकरण विषय केन्द्रीय सरकार का है, अतएव इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है।

अनुसूचित जातियों का सेवाओं में आरक्षण का कोटा

*३७—श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों का सेवाओं में आरक्षण का कोटा उन विभागों में १८ प्रतिशत के स्थान पर २५ प्रतिशत कर दिया है जिनमें १८ प्रतिशत कोटा पूरा नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सन् १९६४ में शासन ने राज्य के समस्त विभागों के लिपिकीय एवं अवर सेवाओं में की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में आरक्षण उस समय तक के लिये क्रमशः २५ प्रतिशत व ४५ प्रतिशत कर दिया है, जब तक कि सम्बन्धित संवर्गों में कोटा पूरा न हो जाय।

प्रदेश सरकार द्वारा १९७१ के मई दिवस पर समाचार-पत्रों को विज्ञापन देना

*३८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९७१ के मई दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समाचार-पत्रों को विज्ञापन दिये? यदि हां, तो इसमें सरकार का कुल कितना व्यय हुआ? क्या मई दिवस को प्रदेश सरकार ने मान्यता दी है?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

जी हां, विज्ञापन दिये गये जिन पर लगभग रुपये ६,०७२ व्यय होने का अनुमान है। मई दिवस को मान्यता देने के विषय में सरकार ने कोई आदेश नहीं जारी किये हैं।

*३९—श्री शेरसिंह बानू—

[४थे गुरुवार में प्रश्न सं० २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सरकार द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकों के लिए घोषित करना

*४०—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के हिन्दुस्तान आल्मूनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेनु सागर पावर कम्पनी लिमिटेड, राजकीय डाला एवं चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी व ओबरा थरमल पावर, एवं ओबरा जल विद्युत् आदि परियोजनाओं के प्रबन्धकों द्वारा प्रतिदिन श्रमिक को न्यूनतम पारिश्रमिक (दनिक मजदूरी) क्या दी जाती है ? क्या यह सही है कि उक्त संस्थानो द्वारा सरकार द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकों को नहीं दिया जाता ?

*४१—श्रीराम प्यारे—

क्या सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक जो उक्त जनपद के लिये निर्धारित है उसे सदन को बताने की कृपा करेगी ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४२—श्री नौनिहाल सिंह—

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पर्वतीय विकास परिषद् नैनीताल की बैठक का सदस्यों को यात्रिक भत्ते का भुगतान किया जाना

*४३—श्री इन्द्र लाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद्, नैनीताल की गत (तीन) बैठकों में सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रिक भत्तों में प्रत्येक बैठक का कितना-कितना भुगतान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

[वांछित विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।]

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ४९८ पर)

*४४—श्री रियासत हुसैन—

[४थे गुरुवार में प्रश्न सं० ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*४५—श्री मनोहर लाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

कानपुर विश्वविद्यालय में नई नामजदगियां

*४६—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र ने जिन व्यक्तियों को नामजद किया था और जिनका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था उनके नामों में परिवर्तन करके नयी नामजदगियां की गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राम जी लाल सहायक--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*४७--श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री कल्पनाथ सिंह--

(५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

पुलिस सब इंसपेक्टर के नामिनेशन हेतु जिला रामपुर से नाम मंगाया जाना

*४८--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर से इन्सपेक्टरों के नामिनेशन कब मंगाये गये थे और जिला रामपुर पुलिस अधिकारी ने वह नामिनेशन कब भेजे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सब-इन्सपेक्टरों को स्थानापन्न इन्सपेक्टर पद पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित करने के लिये पुलिस मुख्यालय ने नवम्बर, १९७० में नामांकन मांगे थे। नामांकन पहुंचने की अन्तिम तिथि ३१ मार्च, १९७१ निर्धारित थी। पुलिस अधीक्षक रामपुर ने अपनी संस्तुति पुलिस उप महा-निरीक्षक बरेली परिक्षेत्र को ८ मार्च, १९७१ को भेजी थी।

थानेदारों पर दफा ७ लागू होने पर भी नामिनेशन भेजना

*४९--श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सही है कि उसके अन्दर कुछ ऐसे थानेदारों के नामिनेशन भी भेजे गये जिनके ऊपर दफा ७ की कार्यवाही हो रही थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं।

*५०--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

(५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जौनपुर जनपद में मछलीशहर थाने के रामपुर कलां ग्राम में डकैती

*५१--श्री मोतीलाल (जिला जौनपुर)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत मछलीशहर थाने के रामपुर कलां ग्राम में मई, १९७१ के प्रथम सप्ताह में एक डकती पड़ी थी जिसकी नामजद रिपोर्ट श्री राम लखन, निवासी रामपुर कलां ने थाना मछलीशहर में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में मुल्जिमान की गिरफ्तारी इत्यादि करने के सम्बन्ध में पुलिस इलाका क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। रिपोर्ट के सम्बन्ध में दर्ज किये गए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है। अतः मुल्जिमान के गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता।

*५२--श्री मनोहर लाल--

(५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

*५३—श्री पूरजलाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

श्री ललतूराम, प्रधान, ग्राम सभा, गाजीपुर, जिला सीतापुर पर घातक प्रहार

*५४—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक ७ जून, १९७१ के साथ श्री ललतूराम , प्रधान, ग्राम सभा, गाजीपुर, थाना सिधौली, जिला सीतापुर का इस आशय का प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है कि दिनांक १७ अप्रैल, १९७१ को सायं ६ बजे उन पर (ललतूराम पर) आग्नेयास्त्र से घातक प्रहार करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक ७–६–१९७१ के साथ प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री ललतूराम का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ । इसमें उल्लिखित आरोपों की जांच हुई जिससे यह बात सही नहीं पाई गई कि किसी के प्रभाव के कारण दिनांक १७–४–१९७१ को हुई घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है । इस घटना की विवेचना अभी जारी है ।

*५५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[५ वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

रायबरेली के पूरे नसीरन मजरे ग्राम अमवारा पच्छिम में हरिजन की हत्या की जांच

*५६—श्री शिव शंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक २८ मार्च, १९७१ को पूरे नसीरन मजरे ग्राम अमवारा पच्छिम, थाना लालगंज, रायबरेली में पंची हरिजन की हत्या साढ़े ९ बजे दिन में की गई ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २८–३–१९७१ को ग्राम नसीरपुर मजरे अमवारा पश्चिम जिला रायबरेली के निवासी पंची हरिजन की हत्या होने की सूचना थाना लालगंज पर प्राप्त हुई । इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा ३०२/३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया । जांच के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई है ।

ग्राम उत्तरागोरी, जिला रायबरेली में दामोदर सिंह की हत्या की जांच

*५७—श्री शिवशंकर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम उत्तरागोरी, थाना लालगंज, जिला रायबरेली के निवासी दामोदर सिंह पर २ जून, १९७१को कुछ लोगों ने आघात प्रहार किया जिसके कारण उनकी मृत्यु ४ जून, १९७१ को रायबरेली के सदर अस्पताल में हो गई है ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २ जून, १९७१ को नहीं बल्कि दिनांक २ मई, १९७१ को ग्राम उत्तरागोरी, जिला रायबरेली के निवासी दामोदर सिंह को शिव बरन सिंह, सुन्दर सिंह, लाखन सिंह, बाबूलाल सिंह

व रामपाल सिंह द्वारा हमला करके घायल किये जाने की सूचना लालगंज थाने पर दिनांक ३-५-१९७१ को प्राप्त हुई। दामोदर सिंह की ४-५-१९७१ को अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस घटना के सम्बन्ध में थाने पर दिनांक ३-५-१९७१ को धारा १४७/१४८/३०७ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम हुआ था जो दामोदर सिंह की मृत्यु के बाद धारा १४७/१४८/३०२ भा० दं० वि० में परिवर्तित हुआ। जांच के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई है।

*५८—श्री दर्शनसिंगार यादव—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*५९—श्रीमती मसाली देवी—

[५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रामचन्द्र ऐन्ड सन्स शुगर मिल, बाराबंकी का नीलाम

*६०—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर मिल, प्रा० लि०, बराबंकी को नीलाम करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार नीलाम से प्राप्त होने वाली धनराशि में से किसानों के गन्ने के मूल्य व गन्ना कमीशन के बकाये के लगभग ३६ लाख रुपये का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर मिल्स, प्रा० लिमटेड, बाराबंकी को नीलाम करने का निर्णय जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा बकाये की वसूली के लिये लिया गया था। इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति भी जारी की गई परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा रोधनादेश पारित होने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब इस चीनी मिल के उपक्रम का अर्जन उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, १९७१ द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है और नीलाम की कार्यवाही नहीं हो सकती।

*६१-६२—श्री राम प्रसाद देशमुख—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*६३-६४—श्री हरीसिंह विष्ट—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

जनपद गोंडा के नार्मल ट्रेनिंग स्कूल

*६५—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में कुल कितने नार्मल ट्रेनिंग स्कूल हैं तथा उनमें कितने महिला नार्मल ट्रेनिंग सेन्टर हैं?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

कुल तीन, इनमें से दो राजकीय नार्मल स्कूल हैं तथा एक अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से सम्बद्ध बी० टी० सी० कक्षा। जनपद में कोई महिला नार्मल ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है।

*६६—श्री गजेन्द्र सिंह—

[५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*६७—श्री गोविन्द सिंह—

[५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बद्रीनाथ व केदारनाथ में विश्रामालय का निर्माण

*६८—श्री गोविन्द सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश-बद्रीनाथ व ऋषिकेश-केदारनाथ यात्रा मार्गों पर सरकार द्वारा किन-किन स्थानों पर कितनी शय्याओं वाले यात्री विश्रामालयों का निर्माण किया गया है और उनकी देख-रेख के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है?

डाक्टर राम जी लाल सहायक—

ऋषिकेश-बद्रीनाथ तथा ऋषिकेश-केदारनाथ यात्रा मार्गों पर सरकार द्वारा यात्रियों एवं पर्यटकों के ठहरने के लिये अभी तक निम्नलिखित स्थानों पर, प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित क्षमता वाले भवनों का निर्माण कराया गया है :—

स्थान	व्यक्तियों की संख्या जो ठहर सकते हैं
१—पर्यटक आवास-गृह, मुनी की-रेती	१४८
२—पर्यटक विश्रामालय, श्रीनगर	१४३
३—यात्री शेड, कर्णप्रयाग	७२
४—यात्री शेड, जोशीमठ	७२
५—यात्री शेड, बद्रीनाथ	७२
६—यात्री शेड, गौरीकुंड	२५

इन भवनों की देख-रेख के लिये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं जिनकी सूची संलग्न† है।

पर्यटक आवास-गृह मुनी-की-रेती तथा यात्री शेड बद्रीनाथ, जो वर्तमान यात्री सीजन से चालू किये गये हैं, उनको छोड़ कर शेष उक्त ४ भवनों की देखरेख पर वर्ष १९७०–७१ में कुल ३१,४६० रु० व्यय हुआ। वर्ष १९७१–७२ में सभी ६ भवनों की देखरेख पर लगभग ७१,००० रु० व्यय होने का अनुमान है।

†(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९९ पर)

अतारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति

१—श्री जयराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिये वर्ष १९७०–७१ में कितने प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई तथा उनमें कितने पिछड़ी जातियों के हैं?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

वर्ष १९७०–७१ में जिला परिषद, प्रतापगढ़, नगरपालिका, प्रतापगढ़ तथा प्राइवेट प्राइमरी संस्थाओं के अन्तर्गत क्रमशः २५६ प्रशिक्षित तथा ५०५ प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां हुई जिसमें ७४ प्रशिक्षित तथा ७५ अप्रशिक्षित अध्यापक पिछड़ी जाति के हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं की इमारत का न होना

२—श्री जयराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कितने ऐसे बेसिक प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनके पास इमारत नहीं है और उनका विकास खंडवार क्या विवरण है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जनपद प्रतापगढ़ में कुल २३६ बेसिक प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास स्कूल भवन नहीं है। उनका विकास खण्डवार विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५०० पर)

प्रयाग उच्च न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी

३—श्री रामगोपाल संड—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९७१ तक प्रयाग उच्च न्यायालय के कार्यालय में ५ वर्ष से अधिक कार्य करने वाले कितने तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ? सरकार उन्हें कब तक स्थायी करने का इरादा रखती है ?

खाद्य तथा रसद एवं न्याय मंत्री (यादवेन्द्र सिंह)—

३१ मार्च, १९७१ को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यालय में ८८ तृतीय श्रेणी के तथा ६६ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे जो ५ वर्ष से अधिक से अस्थायी रूप से चल रहे थे। इन अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(१) तृतीय श्रेणी के ३५ तथा चतुर्थ श्रेणी के २१ कर्मचारी।	ये कर्मचारी अभी तक इसलिए स्थायी नहीं हुये हैं, क्योंकि जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों के साथ ये कार्य कर रहे हैं उनके पद अभी स्थायी नहीं हुए हैं।
(२) चतुर्थ श्रेणी के ९ कर्मचारी (लिफ्टमैन)	इन कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है क्योंकि लिफ्टमैन के पद, जिन पर वे कार्य कर रहे हैं, अभी अस्थायी हैं। ये पद १९६९ में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग से उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित होकर आये हैं।
(३) तृतीय श्रेणी के ३४ तथा चतुर्थ श्रेणी के १५ कर्मचारी।	ये कर्मचारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा सृजित अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने उनके पदों को स्थायी करने के लिए अभी शासन को नहीं लिखा है।
(४) तृतीय श्रेणी के १९ कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के २१ कर्मचारी।	इन कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्नों के सही उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले श्री वर्मा जी का है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न ६ नत्थी 'ख' में शिक्षा मंत्री जी से संबंधित है और वह स्पष्ट है कि कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनका कार्यकाल उक्त विद्यालय में ५ वर्ष से अधिक हो गया है। यह प्रश्न १९-६-७१ को दिया गया था और स्थगित कराया गया १५ जुलाई, ७१ को और यही प्रश्न फिर दुबारा माननीय हिम्मत सिंह जी ने पूछा कि कितने ऐसे अध्यापक हैं जो ५ साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सूचना तो उन्हें दी ही हुई थी। मान्यवर, उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वह तो इसमें दिया हुआ था। मंत्री जी उत्तर तो शायद आप समझ नहीं सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का उत्तर कहां तक उचित है। यह तो प्रश्न में ही लिखा है, तो फिर सूचना की क्या आवश्यकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उत्तर ठीक नहीं है तो इसको आप लिख कर दे दें कि उत्तर ठीक नहीं है।

समाचार-पत्रों में गलत दल लिखने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं कल पुलिस के बजट पर बोल रहा था। मैं पुरानी कांग्रेस का हूं और पेपरवालों ने मुझे नयी कांग्रेस में कर दिया है। कल श्रीमन्, मैं तो इधर से बोल रहा था और नयी कांग्रेस की आलोचना कर रहा था, यह सबको मालूम है। आज के अखबार को पढ़ कर मुझे बड़ी निराशा हुई कि मुझे नयी कांग्रेस में कर दिया गया है। जब इस समाचार को मेरे क्षेत्र वालों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या समझा होगा? उन्होंने यही समझा होगा कि मैं नयी कांग्रेस में चला गया हूं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

ये जो हमारे प्रेस वाले यहां बैठते हैं वे तो बड़े आजाद किस्म के लोग हैं मगर इस सरकार का आतंक प्रेसों के मालिकों पर इतना छाया हुआ है कि अब उन्होंने हमारी पार्टी के लोगों को नयी कांग्रेस में लिखना शुरू कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आतंक के निवारणार्थ आप यहां बैठे हैं। वह भूल और गलती भी हो सकती है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आपने एक प्रस्ताव नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया था और आपने श्री श्रीपत सहाय को मेरे पास भेजा था कि राजस्व मंत्री जी कल जायेंगे और आज आकर बयान देंगे।

आज की कार्यसूची में इलाहाबाद की बाढ़ के बारे में कोई विवरण नहीं है। वहां पर ४ १/२ फिट पानी बढ़ गया है और मुहल्लों में पानी आ गया है। राजस्व मंत्री कब बयान देंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

३०-७-७१ को राजस्व मंत्री बयान देंगे।

श्री रामगोपाल संड--

बाढ़ तो अब आयी हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष--

भाई तो कल तो देंगे ही।

राज्य मंत्री श्री उमादत्त शर्मा द्वारा श्री वीरेन्द्र वर्मा के विरुद्ध कही गयी कुछ बातों को कार्यवाही से निकालने की मांग

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

कल माननीय उमादत्त शर्मा जी ने माननीय वीरेन्द्र वर्मा के आरोप के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी के मना करते-करते भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसके कारण इस सदन में एक बड़ी उत्तेजना हो सकती थी, लेकिन मैंने अपने दल वालों से प्रार्थना की थी कि वे शान्ति रखें। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी चौराहे पर माननीय वीरेन्द्र वर्मा के निकट सम्बन्धी अमुक-अमुक स्त्रियों के सम्बन्ध में, अगर यह बात कही जाये तो वह क्या सही मान लेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको रोका था।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री महीलाल--

मुझे अवसर दें ताकि मेरी बात पूरी तो हो जाये। कल मैंने अपने साथियों को रोका था और खुशामद की थी--आज तो मौका दीजिये। मैं यह समझता हूं कि जिस ढंग से कल उदाहरण दिया गया वह न तो उनको शोभा देता था, न उनके दल को शोभा देता था और इस सदन के किसी माननीय सदस्य को शोभा देता था। मान्यवर, मर्यादा से गिरा हुआ उदाहरण था। मेरा निवेदन है कि आप कृपा कर कार्यवाही में से उसको निकालने के आदेश दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखित दे दें, विशेषाधिकार के लिये कार्य सूची ४ है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह सवाल विशेषाधिकार का है या नहीं है, यह निर्णय करना आपका काम है। मैंने भी जैसा कि महीलाल जी ने कहा है इसके ऊपर कहा है। गौरी शंकर राय जी ने भी लिखा था। जिस लहजे में यह बात कही गई तो मैं नहीं जानता कि आपने कैसे यह बात प्रोसीडिंग्स में आने दी। आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें, अगर इस तरह से गालियां दी जावेंगी, तो यह शिष्टाचार संहिता के अनुरूप आचरण नहीं होगा। इसलिये इन सारे शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, वह आगे आयेगा। अब श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित याचिका प्रस्तुत करेंगे।

अवैध सहकारी फार्मों की भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वितरित करने के संबंध में याचिका

श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अवैध सहकारी फार्मों की भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित किये जाने की प्रार्थना के सम्बन्ध में श्री बेनी माधव अवस्थी ६५/१९५, मोती मुहाल, कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री मंजूर अहमद तथा श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा एक दूसरे के प्रति कही गयी बातों के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार भंग की सूचनायें मेरे पास आई हैं पहले मैं उनको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक रियासत हुसेन साहब...

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद कहियेगा। इसमें कई नाम हैं। एक नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं शायद त्रिबेनी सहाय जी का है। एक राममूर्ति अंचल का है। तो यह जो कल के दुखद प्रकरण के बारे में बात कही गई है वह यह है कि माननीय मंजूर अहमद ने कल अप्रासंगिक बातें कहीं और मैंने लाल बत्ती दी, कहा भी लेकिन वह रुके नहीं। कल नियम के अनुसार मैंने कार्य किया। उसके बाद माननीय जायसवाल ने कुछ बात कही। मैं कार्यवाही को आपके समक्ष रखता हूं। सदन फैसला करे।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

यह फैसला आप करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

नेगी जी आप अपने अधिकारों को भूल गये हैं, सदन फैसला करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी...

श्री गोविन्द सिंह—

कम्युनिस्ट पार्टी का नाम न लीजिए।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय झारखण्डे राय से एक चिट्ठी लिखा दी और उसका जब रिफरेंस यहां आया तो सारे सदन में उत्तेजना फैल गई। अब कहते हैं कि अधिकार आपका है। यह हम लोगों का अधिकार है। आप इस पर बहस करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कुछ सूचना दे रहा हूं पहले आप इसको सुन लें। मुझे यह सूचनाएं मिली हैं विशेषाधिकार के बारे में। मैं यह उचित समझता हूं कि कल की कार्यवाही का अंश मैं यहां पढ़ दूं। उसके बाद जो सदन की इच्छा होगी उसके अनुसार कार्य होगा...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं सूचना दे रहा हूं तब व्यवस्था कैसी ? आप कृपया बैठें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप नियम ६४ देखें, मैं उसके अनुसार व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, हम तो आपकी कृपा के मोहताज हैं, आपकी आज्ञा मांग रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले सूचना दे लूं, तब आप कहिएगा। कल माननीय अनन्तराम जायसवाल ने कहा था—

"उपाध्यक्ष जी, मैं सदन को सूचित किए देता हूं कि मैं श्री मंजूर अहमद के खिलाफ गलत बातों के कहने के लिए प्रिविलेज का सवाल लाऊंगा। दूसरी बात यह है कि जब श्री मोतीलाल देहलवी का पालतू कुत्ता चला गया तो उन्होंने दूसरे कुत्ते को अपनी कार में बिठाया। फिर आगे श्री अनन्तराम जायसवाल जी ने कहा है कि "जो कुछ मंजूर अहमद बोल रहा है वह कोई सुअर, पाजी, गधा, बदमाश, नालायक ही कह सकता है, वह बिलकुल सफेद झूठ बोल रहा है। मान्यवर, यह सफेद झूठ बोल रहे हैं। कोई भी सुअर का बच्चा, गधा भी इतना झूठ नहीं बोल सकता है। मान्यवर, ये बिलकुल झूठ बोल रहे हैं। वह आदमी जिसको विषय का ज्ञान न हो, अपना ईमान बेचता हो, उसके मन में इस तरह की जबान हो" इसके बाद फिर कहा है "गधे का बच्चा है, सूअर है, नालायक है, पाजी है"। फिर अन्त में कहा है "मान्यवर, आप कुर्सी पर बैठे हैं। तमाम विषय से संगत या असंगत बातों को देखें। जिस आदमी को विषय की संगत या असंगत बात का ज्ञान न हो, जो ईमान-फरोश है, अनर्गल झूठ बोले, उसके लिए मैं मांग करता हूं कि इस सारे विषय पर जो इस सदन में मंजूर अहमद के बयान में चीजें आयीं हैं सदन की उस पर एक कमेटी बिठाई जाय। मैं मांग करता हूं कि उसकी जांच की रिपोर्ट सदन में आये और उसके बाद उन पर कार्यवाही की जाय। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको चलने दूंगा ईमान-फरोश लोग, जिनका कोई चरित्र नहीं है....."

जो माननीय अनन्तराम जायसवाल जी ने कल कहा वह मैंने अभी आपको पढ़ कर सुनाया।

एक सदस्य—

श्री मंजूर अहमद ने जो कुछ कहा है उसे भी पढ़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उसे भी पढ़ूंगा। उनकी स्पीच में है "....मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मंत्री है जिसने देश का नुकसान नहीं किया है और कौन वह मुख्य मंत्री है जिसने इस देश और प्रदेश की इज्जत को बढ़ाया है और देश के लिए अपने फर्ज को अदा किया है। सिन्डीकेट, जनसंघ, बी० के० डी० जो सूबे की और देश की पार्टियां हैं या कम्युनिस्ट हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा और मैं इन सबसे पूछ रहा हूं कि उनके मंत्रियों और विधायकों ने क्या अपने कर्त्तव्य का पालन किया है ? आप अपने शहतीर को ताल और दूसरे के बाल को शहतीर बनाना चाहते हैं। आपने कितना बड़ा पाप किया है और उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं औरों से भी और खासतौर से अपने संसोपा के साथियों से कहना चाहता हूं कि लोहिया के चेले होकर जनसंघ की गोद में बैठ गये। जिन देहलवी को रिक्शा नसीब नहीं था उनकी कार में कुत्ता चलता था। मैं यह भी कहूंगा कि इन्हीं जायसवाल की कार में गांजा पकड़ा गया था और

[श्री उपाध्यक्ष]

वे ईमानदारी की बात करके दूसरों के खिलाफ कीचड़ उछालना चाहते हैं और अपनी हरकतों को नहीं देखते । उन्होंने इस तरह से लोहिया के समाजवाद को गिरवी कर दिया है . . . ।"

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम ६३ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है—

"किसी सदस्य के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से—

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,
(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,
(३) याचिका द्वारा, अथवा
(४) समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा ।

परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।"

मान्यवर, मैंने कल भी आपको निवेदन किया था इसी नियम को ध्यान में रख कर—

"चूंकि यह सारी कार्यवाही सदन के सम्मुख हुई है इसलिये लिखित शिकायत की औपचारिकता को हटा करके सदन स्वयं कार्यवाही करे ।" लेकिन उस वक्त किसी कारण से आपने यह कहा कि अगर यह मामला लिखित रूप में मेरे पास लाया जाय तो मैं इस पर विचार करूंगा । मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यह मामला लिखकर दिया जाय । मैं फिर बहुत अदब से निवेदन करूंगा कि श्री मंजूर अहमद ने जो कुछ व्यक्तिगत मेरे ऊपर लांछन लगाया, शायद बदतरीन हमारा कोई मुखालिफ होता, रकीब होता, राजनीतिक दुश्मन होता, वह भी लगाने की जुर्रत नहीं करता । लेकिन यहां पर साहस इसलिए किया गया कि लोगों को यहां पर बोलने की आजादी है और उस आजादी का अतिक्रमण किया गया, जो आजादी का अधिकार है उसको भंग किया गया जो यहां कभी भी नहीं किया गया था ।

जब श्री मंजूर अहमद बोल रहे थे और झूठे लांछन लगा रहे थे तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जब आप इस सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे तो नियम के अन्तर्गत कम से कम उनके बोलते वक्त इतना ध्यान तो रखते कि जो विषय यहां चल रहा है उस पर वे संगत बात बोल रहे हैं या असंगत बात बोल रहे हैं, और असंगत बात होने पर उसी वक्त तत्परता से आप उनको रोक देते । लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप श्री मंजूर अहमद के पूरे भाषण को पढ़ें तो देखेंगे कि जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में शायद ही उन्होंने कोई चीज कही हो, बल्कि उनको मौका बराबर दिया जाता रहा कि वे असंगत बात बोलें और वे इस हद तक असंगत बात बोलें कि जो कुछ चाहा झूठे आरोपण करते रहे ।

मैं आपसे विनती करता हूं और पूरे सदन से विनती करता हूं कि जो विरोध का पक्ष अदा करता है, खासी यही नहीं कि उसका चरित्र साफ हो, बल्कि वह असंदिग्ध रहे जिससे उसके ऊपर कोई उंगली भी न उठा पाए। विरोध पक्ष को ऐसा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कि मध्यावधि चुनाव के बाद जब से मैं इस सदन में आया हूं, मौजूदा मुख्य मंत्री को लेकर शायद ये चौथे मुख्य मंत्री हैं । इसके पहले जो मुख्य मंत्री रहे त्रिभुवन नारायण सिंह उनके साथ मैं शामिल था । लेकिन उनके पहले के दो मुख्य मंत्री जो थे वे जो कुछ मैंने यहां पर किया या कहा उससे खुश नहीं रहे होंगे ।

मान्यवर, और जो मेरी सूचना है उसके अनुसार पुरानी फाइलों को देखा गया, हमारे जिले में सी० आई० डी० के डिप्टी कप्तान की हैसियत के आदमी को भेजकर पुछवाया कि कहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई बुराई मिल जाय या पोलिटिकल राइवल से कोई बात मिल जाय और उसको लेकर हमको दबाकर रखा जाय। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि पुरानी सरकार की वह कोशिश बेकार रही। जिनको मेरे बारे में जरा भी जानकारी है वे भी सपने में ऐसी बातें नहीं सोच सकते जो बातें हिम्मत करके और निडराई के साथ मंजूर अहमद साहब ने यहां कही है। जो बातें उन्होंने कही हैं उनसे सभी सदस्यों का अवमान होता है और इस सदन का अवमान होता है। जो हम बोलते हैं उससे आपके मन को क्लेश होता हो लेकिन जब इस तरह की असंगत बातें कहने का किसी को मौका दिया जाता है तो उससे यह महसूस होता है कि कहीं उसी क्लेश का बदला तो नहीं लिया जा रहा है।

न्याय की प्रतिष्ठा बनी रहे और आपकी निष्पक्षता भी बनी रहे, इसलिए भी जरूरी है कि जो मेरे ऊपर आक्षेप लगाया गया है उसकी सफाई हो जाय। कम से कम मैं चाहता हूं कि आप मंजूर अहमद साहब से वह तारीख पूछ लें, साल पूछ लें, पुलिस अफसर का नाम पूछ लें, और जो उस संबंध में उनकी जानकारी है वह पूछ लें। यह मामला छोड़ने लायक नहीं है। एक निश्चित आरोप उन्होंने बगैर समझे बूझे बल्कि समझ बूझकर लगा दिया है। माननीय सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके अन्दर बोलने का अधिकार भी प्राप्त है लेकिन उन्होंने उस अधिकार को भंग करके ये बातें कहीं। आप इस सब पर विचार कर लें।

अगर आप इन नियमों को देखें तो इनका एक सिलसिला है। इनसे ध्वनि निकलती है कि विशेषाधिकार के ऐसे साधारण प्रश्नों, का, जिनके बारे में दो मत न हो सकें, जिनके बारे में हाउस का एक मत हो, सदन तुरन्त निस्तारण कर सकता है। यह एक्सेप्शन है। साधारण नियम यह है कि जब कभी कोई मामला आपकी जानकारी में आए तो उसकी विशेषाधिकार समिति में अच्छी तरह से जांच परताल होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा एक अपवाद भी है कि अगर सदन में कोई छोटा मोटा मामला आए और जिसमें सदन एकमत हो और किसी परख करने की जरूरत न हो तो उसको तुरन्त निपटाया जा सकता है। लेकिन साधारण नियम यह है कि विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय और वहां से छनकर मामला आ जाय।

व्यक्तिगत सवालों को लेकर जिस तरह से चर्चा चलाई जाती है उसमें मान लें कोई आदमी झूठ बोलना तय कर ले तो उस चर्चा का या बहस का मकसद खत्म हो जाता है। बहस का मतलब है कि उसमें सच्चाई हो, तर्क हो जिससे कि कोई सही नतीजा निकल सके। लेकिन अगर उस बहस में असत्य भाषण होते हैं, झूठ का सवाल होता है तो कोई सही नतीजा नहीं निकाला जा सकता। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा इस मामले की चाहे चर्चा के बाद और चाहे इसी वक्त विशेषाधिकार समिति को भेज दें। यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं किया, जो सम्मान उन्हें यहां मिला है उसका ख्याल नहीं किया, इस सदन के मान का ख्याल नहीं किया और जो मामला यहां विचाराधीन है उससे लोगों का ध्यान हटाया जाय इसलिए यह सारी कोशिश की गयी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रक्रम को आप विशेषाधिकार समिति में भेज दें। ऐसी आप व्यवस्था दें कि यह उसमें जाए और वहां पर मंजूर अहमद को अपनी बात साबित करने का मौका मिलेगा। चाहेंगे तो अपने किसी सदन के या बाहर के वकील को लेकर पैरवी करा सकेंगे।

इस तरह से सारी चीजें जब आ जायेंगी तब उसका फैसला हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लिखित सूचना की कोई प्रतीक्षा न करें। मैंने इस दिशा में भी प्रयास किया था किन्तु प्रोसीडिंग्स उपलब्ध नहीं हो पायी। क्योंकि उसमें अक्षरशः वही शब्द आने चाहिए, इसलिए मैं प्रोसीडिंग्स की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं कर पाया। प्रोसीडिंग्स के बारे में मुझे बताया गया है कि वह सचिव जी के पास है इसलिए नहीं दे सकता। लेकिन आप इसको वेव कर सकते हैं, क्योंकि सारी घटना सदन के सामने हुई है। यही न्याय संगत है और आपकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता पर मुझे विश्वास है। मुझे यकीन है आप यही निर्णय देंगे कि यह पूरा मामला विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

यहां बोलने के बारे में जो आपने कहा है, उसके बारे में मैं "कौल एन्ड शखधर' की पुस्तक "प्रैक्टिस एन्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट" से उद्धृत करके आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिससे स्थिति साफ हो जायेगी, यह इस प्रकार है---

"Speech and action in Parliament may be said to be unquestioned and free. However, this freedom from external influence or interference does not involve any unrestrained licence of speech within the walls of the House."

अब जो अन्य दलों के नेता हैं, उनकी भी मैं सम्मति जानना चाहूंगा कि कल की घटना के संबंध में उनकी क्या राय है उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाय जो इस सदन की गरिमा और महिमा के अनुकूल हो और यदि यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो उसका भी निवारण हो सके ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा---

मैंने भी तो एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपको दिया है, और कल आपके कार्यालय में भी मिला था और आपने कहा था मिला है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए उसके बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

उनको बाद में लिया जायगा ।

***श्री कृष्णानन्द राय---**

उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारी इस उत्तर प्रदेश विधान सभा में, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी । आपको हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जो विरोधी दल में हैं, उनका यह पुनीत कर्त्तव्य है और अधिकार है कि हम सरकार की आलोचना करें, सरकार के कार्यों और नीतियों के बारे में इस प्रदेश की जनता को अवगत करावें । लेकिन श्रीमन्, जो विरोधी दल का यह अधिकार और कर्त्तव्य सदैव लोकतंत्र में मान्यता प्राप्त करता रहा है, कल उसका दमन करने के लिए और विरोधी दलों की आवाज को शान्त करने के लिए एक शैली अपनाई गई सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से, जिसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ ।

मैं अनन्तराम जायसवाल जी से कहूंगा कि मंजूर अहमद जी का जो कार्य था वह वास्तविक विचार से इस प्रदेश की जनता का ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ले जाने के उद्देश्य से किया गया था । उनका मंशा था दूसरी पार्टी के नेताओं पर आक्षेप करना । यही नहीं सत्तारूढ़ दल की ओर से जितने भी भाषण हुए, उनको देखने से मालूम होता था कि आज एक षड्यंत्र के रूप में यह सब किया गया है । नियोजित तरीके से दूसरी पार्टी के नेताओं पर आक्षेप किए गए, जिससे कि जो प्रश्न चल रहा है, इस सरकार के बारे में जो आलोचनायें चल रही हैं, वे सारी की सारी धूमिल पड़ जाएं और जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं वे स्वयं एक मुलजिम के रूप में कटघड़े में खड़े हो जायं ।

आज के समाचार-पत्रों को श्रीमन् देख लें । ऐसा मालूम देता है कि समाचार-पत्रों के मालिकों को भी उस पैटर्न में कल सम्मिलित कर लिया गया । आज हिन्दुस्तान के सारे समाचार-पत्रों को देख लें । कहीं पर पार्लियामेन्ट और असेम्बली चल रही हो, उनकी प्रोसीडिंग्स को देख लें, सारी जगह मिलेगा कि सरकार के ऊपर यह आलोचना हुई, सरकार ने यह जवाब दिया । लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कल की कार्यवाही के बारे में नया इतिहास रचित हुआ, सारे समाचार-पत्रों में आज प्रकाशित किया गया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की ओर से, भारतीय क्रान्तिदल के नेता और विरोधी दल के ऊपर इतना तेज प्रहार किया गया, हमने तो केवल हेडिंग देखें हैं, श्रीमन्, ऐसा प्रतीत हो रहा था आज के समाचार-पत्रों के पढ़ने से। जब कि कल सत्तारूढ़ कांग्रेस के माननीय नेता बोल रहे थे तो मालूम होता था कि चीफ मिनिस्टर पंडित कमलापति त्रिपाठी नहीं हैं बल्कि माननीय चौधरी चरण सिंह हैं और उनके मंत्री माननीय अनन्तराम जायसवाल हैं और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक विरोधी दल में बैठे हुए हैं।

चौधरी चरण सिंह के ऊपर क्या-क्या आरोपों का इतिहास है वह खुला। आम विवेचना की जा रही थी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री शान्तिपूर्ण तरीके से सुन रहे थे। सारे प्रदेश में झलक दी गयी कि किस प्रकार ये विरोधी दल के नेता लोग भ्रष्ट हैं और करप्ट हैं। विरोधी दल में कार्य करने की क्षमता नहीं है। प्रिविलेज का सवाल बनता कैसे है? विशेषाधिकार की एक कसौटी होती है। यदि इस सदन के आदरणीय सदस्य के किसी कार्य द्वारा, यदि उनके सदन के कर्त्तव्यों में बाधा पड़े तो विशेषाधिकार की परिधि में आता है।

श्रीमन्, जो मंजूर भाई की बात माननीय अनन्तराम जायसवाल ने उठाया है वह प्रतीक रूप से है। मेरा स्पष्ट आरोप है, कल सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से, जितने आदरणीय सदस्यों ने भाषण दिया है, विशेषाधिकार के प्रश्न की परिधि में आता है क्योंकि विरोधी दल के जितने सदस्य बैठे हुए हैं कल उनके दिल के अन्दर यह जमाने का प्रयास किया गया कि जब तुम सरकार की आलोचना करोगे तो हर प्रकार के अनर्गल प्रलापों द्वारा, अनर्गल आरोपों द्वारा तुम लोगों की जवान बन्द कर दी जायेगी विशेष रूप से जब कि हिन्दुस्तान और प्रदेश का प्रेस हमारी मुट्ठी में है। कल, आप प्रेस को उठा कर देख लें, जितनी भी आलोचनाएं विरोधी दल की तरफ से की गयीं वह एक भी समाचार-पत्रों में दी गयी है और जितने भी सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा विरोधी दल के नेताओं पर आक्रमण किए गए सब हेडलाइन्स में दिया गया है। जहां पर ऐसी परम्पराएं मौजूद हों, तो मैं आज आपसे निहायत अदब से प्रार्थना कर दूं, आप हम लोगों को डिसमिस कर दें यहां से, यहां पर हम लोगों का बैठना बेकार है।

कल यहां मंजूर साहब के भाषण से संतोष नहीं हुआ। जब यहां से दारुलशफा गये तो किसी यूथ फोरम की तरफ से एक मीटिंग आर्गनाइज करवायी गयी जिसमें माननीय नारायणदत्त तिवारी ने शायद भाषण दिया था। उस मीटिंग में अन्तराम जायसवाल, राजनारायण सिंह, चौधरी चरण सिंह के ऊपर ऐसे भाषण दिये गये जैसे उनकी सरकार है जिसको वे उलट देना चाहते हैं। माननीय तिवारी जी आप इस फोरम में गये थे?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैंने कुछ नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। मैंन संविधान के बारे में बताया।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय नारायण दत्त तिवारी यूथ फोरम की मीटिंग में गये थे। वहां जितने भाषण हुए इस प्रकार के भाषण किये गये कि विधान सभा में अनन्तराम जायसवाल, चौधरी चरण सिंह, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार की आलोचना कर रहे हैं, यदि ऐसी बातें चलती रहेंगी तो पता नहीं जनता क्या कर देगी। जानते हैं कि जनता हम लोगों की तरफ है। पारलियामेंट के चुनाव में आप को साढ़े तीन सौ सीटें मिल गयीं। हिन्दुस्तान में आप शासन कर रहे हैं। हम विद्रोह नहीं करने जा रहे हैं। बम, पिस्तौल ले कर नहीं जा रहे हैं। यह कहना कि जनता हमको उखाड़ कर फेंक देगी तो नवम्बर में चुनाव करा लीजिये, हम अपने घर बठेंगे।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

वह विषयान्तर हो रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

विषयान्तर नहीं हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि कल सदन में एक पैटर्न देखने को मिला, विधान सभा के भीतर और बाहर तथा इस देश के समस्त समाचार पत्रों में एक शैली से यह काम किया गया कि विरोधी दल के तमाम नेताओं के विरुद्ध यहां पर झूठे तथा अनर्गल आरोप लगाये जायं और उनकी मंशा यह थी कि विरोधी दल के लोग इस सरकार की आलोचना करना छोड़ दें और जितनी अधिक वे सरकार की आलोचना करेंगे उतनी ही अधिक उनके ऊपर मिथ्याचरण तथा झूठे आरोप लगाये जायंगे। उमादत्त शर्मा जी ने तो वीरेन्द्र वर्मा के खिलाफ सिंचाई विभाग की फाइल तक निकाल ली। वे मिनिस्टर रहे लेकिन फाइल असेम्बली में निकालने से क्या सम्बन्ध ? विलिजेन्स के डायरेक्टर को भेज दी और उनकी रिपोर्ट खिलाफ हो तो सब को जेल भेज दो तब आपको शान्ति मिल जायगी।

विशेषाधिकार का प्रश्न तब उठता है जब सदन के एक भी सदस्य के दिमाग में यह बात पैदा हो कि सदन में कार्य करने में उसके सामने रुकावट पड़ रही है। मंजूर अहमद तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस के जितने सदस्यों ने भाषण दिये उन सभी के भाषणों से विरोधी दल के एक सदस्य नहीं वरन् सभी सदस्यों के मन में यह भावना पैदा हुई कि सदन के प्रति जो उनका कर्तव्य था उसके पालन करने में उनके सामने रुकावट पड़ी है। लेकिन मैं एक चीज अवश्य निवेदन कर दूं कि आप इसको विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजें या न भेजें हम लोगों के दिमागों पर कल के भाषणों का कोई असर नहीं पड़ा और विरोधी दल का जो पुनीत कर्तव्य है उसका पालन हम करते रहेंगे भले ही सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य गालियां देते रहें और झूठे आरोप लगाते रहें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब इधर का भी कोई सम्मानित सदस्य बोलना चाहता है तो विरोधी दल को उसे सुनना चाहिये।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

एक बात मैं मालूम करना चाहता था। आपने शुरू में यह बात कही थी कि आप सब पार्टीज के नेताओं के विचार इस मसले पर सुनेंगे तो क्या आचार्य जी नेता की हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्टेज अभी नहीं आया है। नेता सदन तथा नेता विरोधी दल जब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो उसका स्वागत किया जायगा।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपके सामने तो इस समय प्रिविलेज का मोशन आया है। यह भी आप को बताया गया कि माननीय मंजूर अहमद ने और अनन्तराम जायसवाल ने क्या-क्या कहा ? फिर माननीय अनन्तराम जायसवाल उसे स्वीकार कर रहे हैं कि इसे भेज दिया जाय तो फिर इस पर प्रवचन की क्या जरूरत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को मैं बतला दूं कि जो घटना सदन के समक्ष होती है उसे सदन तय करता है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। माननीय अनन्तराम जायसवाल ने मेरे बारे में कुछ कहा है। मुझे भी मौका दें कि मैं सदन के समक्ष अपनी सफाई पेश कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष---

सफाई का मौका इस समय नहीं है।

श्री मंजूर अहमद---

मैं यह चाहता हूं कि माननीय अनन्तराम जायसवाल ने सदन में मेरे बारे में कुछ कहा है लिहाजा मैं यह चाहता हूं कि मुझे भी तीन चार मिनट का मौका दिया जाय जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। माननीय जायसवाल जी ने अपनी बात कह ली अतः मुझे भी आप अपनी बात कहने का मौका दें....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि माननीय जायसवाल जी एक दल के नेता हैं। अतः उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया है तो जब यह सवाल उठेगा उस समय आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जायेगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

मेरा निवेदन यह है कि जो कार्यक्रम हमें आज मिला है उसके अनुसार सामान्य प्रशासन और पुलिस के ऊपर आज ढाई बजे बहस समाप्त हो जायेगी। उसमें अभी माननीय राजेन्द्र-प्रतापसिंह जी का भाषण बाकी है और साथ ही जो गम्भीर आरोप और सुझाव माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने सरकार को दिये हैं उन पर माननीय मुख्य मन्त्री जी से हमें यह सुनने की आकांक्षा है कि वे क्या विचार करते हैं। अतः उनके लिये भी बोलने के लिये समय चाहिए। मान्यवर, आप इस समय देखें कि समय पौन बजा है और पौने दो घंटे बाकी हैं। तो अगर आप इस विषय पर सभी नेताओं से बुलवायेंगे यह समय खत्म हो जायेगा और इस महत्वपूर्ण अनुदान पर माननीय मुख्य मन्त्री जी का उत्तर रह जायेगा। अतः इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय बसन्तलाल जी का जो सुझाव है वह बहुत ही उत्तम है। अतः मैं इस विषय को स्थगित करता हूं और आगे का कार्यक्रम शुरू करता हूं। जिस दिन यह विषय लिया जायेगा उसकी सूचना माननीय सदस्यों को दे दी जायेगी क्योंकि इसके दो पहलू हैं---तत्कालीन और दीघ्रकालीन। अभी इस विषय पर माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय अध्यक्ष का आप लोगों को निमंत्रण है और हो सकता है उस समय भी इस पर चर्चा चले। अतः मैं इसे स्थगित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वह कौन-सी प्रणाली अमल में लाऊं जिससे कि मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इस विषय को स्थगित कर दिया है.....

श्री चेतराम गंगवार—

आप मुझे सुन लें, नाराज क्यों हो रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कहना कि आप नाराज हैं, यह स्वयं ही एक अव्यवस्थित व्यवस्था की बात है।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो अभी आपने एक व्यवस्था दी कि माननीय जायसवाल जी एक दल के नेता हैं और मंजूर अहमद एक साधारण सदस्य चुनकर आये हैं उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की ओर से ले जाना चाहूंगा। उसके अनुसार मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय जायसवाल जी ने एक दल के नेता की हैसियत से माननीय मंजूर साहब को गालियां दी थीं? जब आपने उनको सुन लिया तो क्या आप उनको भी सफाई करने का मौका नहीं देंगे? अतः मैं चाहता हूं कि आप पुनः अपनी व्यवस्था पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भ्रम है। मैं सफाई ले रहा हूं या सफाई करने का मौका नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आप कृपया शांत होकर सुनने की चेष्टा करें। यह प्रश्न अब स्थगित हो गया है। कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न जब आप मुझे लिख कर देंगे तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा.....

श्री रामकरन सिंह—

मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना २६ तारीख को दी थी और २६ तारीख बीती, २७ तारीख बीती, २८ तारीख बीत गई और आज २९ तारीख हो गई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बारे में कब मौका मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो सूचना दे दी। मैंने आपको माननीय मुख्य मन्त्री का पत्र पढ़कर भी सुना दिया।

श्री रामकरन सिंह—

स्पीकर कब....

पायनियर तथा स्वतंत्र भारत समाचार-पत्रों द्वारा विरोधी दल द्वारा कही गयी बातों को न छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कल जब ५ बजे विरोधी दल के नेताओं की तरफ से माननीय उमादत्त शर्मा जी के विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के सिलसिले में चर्चा उठाने की आपने आज्ञा दी थी और आपकी आज्ञा से ही मैंने वह चर्चा उठाई थी। मेरे बाद श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने, तत्पश्चात् श्री अनन्तराम जायसवाल जी ने उसके बाद विरोधी पक्ष की तरफ से श्री रामकरन सिंह जी उस चर्चा पर बोले थे। लेकिन मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है कि किस कदर गम्भीर आरोप, किस कदर महत्वपूर्ण तथ्य, आपके सामने सदन में रखे गये, लेकिन "पायोनियर" अखबार में, "स्वतंत्र भारत" अखबार में, जिनको

देखने का मुझे सौभाग्य मिला है, इन दोनों में एक अक्षर भी इस चर्चा के सिलसिले में, जो विरोधी पक्ष की तरफ से की गयी है, जिन माननीय सदस्यों ने की, उनमें से न नाम किसी का दिया गया है और न भाषण दिया गया है। पर अक्स इसके श्री उमादत्त शर्मा जी ने जो उत्तर दिया, श्री मंजूर साहब, श्री शेरअली साहब जो उस पक्ष से बोले उन तीनों की चर्चाएं इसमें की हैं। यह हमारे अधिकारों की अवहेलना है और मान्यवर, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखबार भी हैं और सरकार का विज्ञापन उनको भी दिया जाता हैं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी तो बहुत समय तक पत्रकार भी रहे और पत्रकारिता की स्वतंत्रता में उनको विश्वास भी है। तो यह कहां की, किस तरह की, पत्रकारिता की स्वतंत्रता है? क्या स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ जो इस सदन की कार्यवाही हुई उसको अखबारों में प्रकाशित किया है? यह विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने लिख कर दिया और आप की आज्ञा से उठाना चाहता हूं।

मैं आप से यह भी उम्मीद रखता हूं कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जितने भी अखबार हैं वह किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं सरकार या विपक्ष से बंधे नहीं हैं। उनका यह कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता के साथ पत्राकारिता के जो सिद्धान्त हैं उनको निभाने की चेष्टा करें। इससे उनके पत्रों का और पत्रकारिता का भी नाम ऊंचा होगा, डेमोक्रेसी भी इसी तरह से सफल हो सकेगी——यह मेरा आप से निवेदन है।

एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न है मैं उठाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष——

उसको दूसरे वक्त उठायें। आप इस सदन की इच्छा देख रहे हैं। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दूसरे दिन उसको उठायें।

माननीय वीरेन्द्र वर्मा न "पायनियर" दैनिक और "स्वतंत्र भारत" समाचार पत्र के सम्बन्ध में शिकायत की है कि यहां की कार्यवाही का सत्य विवरण उन पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ यह अनुचित है। लेकिन अखबार निष्पक्ष है। मैंने उचित समझा है कि "पायोनियर" और "स्वतंत्र भारत" के जो संवाददाता हैं मैं उन को बुला कर उनसे इस विषय में वार्ता करूंगा और यहां पर माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा कि क्यों उपरोक्त समाचार-पत्रों में हमारी इस विधान सभा के क्रिया-कलाप को प्राथमिकता नहीं दी और कुछ नामों को छोड़ दिया जिनके यहां भाषण हुए और एक-पक्षीय क्यों किया। इन सब बातों की वार्ता करके आपको सूचित करूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा——

मान्यवर, "पायोनियर" और "स्वतंत्र भारत" के अतिरिक्त आप कृपा करके दूसरे पत्रों को भी देख लें। मुझे यह बताया गया है कि "नेशनल हेराल्ड" आदि ने भी नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष——

मैं देख लूंगा। मैं निवेदन कर सकता हूं कि वह हमारी कार्यवाही के साथ न्याय करें।

कस्बा फलावदा, जिला मेरठ में गो-हत्या के बारे में वक्तव्य

गृह उप-मंत्री (रामकृष्ण द्विवेदी)——

दिनांक १४ जुलाई, १९७१ को पुलिस चौकी फलावदा, जिला मेरठ में यह सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति कस्बा फलावदा में एक गैर आबाद मकान में गऊकसी कर रहे हैं। इस पर पुलिस उक्त मकान पर पहुंची। वहां कुछ व्यक्ति खड़े हुये थे। इन लोगों की सूचना पर मकान के अन्दर से पुलिस ने एक कोठरी में कटी गाय के कुछ हिस्से पड़े पाये। अतः धारा ७/८ प्रिवेनसन आफ काऊ स्लाटर ऐक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ।

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

इस मुकदमें से सम्बन्धित ८ नामजद अभियुक्तों में से २ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ५ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। शेष एक अभियुक्त की नामजदगी संदिग्ध मालूम पड़ती है, जिस की तस्दीक की जा रही है। गाय के शव में उसकी दो टांगे व कुछ मांस का हिस्सा नहीं मिला।

इस अपराध के मुकदमें की विवेचना विशेष अनुसंधान दल, मेरठ कर रहा है।

स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है तथा शान्ति भंग होने का कोई अन्देशा नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रफीक जो आठवां व्यक्ति था, जो टाउन एरिया का सदस्य है, वहां के चेयरमैन का साथी है, ऐसे प्रभावी आदमी को जिसकी नामजद रिपोर्ट है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और क्या मंत्री जी अब उसके गिरफ्तार किये जाने के आदेश देंगे ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

अभी नामजदगी संदिग्ध है। जांच हो रही है जांच के फलस्वरूप जो कार्यवाही उचित होगी वह की जायगी।

१६७१-७२ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—आयुक्त जिला प्रशासन तथा अनुदान संख्या १५—पुलिस

(क्रमागत)†

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहने का आदी रहा हूं। कल सामान्य प्रशासन के संबंध में बहुत थोड़े से विचार में प्रकट कर पाया था और सिलसिले में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिये एक छोटा-सा उदाहरण भी मैंने दिया था। वैसे मेरे दिमाग में बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता नहीं हूं। उपाध्यक्ष जी, बात यह हुई कि कल साढ़े सात बजे तक असेम्बली चलती रही और जब हाल से हम निकले तो काफी क्लान्त मन और मस्तिष्क सब था। उस दशा में जब मैं जा रहा था, मेरे पीछे भी कुछ लोग बातें करते आ रहे थे। उन बातों में मुझे रस तब मिला जब मुझे एक दोहा सुनायी पड़ा। जब मैंने उलट कर देखा कि कौन साहब यह कह रहे ह तो देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग साथी, जो उधर सत्तारूढ़ दल में बैठते हैं, एक दोहा कह रहे हैं। अगर मैं उन को सुना दूं तो फिर विशेष कुछ उस बारे में कहने की आवश्यकता न होगी। उन्होंने दोहा इस प्रकार कहा था---

"जनता धन की लूट है, लूट सके सो लूट।
अन्त समय पछितायेगा, जब कुर्सी जैहै छूट।"

मैंने कहा कि इसमें तो सभी बातें आ गयीं। "कुर्सी जायगी छूट" से इस ओर इशारा किया गया है कि यह शासन अब जल्दी ही बदलने वाला है। ऐसे एक सन्देह की निवृत्ति तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कर दी थी यह कह कर कि विधान सभा भंग नहीं होगी लेकिन अनन्त-राम जायसवाल जी ने जो दूसरी शंका उठायी थी कि सुखाड़िया जी की तरह यहां तो कोई घटना

---

†२८ जुलाई, १६७१ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं घटने वाली है। इसलिए इस दोहे में यह कहा गया है कि समय थोड़ा है, जल्दी से अपना भविष्य बनाया जा सके तो बना डालो। इस चर्चा को यही समाप्त करके अब मैं कुछ बातें बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं यह मानता हूं कि वह अपने देश की और राज्य की पुलिस से काफी अच्छी है। और जहां तक मैं समझता हूं बम्बई प्रदेश की पुलिस को छोड़कर बाकी कार्य क्षमता में उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे आगे है और मैं यह भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए और जो संसाधन पुलिस को दिए गए हैं उसके हिसाब से उसकी कार्य दक्षता भी है और वह अच्छा काम करती है।

पुलिस के संबंध में बहुत से आरोप भ्रष्टाचार के लगाए जाते हैं। मैंने उनको नजदीक से देखने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस में ईमानदार आदमियों की कमी है। ऐसे भी पुलिस के अधिकारी हैं जो कर्त्तव्य भावना से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। फिर कारण क्या है कि पुलिस के संबंध में इतनी शिकायतें होती है? मैंने तो यह निष्कर्ष निकाला है कि जो राजनीतिज्ञों के दबाव पड़ते हैं वह पुलिस को भ्रष्ट करने का बहुत बड़ा कारण है।

मैं दो, तीन मिसाले इस संबंध में देना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि अभी कुछ दिन पहले सुल्तानपुर के एक जज साहब अपनी कार से गोरखपुर तशरीफ लिये जा रहे थे। उनकी कार के आगे आगे एक ट्रक चल रहा था। उस ट्रक ने जज साहब को रास्ता नहीं दिया मीलों तक। जब वह उसको पास करने की कोशिश करते थे तो ट्रक वाला धूल उड़ा कर उनको मौका नहीं देता था कि आगे निकल जाएं। बहुत देर बाद जब वह ट्रक रुका और जज साहब की कार आगे निकली तो उन्होंने रुक कर दरियाफ्त किया कि आखिर ट्रक ने ऐसा क्यों किया जिससे उनको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। तो ट्रक वाले ने जज साहब को पीटा। उनके परिवार की कोई महिला थीं उनको इतना पीटा कि फ्रैक्चर हो गया। थाने में ३२५ में रिपोर्ट दर्ज हुई, सब हुआ, लेकिन आज तक ट्रक वाले का न तो चालान हुआ और न पुलिस ने कोई तहकीकात की। प्रश्न यह होता है कि क्यों नहीं की? एक डिस्ट्रक्ट जज इस तरह से पिट जाय और ट्रक वाले पीटें और पुलिस कोई कार्यवाही न करे। क्या थाने वालों को कोई घूस मिल गया? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो ट्रक का मालिक है उसके पिता इस सदन के सदस्य हैं और सत्तारूढ़ दल में बैठते हैं। ट्रक ओनर के भाई संसद सदस्य हैं और लोक सभा में सत्तारूढ़ दल में बैठते हैं।

तो जिस ट्रक ओनर का भाई संसद सदस्य हो और पिता इस सदन का सदस्य हो तो पुलिस वालों की हिम्मत है कि उस के खिलाफ कोई कार्यवाही करें? यह एक ऐसी घटना है जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार एक गलत किस्म का प्रभाव पुलिस पर डाला जाता है जिसकी वजह से वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाती।

चौधरी साहब जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया था रायबरेली के थानेदार दीक्षित का। उसके बारे में वहां बहुत शिकायतें हैं। मैं जब पुलिस विभाग में राज्य मंत्री था, मेरी यह चेष्टा रहती थी कि रायबरेली के प्रशासन के संबंध में कोई हस्तक्षेप न करूं वरना लोगों को कुछ कहने का अवसर मिलेगा। इस दारोगा ने जब वह एक थाने का इंचार्ज था तो उसके वक्त में हवालात के एक आदमी को इतना मारा गया कि वह मर गया। यह गंभीर आरोप उसके ऊपर था और तब से उसको थाने के इंचार्ज पद से हटा दिया गया था और भी बहुत-सी शिकायतें उसके खिलाफ आयीं। तो मैंने लिखित रूप से एक आज्ञा दे दी कि इसको रायबरेली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय। उसके बाद वह सरकार समाप्त हो

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

गई तो मेरे वह लिख देने का अर्थ यह समझा गया कि यह दारोगा बहुत योग्य है और यह सत्ता-रूढ़ दल को भी बहुत फायदा पहुंचायेगा। इसलिये यहां से यह लिखित आज्ञा सरकार को गई कि उसके रायबरेली के थाने का इंचार्ज बना दिया जाय। यदि इस प्रकार की आज्ञा जाती हैं तो फिर पुलिस वालों को कहां तक दोष दिया जाय।

अब समय कम रह गया है तो मैं एक पत्र आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। उसमें जो एक सही नक्शा रखा गया है उससे सदन के सामने रखने से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि किस तरह से जिलों में हो रहा है और किस प्रकार राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस भ्रष्ट हो रही है यह पत्र गोरखपुर जिले के एक एडवोकेट की तरफ से मुख्य मंत्री जी को लिखा गया है और इसमें मनीराम क्षेत्र की जनता का हवाला दिया गया है। मैं उस पत्र को पढ़ना चाहता हूं—

"निवेदन है कि हम प्रार्थी मनीराम क्षेत्र के निवासी है। हम आपका ध्यान थाना चिलवा, लाल के थानाध्यक्ष एवं दीवान भागीरथी सिंह तथा सिपाही, सुधाकर तिवारी की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इन लोगों ने यहां की जनता की तैमूर लंग की याद दिला दी है। यहां पर इन्डीकेट से असम्बद्ध व्यक्ति की रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है। इसके खिलाफ यहां की १,००० जनता ने जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर प्रदर्शन किया परन्तु इसका कोई नतीजा नहीं निकला। थाना के समीपस्थ बाजार की हालत यह है कि थाने के कर्मचारी वहां पर एक माह के अन्दर ताला लटकने को बाध्य कर देंगे। क्योंकि वे लोग हर सामान मुफ्त लेने की होड़ में हैं। पैसा मांगने पर दुकानदारों को पीटा जाता है तथा चालान करने की धमकी दी जाती है। यहां पर मामूली मामलों में भी रिपोर्ट फीस १० रु० तथा तफतीश फीस दीवान तथा इंचार्ज मिलकर २०० रु० लेते हैं। श्री रामकृष्ण द्विवेदी के चुनाव जीतने के पश्चात् जितनी भी चोरियां तथा कत्ल हुए सब की तफतीश बन्द कर गई है। १०० रु० महीने लेकर यहां का दीवान, भागीरथी सिंह शराब चुआने का तथा २०० रु० में जुआ खिलाने का भी ठेका लेता है। बलात्कार यह की आम बात हो गई है।

यहां के क्षेत्रीय विधायक, श्री रामकृष्ण द्विवेदी जब भी क्षेत्र में आते हैं तो वह क्षेत्र में अन्य पार्टियों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण उत्तेजना भी फैलाते हैं जिसकी वजह से फसलें चरा ली जा रही हैं। निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। दिन डूबने के पश्चात् चलना खतरनाक हो गया है। ऐसा पता चलता है कि यह क्षेत्र हिन्दुस्तान के बाहर की कोई जगह है। सुभाष गुप्ता को तारीख २३ जुलाई, १९७१ को दीवान ने बिना कारण अतिशय पीटा जिसकी रिपोर्ट अध्यक्ष ने दर्ज कराई। सिद्धू प्रसाद, गांव रामपुर निवासी जिसका एक बैल गायब हो गया इसकी रिपोर्ट लिखाई तो दीवान ने २०० रु० मांगा जिसकी वजह से रिपोर्ट दर्जन की जा सकी। महेसरा के बेलदारों से मछली मुफ्त ली जाती हैं। थानाध्यक्ष अपने विभाग के बड़े हितैषी हैं तथा स्टाफ के खिलाफ यदि कोई रिपोर्ट आती है तो लाने वाले को गालियां देकर भगा देते हैं तथा डाके डाल देने की धमकी देते हैं। यदि वह उच्च अधिकारियों के पास पहुंचने की धमकी देता है तो उसका फर्जी चालान कर देते हैं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त शिकायतों पर अविलम्ब ध्यान देकर उक्त पदाधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाये। यदि इस पर अविलम्ब ध्यान नहीं दिया गया तो यहां की जनता खूनी क्रान्ति पर सन्नद्ध हो जायगी। यह पत्र है जिसमें सब बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। इस प्रकार से राजनैतिक लोग अपने दबाव से पुलिस को मजबूर कर रहे हैं कि वह इस तरह से काम करे और वहां की जनता इस तरह से आतंकित हो। बस मुझे यही आपसे निवेदन करना था।

(चौधरी चरण सिंह को बोलने के लिए बुलाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

हर पार्टी के लोग इस प्रशासन पर बोले हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को इस पर अवसर नहीं मिला। आप छोटे दलों को भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर दें तब बाद में चौधरी साहब को अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं है, इसलिए मैं समय देने में असमर्थ हूं, समय देने की मेरी इच्छा भी है लेकिन आज समय अब नहीं है ।

श्री सुखलाल पांडेय—

छोटे दलों की उपेक्षा हो रही है और उनके अधिकारों का आपके द्वारा अपहरण हो रहा है । इस तरह से तो जनतंत्र छोटे दलों के अधिकारों का अपहरण करके नहीं चलेगा, आप हमें सामान्य प्रशासन जैसे अनुदान पर बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं आधा घंटा के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री सुखपाल पांडेय सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मोहन लाल कपूर—

उपाध्यक्ष जी, मैंने निवेदन किया था कि जनसंघ दल को भी बहुत कम समय मिला है, मैंने श्री राजेन्द्र कुमार जी का नाम दिया है आप उनको केवल ७ मिनट ही दे दें तो कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज समय नहीं है, आगे के अनुदानों में दे देंगे ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि ३ दिन से सामान्य प्रशासन पर वाद-विवाद चल रहा है और यहां यह सवाल आया कि जिन दलों का प्रतिनिधित्व अधिक है उनको अधिक मौका मिलेगा यह सही है लेकिन यह सोचना चाहिए कि जिन दलों के १–२ सदस्य ही हैं उनको जब ३ दिन के वाद विवाद में अवसर नहीं मिला, तो जिन अनुदानों पर एक दिन या आधे दिन विवाद होना है उनमें आप कैसे समय दे सकेंगे और हम कैसे अपने विचार यहां रख सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने पहले दिन या दूसरे दिन तो कहा नहीं, अब आज तीसरे दिन चौधरी साहब को जब उत्तर के लिए बुला लिया गया तब आप आग्रह कर रहे हैं । मैंने कह दिया कि आज समय नहीं है ।

श्री छांगुर राम—

श्रीमन्, आपका आदेश तो हम मानेंगे लेकिन हमारी एक बात आप सुन लें . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप आदेश मानेंगे तो मैं आपको आदेश देता हूं कि आप इस समय अपना आसन ग्रहण करें कृपा करके . . . . . .

श्री छांगुर राम—

श्रीमन्, आपने कहा कि आप आखिर दिन खड़े होते हैं । हम पहले खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि पहले दूसरे दलों के लोगों को बोलने दिया जाय और अन्त में आज कहते हैं कि समय नहीं तो आप जो व्यवस्था हमारे लिये कर दें उसी के अनुसार हम बोलने के लिये खड़े हुआ करें ताकि हमें भी कभी समय मिल जाय करे लेकिन इस तरह से तो हम कभी भी बोल नहीं पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको आगे समय दिया जायगा। इस समय तो जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न किए हैं उनका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री देंगे और अभी चौधरी साहब को भी उत्तर देना है और जो लोक तांत्रिक तरीका है वह आपको समय देने से पूरा नहीं हो सकेगा और उसमें बाधा होगी और ऐसा मैं नहीं कर सकता।

श्री छांगुर राम---

श्रीमन्, आप क्रोध न करें अगर ऐसी बात है तो हमें सदन छोड़ने का आदेश दीजिए वर्ना हमारे यहां रहने से क्या लाभ, हम तो यहां अपनी बात भी कहने को आते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपने स्वयं कहा कि हम आदेश मानेंगे और मैंने आपको आदेश दिया कि आप अपना आसन ग्रहण करें लेकिन आप तो स्वयं ही अपनी बात का उल्लंघन कर रहे है।

श्री छांगुर राम---

यदि आप इतने क्रोध में कहेंगें तो काम नहीं चलेगा। आप आदेश दें, यह तो आपको अधिकार है लेकिन हमारे अधिकार का हनन यह हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी बात कह रहे हैं, आपका समर्थक कोई नहीं है। आप बैठ।

***श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---**

उपाध्यक्ष महोदय, आज सवेरे मैंने 'पायनियर' पत्र उठा कर देखा, वह पत्र मेरे यहां आता है, कुछ दिन से वह बहुत सवेरे आने लगा है। उसके पहले पृष्ठ पर ही कल की यहां की कार्यवाही का विस्तार के साथ विवरण है। मैंने उसमें पढ़ा कि सिवा मुझ पर आक्रमण करने के उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो एडमिनिस्ट्रेशन की सफाई में या गवर्नमेन्ट की सफाई में हो या जो प्रश्न मैंने उठाए थे उनके कोई उत्तर हों या सरकार को सुझाव दिए गए हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालूम ऐसा देता है जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा और मुझे सूचना भी मिली है कि बाकायदा ब्रीफिंग किया गया है। आधी रात तक मीटिंग है की गयी है कि विरोधी दल के सदस्यों की नियत पर किस तरह से हमला किया जाय ताकि वे सदन में पब्लिक की आवाज को न उठा सकें और अपने कर्त्तव्यों को न निभा सकें। मनुष्य का स्वभाव है कि अगर उस पर बहुत बड़ा आक्रमण होता है, अटक होता और वह बेबुनियाद होता है तो थोड़ा बहुत सहम जाता है।

मैं भी आज बहुत सहमा हुआ था जब मैं हाउस में आया। माननीय जायसवाल जी कुछ उससे भी आगे बढ़ गये और ऐसे भी लोग हैं जो हमारा साथ देने वाले हैं, सही बात का समर्थन करने वाले हैं। मुझे एक और तकलीफ हुई, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसे भी यहां पर लोग हैं, जिन्होंने भाषण भी दिए हैं, उनमें से १-२ प्राइवेटली मुझे कुछ और बातें कहते थे और भाषण यहां पर कुछ और देते थे जितने मेरे दोस्त उधर बैठे थे उनमें से एक तिहाई आदमी ऐसे थे जो मुझसे तो नहीं लेकिन खुलकर मेरे दोस्तों से और पब्लिक से बात कहते हैं कि जिस प्रकर से गवर्नमेंट चल रही है, उससे वे असंतुष्ट हैं। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका ५-७ साल का भी अनुभव नहीं है और जिनको यह भी मालूम नहीं है कि सार्वजनिक प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है क्या ? मुझे गाली देने का उनको अधिकार है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह उनको शोभा नहीं देता है। केवल गाली देने से, मुझे गाली देने से माननीय कमलापति त्रिपाठी की मेहरबानी की राह पर चढ़ जाएं लेकिन पब्लिक की निगाह पर चढ़ने वाले नहीं थे।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम उस समय यहां पर माननीय उपाध्यक्ष कुर्सी पर तशरीफ रखे थे, उनको उन्होंने रोका क्यों नहीं। मैंने जो सदन में प्रश्न उठाये थे, उनके जवाब देते तब तो बात थी लेकिन मेरे ऊपर जाती आक्रमण करना इर्रेवेलेन्ट बात थी। सब आक्रमण मेरे ऊपर किया गया और कुछ नहीं कहा गया। यदि मैं एक-एक सवाल को उठाकर विस्तार में जाऊं तो बहुत देर लग जायेगी। तो संक्षेप में उत्तर दूंगा उन बातों का, ऐडमिनिस्ट्रशन से जिनका कोई वास्ता नहीं है।

एक सवाल, जब मैं जा रहा था, तो माननीय शीतला प्रसाद सिंह जी कह रहे थे कि मैंने डिबेट का स्तर गिरा दिया। कैसे स्तर गिरा दिया ? मेरे पास अनकरेक्टेड प्रोसिडिंग्स रखी हुयी हैं, कल जो दफ्तर से मेरे पास गयी, मौजूद हैं। मैंने उनको फिर से पढ़ा कि आया मेरी जवान से कोई अपशब्द तो नहीं निकल गया। प्रोसिडिंग्स पब्लिक डाकूमेन्ट है। जो मित्र चाहे पढ़ सकते हैं।

अब जो मेरे पास गयी है, उसमें मैंने जिक्र किया है पोलिटिकल करप्शन का। पोलिटिकल करप्शन हमारे यहां पहले माननीय पन्त जी के जमाने में भी था। लेकिन जितना यह अब बढ़ गया है, वैसा कभी नहीं था। क्या स्तर गिर गया ? अब करप्शन बहुत ज्यादा है तो क्या मैं यह राय भी नहीं दे सकता हूं ? मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या स्तर नीचे गिर गया है ?

फिर मैंने इसमें यह कहा है। मैंने माननीय गुप्ता जी को सन् १९६१ में जब वे मिनिस्टरी बना रहे थे उस समय सन् १९६० में उन्होने मशविरा किया कि किस-किस को रखना चाहिए। मैंने कहा कि एक सज्जन हैं जिनकी बाबत आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा बात तो ठीक कहते हैं। आप उनकी मस्लेहत जानते हैं। उन्होंने रख लिया। मैंने कहा, वे सज्जन थे, हैं और रहेंगे। और मैंने उनके मुताल्लिक अल्फाज क्या कहे ? मैंने कहा बावजूद उनकी गलतियों के यह लफ्ज। लेकिन उन्होंने उनको फिर भी ले लिया। ऐसे खुश-किस्मत दोस्त हैं और रहेंगे। जानते हुए उनकी गलतियां हैं, ले लिया जाय। स्तर गिर जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने सब प्रोसीडिंग्स पढ़ीं। कौन-सा स्तर गिरने की बात है ? दूसरी बात प्रकट थी। मैंने नाम नहीं दिया। माननीय उमादत्त जी शर्मा, मंत्री। मैंने कहा, मेरे साथी रहे हैं। कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे साथी रहे हैं। इसलिए मेरी तबियत और भी कुछ कहने को चाह रही है। नहीं कहता। माननीय त्रिपाठी जी को मेरी राय उनके बाबत क्या थी, यह उनको मालूम है और किस वजह से मेरी और उनकी अलहैदगी हुई। क्या वह मशविरा देते थे कि पब्लिक लाईफ ऐसे नहीं चलती है जैसे आप चलाना चाहते कि साधु हो जाएं, मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने क्या कहा उनके मुताल्लिक ? मैंने उनके मुताल्लिक यह कहा। अगर उस अफसर ने उनकी उनको नीलाम कर दिया ९ लाख में, आप नीलाम नहीं चाहते थे। मैंन कहा, मैंने ऐसा सुना है। मैंने कहा फाइल में आर्डर है आपके कि १ लाख ७० हजार में दे दी जाए। मैंने कहा, मुख्य मंत्री जी देख लेंगे। नीलाम जब हो गई, १ लाख ७० हजार रुपये का कर्ज था। तो त्रिपाठी जी को फाइल गई। ९ लाख रुपये का नीलाम हुआ था। ९ लाख रुपये का मंजूर कर देंगे। और इस पर मैंने यह टिप्पणी की है। और अगर यह बात सही है वह जमीन अगर नौ लाख की नीलाम हुई है तो मंत्री जी ने १,७० हजार रुपये दिए जाने की सिफारिश क्यों की थी ?

[श्री चरण सिंह]

उनका जजमेन्ट गलत था या और कोई बात थी, रियायत थी ? इसको मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी देख लें और उसे सदन में बताने की कृपा करें ।

मैं माननीय शीतला सिंह जी से चाहता हूं पूछना कि कौन से इसमें स्तर के गिरावट की बात है ? या इतना भी हमें कहने का अधिकार नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो जिक्र आता है मैंने यह कहा कि आज बात इस हद तक पहुंच गई कि सारी गवर्नमेन्ट पर इल्जाम आमतौर पर लगाये गये । अब तो यह बात सोचनी है कि इल्जाम किसी पर नहीं है बजाय इसके कि इल्जाम किसी पर लगाया जाय । मैं समझता हूं कि मैंने यह आम बात ही कही है । मेरी इन्फार्मेशन गलत हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं जरा आप मुख्तसिर हों तो अच्छा है । एक घंटा मैं उनको दूंगा उत्तर के के लिए ।

श्री चरण सिंह---

मैं चाहता हूं कि दो घंटा दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

सिर्फ पांच मिनट हमको दे दीजिए ।

श्री चरण सिंह---

मैं यह कह रहा था कि कल से बराबर आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे । मैं इसको छोड़ देता हूं । इसके बाद अब आयी झारखंडे राय जी के लेटर की बात । मैंने कहा कि मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन जो मेरी एक पब्लिक ड्यूटी है उसका तकाजा है । मैंने कहा कि इसके कहने के बाद मुझे लगेगा कि मैं अपनी आंखों में नीचा हो गया । मैंने कहा कि अखबार मे छपी हुई बात है । कोई प्राइवेट लेटर नहीं है । ओपेन लेटर टू चीफ मिनिस्टर है । अंग्रेजी के अखबार 'मेन स्ट्रीम' में छपा है, जो कम्युनिस्ट पेपर है । हिन्दी के अखबार 'मुख्य धारा' में छपा । तो उसकी सफाई चाहता था मुख्य मन्त्री जी से । अब जिस समय जिक्र एक व्यक्ति का आया तो कुछ लोगों ने शोर मचाया कि अशोभनीय बात है । मैंने कहा कि अगर अशोभनीय काम हो तो उसका कहना अशोभनीय है या करना अशोभनीय है । मैंने यह भी कहा था कि यह गवर्नमेंट केवल कांग्रेस (आर०) की गवर्नमेन्ट नहीं है बल्कि यह स्टेट की गवर्नमेन्ट भी है । बाहर कहीं जाऊंगा तो मुझसे कहा जायगा कि तुम्हारी स्टेट की गवर्नमेन्ट । तो यह स्टेट की गवर्नमेन्ट है लिहाजा इस गवर्नमेन्ट की नेकनामी में हमारा भी इंटरेस्ट वेस्टेड है ।

मैंने यह भी कहा कि अगर आपकी गवर्नमेंट पालिटीकली अच्छी चलती है तो हमको नुकसान है । हमको चाहे नुकसान हो जाय लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट अच्छी तरह चले । तो उस पर तूफान हुआ । इसके बाद एक सज्जन मुझे मिल गये जिन्होंने बड़ा तूफान उठाया था । मैंने कहा कि भाई बात तो बहुत कड़वी लगी है लेकिन पार्टी में क्यों नहीं उठाते । क्या इसमें अशोभनीय बात है ? मैं कहता या न कहता उससे क्या फर्क पड़ता है । मान लो मैंने कह दिया तो कैसे स्तर गिर गया ? हमें इस बात की लज्जा आनी चाहिये कि आज इस तरह की बात कही जाती है । एक तरफ से नहीं चारों तरफ से और एक मुंह से नहीं हजारों मुंह से, जिससे हमारे प्रदेश और गवर्नमेन्ट की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है ।

दूसरी बात, लाल बहादुर साहब ने कहा---चरण सिंह फादर आफ डिफैक्शंस । बहुत दिनों पुराना चार्ज । आज तक मैंने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा । आज मैं चाहता हूं कि कुछ बातें कहूं । पहली बात तो यह है, माना मैं फादर आफ डिफैक्शंस हूं, क्या फर्क पड़ा इससे आपकी

गवर्नमेंट की नेकनामी पर, उसकी क्या रेलेवेन्सी है ? मान लो कि मैं कंविक्ट हो गया एक जुर्म में। जेल से निकल कर आया हूं। मेरे घर का डाका पड़ता है या और कोई जुर्म होता है पड़ोस में और मैं थाने जाकर रिपोर्ट करता हूं तो क्या यह कह दिया जायगा कि आप को तो एक बार सजा हो चुकी है इसलिये रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी ? तो क्योंकि मैं डिफैक्ट कर चुका हूं इसलिये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता ? मैंने तो किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया था। मैंने कोई निम्न स्तर की बात भी नहीं कही। मैं बराबर दो घंटे तक इस ऐड-मिनिस्ट्रेशन की बात कहता रहा।

लाल बहादुर सिंह जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और बहुत अच्छी राय रखता हूं। बावजूद उनके कहने के मेरे दिल में उनके लिए स्नेह है और मैं फर्जी बात नहीं करता हूं। सन् १९४८ में मैंने, उन्होंने, विश्वम्भर जी त्रिपाठी ने, चन्द्र शेखर सिंह, गोंडा वालों ने और मथुरा के शिव मंगल सिंह जी ने पांचों आदमियों ने एक पत्र लिख कर पन्त जी को दिया था कि कांग्रेस पार्टी से हमारा इस्तीफा मान लिया जाय। मैं मानता हूं कि यह बात उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपना कर्त्तव्य निबाहने के लिये कह दी।

तो श्रीमन्, मैंने और मेरे १६ साथियों ने कांग्रेस को जिस वक्त छोड़ा था वह सरकम-स्टान्सेज सब को मालूम हैं। मैं कांग्रेस की लीडरशिप के लिए खड़ा हो गया। उधर से गुप्ता जी खड़े थे। श्री उमाशंकर दीक्षित और श्री बेनी सिंह जी दिल्ली से आए। दस-पन्द्रह दोस्त और थे, त्रिपाठी जी भी थे। मैंने कहा कि किसी और को बना दीजिए। मैंने ठाकुर फूलसिंह जी का नाम रख दिया और मैंने अपना नाम विदड्रा कर लिया और केवल एक शर्त रखी थी कि कुछ लोग जो पुराने हैं जिनकी वजह से कांग्रेस बदनाम हो गयी––और १९८ आए थे––उनमें से कुछ को ड्राप कर दीजिए, और नया ब्लड ले लीजिये। "वंस ए मिनिस्टर आलवेज ए मिनिस्टर" न हो। बात तय हो गयी। १३ मार्च को हमारी इन्दिरा जी प्राइम मिनिस्टर हो गयीं और १४ मार्च को हमारे माननीय दोस्त ने अपनी केबिनेट बना ली। थोड़ा-सा मझसे जरूर मशविरा किया। मेरे कहने से न किसी को ड्राप किया और न कोई शामिल हुआ। मैंने कहा कि मैं आपकी केबिनेट में शामिल नहीं हूंगा। उन्होंने कहा कि हम ३१ मार्च को आ रहे हैं, फिर नहीं आये। दिल्ली से मुझसे कहा गया कि जो चाहो कर लो और इसी तरह का एक बयान भी यहां निकल गया। मैंने अपने साथियों से मशवरा किया और हमने कांग्रेस को छोड़ दिया।

मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। वह अनडिस्प्यटेड है। अब में आप के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि क्या यह दलबन्दी है ? अगर हम एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो वह दल बदलना कहलाता है। हमने कैसे दल बदला ? हमने उन्हीं उसूलों पर नया दल बनाया जिन उसूलों पर कांग्रेस बनी हुयी थी और चल रही थी। लेकिन धीरे-धीरे वे उन वसूलों से हट गये। तो आप यह कैसे कहते हैं कि मैंने दल बदली की ? यह चार्ज ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक एन्टी डिफेक्शन कमेटी बनी थी जिसके चह्वाण साहब प्रेसीडेन्ट थे। उस कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है। उन्होंने यह तय किया था कि और कोई इनडिविजुअल पार्टी छोड़ता है या एक ग्रुप छोड़ता है, वह डिफेक्शन नहीं है। नोट में कुछ कहा है वह मैं सुनाये देता हूं।

श्री अध्यक्ष––

टाइम बीत जायेगा––वह मान लिया।

श्री चरण सिंह---

डा० हृदय नाथ कुंजरू का नोट है। यह बात डिसेन्टींग मिनिट में कही है और यह रिपोर्ट में आनी चाहिए। इसके अलावा एक चार्ज यह लगाया गया कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मैंने पार्टी छोड़ी। यह बात भी गलत है। २३७ मेम्बर अपोजीशन की तरफ से चुन कर आये थे और १९८ मेम्बर कांग्रेस में चुन कर आये थे। उस वक्त कांग्रेस की हालत इतनी खराब थी और पब्लिक ओपिनियन भी कांग्रेस के खिलाफ थी कि स्वयं कांग्रेसमैन असन्तुष्ट थे। अपोजीशन वालों ने मुझसे आग्रह किया कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं हूं। धीरे-धीरे अपोजीशन वाले टूटे और कुछ इंडिपेन्डेन्ट आये। कुल ३७ या ३३ मेम्बर आ गये और आपकी मेजारिटी हो गयी। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे for the sake of chief Minister ship छोड़नी होती है तो उससे अच्छी अपार्चुनिटी मुझे और क्या हो सकती थी क्योंकि २३७ मेम्बर्स तो अपोजिशन के थे ही और १५--१६ साथी हम थे। उस वक्त हमारी मैंजिरिटी होती।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मन्त्री डेढ़ घन्टे बोलेंगे---आपको तो २--३ घंटे दे दिये गये हैं।

श्री चरण सिंह---

आपने तो मुझे १० मिनट ही दिये हैं।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, २० मिनट दिये हैं।

श्री चरण सिंह---

आप और आपके उपाध्यक्ष बराबर गाली दिलाते रहे---आपने उन्हें क्यों नहीं रोका ? पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी आप नहीं देने देंगे, क्या मतलब हुआ इसका ? डेढ़ बजे के बजाये ३ बजे कर दें। इतनी गालियां दी गयीं और उनकी पब्लिसिटी भी हुयी। आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप २ घंटे बोले हैं।

श्री चरण सिंह---

मैं दो घंटे बोला और एक भी जवाब नहीं मिला। अगर पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सफाई न दे सकूं।

श्री अध्यक्ष---

वे भी सफाई देना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह---

वे क्या सफाई देंगे एडमिनिस्ट्रेशन की ? डेढ़ घन्टा दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष---

वह कार्य मन्त्रणा समिति का निर्णय है, वह सदन ने निश्चय किया है।

श्री चरण सिंह––

निश्चय तो बहुत कुछ हो चुके हैं। निश्चय तो यह भी हो चुका है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनर्गल बातें नहीं कहने देंगे। निश्चय तो आपका यह भी था, मुझसे कहा था कि मैं सफाई न दूं। मैंने कहा था कि यह मेरा राइट है। लेकिन फिर भी मैं आप की बात मान गया था। आपने और आपके उपाध्यक्ष ने उनसे कहने की हिम्मत नहीं की।

श्री अध्यक्ष––

अब आप बन्द करें।

श्री चरण सिंह––

वही बात हुयी, मैंने आपका मशवरा माना और आपने उनको मशवरा भी नहीं दिया और उपाध्यक्ष ने भी मशवरा नहीं दिया। मैं २० मिनट बोलता। अगर लाल बत्ती नहीं बुझती है तो मैं बैठ रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

अध्यक्ष जी, वह बातें जो इस सदन में अब तक हुई हैं, उनसे अलग मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

इस समय वह बोलेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

मौका आप नहीं दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष––

उनको बोलने दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

मैं ज्यादा से ज्यादा १० मिनट और कम से कम ५ मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष––

मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

मेरे से ज्यादा आज्ञाकारी कोई इस सदन में नहीं है।

श्री अध्यक्ष––

इसलिये बैठ जाइये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

मैं आप की आज्ञा से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। कल सारे दिन जिस प्रकार की बातें हुईं उस सिलसिले में माननीय चौधरी चरण सिंह कुछ कहना चाहते थे। मेरे ख्याल से माननीय मुख्य मन्त्री जी राजी हो जाते अगर ३बजे तक आप बढ़ा देते तथा खाद्य और रसद वाला ५ बजे तक हो जाता, तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष---

कार्य मन्त्रणा समिति ने यह तय किया था कि यह ढाई बजे से होगा, आपने इसको पास किया है।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी की इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक प्वायन्ट का भी जवाब नहीं दे पाया।

(व्यवधान)

तो मैं प्रोटेस्ट में कि आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं हाउस को छोड़ रहा हूं।

(श्री चरण सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(शेम शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष---

यह ठीक नहीं है। जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिये। अगर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो उसका मजाक नहीं करना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई बीच में सवाल आये तो वह उसका स्पष्टीकरण दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---

जब मौका आयेगा तो आप कह लें, वैसे तो आप टोकते ही हैं।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, इस सामान्य प्रशासन और पुलिस के अनुदान १०, ११ और १५ पर ढाई दिन से बहस हो रही है। मुझे खेद है कि श्रीमन् इस बहस ने कुछ ऐसा रुख पकड़ा जो कि मैं समझता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिये कुछ शोभा की बात नहीं थी। मुझे भी मान्यवर, यहां कुर्सियों पर बैठते हुये ३५-३६ साल हो चुके हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनमें तरह-तरह की बातें कही गई हैं। पर इस बार आरम्भ से ही लेकर अब तक जिस तरह का रास्ता पकड़ा गया मेरी समझ में दुखद है।

अभी हमारे भाई कृष्णानन्द जी कह रहे थे और चौधरी साहब ने भी कहा कि रात बारह बजे तक कुछ ब्रीफिंग हुई है। मान्यवर, इस तरह की गलत और निराधार बातों का प्रचार करना आज की राजनीति का एक अंग हो गया है। न रात तक ब्रीफिंग ही हुई और न ही यह कहा गया कि झगड़ा करें और न कोई योजना बनाने की बात हुई। यह आरोप बिना किसी कारण के लगा दिया गया।

मान्यवर, मैं स्वयं उन लोगों में हूं जो कभी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते। ३५-३६ वर्ष के इतिहास में एक प्रमाण भी नहीं मिल सकता कि जब हमने किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया हो। यह मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन इस के विपरीत अनेक प्रमाण मिलेंगे कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण हुये हैं, आक्षेप हुये हैं जिन्हें मैं चुपचाप बैठा हुआ सुनता रहा और न कभी क्रोध आया और न आवेश ही आया। यह सोचना कि यहां कोई आदेश हो गया है कि व्यक्तिगत आक्षेप किये जायं, यह हमारे साथ घोर अन्याय होगा। आप क्षमा करें, मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहूंगा कि जब से सदन आरम्भ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है तब से लेकर बराबर आज तक जिस प्रकार मैं आदर सम्मान करता रहा हूं और हर बात को मानता रहा हूं, उस की प्रतिक्रिया में जिस प्रकार का व्यवहार होता रहा है उससे हमें दुख हुआ है । मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि इधर के लोगों का कोई इरादा नहीं है कि हम किसी प्रकार किसी माननीय सदस्य पर आक्षेप कर के उनका कोई अपमान करें अथवा कोई ऐसी योजना बनावें या ढंग पकड़ें जिस से सरकार की कार्यवाही में बाधा पड़े । आप से मेरी प्रार्थना यह है कि इस दिशा में आप हमारी सहायता करें ।

मान्यवर, चौधरी साहब ने जो भाषण परसों दिया, मैं उस के सम्बन्ध में कोई टीका नहीं करना चाहता । उस की प्रतिक्रिया बाहर क्या हुई है, उस की प्रतिक्रिया अखबारों में क्या हुई, उस में व्यक्तिगत आक्षेप थे अथवा नहीं थे और व्यक्तिगत रूप से आक्षेप किये गये तो क्या वे उचित थे, इसका निर्णय सदन करेगा और बाहर की जनता करेगी । मान्यवर, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता । परन्तु इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में दूसरे का भी विचार हो सकता है जो हमारे विचार से भिन्न हो । यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि जो हमारा विचार है वही सत्य है, जो हमारा निर्णय है वही निर्णय सही है, जो हमारा विवेक है वही विवक सोलह आने ठीक है और जो बातें मेरे मुंह से निकल गयीं वही वेद वाक्य हैं, वही कुरान की आयत हैं और उस के विपरीत जो करे उस पर आक्षेप किये जायं, उस को नीचे गिराने की कोशिश की जाय तो यह मेरी समझ में अत्यन्त गर्हित राजनीति है । चौधरी साहब के दिमाग में है कि जो कुछ उन्होंने किया वह जनहित में किया, जो कुछ उन्होंने कहा, वह सच्चा है, जिसे वह सार्टिफिकेट दे दें, वही ईमानदार है, जिसे वह कार्य कुशल कह दें, वही कार्य कुशल है, जिसे वह कह दें कि इस से देश की सेवा हो रही है वही देश सेवी है, और जिस के बारे में वह यह न कहें वह सब बेईमान, उन में कार्यकुशलता नहीं है, वे जनहित में कार्य नहीं करते । अगर ऐसा दृष्टिकोण जीवन के प्रति, सार्वजनिक जीवन के प्रति हो तो उसका कोई सार नहीं है ।

अब मैं उन बातों पर आता हूं जिनका उल्लेख उन्होंने किया । उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यूनियन को खत्म करने के लिए जो आर्डिनेंस लाया गया था उसको क्यों विदड्रा कर लिया । उन्होंने इस बात को नहीं माना कि इस में हमारी कोई राय हो सकती है । उन की समझ में केवल यह आया कि हम ने उसको इस इरादे से वापस कर लिया कि हम खामखाह की वाहवाही लूटें और लोगों को दिखायें कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, हमारी बड़ी पावर है और हम उसका मनमाना उपयोग कर रहे हैं । मान्यवर, क्या यह कहना उचित बात है और क्या इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना किसी बड़े सम्मानित राजनीतिज्ञ के लिए, जो कहता है कि उसका लोकतन्त्र में विश्वास है, ठीक है ?

वह आर्डिनेंस निकला । यहां विधान सभा में उस पर बहस हुई । आर्डिनेंस बदल कर एक बिल पेश हुआ और वह यहां से स्वीकृत हुआ। लेकिन विधान परिषद् में जाकर वह स्वीकृत नहीं हुआ, स्थगित हो गया और वह कानून नहीं बना । तो अवहेलना का प्रश्न कहां से आ गया । मैं कहता हूं कि हमारी नीति शुरू से ही यह रही है कि विद्यार्थियों की यूनियन की सदस्यता उन के लिए अनिवार्य होना चाहिये । जब संविद की सरकार थी, तभी भी मान्यवर, हम लोगों की यही राय थी । प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी यही राय थी और हमारी वह राय बराबर समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई । यह राय भी प्रकाशित हुई कि इस के लिए सभी राजनीतिक दल, केवल बी० के० डी० को छोड़ कर, राजी हैं और यही राय रखते हैं । जो हमारे विधान सभा में साथी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी यहां जन भावना को व्यक्त किया था, किसी के रोब में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से जनता की भावनाओं को यहां रखा था ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

फिर हम ने जो कार्य किया उस से कोई भी नाराज नहीं हुआ, न तो वाइस चांसलर नाराज हुये, न अध्यापक ही नाराज हुये, न विद्यार्थी नाराज हुये, बल्कि बधाई के तार आये कि आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया। लड़कियों ने तार दिये। आप यह भी जानते होंगे कि देश के विचारकों की इस सम्बन्ध में क्या राय रही है। मान्यवर, हम ने जो कदम उठाया है उसकी चारों ओर से प्रशंसा हुई है। वरना आप ने देखा कि यूनिवर्सिटीज पी० ए० सी० का कैम्प बन गयी थीं। जो भी विरोध में आवाज उठाता था वह गिरफ्तार कर लिया जाता था। वाराणसी में मान्यवर, जब चौधरी साहब गये थे, वे एक मीटिंग में वहां पर भाषण करने वाले थे, उस वक्त विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला यह प्रदर्शित करने के लिए कि उस आर्डिनेंस के यही आचार्य हैं, वे अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे, उन्होंने इसलिए वहां प्रदर्शन किया। वहां पर मान्यवर, चौराहे पर इतनी गोलियां बरसायी गयीं कि १२ विद्यार्थी गोलियों के शिकार हो गये। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम तो पहले से ही इसके खिलाफ थे।

अभी कुछ दिन हुये, नयी दिल्ली में मान्यवर, एक कमेटी का निर्माण हुआ गजेन्द्रगडकर जी की अध्यक्षता में स्टूडेंट्स नामिनीज के लिए। उसने यह सिफारिश की थी जिसे मैं बता रहा हूं :—

The Committee has suggested that each university should continue to have a union, the membership of which should be automatic for every student.

"The number of students in every University" the Committee says- "Is so large that direct democracy can hardly be effective, and hence, as has been stated by another committee, castes regional, communal and other undemocratic factors seem to exercise an undue influence. We are, therefore, of the opinion that the ultimate power of the University Union should be vested in a General Council(or a Parliament if the students in a particular University prefer this form)."

स्टुडेंट कौंसिल बनायी जाय और स्टुडेन्ट्स यूनियन का कंट्रोल उनके ऊपर हो। अगर वे चाहें तो अपने स्टुडेंट्स की पार्लियामेंट बनावें। मान्यवर, इस रिपोर्ट को पढ़ें आप, इसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि स्टुडेन्ट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन मिले, सिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिले, होस्टल को रन करने में रिप्रेजेंटेशन मिले और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो १०—१५ परसेंट सदस्य इनके भी हों।

मान्यवर, यह कहना कि किसी खास राजनीतिक दृष्टिसे आर्डिनेंस को हटा दिया गया, सही नहीं है। इसके सिद्धान्त को तो हम स्वीकार करते रहे हैं, हमने इसको माना है और इसी कारण से हमने यह कदम उठाया और सर्वथा उचित उठाया। इसका समर्थन देश के सभी राजनीतिक दल ने किया सिवा बी० के० डी० के। सभी इस बात के समर्थक रहे हैं। जब आर्डिनेंस निकला था तो उन्होंने इसका विरोध किया था। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इसका समर्थक हूं और हम समझते हैं कि जो हमारे छात्र हैं उनके संगठन का एक यूनियन हो जाय हर यूनिवर्सिटी में जो इनका इस प्रकार से पथ-प्रदर्शन करे और इस प्रकार से उनका नियन्त्रण करे जिससे अधिक से अधिक लाभकारी हो सके। केवल लाभकारी न हो, इस रिपोर्ट के अनुसार कोई ऐसी व्यवस्था बना सकें यू० जी० सी० की सिफारिशों के मुताबिक कि छात्र यूनिवर्सिटी का संचालन कर सकें, उनके होस्टलों का संचालन कर सकें। साथ ही वास्तविक कठिनाई जो होती है उनको दूर करने में किसी प्रकार से इनका सहयोग मिल सके इस पर कोई योजना आयी हो, तो मैं समझता हूं कि उसे आना चाहिये।

एक दूसरी बात कही गयी है। चौधरी साहब ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को लेकर के आपने देश का सबसे ज्यादा अहित किया और अनुशासनहीनता को प्रश्रय दिया है। उनकी राय हो सकती है लेकिन मान्यवर, मैं आज से नहीं बल्कि पहले से यह राय रखता हूं, शायद

मेरे आदरणीय भाई गुप्ता जी यहां कहीं बैठे हुए हों, उनके सामने मंत्रि-परिषद् में भी जब इस बात पर विचार हुआ तब भी हमने यह राय व्यक्त की थी कि हमको एक दूसरा अध्याय आरम्भ करना चाहिये। मैंने यह कहा था कि कई वर्ष हो गये लाठी सोटा चलते और प्रशासन के पहिये को मजबूत पहिये को–सेक्रेटेरियट के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं इनके बिना मंत्रिमंडल का काम चल नहीं सकता अगर दो पहियों में एक न रहे। हमारा यह दृष्टिकोण था कि जो हुआ सो हुआ, इनके साथ एक बार उदारता का व्यवहार करके एक मौका देना चाहिये, और इस तरह से एक नया प्रयोग किया जाय। अब तक लाठी सोटे से शासन शान्ति स्थापित नहीं कर सका तो एक नया प्रयोग किया जाय जो हमने किया और उनसे कह दिया कि वे आवें और अनुशासन के साथ काम करें। हमारी उदारता का यह भी असर हो सकता था कि जो अशान्ति थी उसके स्थान पर शान्ति पूर्वक प्रशासन चल सके। तो एक्सपेरिमेंट के लिये हमको एक बार यह नया प्रयोग करना चाहिये। खैर, जब सरकार यह बनी तो अपने उसी दृष्टिकोण के अनुसार जैसा कि पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, यह कदम उठाया गया।

इस प्रकार यह सोचना कि राजनीतिक आधार पर केवल इसलिये यह कर दिया गया कि प्रशासन के कर्मचारी वोट दें, मैं पुनः कहता हूं कि यह अत्यन्त संकुचित दृष्टि का द्योतक है, जो नहीं होना चाहिये। हमारी राय जो पहले की रही उसका प्रयोग किया और हम आशा करते हैं कि जो कर्मचारी आये हैं वे अनुशासन से काम करेंगे। उनका एक सवाल था कि उनको वही भत्ता मिलना चाहियें जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलता है उसी प्रकार का काम करने के लिये। मैंने उनसे यही कहा था कि हम सिद्धान्ततः इस बात से सहमत हैं और इस सदन में भी हम कह चुके हैं कि हम सिद्धान्ततः इस बात से सहमत हैं। परन्तु हमारे संसाधन इतने नहीं हैं कि हम उनकी इस मांग की पूर्ति कर सकें।

५० करोड़ से ऊपर इसमें खर्च पड़ जाता है। भला यह गरीब प्रदेश जिस पर पहले से ही इतना अधिक बोझ है और कई वजह से जिसका राजस्व वैसे ही कम हो गया है, इसको पूरा करने में कैसे सक्षम हो सकता है। लेकिन मैंने उनसे स्पष्ट कहा है कि आपको धीरज रखना चाहिये यह मिल नहीं सकता है जब तक केन्द्रीय सरकार हमको न दे। हमारा यह आश्वासन अवश्य है कि हम केन्द्रीय सरकार से बराबर याचना करते रहेंगे, और यदा कदा उनको दबाते भी रहेंगे कि जबतक वह इस प्रकार की विषमता दूर न करेंगे तब तक प्रशासन में न तो शान्ति आयगी और न कार्यकुशलता आयेगी। इसको हम बराबर कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे। मैंने किसी राजनैतिक दृष्टि से ऐसा नहीं कहा है। हमने प्रदेश का अहित करने के लिये ऐसा नहीं किया है। इसलिये नहीं किया है कि वे अनुशानहीनता करें। हां, हमारा यह जरूर विचार है कि सारा मसला लाठी और सोंटे से हल नहीं हो सकता। पुलिस रूल्स, पुलिस ऐक्शन से कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। जिनका ऐसा विश्वास हो, उनका हो, लेकिन मेरा ऐसा तनिक भी विश्वास नहीं है। मैंने एक नया अध्याय शुरू करने की चेष्टा की है। हम असफल हो सकते हैं, हमें उसके करने में कमी हो सकती है। लेकिन यह बात साफ हो गई है कि देश ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, उसका प्रयोग हमसे दुर्बल लोग और कमजोर लोग करें। इसका अनुभव करके देखें। हमने एक प्रयोग कर दिया है और हमें आशा है कि हमें सफलता इसमें जरूर मिलेगी।

अब चौधरी साहब कुछ अफसरों पर आये, जो मैं समझता हूं, उन्हें नहीं आना चाहिये था, जो कि परम्परा के विरुद्ध रहा है। मान्यवर वह अफसरों पर आ गये। मैं समझता हूं एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को जो दो बार इस प्रदेश का मुख्य मंत्री रह चुका हो, ऐसा नहीं चाहिये था। हमें तो मान्यवर, न मालूम किस युग में कैसे यह अवसर आखिर कार मिला, लेकिन मुझे कार्य करते-करते सार्वजनिक जीवन में ५१–५२ वर्ष हो गये हैं। बहुत से हमारे विधायक उस जमाने में पैदा भी नहीं हुये थे, जब मैं कांग्रेस के एक

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

छोटे कार्यकर्ता के रूप में इस संगठन में आया था और पकड़ कर जेल भेज गया था और ७-८ हफ्ते की सजा भी हुई थी। प्रशासन में रहने का हमें भी अनुभव हुआ है, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर दो-दो बार रह चुके हैं। हमारे गुप्ता जी चार बार रह चुके हैं और एक बार मैं भी आ गया ऐसे वरिष्ठ आदमी को केवल इसलिये कि वह चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन परम्पराओं का हनन नहीं करना चाहिये। मैं देख रहा था कि एक कमेटी बनी हुई थी—स्टडी टीम, उसकी रिपोर्ट है रिपोर्ट आफ दी स्टडी टीम मशीनरी आफ दी गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐण्ड इट्स प्रोसीजर्स आफ वर्क उस स्टडी टीम के अध्यक्ष थे श्री एस० जी० घरवे तथा सदस्य थे—सर्वश्री के० सी० पन्त, के० टी० चंडी, एम० आर० चोपड़ा, जे० एन० खोसला, व एम० के मुकर्जी। उसमें लिखा है आप देखें—

"The convention that civil servants are faceless and nameless in Parliament is consistent with the politically neutral role of the civil service. On the whole the convention has been upheld."

एक जगह और उन्होंने यह कहा है :—

"It needs to be stressed that recent cases in which names were mentioned and discussed in Parliament created considerable uneasiness amongst conscientious and honest servants.

A good part of this was due to a feeling among them that the civil servants in question, not having been in a position to defend themselves, should have had more prompt and vigorous defence on the floor of the House from the Ministers than they did in fact get."

मान्यवर कोई मान्यतायें और परम्परायें होती हैं। एक आदमी आई० जी० बन गया। क्यों बना दिया? पब्लिक इन्टरेस्ट में। हमने जो बनाया था वह पब्लिक इन्टरेस्ट में, हमने जो किया था वह सही किया था, हमने जो बैठाया था वही योग्य था, वही ईमानदार था। गुप्ता जी की गवर्नमेंट थी, मान्यवर, १९६७ में। १८ दिन कुल रही। उस गवर्नमेंट को छोड़ कर चौधरी चरणसिंह विरोधी दल में आये और वह गवर्नमेंट हटी और तत्कालीन विरोधी दल के सहयोग और सहायता से मुख्य मंत्री बने। मुख्य मंत्री बनने के बाद यहां जो आई० जी० था उसे हफ्ते, दस रोज के अन्दर उन्होंने ट्रांस्फर किया। शान्ति प्रसाद आई० जी० थे। जिस शान्ति प्रसाद के रेकार्ड से कार्यक्षमता, योग्यता, उनकी ईमानदारी और सौजन्य प्रमाणित है। वह थे। उनके पहले सुचेता जी १९६० में थीं। मैं कहता हूं कि उन्होंने ६ महीने की छुट्टी इस अधिकारी को देना अस्वीकार कर दिया। यह कहा कि उनकी आवश्यकता है। रिटायर होने के बाद तब छुट्टी लेंगे। उस अधिकारी को आते ही उन्होंने हटाया। और हटा कर जियाराम सक्सेना जी को बैठाया। क्यों हटाया? क्या कमी थी? इतना वरिष्ठ अधिकारी था। कौन ऐसा कारण था? आप सोचते रहे होंगे, आपका उसमें विश्वास नहीं, आपने शायद यह समझा होगा, सोचते रहे हों, गुप्ता जी का आदमी न हो। आपने क्यों हटाया? उन्होंने हटाया, मान्यवर। अब देखिये, जियाराम जी हुये १९६८ में। वह सरकार गयी। प्रेसीडेंट रूल आया। जियाराम जी आई जी० बने रहे। १९६९ में चुनाव आया। जियाराम आई० जी० बने रहे। उस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस की गवर्नमेंट आयी। और जियाराम जी बने रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इधर के साथियों को याद होगा, उस समय हम लोग मिले जुले थे, जो कुछ मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनाव में हरिजनों के साथ हुआ। मैं चौधरी गिरधारी लाल जी से पूछना चाहता हूं, उस स्थिति के लिये हमारे दल के लोग समझते थे कि जियाराम जी ज्यादातर जिम्मेदार हैं। गुप्ता जी से उन्होंने कहा होगा न कि उनको बदल दीजिये। गुप्ता जी ने मुझ से पूछा तुम्हारी क्या राय

है ? मैंने कहा कि मेरी समझ में बदलना नहीं चाहिये, अत्यन्त ईमानदार, योग्य और वरिष्ठ अधिकारी है । इस प्रकार चुनाव के जुर्म को लेकर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं है ।

१० महीने गुप्ता जी की सरकार थी । यही जिसे चौधरी चरण सिंह ने एप्वाइंट किया था, जो मौजूद था गवर्नर रूल में, जिसे गुप्ता जी ने नहीं हटाया उसी आदमी को १९७० में जब चौधरी साहब फिर चीफ मिनिस्टर बने तो मैं समझता हूं कि ४८ घंटे के अन्दर उसी आदमी को हटा दिया और एन० एस० सक्सेना को ला कर बिठा दिया और यह पब्लिक इन्टरेस्ट में हो गया । जियाराम के लिये सब लोग कहा करते थे कि वह अत्यन्त ईमानदार, वरिष्ठ और शीलवान अधिकारी हैं, हम कोई उनका ब्रीफ होल्ड नहीं करते, उन्होंने उनको आई० जी० बनाया लेकिन इस्लाम अहमद से वह जूनियर थे ।

उन्होंने एक और बनाया ए० एस० गुप्ता साहब को एडीशनल आई० जी०, वह भी इस्लाम अहमद साहब से जूनियर थे । ये सारे मामले हमारे सामने हैं, हम भूले नहीं हैं । सबको सुपरसीड करके एन० एस० सक्सेना को आई० जी० बनाया गया । उन्होंने जियाराम को बनाया था, ए० एस० गुप्ता को भी बनाया था लेकिन जब सबसे जूनियर सक्सेना जी को बनाया तो जियाराम को भी हटाया और और गुप्ता को भी हटाया, तो वह किस पब्लिक इंटरेस्ट में हटाया ? मैं जानना चाहता हूं क्या ये अधिकारी खराब थे ? यहां से हटाये गये तो भारत सरकार में चले गये बड़े-बड़े पदों पर ।

जहां तक मैं जानता हूं शान्ति प्रसाद जी आसाम पुलिस कमीशन के चेयरमैन बनाये गये, जिया राम जी रेलवे विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन बनाये गये और ए० एस० गुप्ता जी डायरेक्टर पुलिस रिसर्च विंग बने । और हमने इस्लाम अहमद को आई० जी० बना कर कौन सा पाप किया ? यह वह व्यक्ति था जिसके साथ बराबर अन्याय हुआ है । क्या इसीलिये नहीं बनाया गया कि वह मुसलमान था ? आज वह व्यक्ति सीनियर मोस्ट है सारी पुलिस में, उसे सुपरसीड करके एक आई० जी० बना, उसे सुपरसीड करके दूसरा एडीशनल आई० जी० बना और उसे सुपरसीड करके एक और आई० जी० बना । यह कहना गलत है कि वह डी० आई० जी० सुपरसीडेड था । मेरे पास रिकार्ड है । हर जगह वह जियाराम से सीनियर हैं । जियाराम, से, ए० एस० गुप्ता तथा सक्सेना से इस्लाम अहमद साहब सीनियर थे और उनका फर्स्ट क्लास का रिकार्ड है और ठीक टाइम से वह कंफर्म भी होते चले गये । आल इंडिया पुलिस सर्विस का सीनियर मोस्ट और टाप मोस्ट आफिसर है । अगर उसको आई० जी० बना दिया तो यह अन्याय हो रहा है जबकि उसके प्रतिकूल रिकार्ड में कोई चीज नहीं है ।

जब भारत सरकार के सामने उनका रिप्रेजेंटेशन गया तो स्वयं उन्होंने यह माना है चूंकि उनका जूनियर आई० जी० बना दिया गया है इसलिये आई० जी० की सारी तनख्वाह उनको दी जाय और आई० जी० की पोस्ट दी जाय । जब ये सक्सेना जी रहे हैं तो उनकी सारी तनख्वाह गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिलाई और उनको उछाल करके एक डाइरेक्टर बना दिया गया । तो आज यह कहना कि जो हमने किया वह पब्लिक इन्टरेस्ट में है और जो तुमने किया वह सब पब्लिक इन्टरेस्ट के खिलाफ है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है और जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं और यदि कह सकता हूं तो यही कि यह बहुत अनुचित बात है ।

जो पब्लिक इंटरेस्ट आपके हित में होगा वही पब्लिक इन्टरेस्ट हमारे हित में भी है । मुमकिन है आपकी राय में और हमारी राय में मतभेद हो । इसलिये इस प्रकार के मोटिव लाकर यह कह देना कि जो हमने कह दिया वह ब्रह्म वाक्य है और जो तुम कह रहे हो वह गलत है, तो यह बहुत अनुचित बात है । मैं नहीं समझता कि इन अधिकारियों का नाम इस तरह से ले आना क्या कोई मुनासिब बात है? मैं तो कहना चाहता हूं कि सक्सेना जी को टी०एन० सिंह की गवर्नमेंट

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में वार्निंग दी गई । उन्होंने उस जमाने के सरकारी आदेश को अपालन करने की चेष्टा की । यह वार्निंग उनको कुम्भ के मेले में दी गई थी । जो कमेटी वहां पर बैठी थी, माननीय मुख्य मंत्री उसको प्रिसाइड कर रहे थे । उसमें गृह मंत्री थे, स्वायत्त शासन मंत्री थे और अन्य बड़े-बड़े अधिकारी मौजूद थे । उसमें यह निर्णय लिया गया था । कहीं कोई अखाड़ा स्थापित करने में उन्होंने उसके ऊपर शंका की थी और कहा था कि यह अनुचित है । तो किसी आई० जी० के हि में, वहां पर जहां पर चीफ मिनिस्टर बैठा हो और वह ऐसा करे तथा आप उसके ऊपर फैसला लें, उचित है ? किसी आई० जी० की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती ? तो मैं समझता हूं कि उनको हटना चाहिये, पब्लिक इन्टरेस्ट में हटना चाहिये और प्रशासन के हित में हटना चाहिये और हमने उनको हटाया । उनको हटाकर हमने क्या बुरा किया ? और एक व्यक्ति, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने के दृष्टिकोण से हमने ऐसे आदमी को हटाया, तो क्या बुरा किया कि यह कदम उठाया ? वही कदम आज यहां पर मौजूद है । इनको पहले से ही आई० जी० की तनख्वाह मिल रही थी । हमने उन्हें तब तक कन्फर्म नहीं किया जब तक कि जियाराम जी रिटायर नहीं हो गये या वहां से हट नहीं गये ।

यहां पर यह भी कहा गया कि किसी चीज का उत्तर नहीं दिया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि हम क्या उत्तर दें ? नामों को यहां पर नहीं लाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात नहीं होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में हमारे फैसले भी हैं कि हमारे जो सिविल सर्वेन्ट्स हैं उनका नाम लेकर उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिये क्योंकि अपने को डिफेन्ड नहीं कर सकते हैं । हम कई बार ऐसे फैसले ले चुके हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यही नहीं और नाम भी हैं जिनके बारे में कहते हैं जवाब नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष---

आप जवाब न दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आपकी आज्ञा हो तो हम जवाब न दें ।

श्री अध्यक्ष---

दूसरे को बुरा कहना पड़ेगा ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

मान्यवर, जब एक चीज सदन के सामने आ चुकी है अगर उस चीज का इस तरीके से जवाब नहीं दिया जायेगा तो सदन के सामने सफाई कैसे होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार एक डी० वी० के बारे में भी हुआ । उस समय गोविन्द चन्द जी डी०वी० थे । वे एक कुशल और योग्य व्यक्ति थे तथा ट्रेन्ड डी० आई० जी० थे किन्तु उनको बैठा दिया गया । आखिर क्यों बैठा दिया ? उनमें क्या बुराई थी, उन्होंने क्या बुरा किया था ? क्या उनमें दोष आपने पाये थे जो कि आपने उन्हें बैठा दिया ? मान्यवर, मैं डी० वी० की पोस्ट को एक आई० जी० के बराबर समझता हूं । क्या उनमें डी० वी० की योग्यता नहीं थी ? यदि उनमें कोई दोष था और वे योग्य नहीं थे तो उनकी जो चरित्र पंजिका

थी उसमें कोई दोष था, तो यह दूसरी बात है। इसलिये इतने जूनियर आफिसर को इतने बड़े पद पर बैठा देना क्या हम नहीं समझते कि जैसे आप चाहें वैसी रिपोर्ट लिखायें और वह अहसान मानें आपका। हम अगर किसी आदमी को लेकर बैठा दें जिसकी तारीफ आप खुद कर रहे तो वह भी मुनासिब नहीं है। जो उनकी कही ही बात है वही मान्य होनी चाहिये, उसके विरुद्ध जो कुछ है वह अनर्गल है, गलत है, इस दृष्टिकोण का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

भगवन्त सिंह साहब को क्यों हटा दिया ? पहले तो यह तो देखिये कि किस तरह से वह रखे गये। दो को बैठा दिया। राम सहाय साहब मौजूद थे। तत्काल आपने हटाया। वह गुप्ता जी के जमाने में मौजूद थे, उनको इलाहाबाद से बुलाया गया था इस काम को करने के लिए। आपने उनको हटा दिया और भगवन्त सिंह को ले आये कि खेती का उनको ज्ञान है। मान्यवर, आई० ए० एस०, आई० सी० एस० को माना जाता है, चाहे पद्धति कितनी खराब हो, कि हर चीज का उनको ज्ञान है। किसी आई० सी० एस० को इंजीनियरिंग का कितना ज्ञान होता है ? पर सेक्रेटरी इरिगेशन बनाया जाता है। आई० सी० एस०, आई० ए० एस० को पी० डब्लू० डी० का क्या ज्ञान होता है ? कौन वे शिक्षा के विशारद होते हैं ? हैड आफ दि डिपार्टमेंट की एक परम्परा चली आती है। यह माना जाता है कि जिस पोस्ट पर उनको बैठा दिया जाय वह उसका काम कर लेंगे। आपने उनको हटा दिया। मैं समझता हूं कि भगवन्तसिंह जी बहुत योग्य हैं, उनकी योग्यता का कायल हूं और ऐसे सभी आफिसर्स का कायल हूं जो यहां काम करते हैं। लेकिन एक ढंग होता है, उनको क्यों लाया गया ? क्या मोटिव था ? मैं अधिक कहना नहीं चाहता। कुछ कांड किया उन्होंने। वे बातें अखबार की बातें कही जाती हैं, अखबारों में बातें निकलीं, उनका जवाब भी निकला। उसके चक्कर में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन यह ढंग अनुचित रहा है। क्यों किया गया, यह मैंने आपसे निवेदन दिया।

अब एक सवाल उठता है, मान्यवर, जे० एन० तिवारी का। अब मैं किस्से में जाऊंगा नहीं। लेकिन चूंकि उन्होंने नाम लिया है इसलिये मैं कहता हूं। इनकी इंक्वायरी हुई। कहा यह गया कि तुम उस इंक्वायरी की रिपोर्ट यहां रख दो। आखिर चौधरी चरण सिंह साहब कई बार मुख्य मंत्री रह चुके ह, वह बतावें कि इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट कभी हाउस में रखी गयी है ? कभी रखी है उन्होंने ? कुछ इसका प्रमाण है कोई ? एक इन्वेस्टीगेशन है, उसकी रिपोर्ट है। फिर कहते हैं कि ला डिपार्टमेंट से राय क्यों ली ? ये सरकारी अधिकारी हैं, रिपोर्ट आयी, उसमें उनके खिलाफ कहा गया कि इनपर मुकदमा चलाओ तो ला डिपार्टमेंट से राय नहीं लेंगे कि यह मामला है, मुकदमा चलायें या न चलायें तो क्या किसी पटवारी से राय लेने जायेंगे ? ला डिपार्टमेंट से राय ली। उनकी राय के ऊपर कि इनका साक्ष्य ही नहीं है, बहुत डाउटफुल है यह रिपोर्ट, तो चीफ सेक्रेटरी से राय ली। उनकी लम्बी रिपोर्ट है जो मौजूद है। उससे भी संतोष नहीं हुआ तो हमने राय ली ऐडवोकेट जनरल से। उनकी राय फाइल पर मौजूद है। फिर सरकार ने लिख कर भेजा कि पुनः विचार कीजिये। मैं समझता हूं कि कार्यवाही जो हुई है वह सही नहीं है, न साक्ष्य है, न कुछ है। एक आदमी के खिलाफ रिपोट आई, उसकी जांच हुई। कानूनी दृष्टि से जांच हुई और यह कहा गया कि न साक्ष्य है और इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या कर सकते थे हम ? तो इस तरह के सवाल इन अधिकारियों के संबंध में हाउस में उठाना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन मजबूर होकर हमको बोलना पड़ा।

मान्यवर, अब मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं। समय बहुत थोड़ा रह गया। मैं समझता हूं कि १० ही मिनट मुझे बोलना है। बस दो-तीन बातें मैं कहना चाहता हूं,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कोई व्यक्तिगत आक्षेप किसी तरह करता नहीं हूं और न करने की कभी प्रवृत्ति रही है और स्वभाव भी नहीं रहा है । उन्होंने कहा, मान्यवर, कि २–२ कलेक्टर एक-एक जगह पहुंचें ।

मानवर ऐसा हुआ है और मैं समझता हूं कि उसमें और सचिवालय की भूल थी, हमारी भी भूल रही होगी । परन्तु अलीगढ़ में रायट हुआ, उसमें मैं एक उदाहरण दे रहा हूं । २,३,४,५ तारीख को वहां रायट हुआ । उस समय चीफ मिस्टिर भाई त्रिभुवन नारायण सिंह थे, उन्होंने वहां के कलेक्टर और एस०पी० को सस्पेंड किया । चूंकि गृह मंत्री मुजफ्फरनगर में थे, उन्होंने गृहमंत्रालय की राय से उन्होंने एक साहब, श्री के०डी० शर्मा को जो इलाहाबाद में पी०ए०सी० में थे, उनको २४ घंटे में चार्ज लेने का आर्डर दिया । के०डी० शर्मा अलीगढ़ पहुंच गये और उधर वीरेंद्र वर्मा भी अलीगढ़ आ गये और उन्होंने कहा कि के०डी० शर्मा चार्ज नहीं लेंगे । जब कहा गया कि चीफ मिनिस्टर का आर्डर है तो उन्होंने फोन पर उनसे बातें कीं और कहा कि के०डी० शर्मा को चार्ज नहीं लेने देंगे, इसको तुरन्त वापस कीजिये । रायट हो रहा है और इस प्रकार की बातें हो रही है । वह अलीगढ़ से वापस भेज दिया जाता है और उसके स्थान पर अलीगढ़ से एक कोई जैदी साहब हैं जो मुजफ्फरनगर में एस०पी० थे, उनको रखा गया । प्रशासन की इन कमजोरियों को कहां तक बताया जाय ।

अभी यह कहा गया कि बाहरी इंटरफियेंस बहुत होता है । मेरे पास प्रमाण तो बहुत हैं लेकिन उनमें से केवल एक प्रमाण दूंगा । सब इन्स्पेक्टर बी०ए स०राना, का स्थानान्तरण जून, १९६९ में एटा से इटावा प्रशासनिक कारणों से किया गया था । इटावा में पुलिस अधीक्षक के पास स्थानीय विधायकों तथा ब्लाक प्रमुख से इनके विरुद्ध रुपया ऐंठने, लोगों को परेशान करने तथा निर्दोष व्यक्तियों को पीटने की शिकायत प्राप्त हुई । अक्टूबर नवम्बर, १९६९ में इस सब इंसपेक्टर द्वारा ग्राम याकूबपुर, थाना बेला, जिला इटावा में एक जुए के अड्डे पर छापा मारा गया । पुलिस अधीक्षक के पास इस सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध पुनः इस मामले में कुछ निर्दोष व्यक्तियों को थाने पर लाने, उन्हें अनियमित रूप से हवालात में बन्द रखने तथा घूंस लेकर छोड़ देने की शिकायत प्राप्त हुई । श्री उदय प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख ने इस संबंध में लिखित शिकायत की । पुलिस अधीक्षक ने सर्किल आफीसर द्वारा चांज के आदेश दिये । इस जांच के परिणामस्वरूप सब इंसपेक्टर के विरुद्ध यह सभी आरोप प्रथम दृष्टा सत्यापित हुए । अतः पुलिस अधीक्षक ने इस सबइंसपेक्टर को 'प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट' तथा भारतीय दंड विधान के अन्य प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कराया और नवम्बर. १९६९ में उसे निलम्बित कर दिया ।

विश्वास किया जाता है कि सबइंसपेक्टर, श्री रघुबीर सिंह शास्त्री, भूतपूर्व भारतीय क्रांति दल के संसद सदस्य तथा अन्य प्रमुख राजनैतिक नेताओं का संबंधी है । श्री शास्त्री ने श्री वीरेंद्र वर्मा को ३–१–७० को एक पत्र लिखा और इस पर वीरेंद्र वर्मा ने ४–१–७० को श्री भारतसिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा, को लिखा । कृपया इन पत्रों की फोटो स्टेट प्रतियां देखें जो स्वतः स्पष्ट हैं । चूंकि पुलिस अधीक्षक उपरोक्त दबाव में नहीं आये अतः उनको दंडित किया गया, अर्थात् २०–४–७० को रिकरूट ट्रेनिंग स्कूल, सीतापुर, में स्थानान्तरित किया गया तथा उपर्युक्त श्री रघुबीर सिंह शास्त्री के प्रार्थना-पत्र पर उनके विरुद्ध सतर्कता जांच के आदेश दिये गये ।

यह उस पत्र की कापी है जो शास्त्री जी ने वर्मा जी को लिखा है । उसमें वह लिखते हैं ।

"प्रिय बलराज सिंह आपके पास पहुंच रहे हैं । श्री ब्रह्मसिंह सब इन्सपेक्टर पुलिस ग्राम बावली के निवासी हैं और आजकल इटावा में हैं । उन्हें वहां कुछ परेशानी में डाल दिया गया है और यह सब राजनैतिक कारण से किया जा रहा है । कृपया आप वहां के

आपके दल के विधायक श्री भारत सिंह चौहान को कह दें कि वे इसकी यथेष्ट सहायता अवश्य करें । यदि वे सहायता कर देंगे तो इन्हें झंझट से छुटकारा मिल सकेगा । आशा है आप अवश्य कष्ट करेंगे । भारत सिंह चौहान को लिखा है।

'प्रिय बन्धु, हमारे दल के लोक सभा सदस्य श्री रघुबीर सिंह शास्त्री का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है । इस पत्र को भी संलग्न करके आपके पास भेज रहा हूं । पुलिस सब-इंस्पेक्टर श्री ब्रह्म सिंह राणा अपने आदमी हैं । यह आप से मिल कर सब अपनी दिक्कतें बतायेंगे । आप इनसे जानकारी के पश्चात यथासंभव सहायता करने का प्रयास करें । आशा है कि आप सकुशल होंगे ।"

मान्यवर, इस तरह के कितने उदाहरण दूं ? यह हस्तक्षेप नहीं है तो और क्या । कहा जाता कि यह चीज आज हो रही है । यह परम्परा किसने कायम की ? तीन-चार वर्षों से पहले तो यह चीज इतनी नहीं होती थी । इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा प्रेशर होता है । सबसे पहले हमारे विधायक, संसद सदस्य, हमारे और साथी, हमारे मिनिस्टर इन सब का प्रेशर पड़ता है । हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कितना प्रेशर पाया है ? इन्होंने हमको तो कह रहे हैं । और यह परम्परा कब से है ? लोग अपने यहां से टेलीफोन कर दिया करते थे, हमको भी और आपको भी मालूम है, कृष्णानन्द जी यहां बैठे हैं उनको भी मालूम है और यहां लोगों का बोरिया-बिस्तरा बंध जाता था ।

अभी मैं देख रहा था कि एक कोई फिल्म यहां आयी । उसके लिये ८ एम०एल० एज० ने दस्तखत करके दिया कि इसका इंटरटेनमेंट टैक्स माफ हो जाय । लोग यह सोचते हैं कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट को उल्लंघन नहीं करना चाहिये । ठीक है, बड़ी अच्छी बात है । पहले से तीन आदमियों की कमेटी बनी हुई है, जिसमें वित्त सचिव हैं, गृह सचिव हैं और नियोजन के सचिव हैं, जो यह देख कर सिफारिश करती है कि इन्टरटेनमेंट टैक्स से मुक्त किया जाय या नहीं । इन्होंने देखा और देख कर लिखा कि यह एक ऐवरेज फिल्म है, डायलाग वगैरह अच्छे हैं लेकिन एग्जेम्शन के लायक नहीं है । अब पब्लिक इंटरेस्ट देखिये । कुछ तो सरकार को इंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में मिलता है । फिर भी उस पर हुक्म हुआ कि नहीं, ७५ परसेंट छोड़ दिया जाय क्योंकि ८ एम०एल० एज० सिफारिश करते हैं ।

मैं समझता हूं कि २ ही मिनट हमारे पास हैं । एक बात और कहना चाहता हूं । मुझे समय बहुत कम मिला । ढाई-तीन घंटे की बहस के बाद बहुत थोड़ा समय दिया, प्रेशर तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति में चीफ मिनिस्टर प्रेशर डाले यह कहीं नहीं हुआ । यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, चिट्ठी मौजूद है हमारे पास जब चीफ जस्टिस को यह लिखा गया कि आप कृपा करके इस आदमी के नाम पर विचार करें । (चिट्ठी पढ़िये" की आवाजें) चिट्ठी मत पढ़ाइये, मैं कह रहा हूं, देख लीजियेगा

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)––

कौन मुख्य मंत्री थे वह और चिट्ठी की तारीख बताने की कृपा करें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मान्यवर, क्या इजाजत है पढ़ने की ?

श्री अध्यक्ष––

मैं तो समझता हूं कि न पढ़िये तो अच्छा है ।

श्री गोविन्द सिंह---

मुख्य मंत्री कौन थे, उनका नाम और चिट्ठी की तारीख जरूर बताये ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

यह चिट्ठी जरूर पढ़ी जाय हमारा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे पास केवल दो मिनट हैं । इसके बाद अनुदान पर वोट होना है ।

श्री कल्याण सिंह---

जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर पत्र पढ़ चुके हैं तो यह जुडीशियरी में हस्तक्षेप है । इसलिये उस पत्र को पढ़ने दिया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह---

लिखने वाले मुख्य मंत्री का नाम और तारीख बतला दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

समय मेरे पास कम है । जो कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया है वही रहना चाहिये । मान्यवर, एक चीफ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा जिसमें यह लिखा कि जो सज्जन हाई कोर्ट की जजी के उम्मीदवार थे उनके ऊपर ख्याल किया जाय । उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि इसके लिये ये एलेजिबिल हैं तो पहले इनका नाम कंसीडर किया जाय ।

श्री कल्याण सिंह---

उसको यहां पर पढ़ दिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

क्या, श्रीमन्, मैं उस पत्र को यहां पर पढ़ सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष---

अगर उसको न पढ़ा जाय तो अच्छा है।

एक सदस्य---

यह बतला दिया जाय कि वह कौन चीफ मिनिस्टर थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वह थे चौधरी चरणसिंह । क्या यह हस्तक्षेप नहीं है ? यह प्रोसीजर के बिल-कुल विरुद्ध है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

प्रोसीजर क्या है ? जब जज की नियुक्ति होती है तो उसकी विधि क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस से मांगी जाती है । चीफ जस्टिस उसके नाम को रिकमेन्ड करके भेजता है । गवर्नमेंट उससे एग्री करती है तो उस नाम को गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजती है और वहां पर राष्ट्रपति से उसकी नियुक्ति हो जाती है । अगर गवर्नमेंट

उससे एग्री नहीं करती है तो दूसरा नाम प्रस्तावित करने के लिए कहा जाता है । चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि इसके बारे में कमेंट क्या हैं । यहां पर चीफ जस्टिस से कहा जाता है कि हम इसको चाहते हैं आप इनको कर दीजिये । इसके पहले कि वहां से नाम आये अपनी बात कहते हैं तो यह क्या प्रेशर नहीं है । कहा यह जाता है कि चीफ जस्टिस अगर उससे एग्री न करें तो अपनी तरफ से नाम मांग लेते हैं और अपने प्रस्तावित नाम के साथ आगे भेज देते हैं । यह प्रोसीजर की बात है।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)––

उस पत्र को यहां पर पूरा पढ़ दिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं यह निवेदन करूंगा कि जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव का बड़ा सेपरेशन हो गया परन्तु अकारण ही इस प्रकार से कहना क्या प्रेशर नहीं है ? यह उचित नहीं मालूम होता है ।

श्री कल्याण सिंह––

चीफ जस्टिस के लिये लिखा गया वह क्या किस तरह से लिखा गया यह हाउस में पढ़ा जाय । मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि मुख्य मंत्री जी उस पत्र को हाउस में पढ़कर सुनायें । अगर वह हाउस में पढ़कर नहीं सुना रहे हैं तो क्या मैं यह मानूं कि उनके पास वह पत्र नहीं है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

वह मिल गया । मैं पढ़े देता हूं ।

वह पत्र इस प्रकार है––

"However, for filling the resultant vacancy of Additional Judge, I have been thinking of our Government Advocate, Sri Rishi Ram, who is also to day functioning as our Chief Standing Counsel, who I feel, would be a good choice, if he is eligible for appointment. I shall be grateful if you will kindly consider Sri Rishi Ram's case and favour me with your views and recommendations."

श्री अध्यक्ष––

अब मैं राय ले लूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं श्रीमन्, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । आज बहुत आखिर में उन्होंने जिक्र किया, चौधरी साहब ने डिफेक्शन की व्याख्या की । जो डिफेक्शन का यहां इतिहास बना है वह सारा प्रदेश जानता है । मुझे उनके विषय में एक ही घटना याद है और वह मुझे भूलती नहीं है कि १९ नवम्बर, १९६९ को दिल्ली के एरोड्रोम पर चौधरी साहब प्लेन से पहुंचे थे और मैं उसी से वापस यहां आने वाला था, वहां पर ही उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बड़े निकम्मे हो, इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी से आप और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी । मैंने कहा कि क्या गलती हो गई आप बतायें हम आप का साथ देंगे । उन्होंने उस वक्त साफ कहा कि निश्चय ही हम इंदिरा जी का साथ देंगे, २० को वह यह एलान करते हैं और जब ९–१० फरवरी आती है तो वह गुप्ता जी के साथ हो गये और फिर दो दिन बाद ही १२ फरवरी को वह हमारे साथ हो गये । क्या यह डिफेक्शन नहीं है ? आखिर पोलिटिकल इन्टीग्रिटी भी एक चीज है और राजनैतिक जीवन में उसका रहना बहुत आवश्यक होता है । हम यहां से निकाल दिये जायं अलग

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कर दिये जायं, हार जायं या ढकेल दिये जायं लेकिन बने रहने के लिये भी एक राजनैतिक सिद्धांत होता है केवल इतना ही नहीं होता कि हम खड़े हैं और जो भी चीफ मिनिस्ट्री का वादा कर दे उसी के साथ हो जायं, जो उन की कीमत दे दे उसके वह साथ हो जायं ।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि इन व्यक्तिगत आरोपों की परम्परा को बन्द करना चाहिये । यहां पर सच्चाई जरूर खोली जाय लेकिन सच्चाई वही होती है जिसके प्रमाण भी हों । अखबारों की बात का जहां तक संबंध है तो वह तो चौधरी साहब के खिलाफ भी न मालूम कितने अखबारों में क्या-क्या निकला । मेरे पास उस की नकल है वह मैं भी पढ़ सकता हूं लेकिन वह एक गन्दी परम्परा को आगे बढ़ाना ही होगा । उससे हमें बचना चाहिये जो परम्परा बिगड़ी है उससे हमें हटकर एक उच्च स्तर पर रहना होगा । प्रशासन स्वच्छ हो वह केवल इस तरह के आक्रमण करने से, दोष निकालने से नहीं होगा इतने दिन तक जब सरकार चलती रही तो वह पहले दूध की धोई थी लेकिन इन तीन महीनों में सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सारा काम नष्ट हो गया । अब तक की सरकार जो उनके द्वारा संचालित होती रहीं वे पवित्र गंगा में धोई हुई थीं और अब सारा भ्रष्टाचार और निकम्मापन उस में आ गया और जैसा दोहा राजेंद्र जी ने लूट मार का पढ़ दिया । इस सब से काम नहीं चलेगा और न उससे कोई सार्वजनिक हित ही हम कर सकेंगे । अतः मैं हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि किसी को कोई प्रशासन की त्रुटि मालूम हो तो आक्षेप तभी किया जाय जब उस के विषय में कोई लिखित प्रमाण भी हो । वर्ना इस तरह से तो आप चाहें तो मैं किसी के भी विरुद्ध चाहे जितने पत्र लिखवा दूं, जिस के पास कहिये उस के पास और वही सबूत हो जाय तो वह काफी नहीं होता । अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन अनुदान संख्या १०,११ और १५ पर अपनी स्वीकृति दे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०६,२१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय---

मान्यवर, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है । ये लोग इतनी जोर से "हां" "हां" चिल्ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११---आयुक्त और जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११——आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,४५,४४,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५——पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५——पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,९७,८९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६——खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३——राज्य व्यापार की योजनायें

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)——

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल की सिफारिशों से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६——खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९९,४२,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३——राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,८८,५९,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो सदन की राय जानने के लिए सभी दलों के विधायकों की डिवीजनवाइज एक मीटिंग बुलायी थी जिसमें लगभग २०० से अधिक विधायकगण सम्मिलित हुये थे, उसमें उन की राय सुनने को मिली । हमने प्रयत्न किया था कि उनकी राय पहले से जान लें क्योंकि हम जानते थे कि इस विषय पर विवाद के लिए केवल २ घंटे का समय रखा गया था और इस थोड़े से समय में मेरे तमाम साथी अपनी-अपनी राय न दे सकेंगे और हमारी सहायता के लिए उनके सुझाव न आ सकेंगे । इस लिए पहले से डिवीजनवाइज मीटिंग में सब लोगों की राय देखी गयी । उनमें से बहुत से माननीय सदस्यों ने शिरकत की और कुछ लोग संभवतः भूल गये लेकिन तारीखें मुकर्रर की गयीं भी फिर भी २०० से अधिक माननीय सदस्यों की राय आयी ।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

अब मैं श्रीमन् आपके द्वारा सदन के अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इजाजत दें तो इस विषय में सरकार की ओर से जो विचार हैं, उन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं या अगर वे दो घंटे के समय को स्वयं इस्तेमाल करना चाहते हों तो वे लोग भाषण दें और बाद में हम उनका जवाब दे देंगे। हम लोगों ने आपस में तबादले-ख्यालात कर दिया है। अगर उनका हुक्म होगा तो ६ बजे बजट भाषण हम देंगे अन्यथा अगर वे बोलना चाहें तो बोलें और अन्त में जो बातें भेजी गयीं होगी या जो साथी नहीं आ पाये होंगे उनकी रायों के बारे में हम अपनी राय देंगे और सरकार ने क्या क्या किया इस विषय में हम उनको अवगत करा देंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ५३ के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, जैसा कि रसद मन्त्री जी ने प्रारम्भ में ही कहा कि उन्होंने भिन्न-भिन्न अवसरों पर सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया और उनकी ओर से एक संक्षिप्त वक्तव्य भी है जो सब में वितरित किया गया है। मान्यवर, मैंने उसको पढ़ा और पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश के विभिन्न जिलों की खाद्य स्थिति तथा रसद विभाग से नियन्त्रित तमाम विभागों के कार्य-कलापो को देखने का अवसर मिला। मान्यवर, ऐसा लगता है कि इस विभाग की अपनी कोई पालिसी नहीं है, इनका अपना कोई ठोस आधार नहीं है, इन की कोई निश्चित नीति नहीं है कि कैसे यह चलाये और उसका कारण यह है कि जो दल श्रीमन्, आज शासन में है, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि न तो उनके चुनाव घोषणा-पत्र में और न ही उनके किसी प्रस्ताव में उनकी दाम-नीति क्या हो, उनकी खाद्य नीति क्या हो, इन पर उनका कोई दृष्टि-कोण नहीं है। जब भी खाद्यान्न की कमी हुई तो बाहर से मांगने का निश्चय किया।

जब भी किसी वस्तु के वितरण में दिक्कत हुई तो कन्ट्रोल स्थापित किया, नियंत्रण नहीं रक्खा। कारखाने वालों ने जब भी मांग की तो उस वस्तु का दाम बढ़ा दिया। जब फुरसत मिली तो कुछ पैसे घटा दिये गए। हमेशा इस तरह की नीति रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को खासतौर से आज के माहौल में, जब एक जैसी दाम-नीति रखना चाहते हैं। अभी मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है लिखित उसमें यह कहा गया है कि आजकल जो गल्ले की खरीद हो रही है वह प्राइस कन्ट्रोल पालिसी के तहत की जा रही है। श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर प्राइस क्या हो, आप की क्या नीति है किसी वस्तु की जो कि खेत से पैदा होने वाली चीज है या कारखाने से, उसका दाम कितना होना चाहिये। इस पर सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्रीमन्, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि इस तरह की नीति का निर्धारण किसी भी सरकार के या किसी भी प्रशासन के सुचारुरूप से चलाने के लिए आवश्यक है और मैं समझता हूं कि हमारा दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इस राय की है कि हमारी दाम-नीति, चाहे वह खेत से पैदा होने वाली वस्तु हो, चाहे कारखाने से पैदा होने वाली वस्त हो, उस में टैक्स वगैरह मिलाकर लागत से डेढ़ गुने से अधिक उस वस्तु का दाम नहीं होना चाहिये। उसके साथ ही हमारी दूसरी मंशा यह है कि जब वस्तु पैदा होती है तो उसके कम दाम में और चढ़ावे के दाम में १६ परसेंट से अधिक फर्क नहीं होना चाहिये। लेकिन स्थिति क्या है। जैसे खाद्यान्नों का मामला है। किसान के घर में जब तक खाद्यान्न है तब तक वह सस्ते रेट पर बिकती है और जब-जब बाजार में व्यापारियों के गोदामों में पहुंच जाती है तो दुगनी और ढाई गुनी तक कीमत हो जाती है और हल्ला होता है तो सरकार राशन की दुकानें खुलवाकर इन्तजाम करती है, लेकिन कोई आधार

भूत इलाज नहीं कर पाती। वह इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इनकी कोई प्राइस पालिसी नहीं है। सरकार को हमेशा एक दामनीति निर्धारित करनी चाहिये।

श्रीमन्, आज खेत में पैदा होने वाली चीजों और कारखाने में बनने वाली चीजों के दामों में कोई सन्तुलन नहीं है। उदाहरण के लिए देहात का किसान जिस लोहे की छड़ों से मकान बनाता है, पिछले साल इन्हीं दिनों उनका दाम ९० रु० प्रति क्विंटल था जब कि आज उसका दाम १७० और १७२ रु० प्रति क्विंटल है। करीब-करीब दुगना हो गया है। लेकिन जो खेत में पैदा होने वाली चीज है उसका क्या हाल है? गेहूं की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। आज गेहूं ४०-४५ रु० क्विंटल पर भी खुले बाजार में बिकता है। मैं आपके इरादों पर शक नहीं करता। आप चाहते हैं कि किसान को दाम मिले। लेकिन आपके चाहते हुए भी किसान को वह दाम नहीं मिल पाता। तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी ही है। आप उससे बच नहीं सकते। प्राइस सपोर्ट के लिए आज खरीद है। आप ने खरीदारी शुरू की और स्टेट ट्रेडिंग का जो नारा लगता रहा उसकी तहत में प्रारम्भ की और एजेन्सी भारत सरकार की, एफ० सी० आई०, उसके माध्यम से शुरू की और जगह-जगह एजेन्ट मुकर्रर किये। नतीजा यह निकला, समाचार-पत्रों में भी बराबर छपता रहा, माननीय सदस्यों ने भी कहा, माननीय मन्त्री जी को भी जानकारी होगी कि एफ० सी० आई० के लोग या उनके एजेन्ट, खासतौर से प्राइवेट व्यापारी किसान से लेते हैं ५०-६० रु० में और सरकार को बेचते हैं ७३-७४ और ७६ रु० में जो कि निर्धारित दाम है। इस तरह से बड़ी भयंकर लूट हो रही है।

श्रीमन्, एक ओर तो यह कहा गया कि जब तक यह स्थिति रहती है तब तक सरकार की ओर से गल्ले की खरीद जारी रहेगी लेकिन साथ ही यह भी कह दिया गया कि अगर गोदामों की कमी हुई, तो हमारे लिए मजबूरी हो जायेगी कि खरीद बन्द करनी पड़े। तो मैं समझता हूं कि सरकार समझती है कि वह असमर्थ है और आगे जाकर खरीद नहीं कर पायेगी। जब आपने तमाम योजनायें चलायीं तो उस के परिणाम को भी दृष्टि में रखना चाहिये था। जब खाद्यान्न के उत्पादन पर अधिक से अधिक जोर दिया गया और किसान ने कदम से कदम मिला कर उत्पादन बढ़ाना शुरू किया तो आपको इस बात को पहले से फिक्र करनी चाहिये थी कि खाद्यान्न किस मात्रा में बढ़ेंगे। यह भी देखना चाहिये था कि अगर खाद्यान्न का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो उसको कहां रखेंगे और उनकी हिफाजत कैसे होगी, मगर आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया, जो कि सरकारी एजेन्सी है, किसानों की एक प्रकार से शोषक हो गयी है। यह कहना असंगत न होगा कि हमारी प्रादेशीय सरकार का उस संस्था पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इस तरह के उदाहरण बाराबंकी जिले के फतेहपुर का है। कल २८ तारीख के स्वतन्त्र भारत में भी इसी तरह का समाचार प्रकाशित हुआ है। श्रीमन्, हमारे पास चिट्ठी भी मौजूद है जो कि इसी सम्बन्ध में है।

१९ जुलाई, १९७१ को श्री सुरेश चन्द्र वर्मा ने श्री माता प्रसाद व भारा मल, एजेन्ट्स खाद्य निगम के खिलाफ शिकायत की थी कि वे जो गल्ला खरीदते हैं उसको कम दिखाते हैं और मौक पर अधिक रहता है। वे किसानों से सस्ते दाम पर गल्ला खरीदते हैं और अपने दोस्तों या काल्पनिक नामों से ऊंचे दामों पर एफ० सी० आई० के नाम गल्ला बेचते हैं। जिलाधीश ने सप्लाई आफिसर को वह शिकायत सुपुर्द की। जांच में पाया गया कि स्टाक रजिस्टर में ७०० क्विंटल गल्ला था जबकि उनके स्टाक किये हुये गोदाम में ३,५०० क्विंटल गल्ला था, ५ गुने का फर्क था। इस गल्ले का वे क्या करते? इस गल्ले को वे अपने दोस्तों के नाम से

[श्री रामधारी शास्त्री]

और रिश्तेदारों के नाम से एफ० सी० आई० को ऊंचे दाम पर बेचते। इसके अलावा और क्या वजह थी इतने अधिक गल्ले को गोदाम में रखने की ? किसानों ने बताया था कि हमसे ५ दिनों से मोल-भाव हो रहा है। एजेन्टों ने कहा कि अगर ५० व ६० रु० प्रति क्विंटल दोगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जायेगा। सप्लाई आफिसर ने यह केस पकड़ा और बयानहल्फी दाखिल हुये। उस के नाम से लाइसेंस रद्द कर दिया गया मगर दूसरे नाम से लाइसेन्स दे दिया गया। तो लाइसेन्स उस के रिश्तेदार को मिल गया और उसके अलावा कोई और सजा नहीं दी गयी। न तो सप्लाई आफिसर ने ही उस पर गौर किया और न ही जिलाधीश ने कोई तवज्जह दी।

पश्चिमी जिलों व तराई की मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। वहां पर मण्डी समितियां हैं मगर गल्ला खरीदने की एजेन्सी सरकारी है। मण्डी समितियों का दखल खत्म हो गया है और वे मनमानी करते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे ही खरीद करते हैं। किसानों की लूट हो रही है क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण भारतीय खाद्य निगम पर नहीं है।

इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन प्रदेशीय सरकार से है कि वह गल्ले की खरीद सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कराये, सरकारी एजेन्सी के माध्यम से गल्ले की खरीद नहीं होनी चाहिये। यह हमारी सूचना है और यह सूचना मन्त्री जी को भी मीटिंग में दी गयी थी कि एफ० सी० आई० कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट व्यापारी उनके एजेन्ट्स हों। वे कभी भी किसी सहकारी संस्था को एजेंसी नहीं देना चाहते हैं। गल्ले की खरीद करने में उनके एजेन्ट्स बड़ी परेशान करते हैं। अगर प्रदेशीय सरकार किसानों का हित करना चाहती है तो उसको एफ० सी० आई० से निजात दिलानी चाहिये और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से या और दूसरी संस्थाओं से जो उपयोगी हों, गल्ले की खरीद करानी चाहिये। गल्ले की खरीद बड़े पैमाने पर जारी रहे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इस बात का बड़ा जिक्र किया गया कि इस पर नियंत्रण हो रहा है। माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि मैं जांच करा रहा हूं लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी जांच के प्रयास विफल रहे हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कुछ दिन पहले हर जिले में खाद्य सलाहकार समितियां थीं। उनको निरर्थक समझकर खत्म कर दिया गया है उनको पुनर्जीवित करना चाहिये और उनको अधिकार दिया जाय कि वह जिला अधिकारियों को राय दे सकें और होने वाले भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रख सकें।

श्रीमन्, दूसरी बात इंटों की मंहगाई के सम्बन्ध में है। मकान बनाने के लिए चाहे सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों, इंटों की सभी को आवश्यकता पड़ती है। किसानों के नाम पर हर आदमी चुनाव में वोट मांगता है। आज देहात में चले जाइये ८० रुपये से १०० रुपये हजार ईंट बिक रही है। इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसके कारण बहुत से मकान बनने से रुके हुये हैं और यही हालत रही तो कुछ दिनों में सड़कों का काम भी रुक जायेगा। इसलिए सरकार को इटों पर नियंत्रण करना चाहिये या इसके बारे में उचित व्यवस्था करना चाहिये ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो मकान बनाना चाहता है या कोई दूसरा काम करना चाहता है उसे उचित मूल्य पर इंटें मिल सकें। इसी के साथ इस बात का भी सवाल उठता है कि भट्टे वालों को उचित मूल्य [और समय पर कोयला मिल सके। यह बड़ा भारी सवाल है।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि कोयले की कोई कमी नहीं है यह सही है लेकिन क्या वजह है कि पिछले साल तीन गुने दाम पर कोयला बिका। इसके लिए पूर्ति विभाग जिम्मेदार है। इसका वितरण ठीक नहीं है इस कारण कोयला महंगा होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए सबसे अधिक दोष वैगन एलाटमेंट का है। मन्त्री जी ने अपने

स्टेटमेंट में कहा है कि आन्ध्रा, हरियाना और पंजाब को हम से ज्यादा वैगन मिले हैं। आपने कहा कि इस साल ३७४ रेक मिली और ५६१७ फोर व्हील्ड मिले लेकिन पिछले साल इसी समय में १,०१८ रेक मिली और २६,१८३ फोर व्हील वैगन्स उपलब्ध किये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि १०१८ रेक मिली तो इस वर्ष इतनी कम क्यों मिली हैं। हमारी ओर से वहां डायरेक्टर मूवमेंट्स हैं उन्होंने इस के लिए क्या किया ? क्यों यह गड़बड़ी हुई ? इस बयान में कहा गया है कि दूसरे सूबों को ज्यादा वैगन्स मिले हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके लिए अधिक प्रयास नहीं किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश का पूर्ति विभाग जागरूक रहता और अधिकारी इस ओर ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। वैगन्स इतने कम उत्तर प्रदेश को नहीं मिलते भले ही कुछ कम मिलते। इसलिए मैं कहूंगा कि आप वहां पर कोई दूसरा अधिकारी रक्खें या उस से ही चैतन्यता से काम ले सकें तो कल्याण होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब आप इस पर विचार करें तो पूर्वी जिलों के बारे में भी ध्यान दें। जितने बड़े-बड़े लोहे या सीमेंट के कारखाने हैं वह बड़ी लाइन पर स्थित हैं और पूर्वी जिले अधिकतर छोटी लाइन पर स्थित हैं। इसलिए जो माल आता है उस को वाराणसी में मड़वाडीह में वैगन से उतारा जाता है और दोबारा लादा जाता है। इसलिए, श्रीमन् मैं चाहता हूं कि जब इसकी योजना बनायी जाय तो दोनों बातों को ध्यान रखा जाय और जो जिले छोटी लाइन पर हैं उनके लिए कोई पूर्व निर्धारित योजना बनायी जाय। जिससे एक साथ लोगों को कोयला मिल सकें। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि देवरिया जिले में, बल्कि सारे उत्तर प्रदेश में लाइसेन्सी नामजद करने में मनमानी होती है। हमारे यहां ४७ आदमियों को कोल एजेन्ट बनाया गया। वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है जो बहुत पुरानी है और जो तबसे काम कर रही है जबकि कन्ट्रोल था और उसका वितरण भी अच्छा था लेकिन उनको नामिनी नहीं बनाया। क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय और लेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

आधे घन्टे का था और अभी बस मिनट हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आधा घंटा आपने कब कहा।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह परम्परा रही है कि जो कटौती पेश करता है उसे आधे घंटा का समय मिलता है अगर आप पहले कहते तो मैं थोड़ी जल्दी करता। अब भी जल्दी करने की कोशिश करूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार का सरकुलर है कि सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय तो क्या वजह है कि देवरिया में जबकि वहां दो-तीन सहकारी संस्थाएं हैं उनको मौका नहीं दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिये। उनका पुराना रिकार्ड जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत अच्छा है। उन्होंने प्राइवेट डीलर्स से अच्छा काम किया है और तब किया जब कन्ट्रोल था। यही स्थिति गोरखपुर की है और तमाम उत्तर प्रदेश की है। सरकारी संस्थाएं अफसरान और सम्बन्धित अधिकारियों की खुशामद नहीं कर पातीं और अगर मैं कहूं माकूल पैरवी नहीं कर पाती जो कि प्राइवेट डीलर्स कर लेते हैं।

[श्री रामकरी शास्त्री]

मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आशय के आदेश निकलने चाहिये कि सहकारी संस्थाओं को जिन्हें एक्सपीरियंस है प्रायरिटी मिले। श्रीमन्, आज की सब से बड़ी जरूरत हो गयी है किरोसिन आयल की। सरकार की ओर से एक लीटर तेल का भाव ६० पैसे है। ६८ पैसे मिलना चाहिये। ७० पैसे मिल जाय कोई हर्ज नहीं। ७५ पैसे मिल जाय कोई हर्ज नहीं। तब भी भगवान का शुक्र मानते हैं। मगर डेढ़ रुपये बोतल, लीटर नहीं, बिक रहा है। श्रीमन्, सरकार की ओर से कहा गया है कि जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति-अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि गांव में तेल बेचने का जो भी लाइसेंस चाहे उस को दे दिया जाय। लेकिन लोग रोज दौड़ते हैं और उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता। कुछ ही चुने हुये लोग हैं जो अपने परिवार के दस आदमियों के नाम से पूरे जिले, पूरी तहसील का लाइसेंस ले लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी किरोसीन आयल का लाइसेंस चाहे और जैसी कि सरकार की मंशा है उसे मिलना चाहिये।

आपने कहा है कि तेल की कमी नहीं है और पाइप लाइन भी ठीक हो गई है तो किसान की जो लूट हो रही है वह समाप्त होनी चाहिये। यह तभी होगा जब आप अपनी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की कृपा करें। मान्यवर, एक बात चावल के बारे में कहनी है। चावल की खरीद प्रदेश की सरकार करेगी और उस ने किया भी था। उनके बयान से ऐसा लगता है देहात का किसान अगर टयूबवेल रखे हुये है तो मौजूदा कानून के तहत वह धान कूटने की मशीन नहीं लगा सकता।

बड़ा कड़ा प्रतिबन्ध है। इसका नतीजा यह है कि चावल में अनावश्यक महंगायी है बजार में। आपको चाहिये कि इस प्रतिबन्ध को खत्म करें। प्रदेश में अगर कोई पुरानी भी लगा लेता है तो उसका चालान हो जाता है। खरीदारी करना भी गुनाह है और उसको फाउन्डेशन लगाना भी गुनाह है। तो इसके जो नियम है आप उसको भी कृपया सरल करें।

श्रीमन्, यह महकमा मकानों का एलाटमेंट का कार्य भी करता है। शहरों में जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं जिन्होंने किसी तरह से एक छोटा मकान बना लिया है, उसको अगर १०-२० वर्ष पूर्व किसी को किराये पर दे दिया तो वह वही पुराना किराया जो १०-१२ रुपया होता है दिये रहता है। ४-४ कमरों का मकान है, किराया १५ रुपये है। किन्तु जो नये मकान बन रहे हैं, वह दो-दो और ढाई ढाई सौ रुपये पर उठते हैं। मैं समझता हूं कि उन पुराने मकानों का किराया भी उसी हिसाब से यानी मार्केट रेट से बढ़ना चाहिये, उसके लिये आप चाहे कोई सा रास्ता निकालें या जो पालिसी उचित समझें बनायें। आजकल मकान मिलने में भी बड़ी कठिनाई होती है। काफी पगड़ी आदि देनी पड़ती है, तब जाकर कहीं मकान मिल पाता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये और कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहिये जिससे मकान आसानी से जरूरत मन्द को मिल सकें और उसे पगड़ी आदि न देना पड़े।

जहां तक गोदामों का प्रश्न है, सरकार को गोदाम बनाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। सरकार की जो पालिसी इस संबंध में है, उसके कारण आज तमाम गल्ला सड़ जाता है। आज सरकार गल्ला खरीद रही है, चावल की भी खरीदारी करेगी। आज आपके आधे से ज्यादा गोदाम ऐसे हैं जहां गल्ला सड़ रहा है। उनकी उचित व्यवस्था नहीं है। आपका मंगाया हुआ माल भी हम देखते हैं कि स्टेशनों पर पड़ा सड़ा करता है। कोई उसको देखभाल नहीं होती। आप उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं कर पाते। इसलिये आप इस ओर भी ध्यान दें।

दामों के संबंध में अंत में यह ओर निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि सरकार की कोई दाम नीति अवश्य होना चाहिये। जब तक सरकार की कोई दाम-नीति निर्धारित नहीं होगी, सरकार बढ़ते हुये दामों को रोक नहीं पायेगी। कभी दाम घटेंगे, कभी बढ़ेंगे। इसलिये सरकार इस तरफ भी ध्यान दे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)––

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने अनुदान संख्या ५३ और अनुदान संख्या १६ के मातहत जो ग्रांट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, अभी इस सदन के सम्मुख माननीय शास्त्री जी ने इन अनुदानों के सम्बन्ध में कट मोशन मूव कर दिया । मान्यवर, वे इस सदन के एक विद्वान सदस्यों में से हैं और विरोधी दल के नेता ने भी उनको ऐसा ही समझा और इसके पहले वे पुरानी सरकार में राज्य मंत्री जैसे पद को सुशोभित कर चुके हैं । मैं आशा करता था कि शायद वे कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे खाद्य नीति में कोई सुधार हो सकेगा । बजाय इसके उन्होंने अपना यह कटमोशन मूव कर दिया कि इन अनुदानों की राशि को (इस समय ३ बजकर ११ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) । घटा कर एक रुपया कर दिया जाय । अगर उनकी बात को सरकार या माननीय मंत्री जी मान लें तो आप विद्वान हैं, शास्त्री भी उनके नाम में लगा हुआ है, इतना बड़ा राज्य व्यापार जो यहां से लेकर डी०एफ० ओ० तक सारे सूबे में फैला हुआ है, कैसे अपना कार्य चला सकेगा, मेरी समझ में नहीं आया । या तो वे एक रुपये के स्थान पर करोड़ों, अरबों रुपया कर देने का प्रस्ताव रखते तब तो कहा जा सकता था कि शासन सही माने में सुचारु रूप से चल पायेगा लेकिन मालूम होता है कि यह कटमोशन उन्होंने औपचारिकता के ख्याल से ही किया है ।

जहां तक राज्य व्यापार के अन्तर्गत सरकार ने गेहूं की खरीद की है, उसके लिये मैं प्रदेश के किसानों की ओर से और जनता की ओर से सरकार का बड़ा ही शुक्रगुजार हूं । वैसे इस वर्ष इतनी बड़ी पैदावार हुई है कि उसको ठीक प्रकार से और उचित मूल्य पर खरीद करने के लिये एफ० सी० आई० के द्वारा सरकार ने व्यवस्था की और सारे प्रदेश में लाखों सेंटरों के द्वारा यह खरीद हुई है । अगर इस सरकार द्वारा यह व्यवस्था न हुई होती तो गांव के किसानों से बीच के लोग गेहूं की पैदावार को ३०-४० रुपये क्विंटल तक खरीदते लेकिन चूंकि सरकार ने गेहूं का रेट ७६ रुपये क्विंटल तय कर दिया था इसलिये सारे केन्द्र और सारे कर्मचारी उचित मूल्य पर किसानों का गेहूं लेने के लिये विवश हो गये । इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव भी आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि सरकार किसानों के लिये उचित मूल्य दिलाना चाहती है लेकिन बीच के जो आदमी हैं, जो शासक वर्ग के हैं, कानून तो यह सदन बनाता है लेकिन उसको लागू करने वाले तो एग्जीक्यूटिव के लोग ही हैं, अगर हमारे बनाये हुए कानून को वे सुचारुरूप से लागू न करें तो इसका कोई लाभ नहीं होगा ।

अब मैं गेहूं के सम्बन्ध में की जाने वाली खरीदारी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । गेहूं का रेट ७४–७६ रुपये क्विंटल तय किया गया है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सारी चीजें जो आज बाजार में बिक रही हैं उसकी कीमतों को देखते हुए कोई उचित नहीं है । ८० प्रतिशत किसानों की तादाद में अगर जमीन पर मजदूरी करने वाले खेतिहार मजदूरों को भी मिलालें तो काफी मात्रा में––ऐसे लोग हैं जो कृषक वर्ग पर आधारित रहते हैं । इस प्रकार से ९३–९४ प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जिनकी रोजी-रोटी और जीविका खेती पर निर्भर करती है, लेकिन और जिसने जरूरत के सामान हैं, जैसे साबुन है, शीशा है, कंघा है, ये सारी चीजें बाजार में ड्योढ़ी और दूनी कीमतों पर मिलती हैं । मैं आपका ध्यान सन् १९५२-५३ की तरफ दिलाना चाहता हूं जबकि आम रेट इस प्रदेश में ५०–५५ से लेकर ६० रुपये क्विंटन गेहूं का था और उसके बाद में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चेतराम गंगवार]

गेहूं का दाम अभी पिछले सन् १९६७ में आसमान पर १५० रुपये तक पहुंच गया था। तो उसे देखते हुए यह दाम वास्तव में बहुत कम हैं।

ज्यादा पैदावार का अर्थ यह नहीं है कि किसान की पैदावार को कोई भी सरकार कम कीमत पर खरीद ले। जहां प्रदेश में और चीजों की कीमतें दुगुनी हुई हैं, आबपाशी सिंचाई और बीजों आदि के दाम बढ़े हैं इन सबको देखते हुए यह जरूरी था कि गवर्नमेंट केन्द्रीय सरकार से यह मांग करती कि गेहूं का रेट १०० रुपये से कम नहीं होना चाहिए। भविष्य में भी खरीदारी होगी, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह केन्द्र सरकार से इसकी मांग करे और किसानों का हित सामने रखकर हर हालत में उन्हें वाजिब कीमत दिलाए।

इस खरीदारी में थोड़ा बहुतभ्रष्टाचार जरूर हुआ है। यह बिचौलिए और सीड स्टोर के सुपरवाइजर वगैरह जो इस कामके लिए मुकर्रर किए गय थे उन्होंने किसान का गल्ला ५०-६० रुपये में खरीदा है और कुछ दिन तक जब तक मंत्री जी ने आदेश नहीं दिये थे कि किसान जोत बही भी साथ लाएं, तब तक यह होता रहाकिबीच के आदमी फायदा उठाते रहे और जो उत्पादक है उसको कोई लाभ नहीं हुआ और सरकार को भी उतने ही दाम देने पड़े। क्योंकि सुपरवाइजर्स वगैरह ने तो सरकार से वही ७६ रूपये के दाम लिए और उसे उन्होंने किसानों से सस्ते से सस्ते भाव में खरीदा था। मैंने अपने क्षेत्र में स्वयं देखा है, किसानों को कोई रसीद नहीं दी गई न कोई भाव लिखित दिया गया और न वजन की कोई रसीद दी गई। बरेली के हाफिजगंज, भोजीपुरा और रामपुर के स्वार केन्द्रों पर बड़ी गड़बड़ी हुई है। वहां के सुपरवाइजर हरपाल सिंह ने कोई रसीद भी नहीं दी और भुगतान भी १५-१५ दिन तक नहीं किया। इस ज्यादती के विरोध में कोई उनके खिलाफ दरख्वास्त भी नहीं दे सका. क्योंकि इतने इतने रूपये डूब जाने का भय था। तो यह सब धांधली इसमें चली है।

मंत्री जी ने कहा कि अभी खरीदारी हो रही है, इसमें कुछ भ्रम है। सही जानकारी मेरी यह है कि सारे प्रदेश की बात तो नहीं जानता हूं, लेकिन रामपुर और बरेली के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, सारे सेन्टर्स पर खरीद बन्द हो गई है। सुपरवाइजर्स और जो एस० डी० आई० के मैनेजर हैं वे किसानों से कहते हैं कि हमारे पास गोदाम नहीं है, हमारेपास बोरियां नहीं हैं, रूपया नहीं है, हम खरीद नहीं सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी दुबारा आदेश दें कि किसानों का गल्ला उचित कीमतों पर खरीदा जाए। मैं इस खरीदारी के बारे में एक निवेदन और करूंगा जो इस सरकार का उद्देश्य था, उसको देखते हुए किसानों को जो मूल्य मिला, वह पूरा नहीं है। इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को पूरा मूल्य मिले बिचौलियों का खात्मा होकर उनकी लूट बंद हो और उपभोक्ताओं को समुचित कीमत पर सामान मिल सकें। ये उद्देश्य अधूरे रहे गये हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मंत्री जी स्वयं सेन्टर्स पर जा जा कर देखें कि वस्तु स्थिति क्या है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने उत्तर देते समय यह बतायें कि उन्होंने जब से कार्यभार संभाला है तब से कितने सेन्टर्स को देखा है, कितनों का प्रदेश भर में निरीक्षण किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? वह अफसरों पर ही क्यों निर्भर करते हैं।

अब मैं सस्ते गल्ले के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सस्ते गल्ले की दूकानों का जहां तक प्रश्न है चाहे गेहूं दें या चावल या कंज्युमर स्टोर्स हों, सब शहर में रखते हैं। गांवों में जहां एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूरी करता है वहां भी अपनी दुकानें स्थापित करें,जिससे मजदूरों को सस्ता गल्ला मिल सके। देहात का किसान एक, दो किलो किसान को देने के बजाय अपना गल्ला बाजार में बेचना ज्यादा पसन्द करता है। मैं स्वयं किसान हूं। वह मजदूर को एक, दो किलो देने के लिए अपना हाथ पैर नहीं उठाना चाहता जब तक वह सवाई ड्योढ़ी कीमत नहीं ले लेता है। आप थोड़ी सी दूकानें खोल कर संतुष्ट हो जायं कि हमने सारी व्यवस्था कर दी है आपको उस गरीब मजदूर की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमेशा से आपके साथ है, इस पार्लियामेंटरी

एलेक्शन में आपके साथ रहा, सारी पार्टियां बैठी रहीं, लाल, पीली टोपियां लगाये हुए । आपका साथ मजदूर ने दिया । इसलिए जो नारा दिया है वह वास्तविक होना चाहिए कि वास्तव में आप उसके रक्षक हैं । देहात में जो मजदूर हैं, उनको शहर की तरह कार्ड इश्यु किये जायं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । यह जो ऐसी चीजें हैं, साइकिल के ट्यूब्स हैं, ईंटें हैं, आप भट्ठे वालों को कोयला देते हैं कि सब भट्ठों को कोयला दें । कुछ परसेंटेज कंट्रोल आपने ईंटों का कर दिया है, कुछ भट्ठों को आपने छोड़ दिया है । एक जगह जहां आपका कंट्रोल है वहां जो आपका रेट है उस पर ईंट बिकती है । दूसरी जगह १०० रुपये ८० रुपये हजार में बिक रही है । गांव का आदमी भी मकान बनाता है । उसको भी ईंटों की जरूरत है । आप आदेश दें कि जिन भट्ठों को आप कोयला देते हैं वे देहात वालों को कंट्रोल रेट पर ईंटें दिया करें ।

आपकी एक योजना है आटा वितरण की । वास्तव में उसमें शुद्ध चीज का अभाव रहता है । आटा वाली योजना को बन्द कर दिया जाय । कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपना गेहूं अपने सामने जाकर या किसी को भेज कर न पिसवा सके । उसमें गेहूं के अलावा और चीजें मिला देते हैं ।

ऐसे ही बाट और माप के बारे में हैं । जो मीटरिक प्रणाली का आपने बन्दोबस्त किया है यह शहर तक सीमित है । देहात के बाजारों में पुराने सेर और छंटाक लिए बैठे हैं । नमक की बोरी में डाल देते हैं । वास्तव में इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं । पचास साल का बाट देहात में चल रहा है । उसमें भी, थोड़ा सा अपनी प्रणाली में सुधार करें ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो गृह व्यवस्था के लिए यू० पी० कंट्रोल रेंट एविक्शन ऐक्ट है वह केवल ऐसे आदमियों के लिए है जिनके पास मकान नहीं होते हैं उनको मकान दिलवाने की व्यवस्था करते हैं नगरों में । नगरों में दूसरी ओर ध्यान नहीं दिया गया है । कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजी कमाने के लिए अपनी वर्क शाप खोले हुए हैं । जहां आप रहने के मकान की व्यवस्था किये हुए हैं वहां अगर अपनी रोजी कमाने के लिए किसी ने शेड डाल लिया है और वर्कशाप बना ली है, उसकी तरफ भी ध्यान दें । जैसा आपने गृह स्वामियों को दिया है, उनको निकाल नहीं सकते उसी तरह से जो शेड डाले हुए हैं, बेकरी लगाये हुए हैं उस पर जगह-जगह झगड़े हो रहे हैं कि जगह खाली कर दो, उस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उनका कहना था कि किसान की लूट हो रही है । मैं यह कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा और वह भी यह जानते होंगे कि किसान की लूट उन दिनों हुई थी जब मार्केट में डेढ़ रुपये किलो गेंहू बिक रहा था और चौधरी साहब ने हुक्म दिया कि ८०, ८५ रुपये क्विन्टल गेहूं खरीदा जाय । आज जब कि माकट में ५०, ६० रुपये क्विंटल गेहूं मिल रहा है तो सरकार ने आदेश दिया है कि ७४-७५ रुपये क्विंटल उसे खरीदा जाय । इस लूट में कर्मचारी उतने दोषी नहीं हैं जितने हम लाल, पीली, नीली टोपी वाले दलाल । आज देहातों में नेता लोगों २, ४ रुपये क्विंटल अथवा फी बोरा किसान से ले लेते हैं और अपनी रोजी कमा रहे हैं । इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये । अन्त में समय न होने से मैं समाप्त करूंगा और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है ।

श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्री जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस विभाग की कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित

[श्री रामकुमार]

करना चाहता हूं। मान्यवर, इस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे खाद्य पदार्थ अथवा उनसे सम्बन्धित वस्तुएं उनकी पूर्ति का काम करे। हमें दीखता है कि यह विभाग इस कार्य को कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो सके करने में असफल रहा है। उदाहरण के लिये लोहे को ले लें। लोहा ऐसी वस्तु है जिसको मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के प्रत्येक गांव के रहने वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। लेकिन डेढ़, दो वर्ष के अन्दर इसकी कीमत जिस गति से बढ़ी है उससे ऐसा लगता है कि देहात का आदमी और मध्यवर्ग का आदमी लोहे के उपयोग में अपने को असमर्थ पा रहा है। खेती के औजार जो लोहे से बनते हैं उनकी कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। उसका परिणाम यह है कि किसान की आवश्यकता की वस्तुएं जो सस्ते दामों में उपलब्ध होना चाहिये उनकी कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण महंगें दाम में खरीदनी पड़ती है।

लोहे के दाम में फर्क यहां तक है कि १५००, १६०० रुपये टन लोहा बाजार में मिलता है लेकिन जो लोहे का कारपोरेशन बनाया गया है उससे वही लोहा ११००, १२०० रुपये टन मिलता है। यह जो ४००, ५०० रुपये का फर्क है वह मैं नहीं समझता कि क्यों फर्क है। अगर कारपोरेशन घाटे में लोहा देता है उसका कारण यही है कि इसके माध्यम से लोहा मिलने की जो व्यवस्था है वह इतनी उलझी और पेचीदी है कि किसान उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं कि पहले इन्जीनियर का नक्शा होना चाहिये, पहले वह प्रमाणित करे।

गांव का किसान अपना मकान बनाना चाहता है, वह कहां से इन्जीनियर से नक्शा तैयार करवाये और उसे प्रमाणित करवाये। उसका परिणाम यह होता है कि जो चालाक लोग हैं वे इन्जीनियर से मिले होते हैं, फौरन नक्शा उनका प्रमाणित हो जाता है और इस प्रकार लोहे को प्राप्त करके उसे ब्लैक में बेच देते हैं। ऐसी चोर-बाजारी वहां पर होती है। कानपुर नगर के वे उस रहने वाले हैं। कानपुर लोहे की एक बहुत बड़ी मंडी है। वहां पर लोहे में जो गोलमाल और भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तरफ मंत्री जी ध्यान दें और उसकी रोकथाम करें। मेरा पूरा विश्वास है मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और जिन दामों में कारपोरेशन लोहे को बेचता है उन्हीं दामों में बाजार में भी लोहा मिलना चाहिए। इस अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने इसी हाउस में कहा था कि खाद्य निगम जो खरीदारी कर रहा है उसमें ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे जो किसान अपना गल्ला बेचना चाहता है कि अगर गांव के किसान यह सूचित कर देंगे कि वे गांव के गल्ले को बेचना चाहते हैं तो खाद्य निगम के जो एजेंट हैं वे गांव के लोगों से सम्पर्क स्थापित करके उनके गल्ले को खरीदवायेंगे किन्तु अभी उस व्यवस्था का पालन नहीं हुआ है और कहीं पर नहीं हुआ है। मुझे जानकारी है कि हमारे क्षेत्र के १०-१५ गावों के किसानों से सूचना भी दी गई कि हम अपने गल्ले को बेचना चाहते हैं। इस प्रकार आपके आश्वासन के बाद अभी तक कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं गई है।मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं वह व्यवस्था लागू की गई। उसका परिणाम यह होता है कि एजेन्ट लोग व्यापारियों से गल्ला खरीदते हैं, किसानों से नहीं खरीदते हैं और इस प्रकार बेईमानी की जाती है। क्योंकि उसमें व्यापारियों का भी हिस्सा होता है। उसका कारण यह है कि किसानों से सस्ता गल्ला व्यापारी लोग खरीद लेते हैं और ये व्यापारी लोग मुनाफा लेकर इन ऐजेन्टों के हाथ उसे बेच देते हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे इस पर ध्यान दें।

मेरे क्षेत्र में पुरा नामक एक सेन्टर है। उस स्थान को आपने देखा होगा। वहां पर दो एजेन्सियां हैं। एक सहकारी संस्था है और एक खाद्य निगम की है। वहां पर सहकारी संस्था ने किसानों से २० हजार रुपये मूल्य का एक ही बाजार में गल्ला खरीदा। दूसरी बार उसको रुपया नहीं मिला। चूंकि उस समय मार्केट सस्ता था तो हम लोग भी उससे सहमत थे। हम लोगों ने प्रयास किया तब किसानों का गल्ला खरीदा गया। तो यह ढंग है जिससे लगता है कि

अप्रत्यक्ष रूप से इस खाद्य निगम के जो ऐजेन्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्वालिटी इन्सपेक्टर्स हैं और दूसरे लोग हैं, उनको अनुचित लाभ कमाने के लिये यह छूट दी जा रही है और इस मामले में सामयिक हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक ऐसी दुर्व्यवस्था की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिये दो प्रकार की एजेन्सियां है एक तो बारौनी से रेल के डिब्बों द्वारा मिट्टी का तेल आता है और दूसरा ट्रकों द्वारा मिट्टी का तेल पहुंचाया जाता है । तो जो रेल के डिब्बों के द्वारा मिट्टी का तेल आता है और ट्रकों के द्वारा जो तेल पहुंचाया जाता है उसमें ५ पैसा प्रति लीटर का फर्क है ।

५ पैसे प्रति लिटर उससे ज्यादा पड़ता है जो रेल के डिब्बों से आता है और वह ५ पैसा महंगा पड़ता है जो ट्रक के द्वारा आता है । लेकिन है क्या इसमें ? एक ऐसी व्यवस्था है कि सरकार ने या सरकार के माध्यम से जिला धिकारियों ने स्थान-स्थान पर जो इंसीडेंटल चार्जेज मिला करते थे इन रेल के डिब्बों से मंगाने में वह घटा दिये । २९ से २१ किये और कहीं-कहीं तो १२ रुपया कर दिया । एजेंटों को उसमें घाटा लगने लगा और मंगाना उन्होंने बन्द कर दिया रेल के वैगन्स से और वह सप्लाई ट्रक के द्वारा होने लगी । उसका तेल १० रुपये श्रीमन् मंहगा पड़ता है बनिस्बत उस तेल से जो रेल के वैगन्स से आता है । ऐसी परिस्थिति में आप विचार कर देखें कि क्या सरकार यह चाहती है कि किसान को या उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के वास्ते महंगे से महंगे दामों में तेल मिले ? आपको तो यह प्रयास करना चाहिए कि उसको सस्ता और उचित मूल्य में उपलब्ध कराया जा सके ।

उदाहरण के रूप में बहराइच को ले लें । बहराइच के मित्रों ने कहा था, बड़ी विलक्षण स्थिति है, कि जिलाधिकारियों ने इंसीडेंटल चार्जेज को घटा कर १२ रुपया कर दिया है जब कि सब जगह २१ रुपये है । फिर एजेन्ट कैसे रेल के डिब्बों से तेल मंगायेगा । जिलाधिकारियों को लोगों ने रिप्रजेंट भी किया । बेगम साहिबा जो मंत्री थीं उनके सामने भी यह मसला आया कि गोंडा और अयोध्या में २१ है तो फिर से वहां २१ कर दिया जाय । लेकिन अभी तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई । ऐसा लगता है कि इस विभाग के कान में जूं नहीं रेंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि इस दुर्व्यवस्था को वह दूर कर सकें । (लाल बत्ती होने पर) मैं थोड़ा और कहना चाहता हूं ।

इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात यह है रेंट कंट्रोल की । रेंट कान्ट्रोल विभाग में जो हमारे आर० सी० ओ० हैं जिलों में वे पूरी तरह से मालिक हैं । जिस पर उनकी कृपा हो जाय उसको मकान मिल जायगा, जिसपर नहीं होगी उसको मकान मिल नहीं सकता, चाहें उसकी कितनी ही आवश्यकता हो चाहे वह फुटपाथ पर पड़ा हो । तो उनकी कृपा की परम आवश्यकता है । वह क्यों कृपा करते हैं, इसको मैं नहीं कहना चाहता, वह माननीय मंत्री स्वयं जानते हैं कि कैसे और क्यों करते हैं । तो जिस कारण से करते हैं वह अगर कोई पूरा नहीं कर पाता तो उस बेचारे को मकान नहीं मिलता ।

हमारे कानपुर के आर० सी० ओ० बहुत माहिर हैं । अगर मंत्री जी कहेंगे तो पचासों शिकायतें लिखित उनको दे दूंगा जो कि आर० सी ओ० के भ्रष्टचार से संबंधित हैं । उनकी जांच करवायें और अगर सही तथ्य मालूम हो कि यह भ्रष्टाचार किया है मकानों के देने में तो उसको सुधारने की कोशिश करें । इस संबंध में हमारी एक सलाह है, अगर माननीय मंत्री जी उसको पसन्द करें तो जिस तरह से ऐडवाइजरी कमेटीज थीं उस तरह की कमेटीज का अप्वाइंटमेंट करें ताकि उसके माध्यम से काम सुचना रूप से चले और यह भ्रष्टाचार दूर हो सके । उनके जरिये से एलाटमेंट किया जाय ।

[श्री रामकुमार]

शास्त्री जी ने ईंट भट्ठों के बारें में कहा है। ये लोग बड़ी बेरहमी से पैसा कमा रहे हैं जो इनके मालिक हैं। इस पर जरा ध्यान जाना चाहिए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा कि क्या कारण है कि जब कोयला मिलता है, सप्लाई मिलती है, उत्तरोत्तर पारसाल ५२-५४ का भाव था तो इस साल ८०-९० हो गया ? इस लूट को रोकना चाहिए और उसका कोई उपाय करें और जिस प्रकार से किसानों को और उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है उनको बचावें। ऐसा कोई प्रबन्ध सरकारी की ओर से होना चाहिये जिससे इस प्रकार की लूट न हो।

इन शब्दों के साथ मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खाद्य निगम के द्वारा जो आश्वासन दिया था उसके प्रति पुनः विचार कर लें और यदि उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसका पालन कराने का प्रयास करा लें।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं मान्यवर, यह विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और आज इसके सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस विभाग को अच्छी तरह से चलाने के लिये हमारी सरकार पूर्णरूप से कोशिश करेगी। लेकिन समस्या इतनी गंभीर है कि उसके सम्बन्ध में खासतौर से हमें सोचना पड़ेगा।

हमारे देश में हरीक्रान्ति आयी और किसानों में एक लहर दौड़ गयी कि किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जाय। किसान जुट गया और एक बहुत बड़ी फसल उसने गेहूं की काटी। मालूम यह होता था कि जो कभी एक सपने की हमारी बात थी कि हम भी कभी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे, हमारा वह ख्वाब एक हकीकत बन गया, उसने वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया। बहुत बड़ी रबी की फसल हुई क्योंकि किसान ने उसमें खपया लगाया था, मेहनत की थी, वैज्ञानिक ढंग से खेती की थी और उसका परिणाम हुआ बड़ी भारी फसल। लेकिन उसके साथ ही साथ प्राकृतिक विपत्तियों ने किसान को परेशानी में डाल दिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से अधिक वर्षा हुई। किसान की कटी हुई फसल जो खलिहानों में ही पड़ी हुई थी, वह बार-बार बारिश से भीगने लगी। जब कभी धूप निकलती तो वह अपनी फसल को सुखाता था लेकिन उसके बाद ही वर्षा आ जाती। मालूम ऐसा होता था कि इस बार पछवा हवा चलेगी ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में किसान ने कुछ तो गेहूं को निकाल लिया लेकिन बहुत बड़ी तादाद में उसका गेहूं बर्बाद हो गया। यह बहुत बड़ी दुर्घटना थी लेकिन प्राकृतिक विपत्तियों के खिलाफ मनुष्य बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको ठीक करने के लिये वह जरूर विचार कर सकता है कि वह उन विपत्तियों का किस तरह से मुकाबला करे। एक ओर तो किसान की यह क्षति हुई।

दूसरी ओर जब वह मंडी में गया तो वहां दूसरी ही मुसीबत सामने आयी। उसके अनाज को कोई खरीदने वाला ही नहीं था। खरीदने वाले की कौन कहे, देखने वाला नहीं था और बीच का जो बिचौलिया या मंडी का व्यापारी था उससे वह गल्ला जिस भाव चाहा लिया। इस तरह से वह किसान दूसरी दुर्घटना का शिकार हो गया। मैं समझता हूं कि नियोजन की यह एक बहुत बड़ी भूल है। एक तरफ तो हमने अपनी पैदावार को बढ़ाने का अभियान किया लेकिन दूसरी ओर हमने उसके मार्केटिंग की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दिया भी तो पूर्णतया नहीं दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह से जो किसान को क्षति पहुंची है मैं समझता हूं उसका पूरा करना मुश्किल है। ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेन्ट बेबस है। एफ० सी० आई० की तरफ से व्यवस्था की गयी कि वह मार्केट में किसानों का अनाज खरीदेगी। यह मैं अवश्य मानता हूं कि अगर एफ० सी० आई० की खरीद न होती तो किसान का इतना बड़ा उत्पादन था गेहूं का नुकसान होने के बावजूद भी कि वह बहुत कम कीमत पर बिकता, शायद ४०–४५ रुपये कुन्तल से ज्यादा नहीं बिक पाता। लेकिन सरकार ने प्राइस सपोर्ट दिया यह सोच कर कि इससे किसान को लाभ होगा, उससे किसान में एक उमंग पैदा होगी अपने उत्पादन को बढ़ाने की। ऐसी बात नहीं है कि दाम-नीति है।

जैसा कि माननीय शास्त्री जी ने कहा जरूर है दाम-नीति और इसी वजह से ७६ रुपये क्विन्टल गेहूं का भाव रखा गया था। इससे किसान को बावजूद इसके कि उसे काफी व्यय करना पड़ा गेहूं पैदा करने में, खाद देनी पड़ी, मजदूरी भी बढ़ गयी, तेल वगैरह के दाम भी बढ़ गये, फिर भी कुछ बच जाता। लेकिन आज मंडियों की क्या दशा है। वहां एफ० सी० आई० का क्वालिटी इंस्पेक्टर खुदा बना कर बिठा दिया गया है। उसका बिल्कुल डिस्क्रिशन है कि वह जो मूल्य चाहे किसान के गेहूं का लगाये। वह जो एफ० सी० आई० के एजेन्ट्स हैं उनके साथ मिला हुआ है।

इसमें कोई शक नहीं कि एक-एक क्वालिटी इन्स्पेक्टर ने एक-एक मंडी में १–१, २–२ लाख रुपया इस फसल में कमा लिया जबकि किसान को बावजूद करने मेहनत करने के, रुपया लगाने के कुछ नहीं मिल पाया। तो आज जो किसान के गेहूं की लूट हुई है वह एफ० सी० आई० के इन्स्पेक्टर्स, उसके कर्मचारियों और व्यापारियों ने की है। और किसान आज भी परेशान है। जहां जरा सा प्रशासन की ओर से दबाव पड़ता है मंडियां बन्द कर दी जाती हैं। किसान की गाड़ियां बारिश में खड़ी रहती हैं, उसका गेहूं भीगता रहता है। मंडियों के व्यापारी धमकी देते हैं कि जब तक नियंत्रण को नर्म नहीं किया जायगा मंडियां बन्द रहेंगी। कर्मचारी और अधिकारी उन्हें समझाते बुझाते हैं लेकिन वह मंडियों को कई कई रोज तक बन्द रखते हैं। इसके अलावा गोदाम नहीं हैं। कहां उस गल्ले को रखा जाय। जिला बुलन्दशहर जो कि मेरा जिला है, मेरा खयाल है कि उस जिले को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसने सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया है लेकिन उस जिले का किसान सब से ज्यादा परेशान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उस गेहूं को क्या करें किस तरह से बेचें।

मान्यवर, यह सोचने की बात है कि इस विभाग को क्या करना चाहिये। आज इस विभाग को पूरी तरह से सोचना पड़ेगा और पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को उचित भाव मिले और किसानों को साथ उचित व्यवहार किया जाय। मैं आपको बतलाऊं कि किसानों के साथ बड़ा अन्याय होता है। किसान उस अन्याय को माफ नहीं करेगा। जब हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे और खाद डालेंगे और पानी की सुविधा देंगे तो इससे उपज बढ़ेगी यह हम समझते थे। आज निजी और सरकार की ओर से पानी की सुविधा होने पर उपज बढ़ी है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो हमको पूरी व्यवस्था की तरफ ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर पूरी व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो यह बात निश्चित है कि किसान का गेहूं सड़ेगा और वह उजड़ेगा।

यह जो एफ० सी० आई० के एजेन्ट हैं इनके सम्बन्ध में आज सुबह मैंने मंत्री जी से पूछा था कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? क्या आपके पास ऐसे समाचार हैं कि किसी

[श्री मुमताज मोहम्मद खां]

उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने यह फरमाया कि हां हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं लेकिन मैंने जो पूछा कि आपने क्या कार्यवाही की तो उन्होंने फरमाया कि हमने ऐसे लोगों को शो काज नोटिस की कार्यवाही की है। शो काज नोटिस कोई सजा नहीं है। ऐसे नोटिस रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं और वे लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। क्यों नहीं क्वालिटी इन्सपेक्टर को पकड़ा गया? क्यों नहीं इन एजेन्ट को जिनकी वजह से सारा भ्रष्टाचार होता है उनको पकड़ा गया? क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये। अगर उन पर जुरमाना भी हुआ तो वह ७०, ७५ रुपया क्या माने रखता है। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिये क्या माने रखता है जिनकी कोई इज्जत नहीं है और जो किसानों को लूटते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय और देनी चाहिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शायद २ वर्ष की बात है कि मंडियों में जब खरीद हो रही थी तो हम लोग कुछ साथी मंडियों में घूमने के लिये निकले। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से मंडियों में अनियमितताएं होती हैं। हमने देखा कि किसान बैठा हुआ है और उसके सामने एक बनिया गल्ला तोल रहा है और उसकी तराजू में वह गल्ला अपने हाथ से डाल रहा है लेकिन बाद में जब हमने बोरों को तुलवाया तो ३, ३ किलो गल्ला उन बोरों में ज्यादा था। मान्यवर, ऐसे लोगों के लिये कोई कानून नहीं है जो इस तरह से गलत तरीके से किसानों का गल्ला तोलते हैं उनको सजा दी जा सके। ऐसे लोगों के लिये एक कानून बनाया जाय जिससे उनको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि ऐसे लोग जो बदउनवानी करते हैं उनको सजा दी जा सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसा कानून बनाया जाय कि जो किसानों का गल्ला ज्यादा तोलते हैं या गड़बड़ करते हैं उनको सजा दी जा सके ताकि वह ऐसा काम न कर सकें।

इसके अलावा जो मंडी कमेटी है वह भी प्रोत्साहन दे रही है। उसमें वही पुराने लोग मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार और बद उनवानियों की रोकथाम नहीं कर पाते हैं जिससे मंडियों में कोई अच्छी व्यवस्था हो सके। लिहाजा उन मंडी समितियों को जल्द से जल्द तोड़ दिया जाय तो यह किसानों के हित में होगा। इनके जगह नई मंडी समितियों का गठन किया जाय तो वह किसानों के लाभ की बात होगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाई रामधारी शास्त्री द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अपने प्रदेश में सन् ६७ में बड़ा भयंकर सूखा पड़ा, फसल नष्ट हुयी और उसका फल यह हुआ कि सूबे के सारे उद्योग ठप्प हो गये और हर कारोबार फेल हो गया और हर आदमी त्राहि त्राहि करने लगा और काश्तकार जो अपने प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और जो प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग देता है वह आज अपने प्रदेश में किस तरह से सरकारी आंखों देखते लुट रहा है, सरकार देखती रही और उसने कुछ नहीं किया। अभी इस वर्ष वर्षा जल्दी होने लगी और चार दिन को खुला और फिर बरस गया, किसान ने खलियान में किसी तरह से गल्ला भूसा सुखाया और वह फिर बार बार भीगता रहा। किसानों ने उसी समय सरकार से मांग की कि हमारा थ्रेशर चलाने का समय बजाय रात के सुबह ८ बजे से कर दिया जाय लेकिन तमाम प्रार्थनापत्र देने के बाद मंत्री जी के पास तक लिखने के बाद भी उस वक्त कोई सुनवाई नहीं हुई और कई मास के बाद उनको अब कुछ सुविधा दी गई है। अगर यही सुविधा किसानों को पहले से ही दी गई होती तो प्रदेश का बड़ा कल्याण हुआ होता।

आज हमने देखा कि पश्चिमी जिलों में करीब-करीब ८० प्रतिशत गल्ला और अनाज और भूसा खराब हो गया है और यह उन्नतिशील गेहूं जो हाई ईल्ड गेहूं है वह भीगने के बाद अधिक दिन तक नहीं ठहर सकता और उसमें २ मास के बाद ही घुन लग जाती है, यह ठीक है कि गैमैक्सीन पाउडर से उसे बचाया जा सकता है लेकिन फिर उसका आटा खाने योग्य नहीं रहता। इस सरकार ने अपनी आंखों देखते हुये बड़ा नुकसान किया है अगर समय रहते ही किसानों को दिन में थ्रेशर चलाने की इजाजत दी होती तो यह नुक्सान बच जाता। उस गेहूं का आटा पीसकर भी अगर बाजार में आयेगा तो वह तनदरुस्ती को भी खराब करता है और उससे नाना प्रकार के रोग फैलते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आइन्दा सालों में जब गेहूं के गहाने का समय आये तो सरकार थ्रेशर के लिये बिजली की सुविधा दे और वह दिन में उनको चला सकें। इससे किसान इस बड़ी हानि से बच जायगा।

इसके अलावा जब किसान अपना गल्ला मंडी में लेकर पहुंचता है तो उसकी क्या हालत होती है मैं समझता हूं कि उसकी जैसी लूट इस साल हुई है वैसी लूट दुनिया के पर्दे पर कहीं नहीं हुई होगी। ढलके के नाम पर जो कटौती आरम्भ हुई वह २–३–४ किलो तक पहुंच गई और सारे में हाहाकार मच गया और बड़े बड़े अफसर, कलक्टर, एस० डी० एम० और मंत्री जी के पास तक लिखकर प्रार्थनापत्र भेजे गये लेकिन किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी कि हो क्या रहा है और किसी को कुछ पता नहीं कि क्या मंडियों में हो रहा है। क्वालिटी इन्सपेक्टर दो एक गाड़ी देख कर छोड़ देते थे। जब समय अधिक बीत जाता था तो किसान अपनी गाड़ी छोड़कर चला जाता था और कच्चे आढ़ती ढेर लगा देते थे और अगले दिन वह ७० और ७१ के भाव बिक जाता था किसान से मोल गेहूं ५०, ६०, कुन्तल खरीद कर एफ० सी० आई० के कर्मचारियों से मिल कर ७६, ७४ के रेट में बेचा। इस प्रकार भारत खाद्य निगम की लूट हुई। और किसान की लूट चली। यह सब क्यों हुआ ? कैसे हुआ ? आपकी असफल नीतियों के कारण।

मंत्री जी ने जो हमें छपा हुआ कागज दिया है उसमें लिखा है कि ६.५० लाख टन की खरीद वह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा करने वाले थे। ठीक है खरीद करने वाले थे ६ लाख टन लेकिन व्यवस्था की केवल ४.५० लाख टन की। इसका अर्थ हुआ कि ३३ प्रतिशत खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की। आप टार्गेट तो बनाते हैं ६ १/२ लाख टन का और खरीद करते हैं केवल ४ या ४ १/२ लाख टन, तो यह आपने क्यों सोचा।

क्या आप यह नहीं जानते थे कि पश्चिमी जिलों का किसान बड़ा ही उन्नतिशील किसान होगा। वह पंत नगर से बढ़िया से बढ़िया बीज खरीदता है, बढ़िया से बढ़िया खाद का प्रयोग करता है और परिश्रम करके अपना अनाज पैदा करता है। एक-एक एकड़ में उसने ५०–६० मन गल्ला पैदा किया है। हमारे अकेले बुन्देलशहर में किसानों तक ने १२–१/२ करोड़ रुपये का गल्ला बेचा है और अभी भी ५–६ करोड़ और बिकने को है। जब आप जानते थे कि इस प्रदेश का किसान प्रगतिशील और उन्नतिशील है, वह अधिक से अधिक अनाज पैदा करेगा, तो टार्गेट में ३३ प्रतिशत की क्यों कमी कर दी।

किसानों के लिये प्रोपेगैन्डा किया जाता है, कच्चे और पक्के आढ़तियों और ब्लैक मार्केटियर्स की ओर से सुर्री छोड़ा जाता है कि बाजार बन्द हो गया और अब खरीद नहीं होगी। सरकार के पास मोटर नहीं है, ठेला नहीं है, बोरे नहीं है, रुपया नहीं है और इस का परिणाम यह होता है कि किसान बर्बाद और तबाह होता है। जब उन्हें पता चलता है कि २ दिन मंडी खुलेगी तो गाड़ी पर गाड़ी भर कर वह भेजता है, उसके गल्ले की खरीद नहीं होती है। जहां पर एफ० सी० आई० के गोदाम हैं, वहां पर मोटर ट्रक नहीं गल्ला उतारती हैं जब तक कि उनको १००, २०० रुपया नहीं दे दिया जाता है। तो मैं जानना

[श्री हिम्मत सिंह]

चाहता हूं कि यह सारी की सारी लुटाई किन की गलतियों के कारण होती है। मैं समझता हूं कि इसमें एफ० सी० आई० के इन्सपेक्टर्स का सबसे बड़ा हाथ है।

दूसरी ओर कच्चे आढ़ती और पक्के आढ़ती होते हैं, उन्होंने मिल कर किसान को लूटा है। माननीय मंत्री जी ने जो सदन में सूचनार्थ नोट वितरित किया है, उसमें इन सारी कमियों को तसलीम किया है लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनकी जानकारी में होते हुए भी किसान लुटते रहे। भ्रष्टाचार होता रहा, सारी बातें होती रहीं। माननीय मंत्री जी ने अपने नोट में यह नहीं बताया कि इस भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने कितने एफ०सी० आई० के कर्मचारियों को बर्खास्त किया, कितनों के लाइसेंस सस्पेन्ड किये। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में सदन को बता दें कि कितने एफ० सी० आई० के इन्स्पेक्टरों और क्वालिटी इन्सपेक्टरों को उन्होंने डिस्मिस किया या सस्पेन्ड किया और कितने दुकानदारों के या आढ़तियों के लाइसेंस सस्पेन्ड किये, तो प्रदेश को जानकारी होगी, अन्न को खुशी होगी। आपने कहा कि हमने किसानों का गल्ला खरीदने का ४ तरह से प्रबन्ध किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे ४ तरीके कौन से हैं जिनसे उन्होंने खरीद करवायी? किसान का गल्ला सड़ता गया लेकिन किसी ने नहीं सुनी क्योंकि एफ० सी० आई० के कर्मचारियों को तो लुटाई करनी थी। सीधे खरीद के लिये लिख तो दिया लेकिन कितने हजार टन सीधे किसान से खरीदा गया, जिससे प्रदेश की जनता और किसान को राहत मिल सकती।

हमारे और भाइयों ने तो सीधे इन किसानों से खरीद किया। आप आइन्दा के लिये हमें रास्ता दिखलाते। मैं तो समझता हूं कि किसी भी एक किसान का गल्ला लिया गया होता तो मुझे सांन्त्वना होती। रामपुर जिले की हालत तो मेरे जिले से भी क्या खराब है। उसमें गवर्नमेन्ट ने आदेश दे दिये कि कच्चे पक्के आढ़तियों द्वारा कोई गल्ला नहीं खरीदेंगे। खरीदा जायेगा तो पी० सी० एफ० द्वारा और वह पी० सी० एफ० फिर एफ० सी० आई० को देगी। आप समझियेगा कि कितना बड़ा जिला जहां गेहूं ही गेहूं पैदा होता है वहां किसान की कितनी बुरी हालत हुई। रामपुर से नैनीताल भेजना पड़ा किसान को और मुरादाबाद भेजना पड़ा। पी० सी० एफ० ने केवल २७ मई और ६ जून को ही गल्ला खरीदा और इसके अलावा खरीदा ही नहीं। क्या माननीय मंत्री जी इनक्वायरी करायेंगे कि इस जिले के किसानों के साथ अन्याय क्यों हुआ।

मैं जानकारी देना चाहता हूं कि स्टेट लेविल से ये आदेश प्रसारित हुए मंत्री जी के कि किसान की हालत खराब होती चली जा रही है और किसान की हालत खराब हो गई है तो जो वे राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं वे नहीं दे पायेंगे। किसान की खेती को उद्योग की ही श्रेणी में रख कर किसान को वे सुविधायें दिलाने का प्रयत्न किया माननीय मंत्री जी करेंगे। क्योंकि किसान आज मैकेनाइज्ड युग में आ गया है। मशीनों के पुर्जे कीमती होते जा रहे हैं। किसान को पुर्जे सस्ती कीमत पर मिलें। क्या मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। दूसरी एक और चीज (कोयला) इस प्रदेश में भयंकर रूप धारण कर गई है। मैं जब से सदस्य बना हूं माननीय मंत्री कहते चले आये हैं कि केन्द्र सहयोग नहीं देता।

मैं उसकी परिस्थिति सन् ५७ से देखता चला आ रहा हूं। नोटिंग में भी यही आता है कि कोयला हमारे हाथ में नहीं है। हम देखें कि हमारे प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है। दूसरे प्रदेशों में कितना कोयला मिलता है। क्या हमें अपनी आबादी के हिसाब से कोयला मिलता है। आज हमारे प्रदेश में कितने भट्टे बन्द हो गये जिनकी हमें जरूरत है। मैंने ५७ में देखा था कि २२ रुपये हजार ईंटा मारी बोलती थी और अब ८० रुपये

हजार मुहैया नहीं है। लोहे का भी वही हाल हो गया है वह भी मुहैया नहीं हो रहा है। क्या हमारी सरकार कोयले और लोहे के लिये केन्द्र से कहेगी कि वह हमें इन चीजों को आबादी के हिसाब से दे। जो हमारे जिल बुलन्दशहर में इसके एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं वे ब्लैक करते हैं अधिकांश इस जिले के रहने वाले नहीं है, दफ्तर नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है उसको भी दूर करने की कोशिश करें।

अन्त में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह मकानों की समस्या के बारे में। आज हमारे देश के अन्दर कोयला नहीं है, सीमेन्ट नहीं है, लोहा नहीं मिल पाता है। आज लखनऊ जैसे शहर में १०० दरख्वास्तों में से १६ ही दरख्वास्त वालों को मकान मिल पाते हैं और दूसरे कस्बों में २० मिल पाते हैं। आज मकानों की समस्या बड़ा भयंकर रूप धारण किये हुये हैं। आज जो आपने रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट है उसमें ५७ से वायदे होते चले आ रहे हैं उस का ५७ से काम्प्रिहैन्सिव बिल नहीं बना। मैं जानना चाहता हूं कि यह काम्प्रिहैन्सिव बिल क्या इसी सत्र के अन्दर पारित करेंगे क्योंकि इसके वायदे पूरे हो गये।

माननीय मंत्री जी पुराने आदमी हैं, वचन वाले आदमी हैं। मैं समझता हूं कि इस काम्प्रिहैन्सिव बिल को सदन को सामने रक्खेंगे और जो आपने अधिकार ले रक्खा है कमिश्नर के बाद रिवीजन का उसको तुरन्त खत्म कर देना चाहिये और जो रिवर्स आर्डर्स हो जाते हैं उन पर आपको निगरानी रखनी पड़ेगी कि वे गड़बड़ न हो जायं। इसलिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का जो किसान है उसकी आपको रक्षा करनी होगी, तभी प्रदेश की रक्षा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

रामधारी शास्त्री जी को जवाब देना था लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जवाब नहीं देना है, बांकेलाल जी के लिये उन्होंने कहा है कि पांच मिनट का समय दे दें।

श्री इन्द्र मणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन, पर्वतीय जिलों में खाद्य समस्या बड़ी विकट है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं मुझे केवल पांच मिनट का समय दे दें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, इनकी जो कीमत निर्धारित करने की नीति है वह समाजवादी नहीं है, पूंजीवाद है। किसान जो कच्चा माल पैदा करता है, चाहे गन्ना हो, चाहे रूई हो, गेहूं हो या मटर हो, मुद्दतों से मैं देख रहा हूं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तबसे देख रहा हूं, किसान हमेशा घाटे में रहता है। उसकी पदा की हुई चीजों की कीमत बहुत कम रहती है और पक्का माल जो मिल में तैयार होता है, जैसे कपड़ा, मिट्टी का तेल, दियासलाई, चीनी सीमेन्ट, लोहा, इन सब चीजों की कीमत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। तो जब तक दाम बांधो नीति सरकार नहीं अख्तियार करेगी तब तक किसान नुकसान में रहेगा और मिल मालिक, पूंजीपति फायदे में रहेगा। जैसे मिट्टी के तेल की कीमत ले लीजिये। मिट्टी के तेल की कीमत अगर आप देखें तो छः पैसे में तैयार होता है लेकिन उसकी कीमत आज देहात में डेढ़ रुपये लीटर है और वह भी मुश्तकिल ढंग से नहीं मिलता। किसान परेशान है। चीन वक्त से नहीं दी जाती है।

हमारे चेतराम जी ने कहा कि गेहूं बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। मान्यवर, मैं तो उस जिले का रहने वाला हूं जिसमें नारायणी नदी बहती है। जिसके प्रकोप से आधा जिला समाप्त हो गया है, गांव डूब गये हैं, पशु मर गये हैं, आदमी मर गये हैं, घर नष्ट हो

[श्री बांके लाल]

गये हैं। तो जो पैदा हुआ वह भी समाप्त और जहां कुछ पैदा है आधे हिस्से में वहां गल्ला खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। देवरिया जिले के जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं वहां हाटा में गल्ला खरीदने की एक भी दुकान नहीं है। अगर किसानों का गल्ला खरीदकर बाढ़ एरिया में सरकार बंटवा दे तो लोगों को राहत मिल जायगी और एक हू जिले का गल्ला उसके दूसरे हिस्से में पहुंच जायगा। मैं हर जगह सरकारी दुकान खोलने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उस स्थान पर जरूर पक्ष में हूं जहां बाढ़ है, जैसे खड्डा निर्वाचन क्षेत्र में। नारायणी से जो गांव बरबाद हुये है वहां राशन की दुकाने सरकारी होनी चाहिये। हाटा में और देवरिया जिले के और हिस्से में गेहूं खरीदने का सेन्टर होना चाहिये और हर ब्लाक मे एक बेमेटी बना दें ताकि सरकारी अधिकारी जो गल्ला खरीदने जायं वह भ्रष्टाचार न कर सकें।

दूसरी बात यह है कि ईटों की कीमत सौ रुपये हजार तक हो गयी है। किसान लोहा, सीमेन्ट, ईट प्रयोग करता है। सम्पन्न किसान या गरीब किसान अब छप्पर में नहीं रहना चाहता है, घर बनाना चाहता है। आज सस्ते दाम पर और कन्ट्रोल्ड रेट पर ईंट व सीमेन्ट नहीं मिल पाता है और न कोयला ही सस्ते दाम पर मिल पाता है। ये सारी दिक्कतें हैं।

अब मैं शहरी मकानात के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मकान मालिक के घर में तो रहने वाले होते हैं एक-दो आदमी और उसके पास होते हैं मकान ५ और ६। ऐसे मकानों का एलाटमेंट किया जाये और उन मकानों को उन लोगों को दिया जाये जो कि फुटपाथों पर सोते हैं या उन लोगों को दिया जाये जिनके पास मकान नहीं हैं। खाद्य मन्त्री जी उन लोगों को ऐसे मकानों को दिलाने की कृपा करें।

मान्यवर, कागज के अभाव के कारण टेलीफोन की डायरेक्टरी भी नहीं छप सकी है। यह तथ्य पेपर में भी निकला था। स्कूलों के बच्चों को कापी व कागज नहीं मिल रहा है। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और मुझे आशा है कि खाद्य मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

हमार जिले के बोर्डर पर बड़ी चोरी हो रही है। हमारे जिले में साहबगंज से गल्ला बिहार को चला जाता है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके रोकने की समुचित व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें---५ मिनट हो गये हैं।

श्री बांके लाल---

मिट्टी के तेल और ईटों की कीमत मुकर्रर की जाये और ये चीजें देहात में सस्ते दाम पर दी जायें। देहातों में लाइसेन्स भी दे दिये जायं ताकि वहां के लोगों को परेशानी न हो।

श्री उपाध्यक्ष---

सारी बातें हो गयी हैं।

श्री बांके लाल---

यह समाजवाद आ रहा है। पक्के माल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और किसान जो पैदा करता है उसकी कीमत घट रही है। भारत की अर्थ नीति ही ऐसी है। यह व्यवस्था २२-२३ साल से चल रही है। मैं भी चाहता हूं कि समाजवाद आये और माननीय त्रिपाठी जी की सरकार १९७४-७५ तक चले ताकि समाजवाद का नकाब हट जाये और सभी सदस्यों की और जनता की समझ में आ जाये कि यह कैसा समाजवाद है।

श्री कृष्णानन्द राय––

खाद्य मन्त्री जी के जवाब देने से पूर्व मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि जनता को कोयले की कमी के कारण बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है । १९६९–७० व १९७०–७१ में कोयले की कमी होती चली गयी । सन् १९६९–७० में पंजाब को १३७ वैगन मिले और इस बार उनको ९३ वैगन मिले हैं । इस प्रकार ६८ प्रतिशत कोयले की उनकी पूर्ति हो गयी है । हरयाना को पहले ९२ प्रतिशत कोयले के वैगन सप्लाई किये गये और इस बार ८९ प्रतिशत जबकि उत्तर प्रदेश में सन् १९६९ में १,०१८ रेक्स आये थे और इस वर्ष केवल ३७४ रेक्स आये । हमारी आवश्यकता का केवल ३२.५ प्रतिशत कोयला ही हमको दिया गया । इस कारण सारा ईटों का उद्योग खत्म हो गया है । बांके लाल जी कह रहे थे कि १०० रु० की १,००० ईट मिल रही हैं । मैं आपके माध्यम से खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे केन्द्रीय सरकार से कह कर हमको अधिक कोयला दिलवायें ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)––

उपाध्यक्ष जी, मैं श्री कृष्णानन्द राय जी से दरख्वास्त करूंगा कि कोयले की कोठरी ऐसी होती है कि जिसमें हाथ काले हो जाते हैं, इसलिये वे कोयले की बात शुरू न करें । उपाध्यक्ष जी, हम सब माननीय सदस्यों के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने, आज से नहीं बल्कि तब से जब से कि यह सदन शुरू हुआ, नाना प्रकार के सुझाव दिये इस सदन में भी और मीटिंग्स में भी जिनमें हमने उनको आमन्त्रित किया । उन्होंने हमारे निमन्त्रण को स्वीकार किया और आने का कष्ट किया । उनके सुझावों पर हम कार्यवाही करेंगे ।

एक बात मुझे कहनी है आप सुझाव देते हैं, हमारी कमियां बतलाते हैं लेकिन कभी-कभी यह भी कह दें कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं । अगर उस समय हमने कुछ राहत पहुंचाई है, तनिक भी काम किया है तो उसको भी कहना चाहिये और उसकी सराहना होना चाहिये । विभाग की कमियां बतलाना आपका काम है लेकिन हमारी जो नीति ठीक है उसको अमल करवाने में हमारी मदद करें । सदस्यों से जो बातें हमने कहीं उनको किसानों तक पहुंचाने में उतनी मदद नहीं की जितनी कि अपेक्षित थी ।

माननीय कृष्णानन्द जी जानते हैं कि एक फैसला किया गया था कि अगले साल जो अन्न खरीदा जावेगा वह सरकार अपनी तरफ से नहीं खरीदेगी, सारे का सारा एफ०सी०आई० की मार्फत खरीदा जावेगा जिससे बिचौलियों से छुटकारा मिल सके । आपको याद होगा कि पार्लियामेन्ट में बहुत बहस इस पर हुई कि फूड कारपोरेशन बनाया जाय या नहीं । यह बनाया गया और तय हुआ कि गल्ला एफ०सी०आई० की मार्फत खरीदा जाय । कारपोरेशन बना और उसने मन्डियों से गल्ला खरीदने की कोशिश की । कभी भी ख्याल नहीं था कि यह आपत्तियां आवेंगी । यह भी ख्याल नहीं था कि शुरू से लेकर आखिर तक बारिस होगी ।

अभी एक साहब कह रहे थे कि हमने टारगेट कम रखे । हमने पिछले साल से दो-तीन गुना टारगेट रखे थे । पिछले अनुभव के आधार पर ऐसा किया था । पहले से लम्बी चौड़ी बात नहीं की जाती है । सरकार के सामने पिछले दो-तीन साल के जो आंकड़े थे उन्हीं के अनुसार इस साल खरीदारी की गई । आप सोचिये कि जब इस्टीमेट बनता है स्कीम बनती है तो पिछले साल को ध्यान में रखकर बनती है । उसको ध्यान में रखकर हमने ६ लाख टन रखा था और यह साल भर का टारगेट था । ख्याल था कि साल भर गोदामों में आवागमन रहेगा और ४, ५ लाख टन हम रख लेंगे । ६ लाख टन टारगेट था और ८ लाख टन दो महीने में गल्ला आ गया और आज स्थिति यह है कि हम १० लाख से ऊपर पहुंच गये हैं ।

अब जरा गौर किया जाय । कैसे आप उम्मीद करते हैं कि हम सारा का सारा प्रबन्ध कर लें । अगर देहाती कहावत में कहूं तो तीन बुलाये तेरह आये, बेब बाल में पानी । इंतजाम

[श्री बेनी सिंह]

२०० के लिये किया ५०० आ गये। तो गड़बड़ी होगी, बठने की दिक्कत होगी, पत्तल की दिक्कत होगी, खाने की दिक्कत होगी।

हमारे माननीय सदस्यों ने इस ओर गौर नहीं किया। मेरे साथियों ने रहम नहीं किया, दया नहीं दिखाई। किसी ने सहारा नहीं दिया और जब मौका मिला तो कहा कि तुम नालायक हो। ठीक है, हमने प्रयास किया लेकिन इसी बीच में बारिस हो गई जिससे हमारी मुश्किल और बढ़ गई। हमारी सरकार इसी बीच में आयी और हमने देखा कि गल्ला खराब हो रहा है, उसकी एकदम कीमत गिर रही है और इससे किसान घाटे में जायेगा हमने कहा कि साल भर खरीदेंगे, आप गल्ला मत लाइये और धीरे-धीरे लाइये। हमने स्टेटमेंट दिये, रेडियो पर कहा, अखबारों में निकलवाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा, लेखपाल से कहा, बी०एल० डब्लू से कहा, बी० डी० ओज से कहा। लेकिन इसका हमें अफसोस है कि हमें माननीय सदस्यों से सहायता नहीं मिल सकी। फिर भी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है अपोजीशन का यह तरीका हो गया है कि आक्षेप करो और जब मदद की बात आवे तो हंस कर कह दो "हां करेंगे।"

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

आपका बजट पास करा देंगे।

श्री बेनी सिंह---

आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। (कई माननीय सदस्यों की आवाज आने पर) अगर आप कहते हैं कि मैं न बोलूं तो मैं बैठे जाता हूं। आप बजट पास करा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९९,४२,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०, ८८, ५९, ६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर काशी में भारी वर्षा के कारण मातली ग्राम धंसने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

माननीय श्री गोविन्द सिंह नेगी ने नियम ५१ के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि भयंकर वृष्टि के कारण जिला उत्तर काशी के ग्राम मातली और उसके आस-पास के गांव भू-स्खलन से धंस रहे हैं। और काफी जन-संख्या इससे प्रभावित हो गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे सदन के समक्ष यह निवेदन करना है कि गत १६-१७ जुलाई को उत्तर काशी में भारी वर्षा होने के कारण उत्तर काशी–ऋषिकेश मोटर रोड से ६ मील दूर स्थित मातली ग्राम धंसने लगा और वहां के भवन को खतरा पैदा हो गया। कुछ घर गिरने भी लगे। लगभग ११० परिवार इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो गये। पुलिस और मा विभाग के अधिकारियों को सहायता से तुरन्त पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने की व्यवस्था कर दी गई है। एक बड़ा कृषि क्षेत्र भी बह गया है। ८ पशुओं के भी मरने के समाचार मिले हैं किन्तु किसी मनुष्य के मत्यु की सूचना नहीं मिली है। जिलाधिकारी ने उस क्षेत्र का दौरा कर लिया है। सहायता के लिये उनके द्वारा मांगी गई धनराशि दे दी गई है।

पीड़ितों को सहायता देने के लिये उत्तर काशी जिले को अब तक ५०,००० रु० आवंटित किये जा चुके हैं जिसमें से पीड़ितों को अहेतुक सहायता एवं गृह निर्माण अनुदान दिया जायगा। इसके अलाव १०,००० रु० आपदा तकावी भी आवंटित की गई है। विभिन्न खर्चे के लिये ५०० रु० और दिये गये हैं। अब तक किसी भीषण दुर्घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक बड़ा भारी कृषि क्षेत्र बह गया, तो उस क्षेत्र का रकबा क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

रकबे की मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

जो ११० परिवार प्रभावित हुये, तो प्रति परिवार कितनी सहायता दी गयी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि प्रति परिवार कितना दिया गया।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मातली ग्राम के अलावा और कौन-कौन से गांव बह गये हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

इसके अतिरिक्त और किसी गांव के बहने की सूचना नहीं है।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि मातली के अतिरिक्त ग्राम मकोली, बौन, डुयूला, पन्जोला, माजफ और अस्तन आदि गांव भी बह गये हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी उन किसानों को जिनकी जमीन बह गयी हैं, कहीं दूसरी जगह जमीन दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

इस तरह का कोई प्रस्ताव आयेगा तो विचार कर लेंगे ।

श्री कृष्णसिंह---

जिनके मकान बह गये हैं, क्या सरकार उनको मकान बनाने के लिये देवदार की लकड़ी जंगल से मुफ्त दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आयेगा तो जिलाधीश से पूछकर तकावी आदि देने पर विचार किया जायेगा ।

श्री गोविन्दसिंह---

जो सहायता दी जाती है वह क्या है तथा जिनके मकान गिर गये है उनको अपना मकान बनाने के लिये क्या सरकार देवदार की लकड़ी मुफ्त दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

इसके ऊपर भी विचार किया जायेगा ।

श्री इन्द्रमणी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मकान बनाने के लिये दुर्भिक्ष सहायता या दवी आपदा सहायता वे अधिक से अधिक एक आदमी को कितना दे सकते हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

मकान के लिये सहायता १०० रुपये तक अधिकतर देते हैं ।

श्री कृष्ण सिंह---

माननीय मंत्री जी को मैं सूचना देता हूं कि हमारे यहां अस्तल एक गांव है जो बरसात में नदी के कटाव से बहने वाला है, तो उसके बचाव के लिये सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जायेगा ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

इसकी सूचना आने पर विचार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री जी से)---

उन्होंने जो सूचना दी है उसके ऊपर कुछ कार्यवाही कर दीजियेगा ।

श्री इन्द्रमणी---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहाड़ के ऊपर १०० रुपये में कोई भी मकान नहीं बनता है । सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ५० रुपया सहायता के लिये भेज दिया गया है लेकिन वह रुपया वैसा ही पड़ा रहता है । हमने बार-बार प्रार्थना की है

कि सरकार उस ऐक्ट में तबदीली करे लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार जब सहायता देती है तो कम से कम उतनी तो सहायता दे जितने से एक मकान बन जाय। हमारे पहाड़ों पर एक हजार रुपये से कम में कोई मकान नहीं बन सकता है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इसका आश्वासन दें कि जितने रुपये में पहाड़ पर मकान बनेगा उतनी सहायता वे उनको देंगे ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

इसके ऊपर भी विचार किया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह---

इस बात को देखते हुये कि एक मकान बनाने के लिये १०० रुपये की धनराशि बहुत कम है क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि कृपा करके वे मुख्य मंत्री फंड से उत्तर-काशी में जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं उनको कुछ सहायता प्रदान करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

विचार किया जायेगा अवश्य इस सुझाव पर ।

नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है। इसको नियम ५६ में तो स्वीकार नहीं किया है लेकिन नियम ५१ में केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। इस पर कल ३०-७-७१ को वक्तव्य होगा। यह श्री त्रिवेणी सहाय द्वारा सूचना आयी थी जो इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोके जाने से घोर असन्तोष के सम्बन्ध में है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

जिला इटावा में हरिजनों से जमीन जबरदस्ती छीना जाना, उनसे रिश्वत लेना तथा मारपीट के संबंध में श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री अमरनाथ दुबे और मैंने दिया है, उसके लिये माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा है, इसलिये उसको नियम ५१ में कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसी किस्म का और लोगों का भी है जिनको मैंने स्वीकार नहीं किया है। अगर आपको स्वीकार कर लेंगे तो गड़बड़ी हो जायेगी। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। इस पर ४-८-७१ को वक्तव्य होगा ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, इलाहाबाद में सिटी बस सर्विस के चालकों ने हड़ताल कर दी है। नगर में केवल रिक्शा ही आवागमन के लिये साधन रह गया है। पचासों हजार जो डाक्टर, वकील व अन्य कर्मचारी हैं, उनका आना-जाना बस पर ही निर्भर करता है इसको आप कम से कम वक्तव्य के लिये स्वीकृत कर लें। मेरे पास चूंकि आपने सूचना भेज दी है इसलिये मैंने सोचा कि इस संबंध में आपको मैं पूरी सूचना दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५१ के अन्तर्गत यह स्वीकार नहीं हुआ है इसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न की सूचना दे दें ।

श्री मंजूर अहमद ने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है जो यू० पी० कोआपरेटिव स्पीनिंग मिल लिमिटेड इटावा के संचालक मंडल के सदस्यों की नामजदगी में सरकार द्वारा विलम्ब के संबंध में यह अस्वीकृत किया गया है। श्री सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय और श्री अमरनाथ दुबे ने नियम ५१ की सूचना जिला इटावा में हरिजनों से जमीन जबरदस्ती छीना जाना, उनसे रिश्वत लेना तथा मारपीट करने के संबंध में है । यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । वक्तव्य ४-८-७१ को होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसको नियम ५१ में कर दीजिये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

इस विषय में नेता विरोधी दल ने आपसे निवेदन किया था नियम ५१ में स्वीकार करने के लिये, उसे आप मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो मैंने स्वीकार किया है, यदि नेता विरोधी दल कहेंगे तो वैसा भी कर दूंगा ।

श्री जयराम यादव और श्री रामधारी शास्त्री का जिला परिषद् प्रतापगढ़ के अध्यापकों के निष्काषन के बारे में है, जिसको अस्वीकार किया गया है । सर्वश्री रामकुंवर सिंह, सुरेन्द्र विक्रम व बंशीधर पान्डे जी का तहसील सगड़ी आजमगढ़ में बाढ़ के कारण गांवों के कटाव पर है, जो कि बाढ़ वाले वक्तव्य में शामिल कर लिया गया है। श्री हरिवंश सहाय जी का पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के स्नातकों को नौकरी मिलने में कठिनाइयों के बारे में है---यह अस्वीकार किया गया है । कल्पनाथ सिंह जी का गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के कटाव से गांवों को खतरा के बारे में है, इसे भी बाढ़ वाले वक्तव्य में शामिल कर लिया गया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

ये आपके १५-२० सूचनायें धीरे-धीरे बाढ़ वाले वक्तव्य में शामिल करते जा रहे हैं । हमारे बलिया में भी स्थिति अब बदल गई है, गंगा में भी जोरों से बाढ़ आ गई है, उसके डूबने का खतरा है, पता नहीं क्या स्थिति है उसके बारे में । आप उसके लिये एक दिन का समय दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक सप्ताह में एक बार जो बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य होता है उसमें यह होगा ।

श्री कृष्णानन्द राय--

ऐसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

फिर देखा जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जो सूचना मैंने सरकार से चाही है, मैंने उनको निश्चित तौर पर उन गांवों के नाम दिये हैं । आप मंत्री जी को यह भी हिदायत कर दें--

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो पूरा आयेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

फिर भी हिदायत कर दें क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने गांवों के नाम छोड़ दिये थे। इसलिये मैं कहूंगा कि वक्तव्य में हर गांव का जिक्र होना चाहिये और किस-किस के सिलसिले में क्या-क्या करने जा रहे हैं यह भी आना चाहिये ।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)--

छितौनी बांध के बारे में जो वक्तव्य होगा बलिया-बेरिया बांध के बारे में भी सिंचाई मंत्री....

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न लिखकर दें । श्री शम्भूनाथ चौधरी का बलिया जिले में गंगा और घाघरा द्वारा कटान के बारे में था, यह भी बाढ़ वाले वक्तव्य में शामिल किया जायगा। श्री नित्यानन्द स्वामी ने गंगा नदी की बाढ़ के कारण देहरादून जिले के कटाव के बारे में दिया था--यह भी बाढ़ वाले वक्तव्य में शामिल किया जायगा ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, हमारे जिला इलाहाबाद में ५०० सिटी बस चालकों ने हड़ताल कर रखी है, आप उस पर वक्तव्य दिला दें, मैं प्रश्न नहीं करूंगा । उससे समस्या हल हो जायेगी । आप तो प्रधान मंत्री इलाहाबाद की बना देते हैं । आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे होगा ।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, मैंने १०० अध्यापिकाओं के निष्कासन के बारे में दिया था, उनको कल पृथक कर दिया जायगा आप अफसरों को हिदायत कर दें कि अभी ऐसा नहीं करें नहीं तो बहुत मुश्किल हो जायगी । अभी आप स्टेटन को बनवाये रखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मंत्री जी इसके बारे में जो कहना चाहें कह दें । यह चाहते हैं कि जब तक उत्तर नहीं आये, स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे । निकाल दी जायेंगी तो कठिनाई होगी। जो बहुत दिनों से नौकरी में थी, उनका टेस्ट हुआ और उन सबको निकालने का नोटिस हुआ है। तो तब तक न हो, जैसे अल्पसूचित प्रश्न आपने किया । आपकी दरखवास्त है कि तब तक आप कुछ देख लें ।

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)--

इसमें समय चाहिये दस दिन का कम से कम क्योंकि सूचनायें मंगानी होंगीं । तब मैं वक्तव्य दे सकूंगा ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, पहले नियम ५१ में दिया था, चार हजार के लगभग अभी निकाले जा रहे हैं । किसी तरह से राजस्व मंत्री से वक्तव्य दिलवा दें । दस-दस, बारह-बारह साल के काम करने वाले अमीन हैं, सबको निकाला जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो प्रशासनिक मामले हैं जो बहुत से होते हैं। माननीय रामकरन सिंह नहीं हैं। अब उनका बोलने का हक खत्म होता है। अब मैं माननीय सुरेन्द्र विक्रम को बोलने के लिये कहता हूं। कार्य सूची-१२।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता था। माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायें कि जो प्रान्त में हाई स्कूल, इंटर की मान्यता समिति का गठन हुआ था इस साल समिति समाप्त कर दी गयी है, पूरे प्रान्त में हाहाकार मचा हुआ है। देहात में सारे लड़के और अभिभावक परेशान हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अनुदान आयेगा तो उठा सकते हैं। ऐसे कैसे जवाब दिलवाया जाय ?

श्री राम कुंवर सिंह---

सारे लड़के मारे-मारे फिर रहे हैं। मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं है। समय बीता जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री कृष्णा नन्द राय---

अभी १५ मिनट बाकी हैं। शिक्षा मंत्री जी बता दें, वह बताना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे पता नहीं है, बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। जो विधिवत् होता है उसी ढंग को अपनायें। अगर आपका ऐसा ख्याल हो कि सामान्य कार्य के उपरान्त का अर्थ है पांच बजे के उपरान्त, लेकिन अगर सामान्य कार्य पहले समाप्त हो जाय, तो सभी सामान्य कार्य समाप्त हो गया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

मेरठ शहर में गढ़ रोड के निकट रोडवेज स्टेशन हेतु ली गयी भूमि को राज्य मंत्री श्री उमादत्त शर्मा द्वारा कथित रिश्वत लेकर छुड़वाने तथा एक हजार रुपया भेंट लेने के प्रयास के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा [क्रमागत]†

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रामकरन सिंह बोल रहे थे। वह नहीं है इसलिये उनका हक समाप्त होता है।

(माननीय सुरेन्द्र विक्रम)

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के अन्तर्गत जो भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है, जो माननीय वर्मा जी ने चार्ज लगाया है १ लाख और १ हजार रुपया लेने का उमादत्त जी पर, और गौरी शंकर राय जी ने पत्र लिखा है, मेरी समझ में यह नहीं आया, कल भी काफी बातचीत हुई। माधव प्रसाद जी ने, जायसवाल जी ने और वीरेन्द्र वर्मा जी ने जितने तथ्य थे सब सामने रखे। माननीय उमादत्त जी ने सारी बातें मान लीं, मान लिया कि जमीन रिलीज की गयी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२८ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही से।

उन्होंने मान लिया कि इसका मुआवजा दिया गया उन्होंने मान लिया कि उन्होंने नोट भेजा परिवहन मंत्री के पास। परिवहन मंत्री का बहानों का विभाग है। शाम को किसी समय दस्तखत कर दिया। इसलिये आदेश हो गया कि जमीन ले लो। अब सदन क्या यह चाहता है कि उमादत्त जी ने जब ये सब बातें मान लीं तो यह भी ऐलान करते हैं कि एक हजार रुपया और एक लाख रुपया ले लिया है। यह कैसे सम्भव है ? क्या सदन यह चाहता है।

जितने एलीगेशंस गौरीशंकर राय, वीरेन्द्र वर्मा या माधव प्रसाद जी ने लगाये थे, उनके खिलाफ, उनका पत्र आया, परिवहन मंत्री जी का भी पत्र है, जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने सारे एलीगेशंस मान लिये। सिर्फ एक बात को छोड़ कर १ लाख रुपये वाली। यह किसी प्रकार संभव ही नहीं हो सकता कि उन्होंने १ लाख रुपया नहीं लिया। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें १ लाख रुपया लेने वाली बात भी सिद्ध हो गयी। वह समाजवाद के बड़े हामी हैं। और अगर समाजवाद की यह परिभाषा है कि जो मालदार है उससे रुपया किसी सूरत में भी ले लिया जाय, चाहे कानून बना कर जब्त कर लिया जाय, भूमिधर बना कर रुपया ले लिया जाय या रिश्वत के जरिये ले लिया जाय तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

इस तरह का सवाल अव्वल तो हाउस में उठना नहीं चाहिये था क्योंकि यह बहुत दयनीय तथा सोचनीय प्रश्न है। लेकिन अगर मंत्री के खिलाफ कोई प्रश्न उठ गया था तो उनका पुनीत कर्तव्य था जैसी कि परम्परा भी रही है वह इस्तीफा दे देते और माननीय मुख्य मंत्री ऐलान करते कि सी० बी० आई० तथ्यों की जांच करगी और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वह अपने मंत्री पद पर नहीं रहेंगे और अगर उन पर लगा हुआ आरोप निराधार साबित हो जायगा तो फिर उनको मंत्री बना दिया जायगा। अब वह राज्य मंत्री हैं उनको तब कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया जाता। इस प्रकार जो भद्दी तस्वीर आज मंत्रि-मंडल की प्रदेश के सामने आई है वह न आती। उदाहरण के लिये मैं बतलाऊं लोक सभा में मेनन साहब ने रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तथा टी० टी० कृष्णमचारी ने आरोप लगने पर इस्तीफे दिये, उसी तरह से राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन को इस्तीफा दे देना चाहिये था। ऐसी स्थिति में हाउस में जो एक हड़कम्प मच रहा है वह भी न मचता। समाजवाद की बात सब करते हैं लेकिन यह आता क्यों नहीं। इसलिये नहीं आता कि जो मंत्रि-पद पर आसीन हो जाता है उसे बंगला, मोटर, फर्नीचर आदि सब चाहिये। भारत एक गरीब देश है लेकिन उनको ये सब चाहिये। पुरानी मिसालें मौजूद हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य जब भारत का सम्राट था तो उनका मंत्री चाणक्य झोपड़ी में रहता था और सल्यूकश जब भारत आया तो वह उनसे मिलने उनकी झोपड़ी में ही गया लेकिन आज एक मंत्री को सारे ऐशो आराम के सामान चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ये शासन सम्बन्धी बातें हैं। आप विषय पर ही बोलें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आपका आदेश मैं मानता हूं वर्ना मंजूर अहमद साहब जैसी बात कह दी थी और जिनके कहने से हाउस में तनातनी हो गयी थी वही इस समय भी हो सकती है। आपका विवेक है, आपने मंजूर अहमद साहब को बुलाया भी लेकिन किस प्रकार उन्होंने मोरार जी को घसीटा, अनन्तराम जी पर आरोप लगाये यह उनको सोचना चाहिये था, अपनी हैसियत को भी देखना चाहिये था। उर्दू का एक शेर मैं इस सिलसिले में अर्ज करूंगा :

"शोरे दरिया से यह कहता समुन्दर का सकून
कि जिसका जितना फर्ज है उतना ही वह खामोश है।"

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]
और इसीलिये इस सदन में एक बड़ा अजीब वातावरण पैदा हो गया । जितने तथ्य इस विषय में थे वे सब सदन में आ गये । अभी यह भी कहा गया कि उनके पास २२० एकड़ जमीन है । तो आखिर यह जमीन उनके पास कैसे आ गई । वैसे तो ठीक है सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप होते ही रहते हैं किन्तु एक मिनिस्टर की गरिमा होती है और मंत्री पद पर कोई आरोप लगाये तो उसका अच्छा असर नहीं पड़ता है । अभी जो विवेक यहां सदन में सामान्य प्रशासन पर चल रहा था उसमें भी कहा गया कि कितना भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की गई । किन्तु जब मिनिस्टर ही रिश्वत लेने लगेगा तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम अधिकारियों के लिये कहें ।

पहले हमको अपने आपको देखना चाहिये । जब हमारा आचरण स्वच्छ रहेगा तभी हम दूसरों के लिये भी कह सकते हैं । इस विषय में कि जितने भी तथ्य थे ये तो सब सदन में आ चुके हैं और उनकी जानकारी सभी को हो गई है, जो पत्र माननीय बलराम सिंह जी ने लिखे हैं उनको सब लोग जानते हैं और उससे स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो गई है । उन पत्रों को देखने से मालूम होता है कि ये पत्र बठकर किसी एक आदमी ने ही लिखे होंगे और उनको साइक्लोस्टाइल्ड करके लोगों को बंटवा दिया होगा । जब आपने सारे तथ्यों को मान लिया है तो आप उस एक हजार रुपया वाले तथ्य को भी क्यों नहीं मान लेते हैं । उस रुपये को क्यों नहीं आप यू०पी० सी० सी० के फंड में दे देते हैं । बेकार में सदन का समय दो-ढाई घंटे चर्चा के लिये खराब करते हैं और समय बढ़ाते हैं । वह बात भी खत्म हो जाय । तो मेरा यही कहना है कि माननीय मंत्री जी ने सभी बातें मानली हैं, जमीन के एलाट होने के बारे में उन्होंने मान लिया है, उसका कैंसिलेशन मान लिया है, उस जमीन को रिलीज किया गया यह आप मानते हैं परिवहन मंत्री को जो नोट भेजा है उसे आपने माना है तो आप उसके इस अंश को भी मान लीजिये और बात समाप्त हो जायेगी ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं कल बोल रहा था । मुझे मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें लिखा है कि इस पर विवाद सामान्य कार्य के उपरान्त होगा । अतः जब सामान्य कार्य समाप्त हो गया और जब मैंने आपका नाम पुकारा था, उस समय आप उपस्थित नहीं थे । अतः हम आगे बढ़ गये । श्री सुरेंद्र विक्रम जी बोल रहे थे । अब उसके बाद नेगी जी बोलेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

कायवाही में तो मेरा नाम छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जिनके इसमें नाम हैं, उनको समय दिया गया ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, सौभाग्य की बात है कि आज आज इस विषय को ऐसे समय पर ले रहे हैं कि सदन में वह गरमी नहीं है जो कि कल थी । मेरा निवेदन यह है कि ऐसे ही वातावरण में ऐसे प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिये ताकि हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप उत्तेजित न करें ।

श्री गोविन्द सिंह---

नहीं मान्यवर, मैं उसे ठंडा करूंगा । मेरा निवेदन यह है कि यह कोई पहली बार नहीं हुई है कि मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जायं। अकेले यही सदन नहीं है, मान्यवर, सारे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के सदन में लगातार और कई बार मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्न उठाये जाते हैं। हमारे संसद के अन्दर लगातार मंत्रियों के भ्रष्टाचार के बारे में प्रश्न उठाये जाते हैं ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार ऐसे प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों का स्थायी हल होना चाहिये । ताकि यह प्रश्न वहीं स्पष्ट किये जा सकें और इसीलिये मान्यवर मैं उस मांग को दोहराना चाहता हूं जिसको हम लगातार उठाते आ रहे हैं कि एक परमानेंट ट्रायब्यूनल बनाइये जो इस तरीके के भ्रष्टाचारों की जांच करें । उससे यह होगा कि जिम्मेदारी से आरोप लगाये जायेंगे और संबंधित मंत्रियों को अपनी सफाई का मौका मिलेगा, खुल कर जांच होगी, शहादतें आयेंगी और जो निर्णय निकलेगा वह जनता के सामने जायेगा । आज होता यह है कि एक तरफ से कुछ आरोप लगाये जाते हैं, दूसरी तरफ से उस पर प्रत्यारोप होते हैं । वह अखबारों में छप जाता है । दोनों तरफ से एक डाउट पब्लिक के अन्दर आ जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जनरल बोल रहे हैं, इसी प्रश्न पर बोलें ।

श्री गोविन्द सिंह---

यह तो भूमिका थी, मैं आ रहा हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़े जिम्मेदार विपक्षी सदस्यों ने जो मंत्रि-परिषद के सदस्य रह चुके हैं बड़े गम्भीर आरोप इस सदन के अन्दर लगाये । वह आरोप सही हैं या गलत, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं । क्योंकि मेरठ के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है लेकिन साफ जाहिर है कि इस मामले को सामान्य तरीके से नहीं हल किया गया ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

प्वाइंट आफ आर्डर है । कहते हैं कि जानकारी नहीं है तो बिना जानकारी के क्यों बोलते हैं, सदन का समय क्यों ले रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह---

ये बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आदर करता हूं । पर जरा बतावें कि यह कौन-सा प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपको जानना चाहिये था । वह ध्यान आकृष्ट कर रहे थे ।

श्री गोविन्द सिंह---

तो वह करते । प्वाइंट आफ आर्डर क्या था ? तो यह बात स्पष्ट है कि कब्जा रोडवेज ने ले लिया जमीन का तो कानूनी रूप से वह कब्जा "ऐबसोल्यूट" हो गया ।

[श्री गोविन्द सिंह]

लैन्ड अक्वीजीशन की पूरी प्रक्रिया कम्पलीट हो गयी, जमीन का कब्जा सरकार ने ले लिया तो जहां तक हस्तांतरण है वह ऐबसाल्यूट हो जायगा । यानी सरकार जमीन की मालिक बन गयी। अगर दोबारा उसको हस्तांतरित किया जाता है तो उसके नियम हैं, कानून हैं। केवल शासकीय आदेश से मंत्री जी केवल एक आदेश फाइल के ऊपर कर दें कि यह जमीन वापस कर दी जायगी तो वह वापस नहीं होती। उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी होती है, वह भी नहीं है । तो मान्यवर, इन चीजों से लगता है कि जिस तरीके से यह चला है वह सामान्य रूप से नहीं चला है। मैं उत्तरकाशी का उदाहरण देता हूं, इसी की तुलना कर रहा हूं । यहां चूंकि मंत्री जी इनफलुएंशल आदमी हैं वह छुड़ा सकते हैं ।

हमारे इंटीरियर उत्तर काशी में बड़ी-बड़ी बढ़िया सुन्दर जमीनें, सरकारी अफसरों ने अक्वायर करवा लीं, जब कि पड़ोस में बंजर जमीन मौजूद होती है अपने बंगलों और कालोनीज के लिये । हम दर-दर की ठोकरें खाते हैं । लेकिन मेरठ में चूंकि मंत्री जी इंटेरेस्टेड हैं लिहाजा वह जमीन.....

श्री उपाध्यक्ष---

इस घटना के बारे में जो आपको जानकारी है वह दें ।

श्री गोविन्द सिंह ---

तुलना तो करनी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

तुलना की यहां आवश्यकता नहीं है । घटना के बारे में कहें ।

श्री गोविन्द सिंह---

मैं बिल्कुल असंगत नहीं बोल रहा हूं । कृपा करके आप बीच में न टोकें इस तरीके से ।

तो यह प्रोसीजर अडाप्ट किया गया वह संदेह पैदा करता है । लिहाजा मैं और अधिक नहीं कहूंगा मैं नम्रता के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप माननीय उमादत्त जी के साथ न्याय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परिवहन मंत्री जी के साथ इंसाफ हो, तो आप इस संबंध में कोई जांच कमीशन बैठा दें । उसके सामने शहादतें होंगी, तमाम रिकार्ड उसके सामने आयेगा और दोनों मंत्रियों को वहां आने वाली साक्ष्य से जिरह करने का भी अधिकार होगा । यह इस शासन की प्रतिष्ठा को बढ़ायेगा ।

दो दिन से लगातार यहां चर्चा चल रही है । अखबारों में सब बातें आ रही हैं, दो दिन से लगातार आम जनता में तरह-तरह की बातें चल रही हैं । इसलिये इस विषय में आप एक जांच आयोग गठित कर दें । इससे सरकार की प्रतिष्ठा घटेगी नहीं, बढ़ेगी । दोनों मंत्रियों के साथ भी न्याय हो जायगा और इस बारे में जनमानस में जो गलतफहमी पैदा हो गयी है, प्रशासन के प्रतिभ्रम पैदा हो गया है कि यह भ्रष्टाचारी मंत्रियों को पनाह दे रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि उसके बारे में एक जांच कमीशन नियुक्त किया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब इस प्रश्न को करने के लिए मुझे सोचना पड़ा। चूंकि श्रीमन् मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय गौरीशंकर राय सदस्य

विधान परिषद ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की है । प्रदेश में कुछ इस प्रकार की चर्चा हुई । माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रश्न किया गया था कि क्या उनको ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ है । अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर भेज दिया होता । संभवतः उसका मुख्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि उनका पत्र प्राप्त हुआ । सवाल में यह भी कहा गया था कि क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी । उसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल शिकायत कर्ता के पत्र की प्रतिलिपि ही नहीं रखी बल्कि अपने दो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के स्पष्टीकरण भी रखे ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में अपनी कोई बात नहीं कही और न इस मामले की कोई जांच ही उन्होंने की और अगर की तो उसकी कोई फाइंडिंग इस सदन के सामने नहीं रखी । जब कि प्रश्नकर्ता का यह अभिप्राय था कि मुख्य मंत्री जी केवल यह बता दें कि यह मामला झूंठा है या सच्चा है तथा उन्होंने इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की है ।

श्रीमन्, जिस दिन यह प्रश्न आया, आप जानते हैं कि उस दिन अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का भी समय नहीं मिला, इसलिये मैंने कहा कि आप मुझे इजाजत दे दें और आपने कहा कि उसकी चर्चा के लिये लिखकर दे दीजिये, समय दे दिया जायगा । जो तथ्य सामने आये उनके आधार पर यह कोई नहीं कह सकता कि श्री गौरीशंकर राय ने यह कहा है कि उन्होंने आपनी आंखों से किसी मंत्री को कोई पैसा लेते देखा है उन्होंने कहा कि मैंने चौराहे पर इस प्रकार बातें सुनीं । उन्होंने माननीय मंत्री जी की पार्टी के एक मौलाना साहब का नाम लिया जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और सदस्य विधान सभा-श्री आशाराम इन्दु का भी जिक्र किया ।

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री आशाराम इन्दु जी का भी स्पष्टीकरण सदन के सामने रख दिया होता तो दूसरी बात थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से जब मैंने पूछा कि क्या मुख्य मंत्री जी ने आशा राम इन्दु जी से जांच की है तो उन्होंने कहा कि पूछ लिया है । अगर पूछ लिया था तो उसका लिखित बयान क्यों नहीं लिया ? लिखित बयान आ जाना चाहिये था, उससे कोई नतीजा निकालने में सुविधा होती । लेकिन जो तथ्य आपके सामने हैं वह मैं एक-एक करके सदन के सम्मुख रखने की चेष्टा करूंगा ।

मुख्या मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैंने यह कहा था कि श्री आशाराम इन्दु से मेरी बात हुई है और उन्होंने यह मुझे बताया कि वह इस जमीन को देने के खिलाफ थे लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उसमें रिश्वत ली गयी । यह शायद रेकार्ड में होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुख्य मंत्री जी ने तो कहा लेकिन श्री आशाराम इन्दु की तरफ से कोई बात नहीं आयी, न लिखित बयान आया और न आशाराम इन्दु ने इस सदन में ही अपनी बात कही । आप देखें कि २८ फरवरी, १९६७ को भूमि अध्याप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । २३-१०-६७ को १,१७,८६७ रुपये उसकी कीमत निश्चित हुई और संभवतः दे भी दी गयी । जमीन कितनी थी जिसके लिये १ लाख १८ हजार के करीब मुआविजा तय हुआ । जो बयान आया है उसके हिसाब से करीब ७ बीघा । अब जरा देखिये, बीघा अलग-अलग प्रचलित है । कहीं ६ बिस्वां का, कहीं १० बिस्वा का । बयान में कहीं नहीं लिखा है कि कितने बिस्वा का बीघा है । हम तो जानना चाहते हैं कि एकड़ में वह जमीन कितनी है । हम तो समझते हैं कि डेढ़ या पौने दो एकड़ के करीब हुई ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

हमारे चीफ व्हिप बता रहे हैं कि सवा एकड़ । तो आप देखें कि सवा एकड़ की कीमत १ लाख १८ हजार रुपये । माननीय मंत्री जी की तरफ से यह कहा गया कि यह भूमि उर्वरा और कृषि योग्य थी इसलिये इसको नहीं लेना चाहिये था बस स्टेशन के काम के लिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कौन ऐसी खेती योग्य जमीन है जिसका इतना सुआविजा सरकारी अधिकारियों ने दिया हो। इस जमीन की कीमत अन्य कारणों से ज्यादा थी न कि उसके कृषि योग्य होने के कारण ।

बात यह है कि शहर में होने के कारण धीरे-धीरे इसकी कीमत बढ़ती गयी और ११-११-७० को जब रोडवेज को कब्जा जिलाधिकारी ने दिलवा दिया तो फिर अप्रैल में हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुई । संभवतः ३० अप्रैल को हाई कोर्ट ने अन्तरिम आदेश पास कर दिया। यह सरकार अप्रैल के पहले सप्ताह में आयीं और उसके बाद यह सारी कार्यवाही शुरू हुई। जो मामला रिट के अन्डर हाई कोर्ट में पेंडिंग हो उस मामले में मंत्री जी ने स्वयं अपने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया ।

मोटे तौर पर जितने भी मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग होते हैं उनमें कोई ऐक्शन सरकार नहीं लिया करती । अगर लेती है तो कैबिनेट या सरकार यह फैसला करती है कि इस मामले को कंटेस्ट किया जाय या नहीं । यह भी है कि ला डिपार्टमेंट से या अपने सरकारी वकीलों से राय ली जाती है कि इस मामले में क्या करें । जो मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है उसके विषय में जो बयान हैं उनमें कहीं भी यह बात नहीं कही गई है कि ला डिपार्टमेंट से कोई राय ली गई हो । कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं आया है ।

माननीय शर्मा जी कहते हैं कि एक बार विधायक होने के नाते अप्रैल में दूसरी बार मंत्री होने के बाद २५ मई को और फिर तीसरी बार ३१ मई को उन्होंने परिवहन मंत्री को लिखा । शर्मा जी ने एक नोट परिवहन मंत्री जी को भेजा । परिवहन मंत्री जी ने उसी नोट पर आदेश कर दिया कि जैसा उनका सुझाव है उसी प्रकार से कार्यवाही कर दी जाय । ठीक है । मैंने निवेदन किया था कि इस बात की परवाह नहीं की गई कि हाईकोर्ट में यह मामला पेंडिंग है और हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रुख होगा । आप इस बात को देखें कि बयान में और सारी बातें कही गई लेकिन परिवहन मंत्री जी ने भूमि छोड़ने की कार्यवाही किस तारीख को की गयीं । अगर एक बात का हवाला और दिया होता कि यह भूमि न छोड़ी जाय क्योंकि अधिकारी इसके पक्ष में नहीं हैं तो यह कार्यवाही सही हुई होती । उस सारे बयान में यह हवाला नहीं दिया गया । एक बार भी इस बात को नहीं कहा गया फिर हमने जो भाषण सुना उसमें केवल यह कहा गया कि वह ऐसा, यह ऐसा ।

आपको तथ्यों पर बात करनी थी कि आपके पास तथ्य क्या थे और तथ्यों पर आपने क्या कार्यवाही की । मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो माहौल इस प्रदेश में बना हुआ है और इस देश में बना हुआ है और सारे लोगों की यह भावना बनती जा रही है कि यह विष गिलास में नहीं, लोटे में नहीं, घड़े में नहीं, कुयें में नहीं बल्कि गंगोत्री से ही चला आ रहा है । सार्वजनिक जीवन की पवित्रता के लिये यह आवश्यक था कि इस प्रकार की चर्चा यहां उत्पन्न हो, जहां कहीं भी माननीय सदस्य को इस प्रकार की गंध आवे ।

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक जीवन की पवित्रता के लिये स्थिति को स्पष्ट किया जाय । मुख्य मंत्री जी के सार्वजनिक जीवन की लम्बाई बहुत बड़ी है । उनका जो अनुभव है उसकी तुलना करने के लिये मैं अपनी धृष्टता नहीं कर सकता मगर मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि इस सदन के नेता होने के नाते कि क्या मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात की तकलीफ गवारा की कि जब गौरीशंकर राय जी ने उनको पत्र लिखा तो उन्होंने उनको बुलाकर पूछा कि इसके पीछे तथ्य क्या है और क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। अगर

उनको वह सन्तुष्ट कर पाये होते अथवा श्री आशाराम इन्दु का जिक्र किया कि वे इस बात के लिये विरोध में थे कि इसको छोड़ा न जाय, तो इस दिशा में स्थिति को स्पष्ट किया होता। जो कुछ भी मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करने जा रहा हूं। यह आशाराम जी इन्दु और मुख्य मंत्री जी के बीच की बात है।

मैं कह रहा हूं कि इस मामले की सीधी जांच कर के सदन क सामने लाने की चेष्टा नहीं की गई और यह बात साबित करती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के मन में स्वतः कहीं न कहीं कमजोरी है। इतने दिन बहस होते और इस सवाल को उठे हो गये लेकिन आजतक श्री आशाराम इन्दु का बयान सदन में नहीं हो सका।

एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि बड़ी बदकिस्मती है आज की राजनीति की। आप देखें कि उधर से बोलने वाले कौन-क्रौन आये हमारे लायक दोस्त श्री शेरअली साहब, मंजूर अहमद साहब और अब उधर से बोलने को खड़े हो रहे हैं जनाब मुमताज मोहम्मद खां साहब और इससे यह देखा जा सकता है कि क्यों? यह जमीन किस की है, साफ तौर पर नहीं तो बड़ी खूबसूरती से कहा गया कि वह जमीन घोसियों और गरीब मुसलमानों की है लेकिन यह सवाल यहां नहीं है कि जमीन किसकी है किसी की भी हो लेकिन यहां तो इस मामले को एक दूसरा रंग देने की भी कोशिश की गई। जातीयता का या साम्प्रदायिकता का रंग देने से ऐसे मामलों का हल नहीं निकला करता, चाहे कोई एक लाख कोशिश करें, चाहे जितना हल्ला करे, तूफान बरपा करे उसका कोई नतीजा नहीं होगा।

जो प्रश्नकर्ता महोदय थे उन में से एक हमारे दल के दूसरे विधायक भी थे यादव जी। इस हिसाब से तो परिवहन मंत्री, यादव जी के खिलाफ उनको सवाल नहीं उठाना चाहिये था अगर जातीयता की ही बात होती तो। हम यह जानते हैं कि हमारी अपनी राजनीति में कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है और हम इन चीजों में विश्वास रखते हैं और न इस तरह की बात सोचते हैं। मैं साथी मंजूर अहमद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बताया कि कोई मौलाना साहब हैं जिनका उसमें जिक्र है वह जिला इंडीकेट कमेटी के अध्यक्ष ही थे। लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलता। यह सदन और प्रदेश की जनता सब देखें कि इस का कारण क्या है। वीरेंद्र वर्मा जी ने १,००० रुपये की बात कहीं और गाजियाबाद की दूसरी ६ लाख की और एक अखबार नैनीताल से निकलता है उसका एक हेडिंग है एक खबर का कि "पहाड़ियों सावधान, स्वायत्त शासन मंत्री की लूट"

(आवाजें आगे पढ़िये—आगे पढ़िये)

क्या आगे पढ़ूं, बड़ी विचित्र बात है, इजाजत होगी तो मैं पढ़ दूंगा। नहीं तो छोड़ दूंगा। मैंने केवल एक बात कही कि इसका कारण क्या है चेयर से या मुख्य मंत्री जी का आदेश होगा तो मैं पढ़ दूंगा। अगर मुख्य मंत्री जी यह समझते हैं कि उनके दोनों मंत्री निर्दोष हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आग की तपी तपाई सीता को राम ने बनवास भेजा था। इन शब्दों के साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे बहुत ही प्यारे साथी भाई कल्पनाथ जी ने मेरा नाम अपने प्यारे होठों से लिया, मैं उनकी इस बात का शुक्रगुजार हूं लेकिन उन्होंने जिस भावना को प्रकट किया उससे मुझे बहुत दुख हुआ। न मैंने कभी इस तरह से सोचा है सम्प्रदायिक ढंग से और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी इस तरह से सोचूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मोहम्मद खां]

लेकिन मुझे अफसोस है, खेद है कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी इस तरह की बात सदन में करें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को कोई दिक्कत है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

आरोप लगा देना बहुत आसान है । जरा सी जबान माननीय कल्पनाथ सिंह जी खुल गयी और लगे वे इस प्रकार के आरोप लगाने । किसी को गुन गार ठहराना जबान का हिलाना है लेकिन मान्यवर, अगर यह बात सही है नहीं भी है तो गोविल्स के अनुसार किसी गलत या झूठ बात को बार बार कहने पर भी वह सच मालूम होने लगती है, उसी प्रकार से ये बातें कह कर सदन में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है । श्रीमन्, मुझे यकीन है कि माननीय उमादत्त शर्मा बिल्कुल निर्दोष हैं और जो उनपर कलंक लगाया जा रहा है वह सब राजनीतिक ढंग से लगाया जा रहा है । इसके पीछे, मान्यवर, राजनीतिक चाल है।

कुछ लोगों ने अगर रोडवेज के बस स्टैंड के लिये जमीन एक्वायर की, जब कि हमारी सरकार भी नहीं थी, और इन्होंने प्रयास किया । मार्च १९७० से कोशिश की, उस समय यहां पर धर्म सिंह जी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, यह मामला उनके भी विचाराधीन रहा, तो क्या बुरा किया उसके बाद सरकार बदली और उसके बाद अक्टूबर, १९७० में मान्यवर, एवार्ड हुआ और उसमें इन गरीब किसानों के साथ, जिनकी यह जमीन थी, कितना अन्याय हुआ । पहले के एक्वीजीशन अधिकारी ने शायद १८ रुपया स्क्वायर गज का मुआविजा तय किया था और जिसने एवार्ड दिया वह एवार्ड केवल ४ रुपये ८५ पैसे प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से दिया गया, बिना किसी प्रकार के कारण बताये, उनके साथ अन्याय किया गया था । आप सोचें मान्यवर, कि कितने रुपये स्क्वायर यार्ड कम हो गया ।

जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने रोडवेज के स्टैन्ड को कभी देखा है, क्या उन्होंने कभी मेरठ को भी देखा है, क्या वे वहां पर कभी गये हैं, मुझे श्रीमन्, मालूम है कि वह जमीन बस स्टैन्ड के लिये किसी भी हालत में मुनासिब नहीं है और अगर उस अन्याय को जो वहां के किसानों के साथ किया गया, दूर करने के लिए माननीय उमा दत्त ने कोई प्रयास किया तो बिल्कुल सही किया । माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि चौराहे पर माननीय गौरीशंकर राय जी ने कुछ बातें सुनीं । उन्होंने उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा । तो चौराहे पर तो हर किस्म की बातें होती हैं । क्या इन बाजारू बातों पर यकीन किया जा सकता है ? हो सकता है कि माननीय चरण सिंह जी जैसे महान व्यक्ति के बारे में भी कहा गया हो कि इन्होंने १६ लाख रुपये मिल मालिकों से ले लिया लेकिन हमें तो यकीन नहीं है और न किसी को होना ही चाहिये । किसी के प्रति क्या कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन उसको यकीन करना और सदन में यहां पर बहस करना जिससे किसी की इज्जत पर हमला हो, मैं समझता हूं कि किसी प्रका से भी उचित नहीं है । उनके मुताल्लिक गलत बातें पैदा करके, कह करके, उनका यहां पर जिक्र करके ऐसा वातावरण पैदा किया जाता है कि जिससे इस सदन की मानहानि होती है, हम सब की मानहानि होती है ।

गरीब किसानों की जिनकी जमीनें जा रहीं थी जो कि कौड़ियों के मूल्य में ली जा रही थी अगर वे पीड़ित थे, अगर उनके लिये किसी ने कुछ भी किया या किसी और साथी ने किया वह सही है । मान्यवर, वह जमीन कीमती है । उसके लिये खुद देख लीजिये

एक्जीक्यूशन आफिसर ने १८ रुपये से हटकर ४.८५ पैसे दर से उसका मुआविजा दिया गया। आखिर उनको क्यों नहीं दुख होगा। आखिर वे क्यों नहीं कोशिश करते। उन्होंने पूरी कोशिश की। इस तरह से कोशिश की कि इस दौरान में दुर्भाग्य से प्रदेश की गवर्नमेंट ही बदलती रहीं, हर गवर्नमेंट में कोशिश की। मगर पूरे रीके से सुनवाई किसी ने नहीं की। पूरी तरह से विचार नहीं किया। आज जब कोई इस तरह की बात हुई तो कहा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे भाई कल्पनाथ सिंह जी ने मुझे दोषी करार दे दिया कि मैंने साम्प्रदायिक भावना से....

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने अपनी बात वापिस ले ली है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

अध्यक्ष महोदय, मैं उनको अपना साथी समझता हूं। मुझे उनसे निजी तौर से शिकायत है।

मान्यवर, ये सारे आरोप गलत हैं। चाहे वे माननीय उमादत्त शर्मा हों, चाहे बलराम सिंह हों, या चाहे सरकार हो। ये बाजारी आरोप हैं। खुदा को मालूम है कि यह बात सुनी गई या नहीं सुनी गई। इस काम को स्कैंडिल बनाने की भावना से किया गया है। इसमें तथ्य नहीं है। जो तथ्य बयान किये जाते हैं वे इस तरीके से बनाये गये हैं कि ऐसा महसूस हो कि इसमें वास्तविकता है लेकिन ये सब वास्तविकता से दूर हैं। मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि श्री उमादत्त शर्मा और बलराम सिंह यादव दोनों पाक और साफ हैं और हमें गर्व है कि वे ऐसे मंत्री हैं जिन पर कोई शंका नहीं की जा सकती।

श्री बशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, कल से इस पर बहस हो रही है। मुझे तो यह निवेदन करना है कि यह बात डिबेट से तय नहीं होगी। हम उस पर अपनी बातें तो कहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि डिबेट के द्वारा एक पक्ष आरोपित कर रहा है और दूसरा पक्ष उसको डिफेंड कर रहा है। मान्यवर, जो घटना होती है मान लीजिये कि किसी आदमी ने कत्ल कर दिया। इस हाउस में डिबेट करके हम पक्ष और विपक्ष की बातों से हम उसको तय नहीं कर सकते कि एक ने कत्ल किया या नहीं। मान्यवर, मैं उन सब सारी बातों में नहीं जाना चाहता। इस घटना में ऐसा है कि एक भूमि सरकार ने स्टेशन बनाने के लिये ले ली। उसकी सारी कार्यवाही हो गई। उस पर कब्जा भी हो गया, कम्पैन्सेशन भी हो गया, उसके विपरीत हाई कोर्ट में रिट भी दायर हुई और उसका स्टे भी लोगों ने प्राप्त कर लिया।

मान्यवर, यह दलील बहुत से मेरे साथियों ने कही कि गौरीशंकर राय बलिया से जाकर मेरठ में इनको क्या जरूरत पड़ती थी कि मेरठ में जाकर इन्होंने कार्यक्रम किया। मान्यवर, ये भावावेश में बातें कही जाती हैं। मैं अगर गिनाऊं तो पता लेगा कि भारतीय संसद में भारत के कई ऐसे मंत्रियों और फरमों पर ऐसे-ऐसे आरोप किये हैं जो प्रदेश के रहने वाले नहीं थे दूरस्थ के थे, कार्यवाही हुई है। ऐसे कई मंत्री हटे हैं या उनको जेल जाना पड़ा है। बड़े-बड़े आदमियों के खिलाफ ऐसे आरोप थे।

गौरी शंकर राय इस प्रदेश के सर्वजनिक कार्यकर्ता हैं। इस हाउस के भी मेम्बर रह चुके हैं और उच्च हाउस में वे सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वे महामंत्री

[श्री बन्शीधर पांडेय]

भी हैं। वे पार्टी के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये गये हुये थे। कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्ता जा सकता है। बनारस का जा सकता है मेरठ में, और इलाहाबाद का जा सकता है देहरादून में। कहीं जाय वे सारे क्षेत्र इस प्रदेश में हैं। एक क्षेत्र से चुनकर वे जरूर आते हैं लेकिन विधान सभा के सदस्य के नाते वे इस प्रदेश के रेप्रेजेंटेटिव हैं। संसद के सदस्य इस नाते सारे देश का रेप्रेजेंटेशन करते हैं।

आपको जहां प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात करनी होगी, आप कह देंगे कि प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और जहां ठेस पहुंचने लगती है तो कहेंगे कि आप गांव के ही रहने वाले हैं। यह नहीं होना चाहिये। मान्यवर, यह जो मामला है स्टेशन का यह सारी कार्यवाही हाई कोर्ट में जाकर रुकी। स्वायत्त शासन मंत्री जी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक एम० एल० ए० के नाते उनका कर्त्तव्य था कि उनकी पैरवी करें। सार्वजनिक जीवन में सामाजिक कार्यकर्त्ता के सामने इस प्रकार की बात आती है। मैं तो स्वायत्त शासन मंत्री जी से पहले परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये था। स्वायत्त शासन मंत्री जी ने तो मांग की, वह इंटरेस्टेड थे कांस्टीटुएन्सी के नाते या जिले के नाते, लेकिन उनसे ज्यादा संगीन चार्ज परिवहन मंत्री जी पर आता है कि उन्होंने उस बात को गम्भीरता से नहीं किया।

श्रीमन, मैं भी गवर्नमेन्ट में रहा। गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे, सुचेता जी चीफ मिनिस्टर रहीं। जब कोई शासन का सदस्य किसी चीज में इन्टरेस्टेड होता है था तो वह वैसे ही ट्रीट होता था जैसे कोई दूसरा नागरिक। यह अगर रूल नहीं है तो कम से कम मंत्रिमंडल के सदस्य की आचार संहिता के नाते ही सोचना चाहिये था। ठीक है उमादत्त जी ने कहा। लेकिन उनको उसका औचित्य तो देखना चाहिये था। आप तो जनाब वकील भी हैं, एम० ए०, एल० एल० बी० हैं शायद। जब लैन्ड रिएक्वीजीशन हो जाता है, कम्पेसेशन हो जाता है तो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन फिर वापिस, रिलीज आप नहीं कर सकते। उस जमीन को फिर सरकारी जमीन की तरह जैसे डिस्पोज करने की कार्यवाही होती है उसको फालो करना पड़ता है। यह नहीं कि रिलीज कर दें।

एक सदस्य--

रिलीज कर सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

नहीं कर सकते हैं। इस जमीन का कम्पेनसेशन भी कम नहीं दिया गया है। हमारी तरफ तो सात बीघे का पांच एकड़ हो जाता है या पौने पांच एकड़ हो जाता है लेकिन पश्चिम में सात बीघे का पौने दो या डेढ़ एकड़ होता है। मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। हमारे वाराणसी जिले में जब लोको वर्कशाप की जमीन एक्वायर हुई थी तो उस वक्त वहां के किसानों का बड़ा भारी आन्दोलन था और उस वक्त पंडित जी--५२ और ५७ के बीच की बात है सिंचाई मंत्री थे। उस वक्त पंडित जी ने इंटरफीयर करके पहली बार मार्केट रेट देने के लिये सरकार को बाध्य किया था। वह भी चार-पांच हजार रुपये बीघा मैक्सिमम हुआ था। जबकि पंडित जी ने प्रयास किया नहीं तो डिपार्टमेन्ट के हिसाब से तो हजार, नौ सौ ही बैठता। लेकिन इसमें करीब ८८-८९ हजार या ७५ हजार रु० बीघा पड़ गया।

मेरठ वाराणसी से बड़ा नहीं है। मान लीजिये वह दिल्ली के आस्पिट में है लेकिन काफी बड़ी कम्पेन्सेशन की राशि भी दी गयी है। तो यह प्ली लेना कि एग्रीकल्चरल लैन्ड थी मेरी समझ में नहीं आता। उसकी एक ही बात है कि दिल्ली-राजधानी को हिन्टरलैन्ड में पड़ने के कारण जब जमीन की कीमत बढ़ने लगी तो लालच आया होगा कि अगर जमीन

रिलीज हो जाय तो एक लाख १७ हजार के बजाय शायद १०–१५ लाख मिल जाय। तो उनके लिये स्वाभाविक था कि वे अपने मन्त्री पर पुरजोर कोशिश करते ताकि वह जमीन उनको फिर से मिल जाये, मगर मन्त्री जी का भी अपना कर्त्तव्य था। एक विधायक के नाते गौरीशंकर राय जी ने पत्र लिखा और सारी बातें मुख्य मंत्री जी की नोटिस में ला दीं। मैं पंडित उमादत्त जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से एक भी शब्द नहीं कहूंगा, मगर मैं मंत्री की हैसियत से कहता हूं। आपने अपने बयान में लिखा है कि ३१–५–७१ को आपने एक नोट परिवहन मन्त्री को भेजा और उनसे फिर आग्रह किया कि इस सम्बन्ध में मेरे पूर्व अनुरोध पर शीघ्र आदेश किये जायें। परिवहन मन्त्री जी ने मेर अनुरोध को स्वीकार किया और वैभागिक अधिकारियों को बस स्टेशन के लिये वैकल्पिक स्थान तलाश करने के लिये आदेश दिये। मुझे ऐसा लगा कि विभागीय अधिकारी अध्याप्त भूमि को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे।

इस बात को छोड़कर मैं यह निवेदन करूंगा कि हर ६ महीने में अपोजीशन सरकारी पक्ष का रोल अदा करता है और सरकारी पक्ष अपोजीशन में आ जाता है। इन चेंजिंग सर्कमस्टान्सेज में आप इस बात को सोचें। आपने कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों की भी राय ली होगी। यह मामला सबजुडिस था। जब फाइल में यह बात निश्चित रूप से मौजूद थी कि यह मामला हाई कोर्ट में पेन्डिग है तब तो मन्त्री जी को सोचना चाहिये था। मन्त्री जी ने इस बात को नजर अन्दाज किया। विभागीय कर्मचारियों ने रेसिस्ट किया कि यह जमीन न छोड़ी जाये क्योंकि यह सबसे अधिक उपयुक्त जमीन है। मामले में अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व ला डिपार्टमेन्ट की राय भी ले लिया करते हैं। आपके सेक्रेटरी ने भी इस मामले में का डिपार्टमेन्ट की राय लेने के लिये कहा होगा। आपके विभागीय अधिकारियों ने राय दी, आपके सेक्रेटरी ने राय दी और ला डिपार्टमेंट ने राय दी कि यह मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब फिर क्यों हुआ? अब बात इन्टेन्शन की आ गयी। मेरे पास शब्द नहीं है परिवहन मन्त्री जी, मैं क्या कहूं-गुलाब के फूल में सुगंध होती है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह तो केवल ज्ञानेन्द्रियों से ही अनुभव की जा सकती है।

(लाल बत्ती होने पर)

५ मिनट और चाहिये। यह मामला गम्भीर था। यह मामला शासक पक्ष का है और मुख्य मंत्री जी का है जो कि इस सरकार के अध्यक्ष हैं। अगर आप ३०–४० आदमी कोई कार्य करते हैं तो उसका असर सारे मंत्रि-मंडल पर पड़ता है। इंगलैण्ड में प्रोफ्यूमो पर चार्ज लगा। हमारे देश में अरियालुर का रेल एक्सीडेन्ट हुआ। उस दुर्घटना में श्री लाल बहादुर शास्त्री की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि थे, लेबर पालिसी पर विरोध होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रि-मण्डल से इस्तीफा दे दिया था। श्री कृष्णामेनन पर चार्ज लगा जीप कान्ड के सम्बन्ध में। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया।

जब चाइनीज आक्रमण हुआ, दुनिया जानती है, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हम सब ज्वाइन्ट बैठे हुए थे, पन्डित जी का यह निश्चित मत था कि वे श्री मेनन को नहीं हटायेंगे। पंडित जी के विरोध के बावजूद वरिष्ठ मंत्रियों ने पंडित नेहरू को फोर्स किया या तो मेनन रहेंगे और या हम कैबिनेट में रहेंगे। तो पंडित जी को फोर्स किया गया और उन पर दबाव डाला गया। मेनन को हटाना पड़ा।

सिराजुद्दीन कांड में केशवदेव मालवीय को संसद में कहा गया और नेहरू जी को उन्हें हटाना पड़ा। श्री अजित प्रसाद जैन मंत्री थे। जब गड़बड़ी हुई तो पार्लियामेंट में विरोध हुआ तो नेहरू जी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। तो आप किस परिपाटी को मानेंगे

[श्री बन्शीधर पांडे]

लाल बहादुर शास्त्री की मानेंगे, वी०वी० गिरी की मानेंगे, कृष्णा मेनन या केशवदेव मालवीय की मानेंगे ।

मान्यवर संजीवा रेड्डी आन्ध्रा में मुख्य मंत्री थे और उनके एक रिश्तेदार का मामला था । बात यह थी कि उनके रिश्तेदार को आर० टी० ए० ने बस परमिट नहीं दिया इसलिये उन्होंने गुस्से में आकर रूट नेशनलाइज कर दिया । इस कारण संजीवा रेड्डी को मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर वह केन्द्र में आये और मंत्री बने लेकिन मुख्य मंत्री पद छोड़ना पड़ा । छोटी सी बात पर कि उनके रिश्तेदार को परमिट आर० टी० ए० ने नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में आकर रूट नेशनलाइज कर दिया । तो यह मामला है मारल का, कानून पर सभी बच जायेंगे ।

बिहार में जो सरकार आती है वह पिछली सरकार के विरुद्ध कमीशन बिठालती है । दत्त कमीशन और नैयर कमीशन बैठे । पर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ । इंगलैण्ड में प्रोफ्यूमो कांड के समय बिल्सन अपोजीशन लीडर थे । मैकमिलन प्रधान मंत्री थे । उन्होंने कहा कि यह गलत है इस पर विल्सन ने एक चिट्ठी दिखलाई जिसमें लिखा था डार्लिंग । अंग्रेजी का मैं ज्यादा ज्ञाता नहीं हूं लेकिन इस शब्द पर साहित्यकारों ने राय दी कि यह शब्द ऐसी औरत के लिये इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ कुछ और सम्बन्ध हों । फिर जब प्रधान मंत्री, मैकमिलन, ने इस बात को तसलीम किया तो प्रोफ्यूमो को जाना पड़ा, लेकिन मैकमिलन की सरकार भी ध्वस्त हो गई ।

मेरा पंडित जी से विनम्र निवेदन है कि मंत्री आते और जाते रहेंगे लेकिन स्टेबिल गवर्नमेन्ट चलाने के लिये इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसे मंत्रियों को न रक्खें और ऐसे मन्त्रियों से काम लें जिनका सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हो । इन मंत्रियों के मामले जब क्लीअर हो जायं तो फिर आप कैबिनेट में उनको ले सकते हैं नहीं तो सर्वसाधारण में यह बात रहेगी कि मंत्री जी कुछ भी कर दें, चाहे एम० एल० ए० या एम० पी० कुछ भी कर दे, उनका कुछ नहीं होगा । आपने बड़े कामों को करने का बीड़ा उठाया है तो आप इसको भी कीजिये । आपने समाजवाद की बात की है, राष्ट्रीयकरण की बात की है, गरीबी हटाने की बात की है तो इस काम को भी कीजिये कि हमारी पार्टी के जब मंत्रियों पर लांछन आ गया तो उन्हें पद से हटा दिया और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन रक्खा ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं व्यवस्था की बात करना चाहता हूं । इस सदन की अदालत में एक मुकदमा पेश है और चार्जेज लगाये जा रहे हैं । चार्जेज लगाने वाले को अधिक शहादत देनी पड़ती है इसलिये मेरी राय है कि जिन्होंने आरोप लगाये हैं उनको अधिक समय बोलने का दिया जाय । इसलिये इधर से जब दो बोलें तो उधर से एक बोले ।

श्री उपाध्यक्ष---

यही मैं भी कर रहा हूं । दो इधर से और एक उधर से बुला रहा हूं ।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)---

इस सदन में ९-१० राजनैतिक पार्टीज हैं । चार बड़ी हैं चार-पांच छोटी हैं । जब जनरल डिस्कशन चल रहा था तो आपने कहा था कि आप लोगों को मौका दिया जायेगा । मैं भी एक पार्टी का रिप्रेजेन्टेटिव हूं और एक ही हूं । इस मुकदमे में मुस्लिम मजलिस का भी विचार सुन लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अनुदान पर बोलने के वक्त मैं ध्यान रखता हूं। आपको उस समय वक्त मिल जायगा।

श्री हबीब अहमद---

पार्टीज के भी व्यूज आ जायं....

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल है जानकारी का। जो लोग सूचना देते हैं और जो लोग उस सूचना का प्रतिवाद कर सकते हैं उन्हीं को समय दिया जा रहा है।

श्री हबीब अहमद---

मेरठ के माननीय सदस्य तो नहीं बोल रहे हैं। यह तो ईस्टर्न यू० पी० के हैं

श्री उपाध्यक्ष---

मेरठ वालों को भी जितना मौका दे सकेंगे, देंगे।

एक सदस्य---

मेरठ वाले खड़े होते हैं, आप उनको मौका नहीं देते।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

इधर के बाद आपने शेर अली खां को मौका दिया, मंजूर अहमद को मौका दिया, एक को और मौका दिया तो हबीब अहमद साहब को भी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसीलिये मैंने राजमंगल पांडे को बुलाया है।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, जब बंशीधर पांडेय बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह स्वयं कंफ्यूज्ड हैं और सारे केस को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहली चीज यह कि नैतिकता के नाम पर उमादत्त शर्मा जी को इस्तीफा देना चाहिये। दूसरी यह कि आप चार्ज लगावें और बिना चार्ज प्रूव किये इस्तीफा देना चाहिये तो ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उमादत्त जी से कहते कि बिना किसी शहादत के, बिना किसी आरोप के तुम इस्तीफा दे दो। तो वह दूसरी बात होती। अगर उमादत्त जी स्वतः ही यह सोच कर कि मेरे ऊपर यह लांछन लगाया जा रहा है इस्तीफा देते और आपको चैलेंज करते उसको प्रूव करने के लिये तो वह भी एक अलग बात होती।

यहां, मान्यवर, तीन-चार उदाहरण रखे गये। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा गया कि रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह उनकी नैतिकता का तकाजा था और उन पर कोई लांछन या चार्ज नहीं लगाया गया था। आज प्रश्न यह है कि एक मिनिस्टर के ऊपर चार्ज लगाया गया है कि एक लाख रुपया लिया। अब श्रीमन् के सामने और इस सदन में सारी बातों के प्रस्तुत किये जाने के बाद सदन निर्णय करता है कि उमादत्त जी दोषी हैं और अगर उमादत्त जी अपनी नैतिकता से इस्तीफा दे देते हैं, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। प्रोफ्यूमो केस की बात कही गयी। मान्यवर, उसमें यह साबित हो गया था कि स्पोनेज करके मिनिस्ट्री के सिक्रेट्स दिये जाते हैं। लेकिन यहां जो माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पांडेय]

सदस्य बोल रहे हैं उनके पास कोई शहादत नहीं है और जो सरकमस्टेंशियल ऐवीडेंस है वह उमादत्त जी के खिलाफ पड़ रही है। क्या कोई ऐसा कानून है जिसके मातहत हम ला आफ द लैन्ड और जो कामन ला है उसको ओवररूल करके सजा दे दें। सरकमस्टेंशियल इवीडेंस एक चीज है। लेकिन वह कंक्लुजिव तभी मानी जायेगी जबकि जितनी प्राबेबिलीटीज हैं वे सब एगजास्ट हो जायें। यह सारा सदन एक नतीजे पर पहुंचे कि उमादत्त जी ने बदनीयती से सारा ट्रान्जेक्शन किया और एक लाख रुपया कमाया। केवल कुछ संदेह के ऊपर नहीं।

एक सवाल यह है कि यदि सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली है तो क्या वह फिर रिलीज हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार ने कोई जमीन एक्वायर की, और बाद में उसे यह पता चला कि यह जिस परपज के लिये ली गयी थी वह परपज हल नहीं होता, तो क्या सरकार को फिर भी वह जमीन अपने पास रखे रहना चाहिये? क्या सरकार का इतना भी जूरिस्डिक्शन नहीं है कि वह अगर गलती से कोई गलत जमीन एक्वायर कर ली है तो वह उसे वापस कर सके? अगर उससे पब्लिक परपज सर्व नहीं होता है तो वह वापस हो सकती है।

श्री रामकरन सिंह---

यह स्पष्ट कर दें कि जब जमीन छोड़ने की कार्यवाही शुरू हुई तो छोड़ी क्यों नहीं।

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, यह हो सकता है कि नासमझी में कभी गलत आदेश भी हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई बदनीयती नहीं होती। जब तक कोई बात साबित न हो जाय किसी पर बदनीयती या बेईमानी का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। हम गलत आदेश दे सकते हैं, नासमझी में कोई आदेश दे सकते हैं, मगर उसके पीछे कोई करप्ट भावना निहित नहीं होती। जिन लोगों की जमीन ली गयी, उनको मुआवजा दिया गया, जमीन उनको वापस नहीं हुई। जैसा कि आपको मालूम है, माननीय बलरामसिंह जी ने यह आदेश दिया कि जब तक हाईकोर्ट का आर्डर न हो जाय जमीन रोडवेज के कब्जे में रहेगी। तो जमीन छोड़ी कहां गयी? वह आज भी रोडवेज के कब्जे में है।

अब जो एक लाख रुपया दिया गया शर्मा जी, तो उनका क्या सबूत है। क्या वह आदमी जो एक लाख रुपया देगा और जमीन भी जब उसको वापस नहीं मिलेगी, क्या चुप बैठा रहेगा? आपने क्यों नहीं उसको शहादत में कोर्ट के सामने या यहां पेश किया? उसका कोई बयान आज तक कहीं देखने में नहीं आया, और आपने चार्ज लगा दिया एक लाख रुपये देने का। जब कि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है।

अब यह कहना कि दो वर्ष तक कार्यवाही क्यों नहीं की। अब कौन-सी बात हो गयी। यह मोटी सी बात है। हर आदमी इतनी तो आशा करता ही है कि जब ईमानदार सरकार होगी, तो उसके सामने वह फिर प्रार्थना करेगा। अगर दो वर्ष बाद प्रार्थना-पत्र दिया गया, और उस पर कोई कार्यवाही की गयी काश्तकारों के हित में, तो इसमें कौन-सी गलत हो गयी? कौन-सा पाप हो गया? क्या जो सताया गया हो किसी समय में, उसकी सहायता हमें नहीं करना चाहिये?

माननीय बलराम सिंह यादव के आर्डर से यह भी मालूम होता है वे मौके पर गये और जाकर जांच की। जब उन्होंने देखा तो आदेश वापस ले लिये। तो आप यह कह सकते हैं कि आदेश गलत हुये, नासमझी में हुये, मगर उसके पीछे कोई बदनीयती थी, यह बात बिलकुल गलत है। इससे कहीं भी यह पता नहीं चलता कि किसी ने कोई रकम ली हो।

मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये हमने सरकारी कर्मचारियों से नोट नहीं लिया लेकिन जब मालूम हुआ कि इस जमीन की आवश्यकता है तो उन्होंने अपने आदेश को वापस ले लिया । तो इसमें कौन बड़ा पाप हुआ ? कोई शहादत तो ऐसी है नहीं कि श्री उमा दत्त शर्मा ने पैसा लिया इसलिये जब कि यह साबित न हो जाय कि पैसा लिया गया तब तक इस तरह से किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

मान्यवर, चूंकि यह विषय मेरठ डिस्ट्रिक्ट से सम्बन्धित है और इस सम्बन्ध में जो कुछ मुझे जानकारी है उससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं । इस विषय पर बोलने से पहले मैं दो बातें और कह देना चाहता हूं आपकी इजाजत से । क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो अपना लिखित बयान दिया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि यदि कहीं भी मेरे राजनीतिक जीवन में कोई धब्बा पाया गया हो तो मैं राजनीतिक जीवन से और इस पद से तुरन्त त्याग-पत्र दे दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से चन्द बातें सन १९५८-५९ की बतला देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

५८-५९ की नहीं ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

जिस समय माननीय त्रिपाठी जी गृह मन्त्री थे और स्वर्गीय नेगी जो खाद्य मंत्री थे, ४८ टन टीन की चादरों का परमिट लाला प्रयाग दास, फरीदपुर वाले को दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह उससे सम्बन्धित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

राजनीतिक जीवन की असलियत उसमें छिपी हुई है ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह आम नियम है कि जब किसी व्यक्ति के किसी कारनामे पर विचार किया जाय तो उस आदमी ने पहले जो भी कार्य किये हैं,सबसिक्वेंट ऐंड पास्ट आंटिसिडेंट, सब सामने आने चाहिये । उस दृष्टि से जो भी माननीय सदस्य उनके बारे में कहना चाहते हैं उनको कहने दिया जाय ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

४८ टन टीन की चादरों में ३० टन तो नालीदार थी और १८ टन प्लेन चादर थी। जब इसकी शिकायत चौधरी साहब से की गयी और आपने भी यह कहा कि तो नेगी साहब ने तुरन्त ही उस परमिट को कैंसिल कर दिया । क्योंकि फैक्टरी कागज पर थी, सन् ५८ की फाइल मंगा कर आप देख लें । उस समय हमारे माननीय मंत्री जी उस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष भी थे । उसी समय पोलिटेक्निक के नाम से एक डिब्बा रखा

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

गया था कि मेरठ में पोलिटेक्निक स्कूल खुलेगा और कहा गया कि इसके त्रिपाठी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैं जानना चाहता हूं कि २,००० रु० सरदार सौराज सिंह, ग्राम बडला, परीक्षितगढ़ से लिये थे किसी केस के बारे में, जो कोर्ट में चल रहा था....

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये एक आरोप होने पर दूसरा आरोप पदा हो जाता है।

(व्यवधान)

नियम है कि किसी भी आदमी के वर्षों पहले किये गये कामों की आलोचना नहीं की जा सकती।

श्री मोहन लाल कपूर--

इन पर भ्रष्टाचार के अनेकानेक आरोप हैं, जिनके यह एक-एक करके उदाहरण दे रहे हैं, आप इनको सुनें।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

अभी आपके गाजियाबाद का भ्रष्टाचार नहीं खोला है, वह भी खोलूंगा आप उसको सुनिये, सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कहता हूं आप बैठें। उस समय आप स्वयं कहते हैं कि असंगत बात न कही जायं। आपकी तरफ से और सरकारी पक्ष से यह कहा जाता है कि असंगत बातें न कही जायं, लेकिन अब आप मान नहीं रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र शर्मा---

जब से यह सदस्य बने तो उस समय की बात उस जमीन के बारे में कह रहे हैं, कहने दीजिये। (व्यवधान) इस जमीन के एक्वीजीशन की कार्यवाही २८ फरवरी, ६७ से चालू है और तब ७१ में उमादत्त जी मंत्री बने तब की बात है। उसी काल की बात यह बता रहे हैं।

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

जब इनका मंत्रि-मंडल बना तो माननीय सदस्य उस समय मौजूद थे, तो क्या उस समय वह अपना कर्त्तव्य, जो विधायकों का कर्त्तव्य है उसे भूल गये थे। उसके बाद सन् ७० में मंत्रि-मंडल बना, उस समय भी माननीय सदस्य मौजूद थे और सरकारी पक्ष में वह थे, उसमें भी यह इस केस को आगे ले जा सकते थे, केस चल रहा था बन्द नहीं हुआ है। डी० एम०, मेरठ ने कई बार इस बारे में लिखा-पढ़ी की है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो बार-बार फाइल पर लिखा है उसे यहां पर पेश कर दिया जाये तो मालूम हो जायेगा कि शुरू से लेकर अब तक डी० एम० की क्या राय रही है। तो उस समय माननीय सदस्य ने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया, शायद भूल गये हों। उन्होंने जिस प्रकार से सदन को गुमराह किया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं, यह जमीन उनके क्षेत्र की नहीं है, जैसा उन्होंने कहा है, बल्कि यह जमीन मोहनलाल कपूर के क्षेत्र की है।

हमारे कई साथियों ने कहा कि वह गरीब मुसलमानों की जमीन थी जो छीनी जा रही थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब गरीब हरिजनों की वहीं जमीन छीनी जा रही थी तब वह

कहां थे और गरीबों के प्रति उनकी उस समय हमदर्दी कहां चली गई थी। जब कि इन मुसलमानों की जमीन ५ रु० गज पर लेने की बात थी और हरिजनों की जमीन ३ रु० गज में ही हस्तगत कर ली गई थी। जिस समय उनको इतना कम मुआवजा मिला उस समय आपने आंख क्यों बन्द कर ली थी।

मेरठ मेडिकल कालेज बना, मेरठ यूनिवर्सिटी बनी इन सब में जितनी जमीन एक्वायर की गई है, सबमें विचारे हरिजन परिवारों को उजाड़ा गया। और जो यह कहा गया है कि इसके बराबर में एक बंजर जमीन पड़ी हुई है, जहां पर यह बस अड्डा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं, वह जमीन नगरपालिका की है, किसी की बंजर जमीन नहीं है। नगरपालिका की जमीन है, उसमें न कोई खेती कर सकता है न छुड़ा सकता है बीच शहर में मौजूद है।

दूसरी बात यह है कि मैं भी २७ तारीख को बलराम सिंह जी से मिलने मेरठ गया था। उस समय माननीय सदस्य शेरअली साहब भी थे, माननीय मंत्री उमादत्त जी भी थे। उस समय उन्होंने जो शब्द मेरे बारे में कहे उसके लिये मैंने मंत्री जी से इतना जरूर कहा था कि आप अभी नये हो मेरठ ऐसा शहर है जहां नयी-नयी राजनीतिक समस्यायें पैदा होती हैं। यहां पर सोच-समझ कर कदम उठाना। इतना कहने के बाद भी आपसे मुलाकात करके चला आया था। जिस समय यह जमीन का मामला मन्त्री जी के सम्मुख गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दो-तीन बातें बताना चाहता हूं। जब हाईकोर्ट के अन्दर मामला चल रहा था हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया था कोई भी विभागीय कार्यवाही न की जाय क्या माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने इस प्रश्न पर ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी श्री गिरिजा प्रसाद पांडेय से या ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर श्री के० पी० सिंह जी से राय ली। दूसरा सवाल क्या उस समय का मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री आर० के० कौल से कोई सलाह ली? मैं समझता हूं कि उस समय मन्त्री जी ने राय लेने की आवश्यकता नहीं समझी। उसमें परिवहन मंत्री का जरा भी दोष नहीं है, लेशमात्र भी क्योंकि उनको जानकारी मेरठ जिले के बारे में नहीं थी। वे उस समय ऐसे झगड़े में पड़ गये जिसमें से कोई बिरला ही निकल सकता था।

इसी प्रकार के और भी मेरठ जिले के केसेज है, उनके बारे में इजाजत नहीं दीं, नहीं तो बताता, १९५८ से लेकर अब तक जो हुये हैं। यह जमीन जो है कि गढ़मुक्तेश्वर रोड पर है और रोड के दोनों तरफ चार मील तक सब जमीन अक्वायर कर ली गयी है। मेडिकल कालेज को जब जमीन अक्वायर की गयी, या यूनिवर्सिटी के लिये अक्वायर की गयी उस समय किसानों की भूमि के बारे में हमदर्दी पैदा नहीं हुई। इसी जमीन के बारे में क्यों? वह किसान गरीब, जिसको माननीय सदस्य शेर अली साहब ने गरीब मुसलमान किसान बताया है, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जिस आदमी के पास एक कोल्ड स्टोरेज हो, ८ लाख की प्रापर्टी का, वह आदमी गरीब है। जिसके पास बसों के परमिट हों, वह आदमी गरीब है। जिसके पास इसी प्रकार की जायदाद हो, वह आदमी गरीब है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इस देश के अन्दर फिर अमीर आदमी कौन है?

इसी के साथ मैं दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, हमारे माननीय साथी समाजवादी ने शिक्षा मंत्र साहब के ऊपर कह दिया कि गुटबाजी करवा रहे है। इस प्रकार का लांछन लगाया। (व्यवधान) आपके बारे में भी बताता हूं। घबड़ाइये नहीं। आपने कहा कि वह गुटबाजी पैदा कर रहे हैं, मेरठ में गुटबाजी है।

मैं मानता हूं शेर अली साहब आर० टी० ए० कमेटी में लाने का आश्वासन दिया गया है इस वजह से केस की वकालत कर रहे हैं। हमारे समाजवादी भाई मंजूर साहब जिन को फियट गाड़ी हापुड़ में छोड़ने और लाने जाती है, उपाध्यक्ष जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग किये हैं जो जुये के केस में पकड़े गये हों। जो जुआ खिलवाते हों, जो मवेशियां चुलवाते हों, बदमाशों को रखते हों और फिर रुपया लेकर पशुओं को वापस करते हों।

त्रिपाठी जी का यह समाजवाद है जिसमें ये बातें होती हों कि त्रिपाठी जी के घर पर जिस समय डिवीजनल कान्फ्रेंस हुई तो यही मंजूर अहमद साहब थे जिन्होंने उनसे कहा कि गाजियाबाद से जो एक्जिक्यूटिव आफिसर श्री राम नारायण आया है वह अगर मेरठ में रखा गया तो मेरी लाश पर रहेगा। इस एक्जीक्यूटिव आफिसर को इस बात पर मेरठ से ट्रांस्फर कराया था कि वह १० हजार रुपया उनको नहीं दे सका। एक हफ्ता चार्ज लेने के बाद ही उसका ट्रांस्फर मुरादाबाद कर दिया गया।

हम ने श्री धर्मदत्त वैद्य जी से इस सम्बन्ध में कहा और उन्होंने माना भी कि अवश्य इस आदमी के साथ ज्यादती हुई है और वायदा किया कि उसको ज्यादा अच्छी जगह भेजेंगे। अगर विश्वास न हो मुख्य मन्त्री महोदय को तो वह इस सम्बन्ध में एस० डी० पांडेय, एस० एस० पी० से दरियाफ्त करा लें फिर मंजूर साहब कैसे सदस्य हैं और अगर मेरे ये आरोप गलत पाये जायं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। डकैतियां यह डलवाते हैं। बदमाशों के गिरोह से इनका सम्बन्ध है। इन सब बातों के बावजूद भी समाजवाद की दुहाई दी जाती है। मेरी उमादत्त जी से यही अनुरोध है कि जब पूरे मंत्रि-मण्डल पर उनकी वजह से चार्ज आता है तो वह इस्तीफा दे दें ताकि दूसरे राज्यों में इस प्रदेश की जो तस्वीर दिखायी पड़ रही है वह न पड़े। मैं यह नहीं कहता कि उमादत्त जी ने हार्ड कैश में यह १ लाख रुपया लिया, ऐडवांस में लिया या बाद में लिया लेकिन इतना अवश्य है कि यह मामला इतना गम्भीर हो चुका है और चाहे उन्होंने वास्तव में कुछ भी न किया हो लेकिन सदन में जो तथ्य दिये गये हैं इनसे इतना आतंक फैल गया है कि उनको अविलम्ब मन्त्री जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिये इसी में प्रदेश का हित है।

(श्री कृष्णानन्द राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

मैं मेरठ का हूं। मुझे बोलने का समय दिया जाय। मैं इसी क्षेत्र का हूं और कल से बराबर खड़ा हो रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमारी पार्टी की ओर से इनको समय दिया जाय क्योंकि हमारी तरफ से आज यही बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, लेकिन समय नहीं है।

श्री मोहनलाल कपूर---

मेरे क्षेत्र का मामला है और मुझे अगर अवसर नहीं दिया जाता है तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। त्रिपाठी जी ने स्वयं यह माना था कि जितने लोग बोलना चाहें इस विषय पर बोल लेने दिये जायं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह उचित नहीं होगा अगर मोहनलाल कपूर जी को अवसर न दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

कृष्णानन्द राय तथा वीरेन्द्र वर्मा जी को अभी बोलना है। मोहनलाल कपूर जी ५ मिनट बोल लें लेकिन फिर कृष्णानन्द राय तथा वर्मा जी संक्षेप में बोलेंगे।

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, जिस विषय पर विवाद हो रहा है वह एक बहुत ही गम्भीर मामला है . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसा होगा तो मैं समझूंगा कि आप इस पर बहस करना नहीं चाहते हैं। मैंने श्री कपूर को समय दिया है।

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस बार नदियों में बाढ़ पहले ही आ गयी। पहले तो छोटी-छोटी नदियों में ही बाढ़ आया करती थीं किन्तु इस बार बड़ी-बड़ी नदियों में—गंगा और जमुना में भयंकर बाढ़ आ गयी हैं। पहले तो रिश्वतखोरी कचहरियों और छोटी-छोटी जगहों पर ही हुआ करती थीं, किन्तु अब वह प्रदेश के मन्त्रियों तक आ गयी हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी को चेतावनी देते हुये अपनी बात को प्रारम्भ करता हूं कि जिस प्रकार इस समय नदियों में बाढ़ आने से वह गांवों और कस्बों को बहाकर ले गयी उसी प्रकार यह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बाढ़ प्रदेश के मंत्रियों के बीच आकर उन्हें बहाकर डुबो देगी।

मैं चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जब बाढ़ आती है तो सिगनल दिया जाता है उसी प्रकार आज का मामला उनके लिए एक सिगनल है। दारुलशफा में प्रदेश के कोने-कोने से जो लोग आये हैं उन की बात सुनें कि सरकार के बारे में क्या-क्या कहते हैं। आज यहां के मन्त्री ५० रुपये के लिए अपना हाथ फैला रहे ह। अभी तक तो आप के सामने केवल तथ्य ही आये थे किन्तु मैं आपको एक एविडेन्स बताना चाहता हूं। वह यह है कि वह रोडवेज के अड्डे की सरकारी जमीन है। उसको स्वायत्त शासन मन्त्री अपने दबाव से और अपने प्रेसर से परिवहन के जो मन्त्री हैं, उम्र में भी छोटे हैं, उन को दबाकर आदेश ले लेते हैं कि वह जमीन वहां के किसानों के लिए छोड़ दी जाय। परन्तु ये जो परिवहन मन्त्री हैं, इनको सूचना मिलती है कि उस जमीन को छुड़वाने में १ लाख रुपया लिया गया है अतः आप वहां पर स्वयं चल कर देखें कि क्या हो रहा है। तो मेरा कहना है कि मन्त्री महोदय का मेरठ जाना ही इस बात का सबूत है कि इस मामले में अवश्य रुपया लिया गया है।

मैं अखबार की बात भी आप को बताना चाहता हूं जो कि इस बात का इविडेंस है। मेरठ की जनता आज क्या चाहती है। उनकी सामूहिक मांग है कि ये मन्त्री तुरन्त त्याग-पत्र दें। माननीय परिवहन मन्त्री ने वहां पर एक प्रेस कान्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा है हाल ही में उमादत्त शर्मा के साथ परिवहन मन्त्री श्री बलराम यादव भी मेरठ पधारे थे और उन्होंने गढ़ अड्डे के लिए रोडवेज के लिए भूमि अधिग्रहण वाला स्थान देखा था उसमें पं० उमादत्त चाहते थे कि अधिग्रहण न हो। प्रेस कान्फ्रेंस में जब हमारे प्रतिनिधि ने श्री यादव से पूछा कि ऐसी चर्चा है कि इस भूमि के लिए अधिग्रहण रुकवाने के लिए एक लाख रुपया दिया गया है तो मन्त्री जी श्री यादव ने स्वीकार करते हुये कहा था कि उन्हें भी ऐसी सूचना मिली, परन्तु वे अधिग्रहण रोकेंगे नहीं। यह आश्वासन श्री यादव ने पत्रकारों को दिया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह इस बात का प्रूफ नहीं है। इस मामले में पंडित जी ने बड़ी रुचि ली और इतनी रुचि उन्होंने ली जो कि किसी मन्त्री को नहीं लेनी चाहिये थी . . .

परिवहन मन्त्री (श्री बलरामसिंह यादव)—

यह प्रेस वालों ने निकाला है, यह सब गलत है। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई।

श्री मोहनलाल कपूर—

इससे ज्यादा एविडेंस और क्या हो सकता है . . .

श्री बलरामसिंह यादव—

जो कहा जा रहा है वह असत्य है। कोई भी वक्तव्य प्रेस में नहीं दिया गया। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब मैं उस जमीन को देखने गया था उस समय मैंने कहा था कि वह जमीन छुड़ाना उचित नहीं है . . .

श्री मोहनलाल कपूर—

परिवहन मन्त्री जब मेरठ से लखनऊ आये तब उन्होंने जो आदेश दिया उस जमीन को छुड़ाने के आदेश को निरस्त कर दिया। इस से बड़ा एविडेंस आप क्या चाहते ह। जो सदन में बातें चल रही हैं क्या लिखत-पढ़त की चीजें हैं? क्या नोटों पर दस्तखत करके दिये जायेंगे? इससे ज्यादा क्या प्रूफ हो सकता है। तो जो परिस्थितियां हैं वे बताती हैं कि स्वयं स्वायत्त शासन मन्त्री अधिक से अधिक इस बात में रुचि ल रहे थे। दबाव डाला है परिवहन मन्त्री पर और उस तरह से जमीन ले ली। कहा गया कि नासमझी में हुआ, लेकिन मैं कहता हूं कि उमादत्त जी ने जानबूझ कर यह कराया और परिवहन मन्त्री भी जानते थ कि म गलत काम कर रहा हूं। लेकिन जब यह लगा कि १ लाख रुपया लिया गया है तो भागेभागे गय, वरना जाते नहीं। इस से ज्यादा एविडेंस हो नहीं सकता।

दूसरी बात यह है कहा जाता है कि यह छोटे किसानों की जमीन है। वह गलत है, वह तो बड़े किसानों की हैं। मैं चलकर दिखा सकता हूं। फुल्ला उनका चाचा है जिसने ५ लाख रुपया लगाकर कोल्ड स्टोरेज लगाया है और ७ बीघा जमीन इतनी है इन किसानों ने और दूसरी जगह जाकर जमीनें खरीदी हैं। तो यह गलत है कि छोटे किसान हैं। छोटे तो वे हरिजन थे जिनके बारे में लछमन जी ने कहा, जिनके दो सौ परिवार उखाड़ फेंके गये जब वहां मेडिकल कालिज और युनिवर्सिटी बनी। उनको तबाह किया गया था, इनके लिये कुछ नहीं किया गया। अिर भी रामजीलाल सहायक ने, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य न क्यों नहीं इस जमीन को छोड़ दिया, इन्होंने क्यों छोड़ा?

मैं एक बात बताना चाहता हूं कि राज्य मन्त्री हों या मन्त्री, ये जनता के सेवक हैं, राजा नहीं हैं, परन्तु पंडित जी ने अपने को वहां का सेवक नहीं, राजा समझा, इसलिए जो जी में आया वह किया। और अनेक ऐक्शन हैं। गाजियाबाद की जमीन का मामला जिसके बारे में चौधरी साहब ने कहा, एक्जीक्युटिव आफिसर का ट्रांस्फर जो मेरठ को हुआ। अनेक प्रश्न ह। मेरठ की जनता और मेरठ की जनता का अखबार चिल्ला-चिल्ला कर कहते ह कि यह बात बिलकुल सत्य है और उमादत्त शर्मा को त्यागपत्र देना चाहिये, यह बिलकुल एविडेंस की बात है।

जहां तक हमारे इस मामले को शेर अली और मंजूर साहब ने जो कलर दिया है वह साम्प्रदायिकता का है। हमारे मन्त्री जी ने भी सुबह बहस में साम्प्रदायिकता का कलर दिया। कहा कि आई० जी० को मुसलमान समझ कर नहीं बनाया। यह केवल मुसलमान के वोट मांगने का प्रयास था और आज इसी प्रकार से हमारे शेर अली साहब यह कहें कि मुसलमान भाई क्या कहते हैं? यह कहते कि गरीब आदमी क्या कहता है, लेकिन वहां पर मुसलमान भाई कहकर उस को एक साम्प्रदायिकता का कलर देकर वे अपन उस अनुचित काम को छिपा नहीं सकते। यह, इस वक्त रोशन हो गया है और म समझता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी को अपना कर्त्तव्य निभाना चाहिये था। मैं पंडित जी का आदर करता हूं।

बजाये इसके कि इस प्रकार की स्थिति बनी रहे, यह आवश्यक था कि मुख्य मन्त्री जी बजाय इसके कि ४ घंटे की बहस चलने दी जाय, उन को खुद ऐक्शन लेना चाहिये था। लेकिन ऐक्शन नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरह से देखकर जांच करें और फिर फौरी कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं आरम्भ करूं ?

श्री हबीब अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। सारी पार्टी के लोग बोलें हैं, मुझे नहीं मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय कृष्णानन्द राय बोलेंगे। आपको इजाजत नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें। समय कम है।

*श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो कन्ट्रोवर्सी हमारे सदन में और प्रदेश में माननीय उमादत्त शर्मा जी के प्रति चली है, इसमें सब से रहस्यमयी भूमिका हमारे माननीय मुख्य मन्त्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने अदा की है।

श्रीमन्, मुझे तो बोलन की प्रेरणा ही न होती यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक रहस्यमयी मौन या चुप्पी इस सारी कान्ट्रोवर्सी में शुरू से न साधी होती। माननीय अनन्तराम जी जायसवाल ने इन्क्वायरी कमीशन की बात कही और माननीय नेगी जी ने ट्रिब्युनल की बात कही, लकिन मैं इन दोनों की ही बात नहीं कहता, यदि माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्वयं खड़े हो कर कहते, उस समय जब कि हम ने गौरी शंकर राय का पत्र रिफर करके उनसे प्रश्न पूछा था कि क्या गौरी शंकर राय का उन को कोई पत्र मिला है, क्या उस बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कोई जांच की है और अगर की है तो वह किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कि मैने इस बारे में स्वयं छानबीन कर ली है, सारे सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ कर ली है, या मैने किसी अपने विश्वस्त अधिकारी से पता लगा लिया है और इस सब जांच के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो आरोप लगाये गये हैं, वे गलत हैं। अगर वे ऐसा कहते तो मैं निजी रूप से कहता हूं मैं ने उस को काफी वजन दिया होता और उस को स्वीकार भी कर लिया होता। लेकिन यह आश्चर्य की चीज है कि संसदीय सरकार के इतिहास म, जिस मन्त्रि-परिषद् के सदस्य के ऊपर इतना गम्भीर आरोप लगाया जा रहा हो, इस सदन में भी और विधान परिषद् में भी, किन्तु माननीय मुख्य मन्त्री जी २ दिन के विवाद में इस बात को कहने का साहस न कर सके कि मैं ने सारी जांच कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि सारे आरोप गलत हैं और विवाद नहीं होना चाहिये।

मैं आप के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से अपील करना चाहूंगा कि इधर से क्या कहा गया और उधर से क्या कहा गया, जायं और इस सम्बन्ध में आप स्वयं जांच करें और जांच करके इस बात की घोषणा करें कि वे किस नतीजे पर पहुंचे। इस के लिए वे सदन से समय भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णनन्द राय]

मांग सकते हैं, आप भी उस के लिए समय दे सकते हैं। हम लोगों को उस में कोई जल्दी नहीं है। कोई ऐसी भावना नहीं है कि उमादत्त जी शर्मा को फांसी पर चढ़ा दिया जाय। १-२ दिन, १-२ हफ्ते का समय जो आवश्यक हो इसकी छानबीन के लिए वह लिया जा सकता है। और छानबीन करने के बाद वे जिस भी नतीजे पर पहुंचें, उस से सदन को अवगत करा दें। मैं ने अपने आदरणीय विरोधी दलों के नेताओं से इस बारे में पूछा ही है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि माननीय मुख्य मन्त्रीजी जांच के लिए इस प्रकार का समय मांगेंगे तो यह सदन उन की भावनाओं का आदर करेगा। लेकिन श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी क्यों नहीं घोषणा कर दायें कि माननीय उमादत्त जी शर्मा निर्दोष हैं, उन के ऊपर यह निरर्थक आरोप लगाया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि इस में माननीय मुख्य मन्त्री जी की कठिनाई है। उनका एक ऐसे मन्त्री से पाला पड़ गया है, मंत्रि-परिषद् के एक ऐसे सदस्य से पाला पड़ गया है, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि एक विधान परिषद् के सदस्य और एक मंत्रि-परिषद् के सदस्य के कार्यों में क्या फर्क है। जब वे अपने स्पष्टीकरण में सदन में बोले तो उन्होंने बड़े इन्नोसेंट ढंग से कहा कि श्रीमन्, मैंने इस बात को तब भी कहा था जब मैं विधान परिषद् का सदस्य था और इस बात को दुहराया मैंने तब भी की जबकि मैं मंत्री परिषद् का सदस्य हो गया। हमारे मित्र माननीय उमादत्त शर्मा जी का मैं आदर करता हूं क्योंकि हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने इस में कोई पैसा आदि लिया है, लेकिन श्रीमन्, मैं समझता हूं कि वह अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछें कि क्या विधान परिषद् के सदस्य से मंत्रि-परिषद् के सदस्य होने में थोड़ा-सा अन्तर नहीं पड़ जाता है?

माननीय उमादत्त शर्मा जी से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि वे अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछें कि यदि केवल वे विधान परिषद् के सदस्य रहे होते और रोडवेज की वह जमीन जिस के ऐक्वीजीशन की सारी कार्यवाही हो चुकी थी, जिसका कम्पेन्सेशन भी दिया जा चुका था, जिसका पजेशन भी सरकार ने ले लिया था, अगर उस हैसियत से वे माननीय बलराम सिंह यादव के पास गये होते, तो माननीय बलराम सिंह यादव उनसे कहे होते कि इस मामले में तो सारी प्रोसीडिंग समाप्त हो चुकी है।

यही नहीं, उस ने कम्पेन्सेशन भी ले लिया है और जो उसका विरोधी था उसके लिए वह हाई कोर्ट में भी जा चुका है। तो जो प्रश्न हाई कोर्ट में जा चुका, जिसका कम्पेन्सेशन दिया जा चुका, जिसका सरकार ने कब्जा ले लिया आप उस प्रश्न को लेकर आये हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जब माननीय उमादत्त शर्मा उसी मंत्रि-परिषद् के सदस्य के नाते पहुंचे जिस मंत्रि-परिषद् के माननीय बलराम सिंह यादव सदस्य हैं और कहा कि नहीं, इस जमीन को दे दिया जाय, सरकार अपना अधिकार छोड़ दे तो माननीय बलराम सिंह यादव ने फिर अपनी एक दूसरी इन्नोसेन्स में स्पष्ट लिख दिया कि जिस प्रकार का प्रार्थना-पत्र माननीय उमादत्त शर्मा जी दे रहे हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।

संसदीय सरकारों के इतिहास में यह पहली घटना है कि कैबिनेट के एक राज्य मन्त्री लिखते हैं कि जमीन छोड़ दी जाय और आप के कैबिनेट स्तर के मन्त्री लिखते हैं कि जमीन छोड़ दी जाय। विभाग के कर्मचारी लिखते हैं कि नहीं, इस में सरकार का नुकसान होगा और जब विभाग के कर्मचारी लिखते हैं कि जमीन न छोड़ी जाय तब माननीय बलराम सिंह यादव कहते हैं कि जमीन नहीं छोड़ी जायगी। कौन इस प्रदेश को रूल कर रहा है? ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर या माननीय बलराम सिंह यादव? केवल इस घटना पर कि माननीय बलराम सिंह यादव और माननीय उमादत्त शर्मा की फाइन्डिंग्स को ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर ने अवर रूल कर दिया इन को इस्तीफा दे देना चाहिये। लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया। और मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी की कठिनाई महसूस करता हूं, क्योंकि इस घटना से भी उन के हृदय में . . . (व्यवधान) घबराइये मत, आपका कुछ होगा नहीं।

मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी के दिमाग में स्वयं यह प्रश्न उठा होगा कि हमारे मंत्रि-परिषद् में ऐसे एक मन्त्री हैं कि सरकार जिस जमीन को प्राप्त कर चुकी है उसके लिए यह सिफारिश करते हैं कि उसको लौटा दिया जाय। ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर लिखते हैं कि न लौटायी जाय, इससे सरकार को नुकसान होगा। तो माननीय कमलापति त्रिपाठी के सामने यह कठिनाई अवश्य है कि वह कैसे घोषणा कर दें कि यह दोनों मन्त्री निर्दोष हैं और अगर घोषणा कर दें तो इनकी परम्परायें कहां जातीं। माननीय चौधरी चरण सिंह ने कल इस बात की तरफ इशारा किया था कि गाजियाबाद में भी कुछ घटनाएं घटीं। एक व्यक्ति ने १ लाख १५ हजार में जमीन ली। उसने चौथाई जमा नहीं किया। विभाग ने आदेश दिया कि यह जमीन नीलाम की जायगी। और राज्य मन्त्री जी को मैं क्या कहूं। यदि वह निर्दोष हैं तो बच्चा हैं। इनकी बुद्धि की मैं प्रशंसा करता हूं। इन्होंने लिख दिया कि नहीं, उस जमीन को फिर उस आदमी को दे दिया जाय। और मैं किस की तारीफ करूं ? एल० एस० जी० की तारीफ करूं ?

हमारे आदरणीय वैद्यजी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इन्टरफियर किया और कहा कि जमीन नीलाम की जायगी। माननीय उमादत्त शर्मा जी कह रहे थे कि नहीं, इसको वापस किया जाय। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने उमादत्त शर्मा को ओवर रूल कर दिया और विभाग की संस्तुति के अनुसार आदेश दे दिया कि वह जमीन नीलाम हो। और नीलाम होने पर १ लाख १५ हजार की वह जमीन ८ लाख ८८ हजार रुपये की बिकी।

क्या कमलापति जी त्रिपाठी के हृदय में यह बात नहीं आयी होगी कि उन्होंने अपने मंत्रि-मण्डल में ऐसे मंत्रियों को रख लिया है कि जो इस प्रकार के आदेश लिख रहे हैं और इस प्रकार की संस्तुति कर रहे हैं जिसमें सरकार का नुकसान हो रहा है। ऐसी बात भी मुख्य मन्त्री जी के नालेज में आयी होगी, कि यदि बलराम सिंह जी यादव पर ट्रांस्पोर्ट अथारिटी का प्रभाव पड़ा होता, तो यह मेरठ की जमीन नहीं चली गयी होती और गाजियाबाद की जमीन भी जिस तरह से बची है वह मुख्य मन्त्री जी जानते हैं। अगर इस प्रकार की परम्पराओं पर यह सरकार चलायी गयी तो प्रदेश का लाभ इससे होने वाला नहीं है।

मुझे मुख्य मन्त्री जी के बारे में बड़ी हमदर्दी है। हम को पता नहीं है कि मुख्य मन्त्री जी को मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को लेने में उन की कोई स्वतन्त्रता थी या नहीं। मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि मुख्य मन्त्री जी को मन्त्रि-परिषद् के किसी सदस्य को निकालने की स्वतन्त्रता है या नहीं है ? वह बलराम सिंह जी यादव को निकाल सकते हैं या नहीं यह भी हम को पता नहीं है या उमादत्त जी शर्मा को वह निकाल सकते हैं या नहीं यह भी पता नहीं है।

आज कमलापति जी त्रिपाठी के मंत्रि-मण्डल से किसी राज्य मन्त्री या मन्त्री को निकाला जाय या रखा जाय यह सब दिल्ली में बैठकर लोग डिक्टेट करते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो सरकार के गुड नेम को बचाने के लिए केवल इस उदाहरण को देखकर वह कोई कदम उठा सकते थे। मैं इस बात को मानता हूं कि हम इस बात को सिद्ध नहीं कर सके हैं कि उमादत्त जी शर्मा या बलराम सिंह यादव ने पैसा लिया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम यह सिद्ध नहीं कर पाये लेकिन आप के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस सदन के पटल पर क्या हम लोगों ने यह सिद्ध नहीं कर दिया है कि मुख्य मंत्री जी की मन्त्रि-परिषद् में ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इस तरह के काम किये हैं जिन से प्रदेश के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है और प्रदेश के धन की क्षति हुई है ? इस से क्या प्रदेश का फायदा होगा ? क्या यही समाजवाद का दावा है ? क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात की सफाई देंगे ? यदि वह साफ नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे लोगों को और इस प्रदेश की जनता को सुबुद्धि दे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कितना समय लेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। केवल १० मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सदन का समय १५ मिनट और बढ़ाता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

कल मेरे चर्चा उठाने के बाद श्री उमादत्त जी शर्मा ने अपना भाषण दिया। वैसे तो जो उमादत्त जी शर्मा का और परिवहन मन्त्री जी का मुख्य मन्त्री जी के नाम पत्र है ....

श्री हबीब अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय देने का वादा किया था और मैं दो बार खड़ा हुआ था तो आपने कहा था कि समय दिया जायगा लेकिन अब इनको बुला लिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

वह उमादत्त जी शर्मा का जो पत्र है....

श्री हबीब अहमद---

मुझे बोलने का कुछ वक्त दिया जाय....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जो उमादत्त जी का और परिवहन मन्त्री का पत्र है वह सदन के सामने पढ़कर सुनाया गया . . .

श्री हबीब अहमद---

मुझे बोलने का समय दिया जाय। मैं थोड़ा ही समय लेना चाहता हूं ....

(दोनों माननीय सदस्य बोलते रहे।) (शोर)

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)---

सदन में इस समय दो सदस्य बोल रहे हैं किसी की बात सुनने में नहीं आ रही है। आप सदन में यह व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष----

आपको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। (शोर) आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हबीब अहमद---

आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा भी समय नहीं दे रहे हैं ....

श्री हबीब अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि आप जनतन्त्र का खून कर रहे हैं और यह हमारे साथ बहुत ज्यादती है ।

(श्री हबीब अहमद सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं यह कह रहा था कि दोनों मंत्रियों के वक्तव्य में जो दोषारोपण के स्पष्टीकरण में दिये हैं हमारा काम हलका हो गया था और हमारी चर्चा उठाने के बाद जो श्री उमादत्त शर्मा ने अपना भाषण दिया उसमें भी वह उन आरोपों का कोई खंडन न कर सके, कोई स्पष्टीकरण न दे सके, कोई अकाट्य तथ्य वह प्रस्तुत न कर सके बल्कि अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण करने लगे। मुझे अत्यन्त दुःख है और बहुत लज्जा के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं मुख्य मंत्री जी का बड़ा सम्मान करता हूं और यह मुख्य मंत्री जी जानते भी हैं कि मैं बहुत दिनों से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कल जिस तरह के शब्दों का प्रयोग श्री उमादत्त शर्मा ने उनकी मौजदगी में सदन में किया वह न तो उनकी शान के शाया थे, न किसी सदस्य की शान के शाया थे और न वह सदन की मार्यादा के अनुकूल थे । मुझे अत्यधिक अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उनके आगे बैठे थे और कुछ नहीं कह सके ।

कहा जाता है कि वह उनके लाडले हैं और इसी वजह से वह चुप रहे । किसी के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, किसी सदस्य के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के एक मंत्री के द्वारा कहां तक शोभा देता है और किसी सरकार के लिये और किसी पार्टी के लिये वह कहां तक शोभा की बात है । मैंने जितने भी तथ्य अपने भाषण में उनके सामने रखे उनमें से एक का भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया । वह काम मेरा आसान हुआ । मंजूर साहब ने भी यहां अपना भाषण दिया उनके भाषण की बातों को दोहराना तो मेरे लिये और किसी भी सदस्य के लिये सदन में एक बड़ी लज्जा की बात होगी और उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी सदन में करना हमारे सबके लिये ही लज्जा की बात होना चाहिये । उन्ह ने उन तथ्यों के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं कोई प्रकाश नहीं डाला और न कोई स्पष्टीकरण ही दिया और पाजी, कुत्ता न मालूम क्या-क्या कह डाला । उन बातों में पड़ना मैं अपने लिये भी लज्जा की बात समझता हूं ।

जहां तक श्री शेर अली साहब की बात है और उन्होंने जो चर्चा यहां की उसके बारे में मुझे मालूम नहीं था मैं उनसे पूछने गया कि बागपत का अड्डा श्री पृथ्वी नाथ का वह छुड़वाना चाहते थे, मुझे तो गढ़मुक्तेश्वर का मालूम था । उन्होंने कहा कि मुझे तो जिले की बात मालूम थी उसी को मैंने कह दिया । उनके अलावा जो भी माननीय सद य उधर से बोले उनके भाषण में तो आरोप का कोई माकूल स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ।

माननीय उमादत्त जी ने यह जरूर कहा कि हापुड़ में मैं २० हजार आदमी जमा कर सकता हूं, जहां तक आदमी इकट्ठा करने की बात है वह २० हजार कहते हैं मैं कहता हूं कि वह १ लाख इकट्ठा कर सकते हैं, २ लाख इकट्ठा कर सकते हैं, ३० लाख इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन प्रश्न तो सीधा यह था कि इन आरोपों का उत्तर क्या है ? उन्होने कह दिया कि मेरा ४५ साल का निष्कलंक सार्वजनिक जीवन है, मान्यवर आपकी उपस्थिति में ही कल उन्होंने यहां कहा था कि मेरा ४३ साल का सार्वजनिक जीवन निष्कलंक रहा है, लेकिन दोषारोपण की कोई सफाई वह न कर सके ।

इस लिये माननीय लक्ष्मण स्वरूप जी ने कहा कि सन् ५८-५९ में जब वह जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मन्त्री थे तो उस समय का केस उठाया था । जब से वह मिनिस्टर बने हमने

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

आरोपों पर नियम ५२ में चर्चा के लिये आपको दिया। उन्होंने गाजियाबाद की जमीन के मामले में १ लाख ७० हजार का पट्टा किये जाने के आदेश दिये थे पुराने बकायादार को और बाद में वही जमीन ८ लाख ८८ हजार में नीलाम हुई। उस पर भी नियम ५२ में चर्चा उठाने के लिये हमने नोटिस दिया हुआ है।

एक बस के परमिट का इसी प्रकार का मामला है। दोनों बहुत गम्भीर मामले हैं इनके परिवार और सार्वजनिक जीवन से जिसका सम्बन्ध है, वह आपकी आज्ञा से, श्रीमन्, मैं उठाना चाहता हूं। इन्होंने कल और किसी भाई ने भी कुछ तबादले वगैरह के सिलसिले में मेरे बारे में चर्चा की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर को हाजिर नाजिर करके स्वर्गीय राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की सौगन्ध खाकर माननीय मुख्य मंत्री के सामने सदन में बता देना चाहता हूं कि जो दोषारोपण हमने माननीय उमादत्त जी के विरुद्ध किए हैं वह किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि जनहित में और उन्होंने जो भी उत्तर दिये हैं उनसे हम सन्तुष्ट नहीं। अतः जांच के लिए हाईकोर्ट का कोई जज मुकर्रर करें।

भारत सरकार की ओर से भी राज्य गृह मन्त्री ने पंजाब के मिनिस्टरों के खिलाफ जांच आयोग गठन करने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट के जज से चाहे, वह काम कर रहे हों, या रिटायर हो गये हों, हमारे द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करायें। जहां तक मेरे खिलाफ माननीय उमादत्त जी ने या और किसी सदस्य ने आरोप लगाये हैं, केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के संबंध में एक नये पैसे का भी, हमने तो एक लाख रुपये का आरोप लगाया है, मेरे ऊपर दोष सिद्ध हो तो मैं भी श्री रोमोल की तरह अपने जीवन का बलिदान दे दूंगा। मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूं। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा शत्रु अगर किसी को समझा है तो वह भ्रष्टाचार है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आयोग एक नये पैसे क भ्रष्टाचार का दोषारोपण मेरे ऊपर कर देगा तो मै अपने जीवन को बलिदान कर दूंगा, सार्वजनिक जीवन से ही रिटायर नहीं हूंगा, और तब इस सदन के सामने कहता हूं कि मेरे जीने पर ही धिक्कार है।

विधायक अगर बेईमानी की कमाई खाने लगे तो उसका सार्वजनिक जीवन ही धिक्कार है। फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक आयोग को इस प्रकार बिठा दें कि जो शिकायतें हमने माननीय उमादत्त जी के खिलाफ की हैं वह उनकी जांच करें। हम इस मामले को जनहित में और प्रशासन के हित में माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज्ञा दें, श्रीमन्, तो बस के बारे में भी कह दूं। १० साल या १२ साल पहले से माननीय उमादत्त जी के नाम से गाजियाबाद–दिल्ली रूट पर बस का एक परमिट है इन्होंने श्री अजीत प्रसाद जैन को ८ सौ रुपये महीने किराये पर उस परमिट को दे रखा था। कुछ वर्ष पश्चात् वह १,२०० रुपया पर दिया और फिर वह १,६०० रुपया प्रति मास पर दिया गया। १०० रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह एग्रीमेंट लिखा है। प्रारम्भ के १०–१२ साल अजीत प्रसाद जैन की बस चली, इसका आप सी०आई०डी० से पता चलवा सकते हैं। फिर इसी मार्च में अपने परमिट पर एक बस इन्होंने ८० हजार रुपये की ली और इसी गाजियाबाद से दिल्ली रूट पर चलाया।

मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इन्कम टैक्स के कार्यालय में क्या आमदनी दिखायी। मेरठ के आय कर कार्यालय में उन्होंने केवल १०० रुपया प्रतिमास मोटर से अपनी आमदनी दिखायी है जबकि अजीत प्रसाद से ३ लाख रुपया अभी तक वह प्राप्त कर चुके हैं।

गढ़ रोडवेज की भूमि छोड़ने के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अप्रैल महीने में जब से इस प्रदेश में नई सरकार बनी है तब से ही सारे पत्रों की चर्चा है। इन्होंने २४ अप्रैल में पत्र परिवहन मंत्री जी को लिखा। २५ मई को जब मंत्री हो गये तो

पुनः पत्र लिखा। ३१ मई को गला घोंटकर उनसे आर्डर कराया। मान्यवर, इनके वक्तव्य से और परिवहन मंत्री के वक्तव्य से जाहिर है कि इन्होंने २४ अप्रेल के पत्र पर अधिकारियों की रिपोर्ट मंगाने के लिये भेजा, क्यों माननीय परिवहन मंत्री ने अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की। कौन सा आधार था जो ३१ मई को जमीन छोड़ने का आर्डर दिया था। क्या बेसिस था जिस पर ये फिर शिकायतों को सुनने के लिये मेरठ गये और सुन-सुनकर कहा कि रोडवेज के अधिकारियों की राय से मैं सहमत हूं। क्यों नहीं रोडवेज अधिकारियों की परिवहन कमिश्नर की, जिलाधिकारी की रिपोर्ट लेने के बाद कदम उठाया गया ? यह परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी थी।

इसके अलावा, मान्यवर कल इन्होंने डा० रामजी लाल सहायक का नाम लिया, वह इसी मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्री रामजी लाल सहायक से अकेले में बातचीत करके पूछ लें कि कल जिस सिलसिले में उनकी चर्चा की गई थी, वह सही थी या गलत थी। माननीय मुमताज मुहम्मद ने कहा कि वह जमीन बस स्टेशन के लिये मौजूं नहीं है। मैं पास के जिले का रहने वाला हूं। जिस जमीन को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि मौजूद है, जनरल मैनेजर कहते हैं कि जमीन मौजूं है, ट्रान्सपोर्ट, कमिश्नर कहते हैं कि जमीन मौजूं है, सब जोर लगा रहे हैं कि जमीन न छोड़ी जाय लेकिन मुमताज साहब कह रहे हैं कि मौजूं नहीं है। हमारी जो शिकायत है उसके बाबत तो कुछ नहीं कहा है। एक बात यह कहीं गई कि श्री गौरी शंकर राय बलिया के हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि श्री चन्द्रशेखर जी कहां के हैं। वे भी तो बलिया के ही हैं। पार्लियामेंट में बैठकर क्या वे बलिया के ही प्रश्न उठायेंगे। कोई कहीं का रहने वाला हो, वह कहीं भी जा सकता है और कहीं के प्रश्न उठा सकता है। माननीय परिवहन मंत्री ने यह नहीं बताया कि किस तारीख में, उन्होंने ३१ मई में जमीन छोड़ देने के अपने आदेश रद्द किये। २८ जून को मेरठ में पहुंचे जमीन को देखने के लिये। तो हुजूरे-अनवर, किस तारीख को वहां से लौटने के बाद आपने अपने आर्डर को, जो पुराना आर्डर था उसको खारिज किया। यदि जमीन छोड़नी थी, जब जमीन पर कब्जा हो जाता है तो उसकी भी विशेष प्रक्रियायें होती हैं। उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। रोडवेज की आवश्यकता नहीं थी तो दूसरे विभागों से पूछते। जो जमीन एक्वायर हो जाती है उसको छोड़ने से पूर्व अधिकारियों से नहीं पूछा और जमीन को छोड़ दिया। अगर जमीन की बात है तो बलिया की नगरपालिका में गरीब हरिजनों के पास केवल सात एकड़ जमीन है उस जमीन पर पन्द्रह परिवार हैं। वह सारी की सारी एक्वायर कर ली गई है।

डा० के० एल० राव ने उसकी मुखालिफत की, मुख्य मंत्री जी भी शायद चाहते थे कि उसे छोड़ दी जाय उसको क्यों नहीं छोड़ा। श्री उमादत्त शर्मा ने मिनिस्टर बनने के एक हफ्ते के अन्दर आपकी छाती पर सवार होकर काम करा लिया। क्यों इतनी दिलचस्पी ली इन्होंने, इसकी तो सफाई नहीं की और गाली मुझे देने लगे। मान्यवर ये हमारे श्री मित्र पन्ना लाल गुप्ता जी वहां से किस गुस्से से उठकर मंजूर अहमद साहब के पास आये और उन्होंने कहा कि बहुत ठीक है, पूछ लीजियेगा कि उन्होंने यह कहा या नहीं। अनर्गल बात कहने के लिये श्रीमन् ये वहां से आकर वहां भड़काते हैं।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हम सब दो-दो लाख आदमियों के प्रतिनिधि के रूप में यहां हैं। हमें अपनी पोजीशन का अहसास करना चाहिये और यह कोशिश करनी चाहिये कि हमारे किसी भी कर्त्तव्य से हमारे किसी भी फल से पब्लिक को, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वोटर हों, चाहे कोई भी हों, हमारे ऊपर अंगुली न उठा सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः दोहराता हूं कि मेरी दृष्टि में श्री उमादत्त जी के खिलाफ चार्जेज इस्टेब्लिश्ड है। अगर उनकी नजर में इस्टैब्लिश्ड नहीं है तो मैं मुख्य मंत्री जी से तीसरी बार फिर कहता हूं कि हाईकोर्ट के एक जज को नियक्त कर दें और माननीय उमादत्त जी से

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

प्रार्थना करता हूं कि मेरे खिलाफ जो चार्जेज हैं उन्हें भी वहीं भेज दें। श्रीमन्, उन्हें स्तीफा देना चाहिये, जनहित में यही उचित है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं १५ मिनट समय बढ़ाता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इतना सुनने के बाद मुख्य मंत्री जी बहुत पिघले होंगे। वह घोषणा कर दें कि जांच समिति बैठाएंगे। अगर वह चुप रहेंगे तो इसका मतलब है कि वह सदन के साथ न्याय नहीं करेंगे।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, इस प्रश्न पर ढाई घंटे कल बहस हो चुकी और दो-ढाई घंटे आज और जिस दिन यह प्रश्न उठा था उस रोज भी करीब घंटे भर बहस हुई। हमारे भाई कृष्णानन्द जी ने कहा कि आप बोले क्यों नहीं, रहस्यमयी चुप्पी रही। रहस्यमय चुप्पी बिल्कुल नहीं थी। मैंने कल निवेदन किया था कि इनको और समय दे दिया जाय, यह बोल लें। श्रीमन्, मैं यह सुन रहा था कि जितने आदमी यहां बोल रहे हैं उनमें से कोई यह कहे कि उमादत्त जी को रिश्वत दी गयी है, यह मैं जानता हूं, मुझे इसका पता है। कोई उसका सबूत पेश कर दे। गौरीशंकर जी का पत्र था, वह यह था कि हमने चौराहे पर सुना कि इस जमीन को उन्होंने छुड़वाया एक लाख रुपया घूस लेकर और मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करें। मान्यवर, कोई मेरे पास मेरठ से यह कहने नहीं आया कि हमने उमादत्त जी को एक लाख या पचास हजार घूंस दी। यहां जितने लोग बोले उन्होंने तरह-तरह के नये-नये आक्षेप तो जरूर पैदा किये, जो देंगे तो देखा जायगा, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि रिश्वत दी गयी, यह मैं जानता हूं मेरे पास सबूत है, मैंने देखा है...

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। इस केस की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कि जमीन का मूल्य बढ़ गया है, अधिग्रहण हो चुका और मंत्री बनने के बाद जमीन को मुक्त कराने में गैर मामूली दिलचस्पी दिखायी.....

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, जब यह लोग बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला। अब....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं अपने सन्तोष के लिये स्पष्टीकरण चाहता हूं। तो इन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुये (व्यवधान) क्या इन चीजों को देखते हुये वह यह उचित नहीं समझते कि यह मामला जांच के लायक है और अगर है तो कमीशन बैठायेंगे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मामला जांच तलब यह था और अब तक है गौरीशंकर राय जी का वह पत्र जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने सुना कि एक लाख रुपया इन्होंने घूंस लिया। लेकिन यहां जो व्यक्ति बोले सबने कहा कि हमें नहीं मालूम है कि उमादत्तजी ने घूंस ली या नहीं। यह मामला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा है जिससे यह अर्थ निकलता है कि इसमें कुछ फिशी ट्रांजेक्शन हुआ है। श्रीमन्, किसी व्यक्ति पर घूस का आरोप लगा देना और सत्यापित न करना और केवल आरोप के नाम पर तरह-तरह की मांग करना, क्या यही उचित बात है और क्या यही सार्वजनिक जीवन की पवित्रता है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरे इन्टरफियरेन्स को क्षमा करेंगे। माननीय सदस्य अगर मुख्य मंत्री जी से किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उसकी तो जांच तुरन्त हो जाती है फिर जब कि सर्कम्सटान्शियल एवींडेन्स एक मन्त्री के खिलाफ है तब फिर जांच क्यों नहीं की जाती है ? वे जांच करा दें, अगर निष्कलंक होंगे तो मालूम पड़ जायेगा। क्योंकि वे जांच नहीं कराना चाहते हैं इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अपने दल के लोगों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री मनोहर लाल--

इसके विरोध में हम भी सदन का त्याग करते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मेरी बात भी न सुनें और सदन का त्याग करके चले जायें। इससे मालूम होता है कि सारा मामला मिथ्या है। किसी ने नहीं कहा है कि श्री उमादत्त शर्मा ने रिश्वत ली। श्री गौरी शंकर राय जी के पत्र में यह लिखा था कि १ लाख रु० रिश्वत ली। इस आरोप का कोई प्रमाण नही था और न ही कोई हमारे पास मेरठ से यह कहने के लिये आया कि श्री उमादत्त ने रिश्वत ली है। रिश्वत लेने का आरोप बहुत बड़ा है। बिना किसी प्रमाण के और बिना किसी सबूत के यह कह देना कि उन्होंने १ लाख रु० रिश्वत ली है और फिर यह मांग करना कि आप अपनी राय दें, मैं समझता हूं कि मेरे साथ यह न्याय नहीं है, मैं इसको न्यायपूर्ण नहीं समझता हूं। किसी ने यह नहीं कहा कि रिश्वत दी। इसलिये श्री उमादत्त जी निर्दोष हैं।

श्रीमन्, कुछ दूसरी बातें भी उठायी गयी हैं। उन प्रश्नों को देखने का काम मुख्य मन्त्री का है। जो प्रश्न उठाये गये है मैं उनकी उपेक्षा नहीं करता हूं। जैसे इस मामले की फाइल मंगायी, जैसे परिवहन मन्त्री का वक्तव्य मांगा, जैसे श्री उमादत्त शर्मा का बक्तव्य मांगा और जैसे दोनों को सदन के सामने खड़ा कर दिया कि आपके विरुद्ध आरोप हैं, तो जो बातें कही गयी हैं उन्हें मैं अपने ढंग से देख लूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। केवल आरोप लगा देना और उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत न करना और दुनिया भर के आरोपों से यह सिद्ध करना कि किसी आदमी ने घूस ली होगी यह ऐसा प्रश्न है कि जिसमें किसी आदमी को कन्डम कर देना, दोषी बना देना और दंडित कर देना, मैं समझता हूं अत्यन्त अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ जुलाई, १९७१।

नत्थी 'क'

(देखिये तां० प्रश्न सं० ८ का उत्तर पीछे पृ० ३७२ पर।)

तालिका

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	वर्ष	स्वीकृत अनुदान की राशि		उद्देश्य
			अनावतक	आवतक	
१	२	३	४	५	६
१	सरस्वती शिशु मंदिर निरालानगर, लखनऊ।	१९६७-६८	५,०००	..	भवन अनुदान
२	सरस्वती शिशु मंदिर निरालानगर, लखनऊ।	,,	५००	..	देश दर्शन
३	सेन्ट मार्क्स स्कूल, क्ले स्क्वायर, लखनऊ।	,,	५००	..	शैक्षिक विकास
४	सनातन धर्म विद्या मंदिर चन्द्रनगर, लखनऊ।	,,	५००	..	,,
५	सनातन धर्म विद्या मंदिर, चन्द्रनगर, लखनऊ।	,,	५००	..	विवेकाधीन कोष
६	सरस्वती शिशु मंदिर, माडल हाउस, लखनऊ।	,,	५००	..	शैक्षिक विकास
७	सरस्वती शिशु मंदिर, माडल हाउस, लखनऊ।	,,	५००	..	विवेकाधीन कोष
८	भारत भारतीय शिशु विद्यालय, सोंधी टोला, लखनऊ।	,,	१०००	..	कार्य कलापों को बढ़ावा देने हेतु।
९	बाल विद्या मंदिर, चारबाग, लखनऊ।	,,	२०००	,,	,,
१०	लखनऊ एजूकेशन सोसाइटी, लखनऊ।	,,	५००	..	,,
११	जयभारत मान्टेसरी स्कूल, आनंदनगर, लखनऊ।	,,	३००	..	,,
१२	लखनऊ मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ।	,,	..	६,८२५	,,
		१९६८-६९			
१	सरस्वती शिशु मंदिर, माडल हाउस, लखनऊ।	,,	३५०	..	देश दर्शन
२	राधा कमल मुकर्जी विद्यामंदिर, लखनऊ।	,,	५००	..	शैक्षिक कार्य-कलाप
३	चिल्ड्रेन स्कूल, बांस मंडी, लखनऊ।	,,	१५००	..	कार्यकलाप हेतु
४	सेन्ट मार्क्स स्कूल, क्ले स्क्वायर, लखनऊ।	,,	७५०	..	सुचारु रूप से कार्य चलाने हेतु।

१	२	३	४	५	६
५	लखनऊ मान्टसरी स्कूल, लखनऊ ।	,,	..	५३२८	सुचारू रूप से कार्य चलाने हेतु
		१९६९-७०			
१	नवयुवक बाल शिक्षा केन्द्र, लखनऊ ।	,,	३४,३२५	३३,४२५	..
२	नवयुवक बाल शिक्षा केन्द्र, लखनऊ ।	,,	५००	..	पोषण अनुदान
३	चिल्ड्रेन स्कूल, लखनऊ	,,	१,५००	..	कार्यकलाप हेतु
४	बाल विद्यालय मंदिर, चारबाग, लखनऊ ।	,,	५,०००	..	कार्यकलाप
५	सेन्ट मार्क्स स्कूल, क्ले स्क्वायर, लखनऊ ।	,,	१,०००	..	विवेकाधीन कोष
६	लखनऊ मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ ।	,,	५,४९६		—
		१९७०-७१			
१	प्रमोदिनी स्कूल, नर्सरी स्कूल, लखनऊ ।	,,	२०,०००	..	कार्यकलाप
२	चिल्ड्रेन स्कूल, लखनऊ	,,	१,५००	..	,,
३	नवयुग बाल शिक्षा केन्द्र, लखनऊ ।	,,	..	५,९५२	—
४	लखनऊ मान्टेसरी, स्कूल, लखनऊ ।	,,	..	५,१२४	—

अमर उजाला

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर)

सूची

विद्यालय का नाम	माह जिसका वेतन बकाया है
(१) डी० ए० वी०, बिल्थरारोड ।	दिसम्बर, १६६८ तथा जनवरी, १६७१, फरवरी एवं मार्च, १६७१, तक ।
(२) इं० का० मलय	जनवरी, १६६८ से सितम्बर, १६६८ तक एवं नवम्बर, १६७० से मार्च, १६७१ तक।
(३) इं० का० मनियर	१ अध्यापक – मई तथा जून, १६६७ १ ,, नवम्बर से दिसम्बर, १६६८ १ ,, अप्रल ७० से अक्टूबर ७० तक
(४) इं० का०, सहसवार	अक्तूबर, १६६७ से अगस्त, १६६८, दिसम्बर, १६६८ तथा नवम्बर, १६७० तक।
(५) रेवती इं० का०, रेवती	मार्च, १६६८ से फरवरी, १६६६ एवं नवम्बर, १६७० से फरवरी, १६७१ तक।
(६) इं० का० दुबे, छपरा	मार्च, १६६८ से सिसम्बर, १६६८ तक।
(७) इं० का०, दुबहर	जुलाई से सितम्बर, १६६८ एवं दिसम्बर, १६७० तथा जनवरी, १६७१ एवं फरवरी, १६७१ ।
(८) राष्ट्रीय इं०का०, करम्यर	मई, १६७० से फरवरी, १६७१ तक।
(६) पी० डी० इं० का०, मायघाट ।	नवम्बर, १६७० से फरवरी, १६७१ तक (केवल महंगाई)
(१०) उ० मा० वि०, कारो	अप्रैल, १६७० से मार्च, १६७१ तक।
(११) उ० मा० वि०, .. पकवाइनार ।	नवम्बर, १६७० से मार्च, १६७१ तक।
(१२) उ० मा० वि०, .. माड़ीबढ़ गांव	अप्रैल से जुलाई, १६६६ तथा सितम्बर, १६६६, दिसम्बर, १६६६ एवं मार्च, १६७१ तक।
(१३) उ० मा० वि०, छितौनी	नवम्बर, १६७० से मार्च, १६७१ ।
(१४) उ० मा० वि०, .. लियानकला	दिसम्बर, १६७० से जनवरी, १६७१ एवं मार्च, १६७१।
(१५) उ० मा० वि०, नरायनगढ़	मार्च, १६७० से मार्च, १६७१ तक।
(१६) उ० मा० वि०, चिलकहर	दिसम्बर, १६७० से मार्च, १६७१ तक।
(१७) उ० मा० वि०, .. टीकादेवरीनगपुरा ।	दिसम्बर, १६७० से मार्च, १६७१ तक।
(१८) उ० मा० वि०, मझोवा	दिसम्बर, १६७० से मार्च, १६७१ तक।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर)

बलिया जिले के प्राइमरी पाठशालाओं की तालिका जिसमें मार्च, सन् १९७१ तक बालाहार योजना लागू की जा चुकी है।

क्रमांक	प्राइमरी पाठशाला जहां पर बालाहार योजना लागू की गयी है	क्रमांक	प्राइमरी पाठशाला जहां पर बालाहार योजना लागू की गयी है
१	२	१	२
१	प्रा० पा० बांसडीह नं० १	३७	प्रा० पा० सुखपुरा नं०–२
२	,, बांसडीह नं०–२	३८	,, चिलकहर
३	,, बंकवा	३९	,, डुमरी
४	,, देवडीह	४०	,, गोपालपुर
५	,, खरौनी	४१	,, हजौली
६	,, कन्या हालपुर	४२	,, कुरेजी
७	,, हालपुर	४३	,, बेलसरा
८	,, कन्या खरौनी	४४	,, सलेमपुर
९	,, छोटकी सिरिया	४५	,, असनवार
१०	,, बघाव	४६	,, बुढ़ऊ
११	,, केवरा	४७	,, कुकुरहा
१२	,, हल्दी नं० १	४८	,, छिब्बी
१३	,, हल्दी नं० २	४९	,, विड़िहड़ापुर
१४	,, परसिया नं० १	५०	,, भीमपुरा
१५	,, रुद्रपुर	५१	,, अब्दुलपुर मदारी
१६	,, बेलहरी	५२	,, रुपवार
१७	,, सोनवानी	५३	,, अवराई कलां
१८	,, कन्या बेलहरी	५४	,, बीबीपुर
१९	,, कन्या हल्दी	५५	,, बरौली
२०	,, बैरिया	५६	,, शाहपुर
२१	,, शहीद बैरिया	५७	,, गोविन्दपुर
२२	,, इस्ला० बैरिया	५८	,, सरया
२३	,, रानीगंज	५९	,, बसरिकापुर
२४	,, रामगढ़	६०	,, दुबहर
२५	,, दया छपरा	६१	,, सबरुबांध
२६	,, गोपालपुर	६२	,, शिव रामपुर
२७	,, सुरेमनपुर	६३	,, दिउली
२८	,, गोबिन्हया छपरा	६४	,, आलमचक
२९	,, मधुबनी	६५	,, पाण्डेयपुर
३०	,, हरिपुर	६६	,, भरसर
३१	,, सुखपुरा नं०–१	६७	,, गड़वार
३२	,, करम्मर	६८	,, कन्या गड़वार
३३	,, कैथवली	६९	,, शाहपुर
३४	,, मेरीटार	७०	,, रतसड़
३५	,, मिश्रबलिया	७१	,, रतसड़ टाउन
३६	,, भवरपुर	७२	,, इस्ला० रतसड़

१	२		१	२	
७३	प्रा० पा०	कन्या रतसड़	११६	प्रा० पा०	खनवर
७४	,,	कनैला	११७	,,	सीसावार कला
७५	,,	फेफना	११८	,,	सिकन्दरपुर
७६	,,	सिंहपुर	११९	,,	सीसोटार
७७	,,	करनई	१२०	,,	लिलकर
७८	,,	धरहारा	१२१	,,	कटौड़ा
७९	,,	छोड़हर	१२२	,,	नवानगर
८०	,,	देवकली	१२३	,,	बघुड़ी
८१	,,	गोठहुली	१२४	,,	जजौली
८२	,,	गंगहरा	१२५	,,	शेखपुर
८३	,,	शंकरपुर	१२६	,,	सिकन्दरपुर टाउन
८४	,,	हनुमानगंज	१२७	,,	जमुई
८५	,,	माल्देपुर	१२८	,,	पन्द्रह
८६	,,	कपुरी	१२९	,,	किकोढ़ा
८७	,,	खोरी पाकड़	१३०	,,	बरवा
८८	,,	कर्ण छपरा	१३१	,,	कड़सर
८९	,,	मुरार पट्टी	१३२	,,	पुर
९०	,,	सोनबरसा	१३३	,,	सहुलाई
९१	,,	शिवपुर नौरंगा	१३४	,,	जगदरा
९२	,,	चतुरी टोला	१३५	,,	खेजुरी नं०-१
९३	,,	टोला पकरू राय	१३६	,,	खड़सरा
९४	,,	बाजिद पुर नं०-२	१३७	,,	खजुरी नं०-२
९५	,,	बहुआरा	१३८	,,	टंडवा
९६	,,	भुलौला	१३९	,,	रतनपुरा
९७	,,	बाजिदपुर नं०-१	१४०	,,	मेउड़ी
९८	,,	मनियार	१४१	,,	बेलौंझा
९९	,,	मनियर टाउन नं० १	१४२	,,	गाढ़ा
१००	,,	इस्ला० मनियर	१४३	,,	चकरा
१०१	,,	पिलुई	१४४	,,	सहुधारी
१०२	,,	असना	१४५	,,	पीपर साथ
१०३	,,	बहदुरा	१४६	,,	अरदौना
१०४	,,	काजीपुर	१४७	,,	पहसा
१०५	,,	पनिचा	१४८	,,	रेवती नं०-१
१०६	,,	कन्या मनियर	१४९	,,	रेवती नं०-२
१०७	,,	बड़सरी	१५०	,,	इस्ला० रेवती
१०८	,,	बिजुलीपुर	१५१	,,	सहतवार नं०-२
१०९	,,	नगरा	१५२	,,	सराय भारती नं०-१
११०	,,	नरही	१५३	,,	सराय भारती नं०-२
१११	,,	इस्ला० नगरा	१५४	,,	खड़सरा
११२	,,	बीरपुरा	१५५	,,	नरायनपुर
११३	,,	ताड़ीबड़ा गांव	१५६	,,	परसिया नं०-२
११४	,,	खरुवाब	१५७	,,	सुल्तानीपुर
११५	,,	पालचन्द्रहा	१५८	,,	मुहेरा

१	२		१	२	
१५९	प्रा० पा०	अठिला	१७२	प्रा० पा०	पलिया
१६०	,,	अठिलापुरा	१७३	,,	कोरंटाडीह
१६१	,,	अमहर	१७४	,,	सोहांन
१६२	,,	गढ़िया	१७५	,,	सुरही
१६३	,,	ककरासों	१७६	,,	कन्या सुरही
१६४	,,	सोना डीह	१७७	,,	लक्ष्मणपुर
१६५	,,	वेल्थरा बाजार	१७८	,,	नरही नं० १
१६६	,,	फरसाटार	१७९	,,	चितबड़ा गांव
१६७	,,	अखीप	१८०	,,	चितबड़ा गांव टाउन
१६८	,,	सीयर नं०—२	१८१	,,	हरिजन चितबड़ा गांव
१६९	,,	अवया	१८२	,,	आशापुर
१७०	,,	शेषपुर	१८३	,,	नरही नं०—२
१७१	,,	ससना			

नत्थी 'घ'

(देखिये तां० प्र० सं० ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर)

परिशिष्ठ

पर्वतीय विकास परिषद् की गत तीन बैठकों से सम्बन्धित यात्रा भत्ता व्यय का विवरण

बैठक	भुगतान की गई यात्रिक भत्ते की राशि	
	सरकारी सदस्य	गैर-सरकारी सदस्य
	रु०	रु०
१—नैनीताल में ३० जून, १६६६ को हुई बैठक । ..	८१.८०	२५६८.३६
२—मंसूरी में १४/१५ अक्टूबर, १६६६ को हुई बैठक	२७७.५६	३५२३.३३
३—लखनऊ में ३ दिसम्बर, १६७० को हुई बैठक ..	१०६४.०५	६०४.७५

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० सं० ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर।)

संलग्नक

स्वीकृत कर्मचारिवर्ग की सूची

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
(१) पर्यटक के आवास-गृह, सुनो-की-रेती	
१—पर्यटन अधिकारी	१
२—लिपिक	१
३—चौकीदार/चपरासी	१
४—सफाई मजदूर	१

इस पर्यटक आवास-गृह के लिये उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्मचारिवर्ग भी वर्तमान वित्तीय वर्ष से स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इसके लिये आवश्यक प्राविधान नवी मांगों की अनुसूची १९७१-७२ द्वारा कराया जा रहा है :—

१—स्वागती	३
२—मुख्य लपिक/लेखाकार	१
३—लिपिक/टंकक	१
४—चपरासी	२
५—रूम ब्वाय	३
६—सफाई मजदूर	१
७—चौकीदार	१
८—माली	१
(२) पर्यटक विश्रामालय, श्रीनगर	
१—सहायक पर्यटन अधिकारी	१
२—लिपिक	२
३—चपरासी	१
४—चौकीदार/माली	१
५—जमादार	१
(३) यात्री शेड, कर्णप्रयाग	
(४) यात्री शेड जोशीमठ	
	प्रत्येक के लिये
(५) यात्रिक शेड, बद्रीनाथ	
(६) यात्री शेड, गौरीकुण्ड	
१—नायब-नाजिर	१
२—चौकीदार-चपरासी	१
३—सफाईकार	१

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

तालिका

बिकास खंड का नाम	भवनहीन पाठशालाओं की संख्या
१—सदर	१३
२—सण्डवा चन्डिका	२५
३—लक्ष्मणपुर	१४
४—सांगीपुर	१८
५—मानधाता	१७
६—पट्टी	१८
७—मंगरौरा	१३
८—आसपुर	१७
९—गौरा	१३
१०—शिवगढ़	११
११—कुण्डा	१२
१२—कलाकांकर	१४
१३—बिहार	२२
१४—रामपुर	१८
१५—आबादगंज	१०
१६—नगरपालिका, प्रतापगढ़	४
योग ..	२३९

पी० एस० डू० पी०—ए० पी० १२० एल० ए०—१९७२—८४५।